राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 10] ग्यारहवीं विधान सभा के दसवें सत्र का पाचवां दिवस [संख्या : 3

शुक्रवार;

28 फरवरी, 2003

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, आप कल नहीं थे तो बहुत बड़बड़ हुई यहां, एक प्रश्न में ही पूरा एक घंटा चला गया।

श्री हरिसिंह (महुवा): आसन खाली नहीं था, उपाध्यक्ष महोदय थे, ऐसा नहीं है, आसन पर रिमार्क नहीं करें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्या कह रहे हैं?

एक माननीय सदस्य : ये ठीक कह रहे हैं, आसन पर नहीं बिराजते थे, इसलिए गड़बड़ हो गई।

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : प्रश्न क्रमांक 56.

श्री अध्यक्ष : बैठो, सिट डाउन। श्री ज्ञानदेव आहूजा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : प्रश्न क्रमांक 56. और हमारा विभाजन संख्या भी 56.

श्री अध्यक्ष : दोनों ही 56.

मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र अलवर की साउथ एक्सटेंशन वाटर सप्लाई योजना

56. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) **:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या जिला अलवर में मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र साउथ एक्सटेंशन वाटर सप्लाई योजना बनाई गई है? यदि हां, तो उक्त योजना कब बनी तथा उक्त पर व्यय कितना हुआ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना एक विशेष उद्योग (पेप्सी लेब) को लाभ पहुंचाने अथवा पानी पहुंचाने हेतु लगाई गई, जबकि उक्त उद्योग के नजदीक पानी सप्लाई के लिए पहले से ही एक बोरिंग कुआं पर्याप्त था?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना के तहत तत्कालीन अधिकारियों द्वारा अनियमितताएं की गईं? क्या उक्त में पांच कुएं बोरिंग हुए, उसमें से मात्र एक कुआं चालू है तथा जो टंकी बनाई गई थी उसकी देखरेख के अभाव में मोटर व अन्य सामान चोर उठा कर ले गये?

(4) क्या सरकार उक्त अनियमितता करने वालों के विरुद्ध जांच कराने का विचार

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उद्योग मंत्री (डा. चन्द्रभान) : (1) जी हां। इस जल योजना की तकनीकी स्वीकृति रुपये 60.29 लाख की वर्ष 1996-97 में जारी की गई थी एवं कार्य वर्ष 1997-98 में शुरू किया गया। इस जल योजना पर कुल 45.94 लाख रुपये व्यय हुए।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। साउथ एक्सटेंशन की जल योजना के अन्तर्गत पांच ट्यूबवैल खोदे गये हैं, परन्तु वर्तमान में भूखण्डों का आबंटन कम होने के कारण बनाये गये नलकूपों का उपयोग नहीं हो पा रहा है। टंकी एवं सामान की देखरेख हो रही है तथा मोटर व अन्य सामान की चोरी नहीं हुई है।

(4) जी नहीं। कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो सदन में उत्तर दिया है, यह सदन को भ्रमित करने वाला है और बिलकुल असत्य है। वास्तव में यह जो योजना बनाई गई 60.29 लाख रुपये की, जो इन्होंने...

श्री अध्यक्ष : आप असत्य कह रहे हैं, यह असत्य कैसे है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बता रहे हैं। क्या यह योजना बनाते समय, मंत्रीजी जो बता रहे हैं, 60.29 लाख रुपये की योजना बनाई गई और 45.94 लाख रुपये खर्च हुए? जब यह योजना बनाई गई मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, तो उस समय अंदाजा नहीं लगाया गया था कि कितना खर्चा आयेगा? वास्तव में किसी साजिश के तहत योजना बनाई गई, बाद में उससे बचने के लिए यह किया, यह खण्ड (अ) में जो आपने उत्तर दिया है, खण्ड (ब), मंत्री महोदय का यह कहना है कि जी नहीं, यह वास्तव में योजना लिखित रूप में पेप्सी लहर फैक्टरी को पानी सप्लाई के लिए बनाई गई, जिसका उत्तर मंत्री महोदय ने जी नहीं में दिया है। यह बिलकुल गलत है। इसलिए बाकायदा उसके रीको से पेपर्स मंगवाकर देखें तो यह पेप्सी लहर के लिए योजना बनाई गई थी।

खण्ड (3) में मंत्री महोदय ने बताया है कि साउथ एक्सटेंशन में क्योंकि वहां उद्योग नहीं लगे हैं इसलिए वहां उपयोग नहीं हो पाया और चोरी नहीं हुई है। जबकि वहां पर अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी देना चाहता हूं, पांच बोर में से चार बोर बरबाद हो गये हैं, मेरे पास उसके फोटोज हैं। उनके खिड़की-दरवाजे और जो छोटा कमरा वहां बना हुआ था, उनको चोर ले गये हैं। टंकी के नीचे से पाइप चोरी करके लोग ले गये हैं, वहां पर मोटर चोरी करके ले गये हैं। अब अधिकारी वहां दुबारा बोरिंग को ठीक, दुरुस्त करवाने का प्रयास कर रहे हैं, कल मुझे ऐसी फोन पर सूचना आई है इसलिए

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

यह बिलकुल असत्य है कि वहां पर चोरी नहीं हुई। पाइप की चोरी हुई है, वहां पर टंकी का बाकी सामान भी चोरी हुआ है, कमरे में रखी हुई मोटर भी चोरी हुई है चार बोर हैं, उनकी मोटर भी चोरी हुई है और सारी चोरी खिड़की-दरवाजे सहित लोग उतार कर ले गये हैं। इसलिए मेरी सीधी चुनौती है, चाहे तो मंत्री महोदय स्वयं चलकर देखें...

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मंत्री महोदय, आप मौके पर, स्वयं दर्शन करना चाहते हैं तो मैं इसके लिए चुनौती देता हूं, मैं जाने के लिए तैयार हूं। मंत्री महोदय बताये कि वास्तव में जो अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में भ्रमित किया है, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे? और इसी प्रकार से अन्य चोरियों का जो रीको में है, उसके बारे में क्या कार्यवाही करेंगे, क्या जांच बिठाने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? चोरी हुई या नहीं हुई?

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह कहना है कि यह योजना जो स्वीकृत हुई, 60.29 लाख रुपये की हुई और इस पर व्यय हुआ वह 45.94 लाख रुपये हुआ। अध्यक्ष महोदय, जब यह योजना बनी थी, इसकी तकनीकी स्वीकृति हुई थी, उसमें जो इसके लिए स्पेसिफिकेशन वगैरह तैयार किये गये, उनमें यह महसूस किया गया, इतने की जरूरत नहीं है, जैसे पम्परूम छह थे, पाइप लाइन, फायर हाइड्रेंट, फ्यूज वाल्व चैम्बर, पम्पिंग मशीनरी, ट्यूब वैल तो बनाये गये, जो आर.सी.सी. का रिजरवायर बना, सी. डब्ल्यू. आर. भी बना, पाइप लाइन जो थी उसकी भी लम्बाई कम रखी गई। अध्यक्ष महोदय, मत्स्य विस्तार योजना के अन्तर्गत यह योजना बनी, यह मानकर कि नेशनल कैपिटल रीजन है, इसका विकास होगा। और यह सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के चलते बहुत सारी इण्डस्ट्री वहां से दिल्ली से शिफ्ट होंगी तो करीब 489 एकड़ में बनी। इसके दो पार्ट थे, एक नोर्थ और एक साउथ। और बाद में जब यह पता चला कि इसमें बहुत कम भूखण्ड बिक रहे हैं और क्योंकि इतनी आवश्यकता नहीं है तो उसमें यह पाइप लाइन वगैरह कम बिछाई गई। इसके चलते 60 लाख की जगह 46 लाख रुपये में ही यह जल योजना पूरी हो गई।

माननीय सदस्य ने एक यह भी सवाल किया और अभी सप्लीमेंटरी में भी सवाल किया है, पेप्सी लहर नाम की कोई कम्पनी है, इसमें आपने सवाल में पेप्सी लेब बताया है, पेप्सी लेब के नाम से कम्पनी है, उसकी मदद करने के लिए यह योजना बनाई गई। अध्यक्ष महोदय, यह सही नहीं है। वहां पर ब्रेवरीज की एक यूनिट है और उसी को लोग पेप्सी के नाम से भी जानते हैं। अध्यक्ष महोदय, वह मैसर्स वरुण ब्रेवरीज प्रा.लि., यह साउथ एक्सटेंशन में है ही नहीं,

(डा. चन्द्रभान)

यह तो नोर्थ विस्तार में है और इसको 31270 वर्गमीटर का भूखण्ड एस.बी. 646, एफ 647 से 656 तक आबंटित किया हुआ हैं। और साउथ विस्तार का क्षेत्र है उससे यहां यह ब्रेवरीज स्थित है। उसकी दूरी साढ़े तीन किलोमीटर है। और दूसरा, मैं कहना चाहूंगा, इस इकाई ने रीको से कोई जल सम्बन्ध नहीं ले रखा है। इसने खुद ने अपना वाटर सोर्स डवलप कर रखा है। इसलिए माननीय सदस्य का यह कहना सही नहीं है कि वरुण ब्रेवरीज जिसको पेप्सी के नाम से जानते हैं, उसकी मदद के लिए इस योजना को बनाया गया है। यह योजना तो मूल रूप से जो साउथ एक्सटेंशन में जो भूखण्ड आबंटित होंगे, जो इण्डस्ट्रीज आयेंगी, उनको पानी की सप्लाई के लिए बनाई गई थी। अनफोर्चुनेटली मैं यह कहना चाहूंगा कि 1996–97 में योजना बनाई और यह मानकर कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद में ये इण्डस्ट्री आयेंगी, वह नहीं आ पाई। इसमें से भिवाड़ी, नीमराणा, शाहजहांपुर जैसे नेशनल हाइवे और दिल्ली के नजदीक औद्योगिक क्षेत्र बहुत ज्यादा डवलप हो गया है, वे इण्डस्ट्रीज वहां चली गई, इसके चलते यहां केवल चार भूखण्ड ही आबंटित हो पाये। उनमें से दो इकाइयां लगीं और उनमें से एक ही इकाई कार्यरत है और उसने भी वाटर कनेक्शन नहीं लिया इसलिए यह कुएं बन्द पड़े हैं। जहां तक माननीय सदस्य कह रहे हैं, वह सामान चोरी हो गया, अध्यक्ष महोदय, मैंने जो अभी पूरी जानकारी ली है, मेरे पास ऐसी जानकारी है नहीं, जो भी सामान है, वह वहां स्टोर के अन्दर है। कुएं हैं वह इसीलिए बन्द है क्योंकि वाटर कनेक्शन ही नहीं ले रहे हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : स्टोर पर कोई ताला नहीं है माननीय मंत्री महोदय। और जहां तक पेप्सी लहर का सम्बन्ध है, मैं आपको फिर दावे के साथ यह जानकारी दे रहा हूं, और फिर जानकारी लूंगा भी आपसे, पेप्सी लहर को अगर सप्लाई नहीं किया गया तो लिखित में पेप्सी लहर का नाम है कि नहीं है, मैंने यह कहा है। एक बात। दूसरा प्रश्न यह है कि जो पांचवां कुआं, सिर्फ एक बोर चालू है उसका पानी कहां सप्लाई किया जा रहा है, कृपया मंत्री महोदय यह बताये, अगर पेप्सी लहर को नहीं किया जा रहा है तो कहां किया जा रहा है। और लिखित में पेप्सी लहर के लिए यह ले-आउट में और मास्टर प्लान पेप्सी लहर का है कि नहीं है, मैंने यह पूछा है। और चोरी के लिए...

श्री अध्यक्ष : आप जिस पेप्सी को कह रहे हैं...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कोई ताला नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां सारा सामान चोरी चला गया है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय यह कह रहे हैं वह ब्रेवरीज जो है। वह साढ़े तीन किलोमीटर दूर है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : चाहे दस किलोमीटर है लेकिन पेप्सी लहर का नाम लिखा गया, अध्यक्ष महोदय। तखमीना पेप्सी लहर के नाम से बनवाया और जो एक कुआं चालू है उससे भी पेप्सी लहर को पानी पहुंचाया जा रहा है।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, मैं फिर आपके माध्यम से...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : और कोई ताला नहीं है स्टोर पर। टोटल सामान चोरी हो गया है, मैं खुद देखकर आया हूं, मेरे पास फोटोज हैं। और तखमीना जो बनाया गया, वह पेप्सी लहर के लिए लिखित में है, चाहे वह चार किलोमीटर है, चाहे तीन किलोमीटर है, चाहे पांच किलोमीटर है।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को, सदन को, फिर यह नालेज में लाना चाहूंगा कि माननीय सदस्य, आपकी जानकारी में यह नहीं है। और मैं यहां पर प्रमाण के साथ में यह बात कह रहा हूं कि वरुण ब्रेवरीज है वही वहां पर पेप्सी के नाम से, दूसरी कोई यूनिट है ही नहीं। और वह यूनिट साउथ एक्सटेंशन में नहीं है, नोर्थ एक्सटेंशन में है। दूसरा जो, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अभी सवाल एक और खड़ा किया है और मैंने मेरे सवाल के जवाब में भी यह बात कही है। यह कह रहे हैं कि एक कुआं चालू है और उस कुएं से उसको, जो पेप्सी लहर तथाकथित या वरुण ब्रेवरीज है उसको पानी की सप्लाई कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं जहां यह कुएं स्थित है वहां से वरुण ब्रेवरीज तक कोई पाइप लाइन वगैरह बिछी हुई भी नहीं है, अब पानी की सप्लाई कोई हवा में तो होती नहीं है। और दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि जो मैंने मेरा जवाब दिया है, इस जवाब में यह स्पष्ट कहा है, यह पांचों कुएं बन्द हैं, कोई कुआं इनमें से नहीं चल रहा है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : एक चालू है, मैं फिर आपको चुनौती दे रहा हूं। आप वहां मौके पर चलकर स्वयं देखें, अधिकारियों को भेजें, माननीय अध्यक्ष महोदय, और उसकी जांच करवाने के लिए आप तैयार हैं या नहीं। एक कुआं चालू है और उसका पानी कहां सप्लाई हो रहा है...

डा. चन्द्रभान : नहीं–नहीं, अध्यक्ष महोदय। मुझे, अधिकारियों को भेजने का सवाल कहां उठता है। इस सवाल का जवाब, आप जानते हैं आपको आज मिला होगा या कल मिला होगा, मुझे कल मिला है। मैंने अधिकारियों से पूरी जानकारी ली है। मैंने उनसे कहा है कि भाई, माननीय सदस्य ने पूछा है कि एक कुआं चालू है, अधिकारियों ने इसकी पूरी, पुख्ता जानकारी लेने के बाद में जवाब दे रहा हूं मैं सदन में।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मैं स्वयं देख कर आया हूं, माननीय मंत्री महोदय।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, आपके और मेरे देखने का सवाल नहीं है। और यह माननीय सदस्य इस तरह से जब मैं कोई जवाब दे रहा हूं सदन में, आपको इस को स्वीकार करना चाहिए, आप इस पर विश्वास क्यों नहीं करते है?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हमारे ऊपर क्यों नहीं विश्वास कर रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय?

डा. चन्द्रभान : विश्वास न करने का कारण है, यह तो बताइये आप। कोई चालू नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यह कह रहे हैं...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य। श्री संयम लोढ़ा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मेरा नाम पुकार दिया न आपने।

श्री अध्यक्ष : आगे, इनके बाद।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उद्योग मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि उक्त औद्योगिक क्षेत्र योजना में कुल कितने भूखण्ड हैं और कितने भूखण्डों पर उद्योग क्रियाशील है और जब इतने कम उद्योग खुले तो सरकार ने क्या सोचकर यह योजना बनाई थी और कब बनाई थी। राजस्थान के औद्योगिकी जगत के बड़े रचनाकार के रूप में दावा करने वाले तत्कालीन उद्योग मंत्रीजी हरिशंकरजी भाभड़ा ने इस योजना पर कितने करोड़ रुपये राजस्थान की जनता के बरबाद किये, मैं जानकारी चाहता हूं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मेरी मूल जो बात है कि इन्होंने एक और, साहब, जो मंत्री महोदय ने यहां बयान दिया है, वह सुप्रीम कोर्ट का उस समय कोई डिसीजन था ही नहीं। अलवर एम.आई.ए. में उद्योग लगने का कोई...

श्री अध्यक्ष : ज्ञानदेवजी, बैठिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह कह कर कि वहां...

श्री अध्यक्ष : वह उन्होंने अनुपूरक प्रश्न पूछा है, उनका उत्तर आने दीजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : नहीं, मेरा अनुपूरक प्रश्न रह गया है, साहब।

श्री अध्यक्ष : तीन दफा तो पूछ लिया आपने। दो से ज्यादा पूछने का नियमों में प्रावधान ही नहीं है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : दो ही पूछे हैं, साहब। प्रश्न का ही पार्ट है यह कि इन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया इसलिए वहां उद्योग लगने वाले थे।

श्री अध्यक्ष : तीन तो इन्होंने सप्लीमेंटरी पूछ लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सप्रीम कोर्ट का आदेश 1996-97 में आया हीं नहीं था। अध्यक्ष महोदय, सप्रीम कोर्ट का आदेश 1996-97 में आया नहीं था इसलिए प्रश्न ही नहीं था कि वहां भूखण्ड बेचेंगे। यह सारी फोरजरी योजना है जो अधिकारियों ने बनाई है, आप उनको क्यों बचाना चाहते हो, कृपा करके बताये और इसकी जांच बिठाने के लिए तैयार हैं क्या?

श्री संयम लोढ़ा : भाभड़ाजी ने बनाई, भाभड़ाजी ने।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही नहीं आया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : 1996-97 में।

डा. चन्द्रभान : माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिनांक 8 जुलाई, 1996 को ही 168 इकाइयों को और 17.9.1996 को 513 इकाइयों को रि-लोकेट एवं बन्द करने के आदेश दिये थे दिल्ली में।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कब आया यह, जुलाई में?

डा. चन्द्रभान : यह मैं कह रहा हूं न, तारीख बता रहा हूं आपको, आप सुनिये। मैं कह रहा हूं 8 जुलाई, 1996 को 168 इकाइयों को और फिर 17 सितम्बर, 1996 को 513 इकाइयों को। जो सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने जानकारी चाही है अध्यक्ष महोदय, मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए मैंने कहा 489.90 एकड़ जमीन और एक्वायर की गई और दो पार्ट में इसका विकास किया गया। एक नोर्थ एक्सटेंशन जिसमें 136 भूखण्ड नियोजित हैं उनमें से 81 भूखण्ड आबंटित हो चुके हैं और दूसरा था साउथ एक्सटेंशन, इसमें 93 भूखण्ड कुल नियोजित, उनमें से केवल चार भूखण्ड दो इकाइयों को आबंटित हैं जिनमें से केवल एक इकाई ही कार्यरत है। इसके लिए करीब साढ़े पच्चीस करोड़ रुपये, इस पूरे एक्सटेंशन के साढ़े पच्चीस करोड़ रुपये की धनराशि रखी गई थी और उसमें से साढ़े सात करोड़ के आसपास धनराशि ही खर्च की गई है।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से...

श्री अध्यक्ष : शर्माजी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने एक बात कही है कि वह कुआं काम में ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि उनके अधिकारियों ने जानकारी दी है कि यह बात गलत है। अब सदन के सामने दोनों बात आ गयी। माननीय सदस्य जो कह रहे हैं उस पर विश्वास करें या अधिकारियों ने जो रिपोर्ट दी उस पर विश्वास करें। दोनों ही बिलकुल अलग-अलग हैं, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसका रास्ता निकालिये जिससे सत्य सामने आ जाय।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

जैसा सदस्य कह रहे हैं कि मेरे साथ चलो, मैं दिखाने के लिए तैयार हूं तो माननीय सदस्य की बात को झूठा मानने का कोई कारण नहीं है, प्रत्यक्ष देख करके आये हैं, उसको आप चैलेंज कर रहे हैं कि नहीं, आप असत्य बोल रहे हैं, तो यह बड़ा एक गैर जिम्मेदाराना जवाब है।

श्री संयम लोढ़ा : प्रमाण तो सामने है, आपकी सरकार ने अठारह करोड़ रुपये राजस्थान की जनता के बरबाद कर दिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, वह ठीक है क्या?

श्री संयम लोढ़ा : साढ़े पच्चीस करोड़ रुपये इनवैस्ट किये उसमें से सिर्फ साढ़े सात करोड़ रुपये मिले। क्या निहित स्वार्थ था आपकी सरकार का यह सब करने के पीछे?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वह तो कल पहले सवाल में ही पता लग गया उनको।

श्री संयम लोढ़ा : क्या स्वार्थ था आपकी सरकार का इस सब के पीछे। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वह तो कल के पहले सवाल में पता लग गया था।

श्री संयम लोढ़ा : और जो वह पेप्सी का भी यह दावा कर रहे हैं तो यह फैसला आपकी सरकार ने किया हुआ है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : सरकार ने पैसा बरबाद किया, वह तो कल सवाल में ही पता लग गया था, पहले सवाल में ही। सवाल इस बात का है कि मैं जो कहना चाहता हूं वह यह कहना चाहता हूं, कि सत्य का पता तो लगे ना हाउस को, कौन सही है...

श्री संयम लोढ़ा : आपकी पार्टी के लोग मल्टी नेशनल की राजस्थान में एजेंसी लेते हैं और यहां आप पेप्सी का विरोध करते हैं...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कौन सही है, अध्यक्ष महोदय...

श्री संयम लोढ़ा : आपकी पार्टी के लोगों के पास राजस्थान की मल्टी नेशनल की एजेंसियां हैं और यहां आप विरोध कर रहे हैं उसका।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं पूछ रहा हूं कि कौन सही है। आपको मालूम है क्या, आप बता दो। सवाल इतना सा है कि एक माननीय सदस्य इतनी गम्भीरता से कह रहे हैं जिम्मेदारी के साथ, आप उसको इनकार कर रहे हैं। दोनों तथ्यों में अन्तर है तो सही क्या है, यह तो बताये।

श्री रामनारायण चौधरी (विद्युत मंत्री) : नहीं, माननीय सदस्य किस आधार पर कह रहे हैं गम्भीरता से, उनके पास क्या आधार है सरकारी उत्तर को...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वह देखकर आये हैं ना। व्यक्तिगत जानकारी है।

श्री रामनारायण चौधरी : सरकारी उत्तर को आप नकार रहे हैं और चैलेंज कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, उनके पास क्या आधार है?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : व्यक्तिगत जानकारी है उनकी।

श्री रामनारायण चौधरी : यंह परम्पराएं हैं, रूलिंग्स हैं आसन की...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मैं फिजिकली देखकर आया हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : व्यक्तिगत जानकारी है।

श्री रामनारायण चौधरी : आप चुनौती दे सकते हैं लेकिन उसका आधार होना चाहिए। क्या आधार है?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : व्यक्तिगत जानकारी है उनकी।

श्री रामनारायण चौधरी : क्या जानकारी है इनको?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : व्यक्तिगत जानकारी है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मैं फिजिकली देखकर आया हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : आधार बतायें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मैं स्वयं देखकर आया हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आधार देख लीजिए।

श्री रामनारायण चौधरी : मंत्री के पास आधार है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या आधार है?

श्री रामनारायण चौधरी : सरकारी अधिकारियों की रिपोर्ट है, उनके पास क्या रिपोर्ट है?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मंत्री स्वयं नहीं गये हैं, मैं स्वयं देखकर आया हूं इसलिए आप को विश्वास करना चाहिए।

श्री रामनारायण चौधरी: ये परम्पराएं बनी हुई हैं, सरकारी उत्तर को...(व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : अध्यक्ष महोदय, यह और कहीं देखने चले गये। इनको पता नहीं है कि वह कहां पर पाइप लाइन बिछी हुई है। यह नोर्थ, साउथ के चक्कर में फंस गये। यह नोर्थ में चले गये, साउथ में देखने नहीं गये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : फिर तो यह निर्णय होगा, इसमें यह निर्णय करा दीजिये...

श्री रामनारायण चौधरी: सरकारी जानकारी को चुनौती दी जा रही है माननीय सदस्य लेकिन उसका आधार बताना होगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, बता रहे हैं ना, व्यक्तिगत जानकारी है।

श्री रामनारायण चौधरी : कहां बता रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : व्यक्तिगत जानकारी है।

श्री रामनारायण चौधरी : यह व्यक्तिगत जानकारी क्या...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कैसे नहीं होती है, और क्या होती है।

श्री रामनारायण चौधरी : वह कह रहे हैं कि मेरे पास फोटो है। यह चोरी करते हुए की फोटो इनके पास कहां से आ गई?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : निकाल कर लाये हैं।

श्री रामनारायण विश्नोई : यह कह रहे हैं कि मेरे पास फोटो है। चोर चोरी कर रहे थे उस वक्त कहां थे वहां।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, तो निकाल कर लाये हैं, यही जानकारी है, और क्या है।

श्री रामनारायण चौधरी : किस से फोटो आ गई।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): यही जानकारी है।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं–नहीं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं नहीं क्या होता है, बैठो।

श्री रामनारायण चौधरी : सरकारी वक्तव्य को, सरकारी जानकारी को चुनौती आप दे सकते हैं...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : दे रहे हैं न।

श्री रामनारायण विश्नोई : उसका आधार होना चाहिए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वह आधार है ना। भाई, व्यक्तिगत जानकारी है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आधार है, मैं देखकर आया हूं, आप देखकर नहीं आये हैं, मैं स्वयं देखकर आया हूं मंत्री महोदया।

श्री रामनारायण चौधरी : बिना आधार आप कह रहे हैं...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप बिना आधार कह रहे हैं, मैं स्वयं देखकर आया हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : सरकारी वक्तव्य को बिना आधार आप चुनौती नहीं दे सकते।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मैं उसको देखकर आया हूं स्वयं और अधिकारियों ने माना है।

डा. के. सी. चौधरी : माननीय सदस्य, वह कह रहे हैं कि व्यक्तिगत जानकारी आपकी गलत हो सकती है।

श्री रामनारायण विश्नोई : ...(व्यवधान) टाइम टू टाइम विभिन्न स्पीकर साहबों ने व्यवस्थाएं दी हैं।

डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) : कोई आधार हो तो बताये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं देखकर आया हूं। मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो अधिकारियों की रिपोर्ट पर क्यों किया जा रहा है?

श्री अध्यक्ष : शर्मा जी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : तो यह तय कर दें, साहब।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तय कर दें।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर। रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य अगर सेटिसफाई नहीं है और कह रहे हैं कि इनका उत्तर सही नहीं है तो आप प्रोटेक्ट कर दीजिये, अध्यक्ष के रूल 5 के अन्तर्गत उसमें व्यवस्था दे दूंगा मैं।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : ऐसे होने चाहिए, अध्यक्षजी। हो गया, साहब।

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, इसमें अध्यक्ष महोदय, अब सवाल यह है कि जब नोर्थ के औद्योगिक प्लाट खाली थे, अलाट नहीं हुए, उसकी सम्भावनाओं को लेकर साउथ में एक्सटेंशन किया गया यह बात तो समझ में आती है लेकिन जब पूरी 490 एकड़ में से केवल एक प्लाट अलाट हुआ, दो प्लाट अलाट हुए और एक इकाई, क्या 1996-97 में जब यह जल योजना बनायी गयी जिसमें 45 लाख रुपये खर्च किये गये? अलाट होने के पहले ही योजना स्वीकृत करके लागू करने का क्या अर्थ था?

श्री अध्यक्ष : अमरारामजी, एक प्रश्न में 21 मिनट हो गये हैं।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा कि औद्योगिक विकास की सम्भावनाओं को देखते हुए यह लम्बा प्रोसीजर है। लैंड वगैरह एक्वायर करनी पड़ती है और डवलपमेंट की योजनाएं बनानी पड़ती हैं। आपको मैं कहना चाहता हूं कि यह टोटल जो एक्सटेंशन का एरिया है वो 489.90 एकड़ भूमि है यह दो पार्ट में है। नोर्थ में तो 196.40 एकड़ एवं 294 एकड़ साउथ में है। तो साउथ में ये प्लाट्स हैं वो सेल नहीं हुए, एक ही इकाई कार्यरत है। नोर्थ में तो मैंने आपको...

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, साउथ में ही लगायी हैं न आपने 45 लाख की...

डा. चन्द्रभान : जी।

श्री अमराराम (धोद) : तो जब अलाट ही नहीं हुए तो आपने 45 लाख की अलाट होने से पहले पानी की लैण्ड एक्वायर करने वाली बात तो समझ में आती है पानी के लिए जब अलाट ही नहीं है तो क्यों स्कीम आगे पास की?

डा. चन्द्रभान : ऐसा है अलाट तो तब करते हैं जब जो क्षेत्र है वह काफी डवलप हो जाता है। जब डवलप ही नहीं होगा

(डा. चन्द्रभान)

तो अलाटमेंट के लिए कोई आएगा ही नहीं। कोई भूखण्ड लेना ही नहीं चाहेगा। यह आप कह सकते हैं कि इसमें हमारे जो अनुमान थे वो सही साबित नहीं हुए लेकिन यह तो मानकर चलना पड़ता है कि रोड्स हैं, पानी है, बिजली...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अमराराम (धोद) : प्लाट और रोड वाली बात तो समझ में आती है। एक्वायर करना, रोड बनाना, डवलप करना लेकिन पानी की स्कीम कहां...

डा. चन्द्रभान : पानी का भी इंतजाम करना पड़ता है।

श्री अमराराम (धोद) : अलाट होने से पहले पानी आप...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, बैठिये।

डा. चन्द्रभान : पानी, बिजली की व्यवस्था करनी पड़ती है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री भंवरलाल शर्मा।

राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मन्दिरों की भोग राशि

57. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मन्दिरों के भोगराग की राशि में गत तीन वर्षों में कितनी बढ़ोतरी की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में उक्त राशि नगण्य है? क्या सरकार इसमें बढ़ोतरी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी और नहीं, तो क्यों?

(3) प्रत्यक्ष प्रभार मन्दिरों की सम्पत्ति से सरकार को कितनी आय प्राप्त हो रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, देवस्थान (डा. जितेन्द्र सिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से (1) राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी मन्दिरों के लिये भोगराग राशि मद में गत तीन वर्षों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में स्वीकृत देय राशि पर्याप्त है। इसलिये इसमें वृद्धि का कोई प्रस्ताव नहीं है। भविष्य में आवश्यकतानुसार वृद्धि की जावेगी।

(3) प्रत्यक्ष प्रभार मन्दिरों/संस्थानों की सम्पत्ति से प्राप्त वार्षिक आय का विवरण गत तीन वर्षों का निम्नप्रकार है:-

वर्ष	राशि (लाखों में)
1999-2000	30.42 रुपये
2000-2001	90.74 रुपये
2001-2002	99.14 रुपये

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): अध्यक्ष महोदय, आपने उत्तर में यह कहा

(श्री भंवरलाल शर्मा)

है कि तीन वर्षों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई और यदि आवश्यकता होगी तो बढ़ोतरी की जाएगी तो इसके मापदंड क्या हैं? किन मापदंडों के आधार यह राशि तय करते हैं और क्या महंगाई के साथ इसका कोई सम्बन्ध है कि नहीं है? आपने उत्तर में यह भी कहा है कि इनसे जो आय होती है आपको इन मन्दिरों से 1999–2000 में 30 लाख 42 हजार रुपये हुई थी और उसके बाद 2000–2001 में यह बढ़कर 90 लाख 74 हजार हो गयी, तिगुनी हो गयी। मतलब आपकी इनकम तिगुनी हो गयी। और 2001–2002 में 99.14 लाख हो गयी, तिगुनी से भी ज्यादा हो गयी है। तो आपकी इनकम तो लगातार लाखों में इतनी बढ़ रही है और जो आप इनको देते हैं भोगराग की राशि, आप यह समझते हैं कि आवश्यकता ही नहीं है इसकी। इसके मापदंड क्या होंगे, और आवश्यकता पड़ने पर आप बढ़ायेंगे तो कौनसे कारण खड़े होंगे, जब आप इसको बढ़ायेंगे?

डा. जितेन्द्र सिंह : हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य को मैं अवगत कराना चाहूंगा कि जब जागीरें रिज्यूम हुई थी और सारे मन्दिर, और जो मन्दिर थे वो गवर्नमेंट आफ राजस्थान को प्रिंसली स्टेट ने हैण्ड ओवर कर दिये थे। उस समय किराया और सम्पत्ति की जो रेट्स चली आ रही थी, हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य, वह बहुत कम थी। कोई किराया, जो 10–10 रुपये किराया था प्रिंसली स्टेट के टाइम।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** वो तो बढ़ा दिया आपने। वो तो अच्छा किया आपने बढ़ा दिया।

डा. जितेन्द्र सिंह : मैं उसी के कंटीनुएशन में आ रहा हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** मैं उनके लिए तो तारीफ कर रहा हूं आपकी उसमें तो आपकी प्रशंसा है लेकिन यह भोगराग का जो सामान देते हैं वो क्यों नहीं बढ़ाते?

डा. जितेन्द्र सिंह : माननीय सदस्य, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि जो भोगराग की राशि है और जो पूर्व में चली आ रही थी आपके समय में, उस समय वो अन्य जो भी मन्दिर और संस्थाएं थीं, उनके लिए सफिशिएंट थी। और इसके लिए कहीं कोई आब्जेक्शन रेज नहीं किया गया। अब माननीय सदस्य, आप रेज कर रहे हैं तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि आपसे चर्चा करके इसमें जो भी बढ़ोतरी की जा सकती है उस पर सरकार गौर करेगी।

श्री अरुण सिंह (डीग) **:** अध्यक्ष महोदय, भरतपुर में एक बिहारीजी का मन्दिर है और मैं देवस्थान मंत्री महोदय से यह जानना चाह रहा हूं कि यहां एक कंट्रोवर्सी चालू हो गयी। पुराना मन्दिर है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि वहां जो पुजारी है वो कोई कंट्रोवर्सी में फंस गया है। आपको भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया।

(श्री अरुण सिंह)

भरतपुर रियासत का एक पुराना मन्दिर है इसका भी आप हल करें आपके विभाग की तरफ से।

डा. जितेन्द्र सिंह : डीग से आने वाले माननीय सदस्य को मैं अवगत कराना चाहूंगा कि आपने व्यक्तिगत रूप से भी और मुझे इसके बारे में ज्ञापन दिया था उसके लिए मैंने ए.सी. देवस्थान, भरतपुर को नियुक्त किया है कि उस पुजारी के विषय में जो भी कोई अनियमितता या टिप्पणियां हैं उससे मुझे तुरन्त अवगत करा दें वो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर अनियमितताएं हुईं तो उसमें जो भी आप चाहेंगे वह कार्यवाही की जाएगी।

श्री अरुण सिंह : बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि राजस्थान में प्रत्यक्ष प्रभार मन्दिरों की संख्या कितनी है और आत्मनिर्भर मन्दिर कितने हैं? नम्बर-1, नम्बर-2 बात ये जो भोग की राशि है यह पिछली बार सरकार ने कब बढ़ायी थी?

डा. जितेन्द्र सिंह : चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, आपने जो प्रश्न किया मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रत्यक्ष प्रभार के मन्दिर राजस्थान में 390 हैं और आत्मनिर्भर मन्दिर 204 हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि जो मन्दिर जिनके पास पूरा बजट नहीं है उनका काम कैसे चलेगा? मंत्री महोदय, दो रुपये प्रतिदिन के भोग के लिए देते हो तीन बार भोग लगता है। इस राज के अन्दर मन्दिर में बैठे भगवान भी भूखे हैं, आप मन्दिर विरोधी हैं इसलिए कर रहे हैं।

डा. जितेन्द्र सिंह : चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे पास एक विवरण है और मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि सभी मन्दिर उस स्तर के नहीं हैं जैसा कि आप सोच रहे हैं। एक तरफ अगर माधव बिहारीजी का मन्दिर जो बहुत बड़ा है तो दूसरी तरफ प्रिंसली स्टेट से जो हमने मन्दिर लिये थे उसमें कुछ मन्दिर ऐसे हैं जो सिर्फ एक दीवार में आले में भी हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने भोग की राशि कब बढ़ायी?

डा. जितेन्द्र सिंह : मैं सर, वो ही अर्ज कर रहा हूं आपसे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मन्दिरों की जो अपनी परम्परा है और उनका जो स्तर है और उनका डवेलपमेंट है। उस हिसाब से मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारी राशि है 87 लाख रुपये उसका डिस्ट्रिब्यूशन मन्दिरों के स्तर से किया है। जैसे मैं आपको अर्ज करना चाहूंगा कि ये आनन्द कृष्ण बिहारी जी का मन्दिर है इसका गत वर्ष खर्चा था 47 हजार रुपये पर ईयर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ...(व्यवधान) नहीं, एतराज है इस पर...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (अटरू) : भगवान भी छोटे-बड़े होते हैं क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मन्दिरों के हिसाब से भगवान का वर्गीकरण कर दिया। (व्यवधान) मन्दिरों के अन्दर भगवान का वर्गीकरण कर दिया आपने। भगवान एक है। अल्लाह ईश्वर तो एक है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय दिलावर साहब, बैठिये। दिलावर साहब बैठिये। श्री गोवर्द्धन कल्ला।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, आपका आदेश शिरोधार्य है लेकिन यह मन्दिरों के मामले में कह रहा हूं। यह भगवान को छोटा और बड़ा बता रहे हैं। सब भगवान हमारे लिये पूजनीय है और इस प्रकार से यह मन्दिर विरोधी लोग भगवान के बारे में इस प्रकार की चर्चा करें, यह ठीक नहीं है।

डा. जितेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह स्टैण्डर्ड आज के नहीं हैं यह स्टैण्डर्ड तो आपकी सरकार थी जब से चले आ रहे हैं, हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है। जब भाजपा की सरकार थी उस वक्त 86 लाख का खर्चा था, और जो इन्होंने डिवीजन किया था कि इस मन्दिर को इतने दिये जायेंगे वही हम लोग कर रहे हैं। भगवान को उसमें डिफ्रेंशिएट कहीं नहीं किया। मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि हमारी वर्तमान सरकार ने सांवलिया जी ट्रस्ट, चित्तौड़ का जो मन्दिर था जो सात साल से बन्द पड़ा था उसकी प्रक्रिया प्रारम्भ की है, टेण्डर्स किये हैं और निश्चित रूप से उसका कार्य प्रारम्भ हो रहा है। और हमारे राजस्थान के जो विख्यात मन्दिर हैं राधामाधव जी का मन्दिर, उत्तरप्रदेश में राधामाधव जी का अकेला मन्दिर जिसको 100 साल पहले हिज हाइनेस माधव सिंह जी ने बनवाया था उसके लिये स्पेशली ट्रेन लाइन आई। वह उत्तरी भारत का विख्यात मन्दिर है। उन सबका हम डवलपमेंट कर रहे हैं और उसके लिये जो भी सरकार कर रही है उसमें 108 मन्दिर, जो हमारे राजस्थान के प्रख्यात मन्दिर हैं...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय मंत्री जी, आप तो इतनी बात बता दो कि भगवान के भोग कितनी बार लगता है?

डा. जितेन्द्र सिंह : श्रीमान् राजेन्द्रजी, भगवान के भोग की अलग-अलग व्यवस्था है। आरती का अलग-अलग है, नाथद्वारा में अलग है।

श्री अध्यक्ष : जब जब भगवान को भूख लग जाती है तो भोग प्रस्तुत कर देते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तीन बार भोग लगे, कब-कब लगे, अध्यक्ष महोदय, तकलीफ इस बात की है कि भगवान भूखे हैं। इस शासन में राम भी भूखा है और भगवान भी भूखा है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

कि मन्दिरों का बजट बढ़ा रहे हैं क्या? अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बताने का कष्ट करें कि देवस्थान विभाग मन्दिरों के लिये बजट बढ़ा रहा है या इतना ही बजट रखना चाहते हैं।

श्री गावर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, जब प्रिंसली स्टेट्स ने मन्दिर हैण्ड ओवर किये थे तो क्वालिटी के आधार पर किये थे। किस वर्ष आपने उसके मूल्य के आधार पर फिक्स किये कि मूल्य वृद्धि हो गई है तो क्या आप वृद्धि करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे हैं? पहले फिक्स था कि इतनी सामग्री दी जायेगी। सरकार ने उसको मूल्य में परिवर्तित कर दिया है। अब जब मूल्य वृद्धि हो रही है तो उस अनुपात में यह वृद्धि करने वाले हैं या नहीं, मेरा यह प्रश्न है।

डा. जितेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा है कि इसमें वृद्धि की गई है या नहीं की गई, मैं माननीय सदस्य को अवगत करना चाहूंगा कि भोगराग राशि पूर्व में सिर्फ 12 लाख पर एनम थी जिसको आपके समय में ही बढ़ाकर 87 लाख रुपये कर दिया गया था। क्योंकि रिवीजन 5 टाइम्स किया गया था इसलिए वह भोगराग फाइव टाइम्स बढ़ा दी गई है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय मंत्री महोदय, आप 85 लाख से बजट बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा रहे हैं। 12 से 85 तो हमने किया अब आप क्या इसको 85 करोड़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बजट बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : श्री आहूजा जी, बैठिए, आप अव्यवस्था मत फैलाइए हाउस में। बैठिए आप।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह पूरक प्रश्न है साहब कि बजट बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा रहे हैं।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : अध्यक्ष महोदय, भगवान भूखे हैं, राम भूखे हैं, इन मंत्रियों से भोग बचे जब भगवान के भोग लगे। कितने ही भोग लग रहे हैं इनसे कुछ बच ही नहीं रहा भगवान के भोग कहां से लगे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मंत्री महोदय, आप भले मंत्री हो, जरा बताइए कि बजट बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री राजेन्द्र राठौड़, श्री जसवन्त सिंह जी।

राज्य में जनसंख्या नियंत्रण

58. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) एवं **श्री जसवन्त सिंह गुर्जर** (बाड़ी) : क्या परिवार कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश की जनसंख्या नीति कब बनाई गई तथा इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सरकार ने क्या क्या कार्यवाही की है?

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(2) वर्ष 1998 से जनवरी, 2003 तक प्रदेश में प्रति वर्ष जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही तथा जनसंख्या नियंत्रण का प्रतिवर्ष लक्ष्य क्या था और लक्ष्य का कितना प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया?

(3) क्या राजस्थान बीमार प्रदेशों की श्रेणी में आता है? यदि हां, तो बीमारू प्रदेश किन मापदण्डों के आधार पर है? सरकार प्रदेश को बीमारू प्रदेश की श्रेणी से निकालने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है?

राज्य मंत्री, परिवार कल्याण (श्री हेमाराम चौधरी) : (1) प्रदेश की जनसंख्या नीति का लोकार्पण माननीय मुख्य मंत्री द्वारा 20 जनवरी, 2000 में किया गया। इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्न कार्यवाही की गई हैं:-

1. जून, 2001 में राजीव गांधी जनसंख्या मिशन माननीय मुख्य मंत्री महोदय की अध्यक्षता में तथा एक अधिकार सम्पन्न समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनायी गई।

2. पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों में चुनाव में दो से अधिक संतान वाले दम्पत्तियों को भाग लेने से अयोग्य घोषित किया गया है।

3. दो से अधिक संतान वाले व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरियों में 1 जून, 2002 से रोक लगाने का निर्णय लिया गया है।

4. सरकारी कर्मचारियों को दो से अधिक बच्चे पैदा होने की स्थिति में पांच वर्ष तक पदोन्नति पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया है।

5. परिवार कल्याण कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करने हेतु जनमंगल योजना, गर्भ समापन की सेवाएं सभी जगहों पर उपलब्ध करवाना, पुरुष नसबंदी बढ़ाने हेतु नई तकनीक एन.एस.वी. शुरू करना, 24 घंटे प्रसव सेवा उपलब्ध करवाना, रेफरल ट्रांसपोर्ट सुविधा प्रारम्भ करना, दाई प्रशिक्षण को बढ़ावा देना आदि कार्यक्रम शुरू किये गये हैं।

(2) जनगणना प्रति दस वर्ष की जाती है, अतः अधिकृत रूप से प्रतिवर्ष की जनसंख्या वृद्धि दर दिया जाना सम्भव नहीं है। वर्ष 1991 में राज्य की जनसंख्या 4 करोड़ 40 लाख थी वह 2001 में बढ़कर 5 करोड़ 64 लाख हो गई। इस प्रकार दशक 1991-2001 में राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष रही। जनसंख्या नियंत्रण के लिए राज्य में प्रतिवर्ष योग्य दम्पत्ति सर्वे करवाकर अन्तराल एवं सीमित साधनों की अनापूरित मांग ज्ञात करके योग्य दम्पत्तियों को उनकी इच्छानुसार परिवार कल्याण की सेवाएं प्रदान की जाती है ताकि जनसंख्या नियंत्रित रह सके। राजीव गांधी जनसंख्या मिशन की दिनांक 17.9.2002 को आयोजित द्वितीय बैठक में लक्ष्य निर्धारित किया गया कि प्रति विवाहित महिला की औसत

(श्री हेमाराम चौधरी)

प्रजनन दर जो 1998 में 3.78 थी को वर्ष 2011 तक 2.1 तक लाकर जनसंख्या स्थायित्व को प्राप्त करना है।

(3) बीमारू श्रेणी कोई औपचारिक श्रेणी नहीं है, लेकिन गत 10-15 वर्षों में इस शब्द का काफी प्रयोग उन राज्यों के लिए किया गया है, जहां जनसंख्या तथा इससे सम्बन्धित सूचकांक का स्तर काफी नीचा है। बीमारू प्रदेशों में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश को सम्मिलित किया जाता है। इस विभाजन का कोई खास मापदण्ड नहीं है, लेकिन इसमें उन राज्यों को सम्मिलित किया जाता है, जहां जनसंख्या वृद्धि दर, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर जैसे सूचकांक राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। राज्य सरकार जनसंख्या की स्थिति सुधारने के लिए काफी प्रयत्नशील है। इसके लिए हाल ही में माननीय मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में राजीव गांधी जनसंख्या मिशन की स्थापना की गई। मिशन की 17 सितम्बर, 2002 को माननीय मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में जनसंख्या स्थिरीकरण के लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त करने हेतु जनसंख्या नीति में पूर्व निर्धारित लक्ष्यों में परिवर्तन किया गया है। तद्नुसार जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए आवश्यक कुल प्रजनन दर 2.1 वर्ष 2016 के लक्ष्य के विपरीत वर्ष 2011 में प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है। इसे प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई जा रही है।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह पूछना चाह रहा हूं कि जनसंख्या नीति के अन्तर्गत मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में हाई पावर समिति की बैठक गत वर्ष में कितनी बार हुई और उस बैठक में क्या क्या निर्णय लिये गये, उन निर्णयों की पालना हुई या नहीं। दूसरा मेरा प्रश्न है कि क्या यह सही है कि प्रदेश में चिकित्सा उप केन्द्र व प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र में नर्सिंग स्टाफ की कमी के कारण जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है? अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहूंगा कि वर्ष 2001-2002 एवं 2003 तक परिवार नियोजन हेतु कुल कितनी राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त हुई और कितनी राशि का उपयोग हुआ?

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी जनसंख्या मिशन की दो बैठकें हो चुकी हैं। दोनों बैठकों में जनसंख्या नियंत्रण के लिए बहुत ही गहनता से विचार किया गया। सभी दलों और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी उसमें आमंत्रित किया गया। सभी के जो बहुमूल्य सुझाव आए, उन सुझावों के अनुरूप कार्य करने का निर्णय लिया गया जिससे कि जनसंख्या, जो बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रही है, उस पर रोक लगाई जा सके। आज हमारी इतनी समस्याएं हैं, देश में हों, चाहे प्रदेश में, उन सारी समस्याओं की जड़ बढ़ती हुई जनसंख्या है। इसलिए बढ़ती हुई

(श्री हेमाराम चौधरी)

जनसंख्या पर जिस दिन रोक लगा देंगे तो हमारी जो समस्याएं हैं, उनका हमेशा के लिए समाधान हो सकेगा, ऐसा मैं विश्वास करके चलता हूं।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर (झाड़ी) : क्या सुझाव आए, उनकी क्या कार्यवाही हुई? दूसरा, मैंने पूछा कि केन्द्र से कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ।

श्री हेमाराम चौधरी : केन्द्र से, अलग-अलग प्रोजेक्ट हैं, एक प्रोजेक्ट नहीं है। कई प्रोजेक्ट हैं। हर प्रोजेक्ट में अलग-अलग राशि मिलती है। जो राशि मिलती है...

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : समग्र राशि बताइये।

श्री हेमाराम चौधरी : समग्र राशि बाबत कोई अलग से प्रश्न नहीं पूछा है।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय...

श्री हेमाराम चौधरी : अलग से प्रश्न नहीं पूछा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : पूछें क्या, इससे जुड़ा है।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय।

श्री हेमाराम चौधरी : मैं आपको बता दूं, आर.सी.एच. प्रोजेक्ट है, वह पांच वर्ष के लिए था। मार्च, 2003 के लिए, आर.सी.एच. प्रोजेक्ट है, वह चालू है। उसमें...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पैसा कितना खर्च किया?

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : पैसा आया, कितना खर्च हुआ?

श्री हेमाराम चौधरी : बता रहा हूं, आर.सी.एच. प्रोजेक्ट है वह 293 करोड़ रुपये का है और 120 करोड़ रुपये के अब तक उपकरण, दवाइयां आदि...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह है आपका प्रबन्धन।

श्री हेमाराम चौधरी : आर.सी.एच. प्रोजेक्ट के लिए बता रहा हूं मैं तो। अलग अलग प्रोजेक्ट है, अलग-अलग प्रोजेक्ट में अलग-अलग राशि मिलती है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कितना खर्च कर रहे हो? (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : शेम काहे की, जो मिलता है भारत सरकार से, 120 करोड़ रुपये की जो मैं बता रहा हूं, इस प्रोजेक्ट में इतना करोड़ रुपया मिला और 38 करोड़ रुपये कैश मिले। जिसमें से 21 करोड़ खर्च हो चुके हैं और 12 करोड़ अभी मिलने बाकी हैं। इसलिए केन्द्र सरकार से, अलग अलग प्रोजेक्ट है, जो भी प्रोजेक्ट है उसमें जो राशि मिलती है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, अगर आप इजाजत दें तो जिन प्रोजेक्ट्स के बारे में यह कह रहे हैं उनके बारे में पूछ लूं?

श्री हेमाराम चौधरी : सारे प्रोजेक्ट के बारे में पूछ लेते। किस-किस में कितनी राशि आपको मिली, क्या उपयोग किया, किस प्रकार से किया, मैं आपको जवाब दे देता। अब सारे प्रोजेक्ट्स की जानकारी यहां पर लेकर थोड़े ही आया हूं। आपने परिवार कल्याण के बारे में पूछा है कि परिवार कल्याण के बारे में आप क्या करने जा रहे हैं। हमने आपको बताया कि यह-यह कदम उठाने जा रहे हैं।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा है कि वर्ष 2001, 2002, 2003 तक परिवार नियोजन हेतु कुल कितनी राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त हुई और कितनी राशि का उपयोग हुआ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पाइंटेड सवाल है, इसमें क्या है, बताइये।

श्री हेमाराम चौधरी : अलग-अलग प्रोजेक्ट में अलग-अलग राशि मिलती है। आपने यह प्रश्न पूछा होता, मैं सबकी कम्बाइंड प्रोजेक्ट की टोटल करके आपको बता देता।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : परिवार नियोजन हेतु कितनी राशि आई?

एक माननीय सदस्य : तैयारी करके आते, तैयारी करके। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : राशि का तो आपने कहीं पूछा ही नहीं है। आपने तो कार्यक्रम के बारे में पूछा है। प्रश्न में आपने यह चीज पूछी नहीं है। आपने जब प्रश्न में सारी पूछी ही नहीं तो...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अलग से प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह लगता है कि मंत्री महोदय पूरी तैयारी करके नहीं आए।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : प्रश्न ही अलग से है। आप मूल प्रश्न पढ़िए। इसमें यह कहीं नहीं लिखा हुआ है, न किसी प्रकार की सूचना चाही गई है। यह अपने आप में एक अलग से प्रश्न है।

श्री हेमाराम चौधरी : राठौड़ साहब, तैयारी क्या...(व्यवधान) आप फाइनेंशियल सारी चीजें पूछो, मैं सारे आंकड़ें, कितना पैसा आया, कितना खर्चा हुआ, कितना किस पर खर्च हुआ, सारी प्रोजेक्ट्स की जानकारी दो और फिर उसका टोटल आपको बताऊं। जब आपने पूछा ही...(व्यवधान) मूल प्रश्न में राशि के बारे में कहीं भी जानकारी नहीं मांगी गई।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए।

श्री हेमाराम चौधरी : राठौड़ साहब, हम जवाब देने के लिए पूरी तैयारी के साथ आते हैं लेकिन जब आपने पूछा ही...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (ऊर्जा मंत्री): यह पूरा जवाब है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह क्या है? बीच में वरिष्ठ मंत्रीजी खड़े हो जाते हैं। रामनारायणजी, आप क्या समझते हैं जिनको काम दे रखा है वह सक्षम नहीं हैं? वह जवाब देंगे, बीच में खड़े हो जाते हैं। एक आदत पड़ गई इनको।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए।

श्री रामनारायण चौधरी : आप भूतपूर्व चिकित्सा मंत्री हैं, आप भूतपूर्व चिकित्सा मंत्री हैं और इसलिए आपका ज्ञान अथाह है।

श्री अध्यक्ष : आप मूल प्रश्नकर्त्ता हैं, इसलिए श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो पैसा भारत सरकार का आर.सी.एच. प्रोजेक्ट में आता है, आई.पी.पी.–9 में आया, मेरी बात सुन लीजिए। (व्यवधान) भारत सरकार का जो पैसा इस वित्तीय वर्ष में आई.पी.पी.–9 में आया, आर.सी.एच. प्रोजेक्ट में आया, यू.एन.पी.ए. में आया यह तीनों प्रोजेक्ट सेंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम प्रोजेक्ट हैं, तीनों में आपके पास निश्चित राशि आती है उसमें कितना खर्च किया, नम्बर एक बात। दूसरी बात, मुझे यह बताएंगे कि एक वर्ष में राजस्थान में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, इसके अलावा हमारी शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, राष्ट्रीय औसत से कितनी कम या ज्यादा है? इसके अलावा मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि आपने जनसंख्या नीति के अनुसार कुछ फैसले किए हैं इसमें इंसेंटिव डिसइंसेंटिव की बात की है। क्या यह समान रूप से सभी नागरिकों पर लागू होगी?

आपने कहा कि जिन कर्मचारियों के दो से अधिक बच्चे हैं हम उनके प्रमोशन रोकेंगे। आपके पास कितने कर्मचारियों की सूचना है, कितनी शिकायतें आईं, आपने कितनों का प्रमोशन रोका बता दीजिए?

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, कितनी राशि आई और कितनी खर्च हुई, यह आपने अलग से प्रश्न नहीं पूछा है। वैसे मैं आपको, परिवार कल्याण का बजट हैड है 2211, उसमें कुल 24 करोड़ 98 लाख, करीब 25 करोड़ की राशि...(व्यवधान) केन्द्रीय योजनाओं में 151 करोड़ की राशि है। आप अलग-अलग प्रोजेक्टवाइज पूछते तो मैं अलग-अलग जवाब दे देता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कुल का बता दीजिए। विभिन्न प्रोजेक्ट्स में कितनी राशि भारत सरकार से आई और आपने कितनी खर्च की, यह बता दीजिए?

श्री हेमाराम चौधरी : प्रोजेक्टवाइज तो आपने राशि का पूछा ही नहीं। प्रोजेक्टवाइज राशि का पूछा ही नहीं तो मैं प्रोजेक्ट वाइज राशि के आंकड़े कहां से लेकर आता। आपने तो परिवार कल्याण के बारे में पूछा है।

(श्री हेमाराम चौधरी)

परिवार कल्याण के बारे में राठौड़ साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा। हम जो भी प्रजनन योग्य दम्पति हैं, सबसे पहले उनका सर्वे करते हैं। उनको जो भी अन्तराल और सीमित साधनों की आवश्यकता होती है, हम उसकी पूर्ति करते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैंने पूछा ही...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : उनको सप्लाई करते हैं, जिनको नसबन्दी की आवश्यकता है उनकी नसबन्दी की व्यवस्था करते हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि मंत्री) : राजेन्द्रजी, आप खुद चिकित्सा मंत्री रहे हुए हैं और आपने जो सवाल पूछे हैं, इस प्रश्न में इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मेहरबानी करके प्रश्न पूछते वक्त यह सारी बातें लिखते तो मंत्री महोदय डिटेल में आपको जवाब दे देते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : परिवार कल्याण का प्रश्न है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इनकी काबलियत में कोई फर्क नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : परिवार कल्याण में कितना पैसा खर्च हुआ? आपके पीछे बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य बैठे हैं। मैंने अगर गलत सवाल किया है, उसका परिवार कल्याण से सम्बन्ध नहीं है तो बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य जो विशेषज्ञ हैं, वह बता दें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इस प्रश्न से ताल्लुक नहीं है।

श्री हेमाराम चौधरी : मैंने आपको बताया ना...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरा आरोप है सरकार पर कि परिवार नियोजन के लिए...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : 151 करोड़ रुपये परिवार कल्याण के लिए...(व्यवधान) केन्द्रीय योजनाओं का, आपको बताया ना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : घोषित कर दिया ...(व्यवधान) पूरी राशि खर्च नहीं कर रहे हो। आपको यह मालूम नहीं है, एक साल में राजस्थान में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, आप बता दीजिए। क्यों नहीं कहते कि एक साल में 17 लाख बच्चे राजस्थान में पैदा हो रहे हैं। आप प्रबन्धन नहीं कर रहे।

श्री अध्यक्ष : मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री हेमाराम चौधरी : आर.सी.एच. का आपको बताया ना, 293 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है, उसमें से 120 करोड़ रुपये मिले हैं। 38 करोड़ रुपये नकद के हैं जिसमें से 21 मिल गए हैं, 12 अभी मिलने बाकी है। आपको बता दिया ना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : खर्च कितना किया?

श्री हेमाराम चौधरी : कुल 151 करोड़ की केन्द्रीय योजना है। (व्यवधान) आप

(श्री हेमाराम चौधरी)

चाहते क्या हैं? आपको बता दिया ना। 151 करोड़ रुपये की केन्द्रीय योजना...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप संतुष्ट हैं क्या?

श्री हेमाराम चौधरी : किस बात से?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जिस तरह परिवार कल्याण का कार्यक्रम चल रहा है उससे आप संतुष्ट हैं क्या? आप पूरा पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं।

श्री हेमाराम चौधरी : किसने कहा? यह आपको किसने बता दिया कि पूरा पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं? आपको किसने बता दिया?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने कहा ना कि 293 में से 121...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : जितना पैसा हमको इस परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए...(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : मैं मूल प्रश्नकर्त्ता हूं।

श्री हेमाराम चौधरी : अलग-अलग प्रोजेक्ट से भारत सरकार से मिला है, वह पूरा का पूरा खर्च हो रहा है, सही खर्च हो रहा है, अंधाधुंध बिना सोचे समझे इस तरीके से आप समझते हैं हम खर्च नहीं करते। हम सोच समझकर, जहां जरूरत है उस हिसाब से खर्च कर रहे हैं जिससे कि इसका फायदा हो।

श्री अध्यक्ष : बिलकुल सैटिफाइड हैं वह।

श्री हेमाराम चौधरी : परिवार कल्याण का हमको इसमें लाभ हो। यह नहीं कि भारत सरकार से पैसा मिले, बिना सोचे समझे खर्च करना है।

श्री अध्यक्ष : मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री हेमाराम चौधरी : उसको खर्च ही करना है यह सोचकर काम नहीं करते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सारी योजनाएं आपकी विफल हो गई। कटौती हो रही है।

श्री हेमाराम चौधरी : राठौड़ साहब, अंधाधुंध खर्च नहीं करते हैं।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब ही नहीं आया।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से परिवार कल्याण मंत्रीजी से 2 सवाल पूछना चाहता हूं। पहला सवाल तो यह है कि आपने कहा कि हमने सरपंचों, नगरपालिकाओं का चुनाव लड़ने वाले लोगों और राजकीय कर्मचारियों के लिये कानून बना दिया कि वह 2 बच्चों से ज्यादा होने पर चुनाव नहीं लड़ सकते या सरकारी मुलाजिम नौकरी नहीं लग सकते। क्या आप विधायकों के लिये केन्द्र सरकार को सिफारिश कर रहे हैं कि जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हों उनको

(मोहम्मद माहिर आजाद)

भी चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया जाए, पहला सवाल। दूसरा सुन लीजिए, दूसरा सवाल मेरा यह है कि...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : एम.एल.ए. है तो एम.पी. क्यों नहीं?

मोहम्मद माहिर आजाद : एम.पी. का पार्लियामेंट करेगी, एम.पी. का पार्लियामेंट करेगी, बैठिये।

श्री जीतमल खांट : विधायकों के ऊपर लागू नहीं होना चाहिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, वह विधान सभा नहीं करेगी, दोनों का ही वह करेगी, पार्लियामेंट, यह एम.एल.ए. और एम.पी. दोनों का पार्लियामेंट करेगी।

श्री जीतमल खांट : यह एम.एल.ए. के लिये लागू नहीं होना चाहिए।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : एम.एल.ए. हो तो एम.पी. क्यों नहीं?

मोहम्मद माहिर आजाद : बैठिये, क्यों नहीं होना चाहिए। नगरपालिकाओं के ऊपर कर दो, पंचायतों पर कर दो और खुद पर? "पर उपदेश कुशल बहुतेरे" खुद के ऊपर आया तब विरोध करो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इन सबके 4-4 बच्चे हैं।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मेरे चार नहीं हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : मेरा एक सवाल और है।

एक माननीय सदस्य : इनके 6 बच्चे हैं, इनके 13 बच्चे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : दूसरा मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने यहां कहा कि हम नसबन्दी के जरिये जनसंख्या पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या यह सही है कि करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी पुरुष नसबन्दी तो एक प्रतिशत है और महिला नसबन्दी 99 प्रतिशत है? पुरुष नसबन्दी को बढ़ाने के लिये आपने क्या प्रयास किया है, यह बताइये।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं मूल प्रश्नकर्त्ता हूं, मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह इन्होंने ठीक कहा है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : संसदीय मंत्रीजी, जब आप हैल्थ मिनिस्टर थे तब आपने पुरुषों की नसबन्दी बन्द करवायी। महिला नसबन्दी को प्रोत्साहन अगर किसी ने दिया तो मैं गम्भीरता से कहता हूं कि खेतसिंहजी के कारण हुआ। वरना पहले पुरुष नसबन्दियां हुआ करती थीं।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : आप लम्बी चौड़ी तैयारी की बात करते हैं कि प्रजनन दर रोकी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि

(श्री जसवन्त सिंह गुर्जर)

प्रति विवाहित महिला की औसत प्रजनन दर 3.78 से नीचे 2011 तक लाने के लिये यह सरकार क्या कार्यवाही कर रही है। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैंने आरोप लगाया है आप पर, खेतसिंहजी पर आरोप लगाया है...(व्यवधान) आपने नहीं किया तो बता दो।

मोहम्मद माहिर आजाद : पहले मेरे सवाल का आप जवाब दो। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि सरकार प्रजनन दर रोकने की बात कर रही है। प्रति विवाहित महिला की औसत प्रजनन दर 3.78 से नीचे वर्ष 2011 तक लाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और दूसरा पूछना चाह रहा हूं...(व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : यह तो आपके राज में हुआ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या बात कर रहे हो आप। कैसे...(व्यवधान) नहीं, आप लोगों ने किया।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : मैं यह भी पूछना चाह रहा हूं कि अल्पसंख्यकों की प्रजनन दर क्या है और बहुसंख्यकों की प्रजनन दर क्या है?

मोहम्मद माहिर आजाद : हां, यह बात पूछो।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माहिर आजादजी ने पूछा कि पंचायत राज और नगरपालिकाओं में 2 से अधिक बच्चे होने पर उनको अयोग्य घोषित करने का नियम, कानून बना दिया है तो एम.एल.ए., एम.पी. के लिये आप क्या करने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एम.एल.ए., एम.पी. के लिये कानून मेरे ख्याल से राजस्थान सरकार नहीं बना सकती।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैंने तो सिफारिश के लिये कहा, कानून तो पार्लियामैंट बनाएगी।

श्री हेमाराम चौधरी : एक मिनट, जवाब तो देने दे। इसके लिये केन्द्र सरकार ही संविधान में संशोधन कर सकती है, जहां तक मैं समझता हूं। और जहां माहिर आजादजी साहब ने प्रश्न रखा, मैं उनके विचारों से सहमत हूं। मैंने स्वयं ने विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर बिड़ला आडिटोरियम में मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में जो सम्मेलन हुआ था उसमें मैंने स्वयं ने यह सुझाव दिया था कि यह जो जन प्रतिनिधि पंचायती राज और नगर निकायों के लिये किया है तो इलेक्टैड हायर बाडीज है, लोक सभा है, चाहे विधान सभा है, इनके प्रतिनिधियों के लिये भी ऐसा होना चाहिए। क्योंकि हम स्वयं कानून बनाने वाले हैं तो हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। और हमारे स्वयं के लिये ऐसा कानून बने तो यह ज्यादा अच्छा है। मैं आपके विचारों

(श्री हेमाराम चौधरी)

से सहमत हूं, मैं इतना ही कह सकता हूं, यह कानून मैं नहीं बना सकता हूं। लेकिन रहा सवाल, मैं समझता हूं कि यह सरकार भी नहीं बना सकती है।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब भी आ जाए।

मोहम्मद माहिर आजाद : पुरुष नसबन्दी?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पुरुष नसबन्दी को खतम किया खेतसिंह जी ने।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : जितने भी मंत्री हैं जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, सबको इस्तीफा दे देना चाहिए, आज।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह परिवार कल्याण का जो प्रोग्राम था इसका सारा नाश इन्होंने किया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्यों, हमने क्या किया?

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह बहुत अच्छी तरह से प्रोग्राम चल रहा था, आपको सारी बात मालूम है। और खेतसिंहजी और इनकी पार्टी ने उस वक्त बेहद खिलाफतें कीं और...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री जयदेवप्रसाद इन्दौरिया।

श्री खेतसिंह राठौड़ : और यह कहा शरीयत कानून लागू...(व्यवधान) मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है और यह करके आपने इस प्रोग्राम को फेल किया। और आज ताकतबाजी करके फिर यह कहना चाहते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। आप लोगों की वजह से यह प्रोग्राम फेल हुआ। आप क्या बात करते हैं।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : विधि मंत्रीजी, आपके तो 6 बच्चे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : पुरुष नसबन्दी का तो बताओ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय मंत्रीजी ने असत्य आरोप लगाया। अगर आप के पास कोई प्रमाण हो, भैरोंसिंहजी खुद सीमित परिवार की अवधारणा के कारण सिर्फ एक बच्ची उनके थी। मेरे भी सिर्फ एक लड़का है। आप बताइये, हमने ऐसा क्या वातावरण बिगाड़ा जिसके कारण से यह इफेक्ट हुआ है परिवार कल्याण के ऊपर? बताओ ऐसी क्या बात हुई, हमने क्या कहा था, बताओ।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : विधि मंत्रीजी, आपके कितने बच्चे हैं, बताइये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, ये 4 साल से क्या कर रहे हैं?

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे नम्र निवेदन है, मेरा उत्तर आना चाहिए।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : अध्यक्ष महोदय, उत्तर मैं बता देता हूं सबको, आप शांति से सुनो, उत्तर बताता हूं आपको।

श्री खेतसिंह राठौड़ : भैरोंसिंहजी, स्वयं हर बात पर यही कहा करते थे कि मेरे तो एक ही औलाद है। यह तो मैं भी कहता हूं। इससे क्या हुआ, लेकिन कुल मिलाकरके आपकी भावनाएं कभी यह नहीं रहीं और आप हमेशा यह चाहते रहे अगर यह प्रोग्राम सक्सैसफुल हो गया तो कांग्रेस कभी जाएगी ही नहीं। और इसलिये आपने उस वक्त इतना रौला किया और उस वजह से कि मुसलमानों की नहीं हो रही है और हिन्दुओं को मार रहे हैं। अब त्रिशूल लेकर आये हैं। हमेशा कोई न कोई बात लेकर खड़े हो जाते हो और उस तरह से...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अब कर रहे हो क्या, अब कर रहे हो क्या मुसलमानों का...(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : उस तरह से यहां स्टंट करने की कोशिश करते हो। यह आबादी बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ है तो भारतीय जनता पार्टी का है।

मोहम्मद माहिर आजाद : ए.पी.जे. अब्दुल कलाम भी मुसलमान है जिसने शादी नहीं की। मैंने भी उस परिवार नियोजन को अपनाया है। क्या एक धर्म की बात कर रहे हो आप? हम शिक्षा की बात कर रहे हैं इसको धर्म से जोड़ो मत, थोड़ी बहुत शर्म करो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हमने पहले किया है इस बात को। हमने पहले अपना रखा है, बात तो मुसलमानों से...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : इसको इस तरह से करके दिवाला निकाल दिया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मुसलमानों की दर क्या है यह बता दे। मंत्री महोदय, जो आप हमारे पर आरोप लगा रहे हैं, हम आरोप लगा रहे हैं कि आप तुष्टीकरण की नीति अपना रहे हो। अल्पसंख्यकों की जनसंख्या, वहां का आपका एक्स एम.एल.ए. कहता है 54 बच्चे हैं और 6 बीवियां हैं। एक पूर्व एम.एल.ए. कहता है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जयदेव प्रसादजी इन्दौरिया। (व्यवधान) ज्ञानदेवजी बैठिये। (व्यवधान) अंकित नहीं हो, अंकित नहीं हो, अंकित नहीं हो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : xxx

श्री जुगल काबरा : xxx

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : xxx

श्री मदन दिलावर : xxx

श्री ज्ञानदेव आहूजा : xxx

डा. के.सी. चौधरी : xxx

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : हां, हो गयी आपकी चर्चा, अब काफी हो गयी। अब एक बात सुनो। आप इसको ईमानदारी

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया)

से सक्सैसफुल बनाना चाहते हैं क्या? यदि चाहते हैं तो हमको इस सूत्र को प्रचारित करना पड़ेगा:–

"ब्रह्मचर्य न तपसा देवा मृत्युर्मपाऽध्नत:"

इस सूत्र का पहले पालन होता था और अब इस सूत्र को समाप्त कर दिया गया है। इस प्रश्न को बजट कितना बड़ा, कितना कम हुआ, इस प्रश्न में ले गये। यह पैसे से बन्द होने वाला नहीं है। यह संयम से बन्द होगा।

"ब्रह्मचर्य न तपसा देवा मृत्युर्मपाऽध्नत:"

इसका आप प्रचार करें जगह-जगह और जितने भी आपके जो ये कार्यक्रम में जाते हैं उसमें यह मोटो होना चाहिए आप छपा दो कि–

"ब्रह्मचर्य न तपसा देवा मृत्युर्मपाऽध्नत:"

जैसे यह लिखा है ना कि "बिजली बचाओ, पानी बचाओ, सबको पढ़ाओ–अशोक गहलोत"। वैसे ही आप उस पर लिख दो–

"ब्रह्मचर्य न तपसा देवा मृत्युर्मपाऽध्नत:":– जयदेव इन्दौरिया।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त। जसवन्त सिंहजी, बैठिये आप।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

तहसील श्रीमाधोपुर का विधवा पेंशन भुगतान प्रकरण

93. **श्री रमेश खींची** (कठूमर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि तहसील श्रीमाधोपुर के ग्राम ढाबावाली (सीकर) में श्रीमती बिदामी देवी बेवा श्री गोपीराम को पेंशन भुगतान आदेश संख्या 2470 अथोरिटी नं. 817 के तहत विधवा पेंशन स्वीकृत की गई थी? यदि हां, तो कब किसके द्वारा? उक्त पेंशन भुगतान आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही हैं कि कुछ समयावधि के पश्चात् उक्त पेंशन भोगी की पेंशन का भुगतान बन्द कर दिया गया? यदि हां, तो क्यों? उक्त में कौन दोषी है और दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

(3) अब उक्त को विधवा पेंशन का भुगतान कब तक करा दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त पेंशन स्वीकृति विकास अधिकारी श्रीमाधोपुर अथोरिटी संख्या 817 दि. 20.12.1997 द्वारा जारी की गयी थी, पी.पी.ओ. की छाया प्रति संलग्न है।

(2) जी हां। जांच में पेंशन स्वीकृत

(वित्त मंत्री)

अधिकारी/जांच अधिकारी द्वारा उक्त पेंशनर को दत्तक पुत्र एवं दस बीघा भूमि होने से पेंशन हेतु अपात्र पाया गया, अतः उक्त पेंशन को बन्द कर दिया गया।

(3) उक्त पेंशनर को जांच में अपात्र पाया गया है। नियमानुसार अपात्र पेंशनर को पेंशन का भुगतान किया जाना सम्भव नहीं है।

(पी.पी.ओ. की छाया प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

प्रश्न संख्या-94

(स्थगित)

अलवर में अवैध शराब के ठेकों की जांच

95. डा. करण सिंह यादव (बहरोड़): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला अलवर की तहसील बहरोड़ के अन्तर्गत कुल कितने देशी/अंग्रेजी शराब के ठेके कहां-कहां पर चल रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त क्षेत्र में अब भी अवैध ठेके चलने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उक्त का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त क्षेत्र में चल रहे शराब के अवैध ठेकों पर कभी आकस्मिक निरीक्षण/छापामारी की गई है? यदि हां, तो परिणाम क्या रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला अलवर की बहरोड़ तहसील में वर्ष 2002-2003 में स्वीकृत देशी मदिरा एवं भा.नि.वि.म. दुकानों की सूची निम्नानुसार है:-

1. बहरोड़ अलवर रोड पर दुकान नम्बर 1 बहरोड़
2. माढण चौराहा बहरोड़ पर दुकान नम्बर 2 बहरोड़
3. बहरोड़ बाजार में दुकान नम्बर 3 बहरोड़
4. नंगली पुलिया
5. परतापुर
6. गोकुलपुर
7. फतेहपुरा
8. माजरी खुर्द
9. कान्हावास
10. गूंती सामराज
11. कांकरधोपा
12. भगवाड़ी कला
13. माजरी कला
14. शाहजहांपुर
15. नीमराणा मोड
16. माढण
17. तसीग
18. विज्ञाननगर

(आबकारी मंत्री)

19. गुगल कोटा
20. पोरुला
21. देबतवाली ढाणी
22. बड़ौद
23. जनकसिंहपुरा भगवती होटल
24. जनकपुरा
25. गोलावास
26. काठूवास
27. जागूवास
28. नीमराणा
29. गण्डाला
30. कांकर

(ग्रामीण क्षेत्र की देशी मदिरा दुकान 'कम्पोजिट' दुकान के रूप में संचालित होती है जिस पर भा.नि.वि. मदिरा बेचने की भी अनुमति होती है)

भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर दुकानात

1. बहरोड़ नम्बर 1 बहरोड़ मिडवे के सामने
2. बहरोड़ नम्बर 2 शक्ति होटल के सामने
3. बहरोड़ नम्बर 3 नारनौल रोड पर
4. बहरोड़ नम्बर 4 बहरोड़ चाचा होटल के पास

(2) अवैध शराब के विक्रय बाबत समस्त ग्रामवासी अन्तपुरा की ओर से एक शिकायत उप जिला कलेक्टर, बहरोड़ के पत्र दिनांक 1.7.2002 के द्वारा प्राप्त हुई जो आबकारी निरीक्षक द्वारा करवाई गई जांच में सही नहीं पाई गई। 'ग्रामवाली कारोड़ा' की ओर से एक शिकायत उप जिला कलेक्टर, बहरोड़ के पत्र दिनांक 24.7.2002 से प्राप्त होने पर निरन्तर निगरानी रखी गई एवं इस दौरान नरेन्द्र पुत्र हरलाल अहीर निवासी कारोड़ा, तहसील बहरोड़ के कब्जे से 35 पाउच देशी मदिरा बरामद कर अभियोग संख्या 12 दिनांक 30.10.2002 पंजीकृत किया गया।

(3) तहसील बहरोड़ में संचालित मदिरा दुकानों के आबकारी निरीक्षक द्वारा निरीक्षण निम्न दिनांकों को किय गये:-

क्र.सं. 1	नाम दुकान 2	निरीक्षण दिनांक 3
1.	देशी मदिरा दुकान बहरोड़ नम्बर-1	8.5.2002, 16.5.2002 1.6.2002, 26.6.2002,15.7.2002, 30.7.2002 10.8.2002, 30.8.2002, 6.9.2002, 25.9.2002, 3.10.2002, 30.10.2002, 22.11.2002,, 10.12,2002, 23.12.2002, 4.1.2003 एवं 29.1.2003

(आबकारी मंत्री)

1	2	3
2.	देशी मदिरा दुकान बहरोड़ नम्बर-2	8.5.2002,16.5.2002 1.6.2002, 26.6.2002, 15.7.2002, 30.7.2002, 10.8.2002, 30.8.2002, 6.9.2002, 25.9.2002, 3.10.2002, 30.10.2002, 22.11.2002,10.12.2002, 23.12.2002, 4.1.2003 एवं 29.1.2003
3.	देशी मदिरा दुकान बहरोड़ नम्बर-4	8.5.2002, 16.6.2002 1.6.2002, 26.6.2002,15.7.2002, 30.7.2002, 10.8.2002,30.8.2002, 6.9.2002, 25.9.2002, 3.10.2002, 30.10.2002, 22.11.2002,10.12.2002, 23.12.2002, 4.1.2003 एवं 29.1.2003
4.	देशी मदिरा दुकान नगली पुलिया	21.6.2002, 31.7.2002, 10.8.2002, 23.9.2002, 31.10.2002, 23.11.2002, 16.12.2002, 4.1.2003
5.	देशी मदिरा दुकान परतापुर	21.6.2002, 31.7.2002,23.9.2002, 10.8.2002, 31.10.2002, 23.11.2002, 16.12.2002, 4.1.2003
6.	देशी मदिरा दुकान गोकुलपुर	26.6.2002, 30.7.2002, 30.8.2002, 6.9.2002, 31.10.2002, 23.11 2002, 5.12.2002, एवं 29.1.2003
7.	देशी मदिरा दुकान फतेहपुरा	1.5.2002, 1.6.2002, 15.7.2002, 10.8.2002, 23.9.2002, 30.10.2002, 22.11.2002, 10.12.2002, 4.10.2003

(आबकारी मंत्री)

1	2	3
8.	देशी मदिरा दुकान माजरी खुर्द	17.5.2002,17.6.2002,2.7.2002, 30.8.2002, 6.9.2002, 30.10.2002, 22.11.2002, 5.12.2002, 3.1.2003
9.	देशी मदिरा दुकान कान्हावास	17.5.2002, 17.6.2002, 2.7.2002, 30.8.2002, 6.9.2002, 30.10.2002, 22.11.2002, 5.12.2003, 3.1.2003
10.	देशी मदिरा दुकान गूती सामरास	16.5.2002, 1.6.2002, 15.7.2002, 10.8.2002, 23.9.2002, 30.10.2002, 22.11.2002, 5.12.2002, 8.1.2003
11.	देशी मदिरा दुकान कांकर	2.5.2002, 16.6.2002, 31.7.2002, 10.8.2002, 13.9.2002, 30.10.2002, 25.11.2002, 5.12.2002, 4.1.2003
12.	देशी मदिरा दुकान जागूवास	3.5.2002, 26.6.2002, 30.7.2002, 30.8.2002, 6.9.2002, 30.10.2002, 22.11.2002, 5.12.2002, 29.1.2003
13.	देशी मदिरा दुकान नीमराणा	2.5.2002, 1.6.2002, 15.7.2002, 30.8.2002, 23.9.2002, 31.10.2002, 25.11.2002, 17.12.2002, 8.1.2003
14.	देशी मदिरा दुकान कालरधोपा	8.5.2002, 22.6.2002, 15.7.2002, 10.8.2002, 23.9.2002, 30.10.2002, 22.11.2002, 8.12.2002, 3.1.2003
15.	देशी मदिरा दुकान भगवाड़ीकला	17.5.2002, 1.6.2002, 15.7.2002, 10.8.2002, 13.9.2002, 30.10.2002, 23.11.2002, 5.12.2002, 8.1.2003

(आबकारी मंत्री)

1	2	3
16.	देशी मदिरा दुकान माजरीकला	2.5.2002, 17.6.2002, 2.7.2002, 30.8.2002, 6.9.2002, 30.10.2002, 22.11.2002, 5.12.2002, 8.1.2003
17.	देशी मदिरा दुकान शाहजहापुर	2.5.2002, 1.6.2002, 15.7.2002, 10.8.2002, 23.9.2002, 3.10.2002, 15.11.2002, 17.12.2002, 3.1.2003
18.	देशी मदिरा दुकान नीमराणामोड़	16.5.2002, 1.6.2002, 1.7.2002, 30.8.2002, 12.9.2002, 30.10.2002, 23.11.2002, 17.12.2002, 8.1.2003
19.	देशी मदिरा दुकान माढण	2.5.2002, 17.6.2002, 2.7.2002, 10.8.2002, 10.9.2002, 3.10.2002, 25.11.2002, 10.12.2002, 4.1.2003
20.	देशी मदिरा दुकान तसींग	16.5.2002, 26.6.2002, 1.7.2002, 10.8.2002, 6.9.2002, 3.10.2002, 26.11.2002, 10.12.2002, 4.1.2003
21.	देशी मदिरा दुकान विज्ञाननगर शाहजहांपुर	2.5.2002, 1.6.2002, 15.7.2002, 10.8.2002, 23.9.2002, 3.10.2002, 15.11.2002, 17.12.2002, 3.1.2003
22.	देशी मदिरा दुकान गूगलकोटा	13.9.2002, 3.10.2002, 15.11.2002, 17.12.2002, 3.1.2003
23.	देशी मदिरा दुकान पोरूला	13.9.2002, 3.10.2002, 15.11.2002, 17.12.2002, 3.1.2003
24.	देशी मदिरा दुकान दबतवाली ढाणी	13.9.2002, 3.10.2002, 15.11.2002, 17.12.2002, 3.1.2003
25.	देशी मदिरा दुकान बर्डोद	25.9.2002, 30.10.2002, 25.11.2002, 5.12.2002, 29.1.2003
26.	देशी मदिरा दुकान काठूवास	23.9.2002, 4.10.2002, 23.11.2002, 16.12.2002, 28.1.2003
27.	देशी मदिरा दुकान जनकसिंहपुरा, भगवती होटल	25.9.2002, 30.10.2002, 22.11.2002, 16.12.2002, 3.1.2003

(आबकारी मंत्री)

1	2	3
28.	देशी मदिरा दुकान जनकपुरा	25.9.2002, 30.10.2002, 22.11.2002, 16.12.2002, 3.1.2003
29.	देशी मदिरा दुकान गोलावास	17.5.2002, 17.6.2002, 23.7.2002, 30.8.2002, 6.9.2002, 4.10.2002, 23.11.2002, 5.12.2002, 8.1.2003
30.	देशी मदिरा दुकान गण्डाला	31.10.2002, 26.11.2002, 5.12.2002, 8.1.2003
31.	भा.नि.वि.मदिरा दुकान बहरोड़ नम्बर–1	8.5.2002, 16.5.2002, 1.6.2002, 26.6.2002, 15.7.2002, 30.7.2002, 10.8.2002, 30.8.2002, 6.9.2002, 25.9.2002, 3.10.2002, 30.10.2002, 22.11.2002, 10.12.2002, 23.12.2002, 4.1.2003 एवं 29.1.2003
32.	भा. नि.वि.मदिरा दुकान बहरोड़ नम्बर–2	8.5.2002, 16.5.2002, 1.6.2002, 26.6.2002, 15.7.2002, 30.7.2002, 10.8.2002, 30.8.2002, 6.9.2002, 25.9.2002, 3.10.2002, 30.10.2002, 22.11.2002, 10.12.2002, 23.12.2002, 4.1.2003 एवं 29.1.2003
33.	भा. नि.वि.मदिरा दुकान बहरोड़ नम्बर–3	30.10.2002, 22.11.2002, 10.12.2002, 23.12.2002, 4.1.2003 एवं 29.1.2003
34.	भा. नि.वि.मदिरा दुकान बहरोड़ नम्बर–4	8.5.2002, 16.5.2002, 1.6.2002, 26.6.2002, 15.7.2002, 30.7.2002, 10.8.2002, 30.8.2002, 6.9.2002, 25.9.2002, 3.10.2002, 30.10.2002, 22.11.2002, 10.12.2002, 23.12.2002, 4.1.2003 एवं 29.1.2003

जोधपुर-सालासर राजमार्गों पर शराब की दुकान

96. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि राष्ट्रीय राजमार्गों व राज्य मार्गों पर शराब की दुकानें नहीं खोली जायेंगी यदि खोली जायेंगी तो राज मार्गों से कुछ दूर होनी चाहिये? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में क्या व्यवस्था है? उक्त सम्बन्ध में बने हुये नियमों और जारी आदेशों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 65 पर भी शराब की दुकानें हैं? यदि हां, तो उक्त मार्ग पर जोधपुर और सालासर के बीच कहां पर शराब की दुकानें हैं और निर्धारित सीमा से कितनी दूरी पर है?

(3) क्या उक्त दुकानें सरकार द्वारा निर्धारित दूरी पर नहीं है? यदि हां, तो कौन-कौनसी और उक्त सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जायेगी?

उत्तर

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग पर मदिरा दुकान सम्बन्धी प्रावधान देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या 5.8 एवं 5.9 के रूप में है जो निम्नानुसार है:-

5.8 अनुज्ञाधारी राष्ट्रीय राज मार्ग व राज्य राज मार्ग के मध्य से दोनों ओर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा तय दूरियों पर विकसित बाजारों में दुकानों की अवस्थिति स्वीकृत करा सकेगा, किन्तु जहां ऐसे बाजार नहीं है वहां मार्ग के मध्य से दोनों और 150 मीटर की दूरी तक दुकान नहीं लगा सकेगा किन्तु यह शर्त नगर निगम/नगर परिषद्/ नगरपालिका की आधिकारिता एवं सीमा से गुजरने वाले उक्त मार्गों पर लागू नहीं होगी।

5.9 दुकानों की अवस्थिति बाबत उक्त प्रतिबन्धों में पर्याप्त कारण होने पर आबकारी आयुक्त शिथिलता प्रदान कर सकेंगे।

(2) जी हां। राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 65 पर जोधपुर से सालासर के मध्य स्थित मदिरा दुकानें एवं उनकी दूरी निम्न अनुसार है:-

(आबकारी मंत्री)

नाम जिला	मदिरा दुकान	सड़क के मध्य से लगभग दूरी	विशेष विवरण
1	2	3	4
जोधपुर	1.दे.म. मैलावास	15 मी.	विकसित बाजार में स्थित
	2. दे.म. रातड़ी	15 मी.	विकसित बाजार में स्थित
	3. दे.म. सोयला	30 मी.	विकसित बाजार में स्थित
	4. दे.म. बावड़ी	10 मी.	शर्त सं. 5.9 के अन्तर्गत संचालित (वर्ष 1995-96 से)
	5. दे.म. सोयला II	15 मी.	शर्त सं. 5.9 के अन्तर्गत संचालित (वर्ष 1997-98 से)
नागौर	1. दे.म. मानासर, नागौर	50 मी.	नगरपालिका क्षेत्र में स्थित
	2. दे.म. बाइपास तिराहा नागौर	50 मी.	नगरपालिका क्षेत्र में स्थित
	3. भा.नि.वि.म. जोधपुर रोड नागौर	50 मी.	नगरपालिका क्षेत्र में स्थित
	4. दे.म. खींवसर नं. 3	50 मी.	विकसित बाजार में स्थित
	5. दे.म. नागड़ी	50 मी.	विकसित बाजार में स्थित
	6. दे.म. डेह	50 मी.	विकसित बाजार में स्थित
	7. दे.म. आसोटा	150 मी.	विकसित बाजार में स्थित
चूरू	1. दे.म. सुजानगढ़ बस स्टेण्ड	40 फीट	नगरपालिका क्षेत्र में स्थित
	2. भा.नि.वि.म. सुजानगढ़ बस स्टेण्ड	40 फीट	नगरपालिका क्षेत्र में स्थित
	3. दे.म. लाडनूं रोड, सुजानगढ़	30 फीट	नगरपालिका क्षेत्र में स्थित
	4. भा.नि.वि.म. लाडनूं रोड सुजानगढ़	30 फीट	नगरपालिका क्षेत्र में स्थित
	5. दे.म. कानोता	30 फीट	विकसित बाजार में स्थित

(3) यह मदिरा दुकानें भाग-1 के उत्तर में उल्लिखित अनुज्ञापत्र शर्तों के अनुरूप हैं तथा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

रुग्ण इकाइयों का पुनः संचालन

97. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा औद्योगिक जगत में बढ़ोतरी रुग्णता से निपटने के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना में रुग्ण इकाइयों का पुनः जीवित करने के लिए पैकेज तैयार किया गया है? यदि हां, तो उक्त पैकेज में क्या-क्या कार्य करवाए जाने हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार ने रुग्ण एवं बन्द इकाइयों को पुनः जीवित करने के उद्देश्य से सर्वे भी करवाया था? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र खारची में ऐसी कितनी रुग्ण एवं बन्द इकाइयों का सर्वे कार्य किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रुग्ण एवं बन्द इकाइयों को पुनः जीवित कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक जगत में बढ़ती रुग्णता से निपटाने के लिये दसवीं पंचवर्षीय योजना में रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए निम्न सहायता पुंज तैयार किया है, जिसे राज्य में लागू भी किया जा चुका है:-

1. ऐसी रुग्ण इकाइयां जो दिनांक 30.4.2000 तक सक्षम स्तर से रुग्ण घोषित की जा चुकी है अथवा रीको/राजस्थान वित्त निगम द्वारा अपने कब्जे में ले ली गई है, उन्हें बिक्री कर आस्थगन/मुक्ति योजना, 1998 के अन्तर्गत परिलाभ देय है। वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2(5) एफडी/ग्रुप-4/75-222 दिनांक 27.1.1998 में अंकित ऐसी रुग्ण इकाइयों के स्वामित्व हस्तान्तरण होने पर स्टाम्प ड्यूटी से मुक्ति देय है।

2. दिनांक 30.4.2000 तक सक्षम स्तर से घोषित रुग्ण इकाइयों को 31.12.2001 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की शर्त थी, परन्तु समय पर अधिसूचना जारी नहीं होने के कारण यदि वे ऐसा नहीं कर पाई, तो ऐसी इकाइयों को गुण-दोष के आधार पर उनके उत्पादन की सीमा को बढ़ाये जाने का प्रावधान भी किया गया है, जो ऐसी सभी इकाइयों को मिलेगा जो 30.4.2001 को इस श्रेणी में आ गई।

3. ऐसी रुग्ण इकाइयां जो पूर्व में स्वीकृत उत्पाद (प्रोडक्ट मिक्स) में परिवर्तन कर पुनः संचालन में आ जाती है अथवा ऐसी इकाइयां, जिनके उत्पादन में परिवर्तन करने से उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है, उनको पूर्व में ब्रिकी कर

(उद्योग मंत्री)

प्रोत्साहन/मुक्ति/आस्थगन योजना 1987/1989/1998 के अन्तर्गत स्वीकृत प्रोत्साहन की राशि कर सीमा अथवा अवधि की सीमा में से बची हुई राशि तथा बची हुई सीमा अवधि तक बदले हुए उत्पाद के उत्पादन पर भी बिक्री कर की छूट/आस्थगन का लाभ दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

4. रीको एवं वित्त निगम के द्वारा राज्य वित्त निगम अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत अधिग्रहित इकाइयों को परिसम्पतियों के बेचान से प्राप्त शुद्ध राशि ऋणदात्री संस्थाओं यथा आर.एफ.सी. अथवा रीको एवं दूसरे विद्युत, वाणिज्यिक कर, यातायात, भूमि एवं भवन कर, एक्साइज, जलदाय, उद्योग इत्यादि राज्य सरकार के विभागों के बीच 70:30 के अनुपात में वितरित किये जाने का प्रावधान किया गया है। ऐसी स्थिति में जबकि राज्य सरकार के उक्त विभागों की कुल बकाया राशि 30% से कम होगी तो अवशेष राशि ऋणदात्री संस्थाओं को उनके बकाया भुगतान के लिए उपलब्ध होगी। इस व्यवस्था में क्रेता को नीलामी में खरीदी इकाई सभी देनदारियों से मुक्त मिलेगी।

(2) जी हां। राज्य सरकार ने भारत सरकार के निर्देशों पर राज्य की औद्योगिक इकाइयों की तृतीय गणना का कार्य अभी हाल ही में सम्पन्न कराया है, जिनमें रुग्ण/बन्द इकाइयां भी सम्मिलित है। विधान सभा क्षेत्र खारची में कुल 101 औद्योगिक इकाइयां बन्द व 2 औद्योगिक इकाइयां रुग्ण पाई गई, जिनकी सूची परिशिष्ट–अ पर उपलब्ध है।

(3) राज्य सरकार रुग्ण/बन्द हो चुकी औद्योगिक इकाइयों के पुनरुत्थान/पुनर्जीविकरण हेतु पुनरुस्थान की इच्छुक औद्योगिक इकाइयों को सरकार द्वारा घोषित सुविधाएं उपलब्ध कराती है। वस्तुत: औद्योगिक इकाइयों से उनकी वायबिलिटि के आधार पर ही पुनर्जीवित होती है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–2 देखें)

सिंचाई के लिए अंडर ग्राउण्ड पाइप लाइन की स्वीकृति

98. श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या प्रदेश के किसानों को खेती के लिये जहां पर पर्याप्त मात्रा में उपयुक्त भू-जल उपलब्ध हो स्वयं के खर्चे पर सिंचाई के लिये अंडर ग्राउण्ड पाइप लाइन से पानी सरकारी कच्चे रास्ते से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिये कोई नियम बने हुए हैं? यदि हां, तो जिला हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर में कितने किसानों को कब-कब उक्त नियमों में अनुमति दी गई एवं कितने किसानों के प्रार्थना पत्र लम्बित हैं?

(श्री रामप्रताप)

(2) क्या वर्तमान में उक्त कार्य के लिये कोई नियम/कानून नहीं है? क्या सरकार भयंकर सूखे की स्थिति में किसानों को सिंचाई/पानी पेयजल अपने खर्चे पर ले जाने के लिए राहत के तहत सरकारी रास्तों से पानी की अंडर ग्राउण्ड पाइप लाइन डालने के लिये अनुमति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक।

उत्तर

(1) राजस्थान भू-राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुएं खोदने और पम्प सैट लगाने के लिये भूमि का आबंटन) नियम, 1979 के अन्तर्गत कुआं खोदने तथा पम्पिंग सैट लगाने के लिये सरकारी पड़त/गैर मुमकिन भूमि के आबंटन का प्रावधान है। इन्हीं नियमों के अन्तर्गत सिंचाई के लिये अंडर ग्राउण्ड पाइप लाइन से पानी सरकारी कच्चे रास्ते से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिये अनुमति देय होती है। जिला हनुमानगढ़ में पूर्व में न तो कोई प्रकरण स्वीकृत किया गया है और न ही कोई प्रकरण लम्बित है। जिला गंगानगर में कुल 19 प्रकरणों में पाइप लाइन हेतु अनुमति उपखण्ड अधिकारी द्वारा दी गई है। कोई प्रार्थना पत्र शेष नहीं है।

(2) स्थिति बिन्दु संख्या 1 में स्पष्ट कर दी गई है।

पालड़ी से सामोद के रास्ते की नक्शे में दुरुस्ती

99. श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या राज्य सरकार ग्राम पालड़ी तहसील विराटनगर, जिला जयपुर में आम रास्ता पालड़ी से सामोद वाला एवं आम रास्ता पालड़ी से मेड़वाला जो सम्वत् 2012 में राजस्व रिकार्ड में नक्शा, जमाबन्दी, मिलान क्षेत्रफल की जो स्थिति थी उसमें सन् 1980 के सेटलमेंट के आधार पर वर्तमान नक्शा, जमाबन्दी, मिलान क्षेत्रफल में जो गलत/भिन्नता कर दी गई है, उसकी दुरुस्ती हेतु कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो इसे कब तक निपटा दिया जायेगा?

उत्तर

जी हां। तहसीलदार विराटनगर द्वारा अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (मजिस्ट्रेट) विराटनगर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है, जो विचाराधीन है।

गांव का नाम सांगोद गलत लिखा गया है, जो सही नाम सामोद है।

सीलिंग कानून में अवाप्त भूमि

100. श्री अमराराम (धोद): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री अमराराम)

क्या गत चार वर्षों में राज्य सरकार द्वारा सीलिंग कानून से अवाप्त भूमि भूमिहीन व गरीब किसानों को आबंटित की गई? यदि हां, तो कितनी?

उत्तर

जी हां। जनवरी, 1999 से दिसम्बर, 2002 तक गत चार वर्षों में राज्य में 3307.94 एकड़ भूमि सीलिंग कानून में अवाप्त कर भूमिहीन व गरीब किसानों को आबंटित की गई है।

दीगोद व सांगोद (कोटा) में सरकारी भूमि का नियमन

101. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) तहसील दीगोद व सांगोद (कोटा) में वर्ष 1995 से पूर्व सरकारी भूमि पर काबिज जिन पर भू–राजस्व 91 की कार्यवाही चल रही थी, अभियान के अन्तर्गत भूमि नियमन कर किस–किस किसानों को लाभान्वित किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पुनः इस प्रकार का अभियोजन चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) तहसील दीगोद में 1995 से पूर्व काबिज जिन पर भू–राजस्व 91 की कार्यवाही चल रही थी अभियान के अन्तर्गत 15 व्यक्तियों को 7.51 हैक्टेयर भूमि नियमन की गई (सूची संलग्न है) तहसील सांगोद में कोई नियमन नहीं किया गया है।

(2) जी हां।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–3 देखें)

ग्राम आगर (अलवर) के खसरा नम्बर 1409 पर अतिक्रमण

102. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम आगर, तहसील थानागाजी, जिला अलवर की खसरा नं. 1409 की भूमि राजस्व रेकार्ड में बिला लगानी गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है? क्या उक्त भूमि पर भूमाफियाओं ने अतिक्रमण कर लिया है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अतिक्रमण हल्का पटवारी की मिलीभगत से किया गया है? यदि हां, तो दोषी पटवारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों व अब कब तक कार्यवाही कर ली जावेगी?

(3) क्या यह सही है कि उक्त अतिक्रमियों के विरुद्ध तहसीलदार थानागाजी ने अपने निर्णय में अतिक्रमण मानते हुये जुर्माना किया है एवं बेदखली के आदेश दिये हैं? यदि हां, तो अतिक्रमण अब तक न हटाये जाने के क्या कारण हैं और अब कब तक अतिक्रमण हटा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम आगर तहसील थानागाजी के आ.ख.नं. 1409 गै.मु. रास्ता दर्ज है। मौके पर भी रास्ते के काम आ रहा है व पक्की सड़कें बनी हुई है। पड़ोसी कृषकों द्वारा उसको सकड़ा कर अतिक्रमण कर रखा है।

(2) जी नहीं। उक्त अतिक्रमण में पटवारी हल्का की मिलीभगत के कोई तथ्य उपलब्ध नहीं है।

(3) जी हां। तहसीलदार द्वारा अस्थाई अतिक्रमण हटा दिये हैं। शेष अतिक्रमण हटाने हेतु सरपंच, ग्राम पंचायत को श्रमिक उपलब्ध कराने को लिखित अनुरोध किया गया है। श्रमिक उपलब्ध होते ही शेष अतिक्रमण हटाये जा सकेंगे।

ग्राम तालाब (दौसा) में खुद काश्त भूमि आवंटन में अनियमितता

103. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम तालाब, तहसील लालसोट, जिला दौसा के भूतपूर्व जागीरदार ने खुद काश्त भूमि आबंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है? यदि हां, तो कब?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भूतपूर्व जागीरदार के स्थान पर अन्य को खुदकाश्त भूमि आबंटित किये जाने की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उक्त पर क्या निर्णय लिया गया।

(3) क्या उक्त गांव के भूतपूर्व जागीरदार ने खुदकाश्त भूमि आबंटन में किये जा रहे विलम्ब के विरुद्ध एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है? यदि हां, तो उक्त पर क्या निर्णय लिया गया है और नहीं, तो अब कब तक निर्णय ले लिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 15.9.1958 एवं 22.7.1959 एवं 26.12.2002 को प्रार्थना पत्र पेश किया हैं।

(2) जी नहीं।

(3) भूतपूर्व जागीरदार को कलेक्टर जागीर जयपुर के आदेश क्र. 427/429 दिनांक 12.4.1968 द्वारा ग्राम ढिढोल तहसील बस्सी के सिवायचक भूमि के खसरा नं. 140 में से 51 बीघा भूमि खुदकाश्त में आंबटन की जाकर कब्जा सम्भला दिया गया है। भूतपूर्व जागीरदार द्वारा शेष खुदकाश्त भूमि 57 बीघा आबंटन हेतु दिनांक 26.12.2002 को पुनः प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। इस सम्बन्ध में भूतपूर्व जागीरदार ने दिनांक 27.4.1965 को उज्रदारी पेश की थी जिसे कलेक्टर जागीर जयपुर ने दिनांक 7.1.1971 को अवधिपार मानते हुए खारिज कर दी। जिसकी प्रार्थी द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में अपील की गई जिसे राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 13.12.1976 को खारिज कर दिया। इस कारण प्रार्थी को शेष 57 बीघा भूमि आबंटन नहीं की जा सकती विभागीय पत्र क्र.प.

(राजस्व मंत्री)

3(1)राज-7/79 दिनांक 10.6.1980 के द्वारा प्रार्थी को इस सम्बन्ध में सूचित किया जा चुका है। अब इसमें कार्यवाही की कोई आवश्यकता नहीं है।

गोतमेश्वर अरनोद के मन्दिर की सम्पत्ति का लेखाजोखा

104. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विलीनीकरण के पश्चात् वर्तमान राज्य शासन को उत्तरदायित्व में प्राप्त हुये मन्दिरों/धर्मशालाओं एवं उनकी परिसम्पतियों दुकानें, कृषि भूमि, आवास तथा आभूषण आदि पर सीधा प्रबन्ध एवं नियंत्रण विभाग का है? यदि हां, प्रतापगढ़ उप खण्ड की तहसील अरनोद एवं प्रतापगढ़ की विलीनीकरण के पश्चात् कितनी परिसम्पत्तियां सरकार को चार्ज में मिली? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) तहसील प्रतापगढ़ एवं अरनोद के किस-किस मन्दिर के नाम कितनी-कितनी कृषि भूमि, धर्मशालाएं एवं आभूषण हैं?

(3) क्या यह सही है कि गोतमेश्वर (अरनोद) में सरकार द्वारा ट्रस्ट बनाया गया है? नियमानुसार ट्रस्ट की वर्ष में कितनी बैठकें निर्धारित हैं और ट्रस्ट के कौन सदस्य एवं पदाधिकारी हैं? वर्तमान गोतमेश्वर मन्दिर के नाम क्या क्या सम्पत्ति है एवं कितनी राशि बैंक खाते में है? जून, 2002 तक का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) प्रतापगढ़ क्षेत्र का शक्तिपीठ के नाम से जाना जाने वाला अम्बामाता का मन्दिर क्या किसी की व्यक्तिगत सम्पत्ति है? यदि नहीं, तो प्रतिदिन दर्शनार्थियों से आने वाला चढ़ावा एवं जून, 2002 तक नकद राशि धर्मादा पेटी में से किस-किस की मौजूदगी में निकाल कर गणना की गई? अब तक कितनी राशि का चढ़ावा बैंक में जमा करवा दिया है?

(5) अम्बामाता मन्दिर के नाम कितनी कृषि भूमि, धर्मशालाएं एवं वस्त्र तथा सोने चांदी के आभूषण हैं? सूची सदन की मेज पर रखें? उक्त धरोहर रखने का उत्तरदायित्व कौन वहन कर रहा है?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान राज्य की भू.पू. रियासतों के नवीन राजस्थान राज्य में विलीनीकरण के पश्चात् वर्तमान, राज्य शासन को उत्तरदायित्व में प्राप्त हुए राजकीय मन्दिरों, धर्मशालाओं एवं उनकी परिसम्पत्तियों, दुकानें, कृषि भूमि आवास तथा आभूषण आदि का सीधा प्रबन्ध एवं नियंत्रण देवस्थान विभाग द्वारा किया जाता है। जिला चित्तौड़गढ़ की प्रतापगढ़ उपखण्ड की तहसील अरनोद एवं प्रतापगढ़ में राज्य शासन को उत्तरदायित्व में प्राप्त हुए विभागीय मन्दिरों की परिसम्पत्तियों का विवरण निम्नानुसार है:-

(राज्य मंत्री, देवस्थान)

क्र.सं.	नाम मन्दिर	सम्पदा का विवरण निज मन्दिर के अतिरिक्त आवा.	व्यावसायिक	कृषि भूमि	आभूषण का विवरण (सं.)
1.	म. ठाकुरजी विजयराघव जी महलों के बाहर प्रतापगढ़	–	–		6.47 है. सोना के 11 जेवरात 7 चांदी 44
2.	मं. श्री दीपनाथजी तालाब के पछोर में, देवगढ़	–	–	–	
3.	हर मन्दिर महलों के बाहर देवगढ़	–	–	2.10 है.	
4.	राम मन्दिर, राम महल, देवगढ़	–	–	–	
5.	म. श्री रसिक बिहारीजी, महलों के पीछे देवगढ़	–	–	–	सोना के1 चांदी 36
6.	म. श्री देराश्रीजी महलों के पीछे, देवगढ़				
7.	म. श्री हनुमानजी महलों के पास, (दशहरा ग्राउण्ड)				
8.	म. श्री सिद्धि विनायकजी, महलों के पास, देवगढ़				
9.	म. श्री गोपालजी अस्थल मन्दिर तालाब के पास, देवगढ़	–	–	–	8.91 है.
10.	म. श्री बाणमाताजी महलों के पीछे, देवगढ़	–	–	–	6.50 है.

(2) तहसील, प्रतापगढ़ एवं अरनोद में स्थित मन्दिरों के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कृषि भूमि का विवरण उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार (परिशिष्ट-1) संलग्न है। देवस्थान विभाग के प्रबन्धाधीन विभागीय मन्दिरों की परिसम्पत्तियों का विवरण प्रश्न के भाग-1 में पृथक से भी अंकित किया गया है। अराजकीय मन्दिरों की धर्मशाला का आभूषण आदि परिसम्पत्तियों का विवरण देवस्थान विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(राज्य मंत्री, देवस्थान)

(3) जी हां। श्री गोतमेश्वर महादेव अरनोद तहसील प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ का मन्दिर विभाग के प्रबन्धाधीन राजकीय मन्दिर नहीं है। इस मन्दिर की व्यवस्था हेतु राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.17(5) राज–74 दिनांक 30.4.1974 द्वारा निम्न प्रकार एक व्यवस्था समिति गठित की हुई है:-

1. उपजिलाधीश, प्रतापगढ़	अध्यक्ष
2. मन्दिर के महन्त	सदस्य
3. प्रधान पंचायत समिति, अरनोद	सदस्य
4. निरीक्षक, देवस्थान विभाग, उदयपुर	सदस्य
5. प्रतापगढ़ क्षेत्र के विधायक	सदस्य
6. प्रधान पंचायत समिति, प्रतापगढ़	सदस्य
7. तहसीलदार, प्रतापगढ़	सदस्य
8. मन्दिर क्षेत्र की पंचायत का सरपंच	सदस्य
9. सरपंच ग्राम पंचायत, अरनोद	सदस्य

व्यवस्था समिति की बैठक वैशाखी मेले से पूर्व प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है तथा कभी कभी विशेष बैठक भी या आपात बैठक भी आयोजित कर ली जाती है। उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ एवं अमीनात कचहरी श्री गोतमेश्वर तीर्थ द्वारा उपखण्ड करवाई गई सूचना के अनुसार मन्दिर के नाम निम्न अचल सम्पत्ति है:-

(अ)**धर्मशाला** : यात्रियों की सुविधा हेतु 10 कमरे, भोजनशाला, बर्तन, बिस्तर पलंग हैं।

(ब)**डाक बंगला** : पूर्व में व्यवस्था अमीनात कचहरी करती थी अब वर्तमान में ग्राम पंचायत लालगढ़ द्वारा व्यवस्था की जाती है।

(स)**कृषि भूमि व अन्य भूमि**:-

	हैक्टेयर
1. आरक्षित मेला मैदान	4.77
2. कृषि भूमि (अवैध अतिक्रमण)	11.18
3. ,, ,, ,, ,,	1.08
4. ,, ,, ,, ,,	0.54
5. ,, ,, ,, ,,	2.91
6. पुजारी माफी पूजनार्थ	85.26

6 पुजारी माफी पूजनार्थ 85.26 धर्मशाला व कृषि बंजर भूमि के अलावा कोई सम्पत्ति नहीं है।

उक्त मन्दिर का बैंक बैलेंस माह जून, 2002 तक रु. 2,85,486.20 पैसे मात्र बताया गया है।

(राज्य मंत्री, देवस्थान)

(4) प्रतापगढ़ क्षेत्र में शक्तिपीठ के नाम से जाना जाने वाला अम्बा माता मन्दिर वर्तमान में एक निजी ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष धमोतर ठिकाने के ठाकुर श्री दिग्विजय सिंह एवं सदस्य बृजराज सिंह हैं। ट्रस्ट निजी होने से मन्दिर में आने वाले चढ़ावे एवं दान पेटी में प्राप्त राशि तथा बैंक में जमा राशि आदि की सूचना देवस्थान विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(5) अम्बा माता मन्दिर के नाम राजस्व रेकार्ड में 1.81 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज है। मन्दिर के अहाते में पश्चिम की तरफ दो तथा उत्तर की तरफ एक धर्मशाला बनी हुई है एवं दो कुई व एक बावड़ी भी पेयजल के उपयोग हेतु बनी हुई है। मन्दिर की चल सम्पदा आभूषण आदि निम्नानुसार बताई गई हैं :-

चांदी के जेवरात की सूची

1. चांदी की आरती पांच बत्तियों वाली	220 ग्राम
2. चीर पतरा चढ़ी लकड़ी पर	–
3. चांदी की पादू का एक जोड़ी	100 ग्राम
4. तासक पंचपात्र आथमणी (आचमणी)	150 ग्राम
5. छोटे शेर चांदी के दो	70 ग्राम
6. एक चांदी का छतर दो लड़ी	1.00 किलोग्राम
7. एक चांदी का छतर तीन लड़ी	500 ग्राम
8. एक चांदी का छतर तीन लड़ी	500 ग्राम
9. एक चांदी का छतर तीन लड़ी	500 ग्राम
10. एक चांदी का छतर तीन लड़ी	400 ग्राम
11. एक चांदी का छतर तीन लड़ी	250 ग्राम
12. एक चांदी का छतर दो लड़ी	250 ग्राम
13. एक चांदी का छतर दो लड़ी	250 ग्राम
14. एक चांदी का छतर दो लड़ी	150 ग्राम
15. एक चांदी का छतर दो लड़ी	120 ग्राम
16. 30 छतर छोटे-छोटे कुल वजनी	1500 ग्राम

सोने के जेवरात की सूची

1. सोने का छतर एक	30 ग्राम
2. सोने का छतर एक	30 ग्राम
3. सोने के छतर दो	10 ग्राम
4. सोने का छतर एक	20 ग्राम
5. चुड़ियां चार, एक माला, एक हार, आड़, कंठी, कुण्डल, बिछिया	140 ग्राम
6. मुकुट सोना पालिस चांदी का	130 ग्राम

(राज्य मंत्री, देवस्थान)

7. हार सोना पालिस चांदी का 120 ग्राम
8. कनोरा सोना पालिस चांदी का 80 ग्राम
9. पायजेब सोना पालिस चांदी का 20 ग्राम
10. चार नथ सोना पालिस चांदी के 10 ग्राम

धारण करने के चांदी के जेवर

1. चांदी का मुकुट एक 600 ग्राम
2. चांदी का त्रिशूल 90 ग्राम
3. हार चांदी के एक माला 150 ग्राम
4. तलवार एक तीन
5. चंवर–2

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अजमेर के भू-संरक्षण कार्यों का भुगतान

105. श्री सांवर लाल (भिनाय): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या गत एक वर्ष में भू-संरक्षण विभाग ने जिला अजमेर के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करवाये हैं? यदि हां, तो कहां-कहां कितनी लागत के क्या-क्या कार्य करवाये गये?

(2) क्या उक्त का भुगतान कर दिया गया है? यदि हां, तो किस-किस का कितना भुगतान कब-कब किया गया एवं नहीं, तो किस-किस कार्य का कितना-कितना भुगतान बकाया है और अब कब तक भुगतान करने का विचार है?

उत्तर

(1) जी हां। अजमेर जिले में गत एक वर्ष में जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत जलग्रहण विकास कार्य सम्पादित करवाये गये हैं, जिनका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट–1 के कालम संख्या 1 से 6 पर उपलब्ध है।

(2) उक्त जलग्रहण विकास कार्यों का अधिकांश भुगतान विभाग द्वारा किया जा चुका है। भुगतान की गई राशि का विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट–1 के कालम संख्या 7–9 पर उपलब्ध है। उक्त कार्यों के पेटे बकाया रहे भुगतान राशि का विस्तृत विवरण व भुगतान करने की सम्भावित अवधि संलग्न परिशिष्ट–1 के कालम संख्या 10–12 पर उपलब्ध है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जयपुर में उचित मूल्य की दुकान नम्बर 131 में अनियमितता की जांच

106. श्री कुबेर सिंह (फलासिया): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री कुबेर सिंह)

(1) क्या जयपुर में उचित मूल्य की दुकान नम्बर 131 आबंटित है? यदि हां, तो किस के नाम से कब से? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दुकान को गत 2 वर्षों में क्या-क्या सामग्री कब-कब, कितनी-कितनी मात्रा में आबंटित की गई तथा उक्त दुकानदार ने उक्त सामग्री का वितरण कब किया?

(3) उक्त दुकान का प्रवर्तन निरीक्षक या प्रवर्तन अधिकारी ने गत दो वर्षों में कब कब निरीक्षण किया? निरीक्षण रिपोर्ट एवं उस पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त दुकान के विरुद्ध कब-कब क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुई? उक्त पर क्या कार्यवाही की गई?

(5) क्या सरकार उक्त दुकान का लाइसेंस निरस्त कर इसके विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जयपुर शहर की उचित मूल्य दुकान संख्या 131 श्री सुगन चन्द शर्मा पुत्र श्री राम प्रताप शर्मा निवासी बी-348 जनता कालोनी जयपुर को दिनांक 5.4.1977 को आबंटित की गई थी, लेकिन 27.8.1994 से उक्त दुकान, उचित मूल्य दुकान संख्या 130 से सम्बद्ध चल रही है अथवा उचित मूल्य दुकान संख्या 1[illegible] कार्यरत नहीं है। लाइसेंस विवरण की प्रति संलग्न है।

(2) उक्त दुकान के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करने हेतु इससे सम्बद्ध अस्थाई उचित मूल्य दुकानदार को गत दो वर्षों में राशन सामग्री का आबंटन केरोसीन 39380, उठाव 33500 एवं वितरण 33160 लीटर है। चीनी का आबंटन जनवरी, 01 से मार्च, 01 तक 2100 कि.ग्रा.। अप्रैल 2001 के पश्चात् चीनी का आबंटन नहीं हुआ। गेहूं का आबंटन व उठाव जनवरी, 2001 से नहीं हुआ है। माहवार सूचना संलग्न है।

(3) गत दो वर्षों में उक्त दुकान की कोई भी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। इस कारण उक्त दुकान पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(4) उक्त दुकान के विरुद्ध किसी प्रकार की अनियमितता की शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(5) इस दुकान के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः लाइसेंस निरस्त करने एवं इसके विरुद्ध कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित नहीं है। उक्त दुकान वर्तमान में रिक्त है, जिसके आबंटन की कार्यवाही विचाराधीन है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला अलवर में आबंटित खाद्य सामग्री के वितरण में अनियमितता

107. **श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान में जिला अलवर में कुल कितना मिट्टी तेल, गेहूं या अन्य रसद सामग्री दी जा रही है? उक्त रसद सामग्री प्रत्येक तहसील में कितनी मात्रा में दी जा रही है? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त रसद सामग्री को ब्लेक में बेचने के कोई मामले सामने आये हैं? यदि हां, तो कहां-कहां, विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में अलवर जिले को कुल 2054 के.एल., केरोसीन, बी.पी.एल. गेहूं 2407 मे.टन., अन्त्योदय गेहूं 463 मै.टन., बी.पी.एल. चीनी 264.6 मै.टन, ए.पी.एल. गेहूं 5776 मै.टन तथा अन्नपूर्णा गेहूं 47.8 मै. टन का चयनित लाभार्थियों के आधार पर आबंटन प्रति माह प्राप्त हो रहा है। प्रत्येक तहसील में दी जाने वाली राशन सामग्री की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) हां। जिले में माह जनवरी, 2002 में जनवरी, 2003 तक की अवधि में 69 मामले सामने आये हैं। पूर्ण विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

उप खण्ड प्रतापगढ़ में उचित मूल्य की दुकानों के विरुद्ध अनियमितता की शिकायत

108. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) उप खण्ड प्रतापगढ़ में उचित मूल्य की दुकानों के विरुद्ध वर्ष 1998-99 से दिसम्बर, 2002 तक कितनी अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त हुई अथवा निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं पाई गई? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त शिकायतें में किस-किस डीलर को दोषी पाया गया और इसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या जिन डीलरों ने उपभोक्ता सामग्री को नहीं उठाया इनके विरुद्ध कोई क्या कार्यवाही की गई? वर्ष 1998 से दिसम्बर, 2002 तक कितने डीलरों के प्राधिकार पत्र निरस्त किये गये? उक्त निरस्त प्राधिकार पत्र में से कितने डीलर जनजाति के हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उपखण्ड प्रतापगढ़ में उचित मूल्य की दुकानों के विरुद्ध वर्ष 1998-99 से दिसम्बर, 2002 तक अनियमितताओं की शिकायत अथवा निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है:-

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

क्र.सं.	वर्ष	अनियमितताओं के दर्ज मामलों की संख्या
1.	1998	51
2.	1999	73
3.	2000	95
4.	2001	86
5.	2002	67

(2) उक्त शिकायतों में निम्न विवरण अनुसार डीलर्स को दोषी पाया गया एवं इनकी प्रतिभूति राशि जब्त की गई, विवरण वर्षवार निम्नानुसार है:-

1.	1998	51
2.	1999	73
3.	2000	95
4.	2001	86
5.	2002	67

(3) हां, जिन डीलरों द्वारा उपभोक्ता सामग्री को नहीं उठाया गया, उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाकर 23 प्राधिकर पत्र निरस्त किये गये। (वर्ष 1998 से 2002 तक) इन निरस्त प्राधिकार पत्रों में से 12 प्राधिकार पत्र धारक डीलर जनजाति के है।

राज्य में स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना

109. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2002-2003 में राज्य में स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की घोषणा गत बजट सत्र में की गई थी? यदि हां, तो उक्त केन्द्र कब-कब कितने-कितने खोले गये?

(2) क्या स्वास्थ्य केन्द्र अभी तक नहीं ,खोले गये हैं? यदि हां, तो अब कब तक खोले जायेंगे?

उत्तर

(1) जी हां। माननीय वित्त मंत्री महोदय के वर्ष 2002-2003 के बजट अभिभाषण में 200 उप केन्द्रों को उच्चीकृत उप केन्द्रों में क्रमोन्नत करने की घोषणा की गई थी, इसके पश्चात् दिनांक 16.4.2002 को पुनः 200 नयी डिस्पेंसरी खोले जाने की घोषणा की गई। ग्राम चितरी पंचायत समिति भीलवाड़ा जिला डूंगरपुर में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्वीकृति आदेश दिनांक 5.10.2002 को जारी की गई।

(2) शेष प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (डिस्पेंसरी) खोला जाना राज्य सरकार के विचाराधीन है।

महिला चिकित्सालय चांदपोल में जन्म पंजीयन पंजिका

110. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

महिला चिकित्सालय चांदपोल बाजार, जयपुर में दिनांक अगस्त, 1973 से 30 अगस्त, 1973 तक कितने बालकों का जन्म

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हुआ? उक्त बालकों के माता-पिता के नाम एवं स्थानीय पते की दिनांक/समयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

मेडिकल कालेज, जयपुर के संलग्न जनाना अस्पताल चांदपोल बाजार, जयपुर में 1 अगस्त, 1973 से 31 अगस्त, 1973 तक कुल 597 बच्चों का जन्म हुआ। इन बच्चों के माता-पिता का नाम स्थानीय पते दिनांक व समय की सूची संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डिग्गी (टौंक) के चिकित्सकों का स्थानान्तरण

111. श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने जनवरी, 2002 में एक आदेश प्रसारित कर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डिग्गी (टोंक) में कार्यरत तीनों चिकित्सकों को कार्य मुक्त कर निदेशालय में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया था? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त आदेश की पालना में दो कर्मियों ने पहले निदेशालय में उपस्थिति दर्ज करवाई व इन्हें जिला भीलवाड़ा में पदस्थापित कर दिया गया? क्या डा. अनिल मीणा ने आदेश की पालना सबसे आखिरी में की और इससे सम्बन्धित आदेश निरस्त कर पुन: प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डिग्गी (टोंक) में पदस्थापित कर दिया गया? यदि हां, तो इस प्रकार डा. मीणा को पुन: प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डिग्गी (टोंक) में पदस्थापित करने के क्या कारण थे?

(3) क्या उक्त तीनों चिकित्सकों के विरुद्ध कोई जांच की गई थी व डा. अनिल मीणा को दोष मुक्त उक्त जांच में कर दिया था? यदि नहीं, तो डा. मीणा को पुन: डिग्गी (टोंक) में पदस्थापित करने का क्या औचित्य है?

उत्तर

(1) जी हां। ग्रामवासियों की शिकायत पर प्रशासनिक कारणों से चिकित्सकों को हटाया गया था।

(2) जी हां। डा. अनिल मीणा ने दिनांक 22.1.2002 को निदेशालय में उपस्थिति दी।

जी नहीं। डा. मीणा के आदेश निरस्त नहीं किये गये अपितु रिक्त पद पर डिग्गी (टोंक) में लगाया है।

(3) जी हां। जांच में उनके विरुद्ध अति गम्भीर आक्षेप नहीं पाए गए। प्रशासनिक कारणों से डा. मीणा को डिग्गी में पदस्थापित किया गया।

बहरोड़ में अस्थि रोग विशेषज्ञ चिकित्सक की नियुक्ति

112. डा. करण सिंह यादव (बहरोड़): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि हाइवे पर पड़ने वाले कस्बों के रैफरल अस्पतालों/सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में अस्थि रोग विशेषज्ञ के पद सृजित करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या बहरोड़ के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के एक पद को अस्थि रोग कनिष्ठ विशेषज्ञ में परिवर्तित करने में कोई आपत्ति है? यदि नहीं, तो कब तक हो जायेगा?

उत्तर

(1) जी नहीं। निर्धारित मापदण्ड के अनुसार रैफरल अस्पतालों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कनिष्ठ विशेषज्ञ अस्थि रोग का पद सृजित करने का प्रावधान नहीं है।

(2) बहरोड़ में दुर्घटना इकाई स्वीकृत होने के कारण वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के एक पद को कनिष्ठ विशेषज्ञ अस्थि रोग में परिवर्तित किया जा सकता है। प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है।

जीवन रक्षा कोष में चयनित व्यक्तियों को आबंटित राशि

113. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष से राज्य के जिलों में चयनित व अचयनित श्रेणी के किन-किन व्यक्तियों को कितनी-कितनी राशि जीवन रक्षा कोष से सहायतार्थ प्रदान की गई है? जिलेवार व श्रेणीवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष से राज्य के जिलों में चयनित व्यक्तियों को स्वीकृत की गई सहायता राशि का जिलेवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है तथा अचयनित व्यक्तियों को जिनकी वार्षिक आय रु. 24,000/- से कम है, उन्हें मुख्य मंत्री सहायता कोष से सहायता राशि स्वीकृत की जाती है, जिसका पुनर्भरण मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष से किया जाता है, को प्रदान की गई सहायता राशि का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विधान सभा क्षेत्र नावां में प्रस्तावित सड़क निर्माण

114. श्री हरीशचन्द कुमावत (नावां): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि डीडवाना रोड पर नाला बनाने के बाद बालाजी की ढाणी में जयपुर-कुचामन सड़क पर पानी रोकने की नाली निर्माण कराने के बाद कुचामन महाविद्यालय के पास नाली निर्माण

(श्री हरीशचन्द कुमावत)

करने के बाद अब तक इन पोर्शनों पर सड़क निर्माण का काम नहीं किया गया है? यदि हां, तो उक्त निर्माण कब तक करा दिया जावेगा?

(2) उक्त क्षेत्र में इस वर्ष सी.आर.एफ. के अन्तर्गत कौन–कौन सी सड़कों के निर्माण कराने के प्रस्ताव भिजवाये गये हैं और अब तक कौन–कौन सी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या चितावा–घाटवा सड़क का उन्नयन कार्य चालू किया गया है और 03 किलोमीटर शेष बच रहा है? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जावेगा?

(4) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत चौसला के ग्राम पूणी से गुढ़ासाल्ट तक शीम्भूपुरा से देवली भिण्डा तक, खोरण्डी से नाका वाले बालाजी तक, मिठड़ी (नावां) से ग्राम पंचायत खारड़ियां के ग्राम उलाना तक सड़क उन्नयन कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ है? अब उक्त कार्य कब तक पूरा करा दिया जावेगा?

(5) विधान सभा क्षेत्र नावां में कौन कौन सी लिंक रोड नाबार्ड से निर्माण करानी प्रस्तावित की गई है? उक्त की स्वीकृति कब तक प्राप्त होगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या ग्राम नालोट से भीचरों का बास होकर जिजोट की तरफ जाने वाली सड़क की काफी गहराई है जिसमें बरसात में पानी का काफी भराव हो जाता है? क्या उक्त सड़क की दुविधा को मिटाने के लिए कोई सुधार कार्य कराया जा सकेगा?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त में डामरीकरण का कार्य शीघ्र ही पूरा करा दिया जावेगा।

(2) इस वर्ष सी.आर.एफ. के अन्तर्गत 302 कार्यों के लिये राशि 276.40 करोड़ रुपये के प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाये गये हैं और अब तक 82 कार्यों के लिये 110.83 करोड़ रुपये की स्वीकृतियां राज्य को प्राप्त हो चुकी है। विवरण परिशिष्ट "अ" एवं "ब" पर संलग्न है।

(3) जी हां। शेष रहे 03 किमी. के कार्य को माह मार्च, 2003 में चालू किया जाना प्रस्तावित है।

(4) जी हां। कार्यों को माह मई, 2003 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(5) नाबार्ड की सहायता से अभी कोई लिंक रोड निर्माण प्रस्तावित नहीं है अत: स्वीकृति का प्रश्न ही नहीं है।

(6) ग्राम नालोट से भीचरों का बास होकर जिजोट की तरफ जाने वाली सड़क जो काफी गहराई है, उस भाग में डामरीकरण का कार्य आर.यू.पी. प्रथम में करवा दिया गया है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सड़क निर्माण हेतु स्वीकृत राशि का उपयोग

115. श्री सांवर लाल (भिनाय): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य में सड़क निर्माण/सुदृढ़ीकरण आदि के लिये 1 दिसम्बर, 1998 के बाद राज्य सरकार को राशि उपलब्ध कराई है? यदि हां, तो कितनी-कितनी?

(2) क्या उक्त राशि का उक्त उद्देश्य हेतु उपयोग किया गया? यदि हां, तो कितनी राशि व्यय की गई?

(3) क्या उक्त देय राशि का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो किस किस को कितनी-कितनी राशि का भुगतान करना है?

(4) क्या सड़कों की गुणवत्ता का ध्यान रखा गया है?

उत्तर

(1) जी हां। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। माह जनवरी, 2003 तक कुल राशि 400.74 करोड़ व्यय की गई है।

(3) जी हां।

(4) जी हां।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

विधान सभा क्षेत्र दीगोद में विधायक अनुशंसा पर स्वीकृत सड़कों का निर्माण

116. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र दीगोद में विधायक अनुशंसा द्वारा स्वीकृत कौन-कौनसी सड़कों पर किलोमीटर सहित पेच व पेवर कार्य किया गया?

(2) उक्त क्षेत्र में विधायक द्वारा की गई अनुशंसा का शेष कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा?

(3) विधायक/सांसद अनुशंसा के अलावा कौनसी सड़क पर कार्य किसकी अनुशंसा द्वारा किया गया?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र दीगोद में विधायक अनुशंसा पर आधारित सड़क उन्नयन योजना (फेज-प्रथम) में स्वीकृत विभिन्न सड़कों पर कुल 50 किमी. में पेच व पेवर द्वारा रिन्यूवल कार्य करवाया गया है जिसका सड़कवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त क्षेत्र में विधायक महोदय की अनुशंसा पर आधारित सड़क उन्नयन योजना के द्वितीय चरण के शेष कार्यों को दिनांक 30.6.2003 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(3) विधायक/सांसद अनुशंसा के अतिरिक्त केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत सुल्तानपुर खातोली केथूदा सड़क पर किमी. 30/0 से 38/0 तक में कार्य कराया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

ग्राम पंचायत दूदौड़ (पाली) की सड़क का डामरीकरण

117. श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डौली): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम दूदौड़, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला-पाली, में सोजत सिटी से मारवाड़ जंक्शन जाने वाली सड़क की दूरी करीब एक किलोमीटर है? क्या उक्त सड़क का डामरीकरण करने का विचार है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

(2) गांव दूदौड़ में वर्ष 2002-2003 में उक्त सड़क पर पाली का फला पर पुलिया बनाने का प्रावधान है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य की वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इस कार्य को वर्तमान में कराया जाना सम्भव नहीं है।

(2) उपरोक्तानुसार।

विधान सभा क्षेत्र बस्सी में सड़क निर्माण हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा

118. श्री कन्हैया लाल (बस्सी): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र बस्सी की पंचायत समिति बस्सी एवं चाकसू में बनाई गई सड़कों में जिन खातेदार कृषकों या रिहायशी पट्टेदारों की भूमि अवाप्त की गई, उन सभी को मुआवजा राशि का भुगतान किया जा चुका है? यदि हां, तो पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि अधिकांश अवाप्ति प्रभावितों को अब तक मुआवजा राशि नहीं दी गई है? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि किन-किन व्यक्तियों को कब से दिया जाना शेष है? अब इन्हें कब तक पूर्ण मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र बस्सी की पंचायत समिति बस्सी में सड़कों के निर्माण में किसी खातेदार की भूमि अवाप्त नहीं की गई है।

पंचायत समिति चाकसू में बनाई गई सड़कों में जिन खातेदार/कृषकों/रिहायशी पट्टेदारों की भूमि अवाप्ति की गई है अधिकांश को मुआवजा राशि का भुगतान किया जा चुका है। सड़कों का विवरण प्रपत्र "अ" में संलग्न है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) जी नहीं। अधिकांश अवाप्ति प्रमाणितों को मुआवजा राशि का भुगतान किया जा चुका है। शेष रहे भुगतान का व्यक्तिवार विवरण प्रपत्र "ब" में संलग्न है, शेष भुगतान किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

राष्ट्रीय राजमार्ग 65 पर बने स्पीड ब्रेकर

119. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं):** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाने के सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया है तथा उक्त सम्बन्ध में क्या नीति है?

(2) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 65 पर लाडनूं से सालासर के बीच कई जगह स्पीड ब्रेकर बने हुये हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या उक्त ब्रेकर हटाये जायेंगे? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्पीड ब्रेकर नहीं बनाये जाने की नीति निर्धारित है, परन्तु विकट मोड़, रेलवे लेवल क्रोसिंग, घनी आबादी अथवा दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र में रम्बल स्ट्रिप प्रकार के स्पीड ब्रेकर बनाये जा सकते हैं।

(2) जी नहीं।

(3) पूर्व में बने सभी स्पीड ब्रेकर हटा दिये गये हैं।

विधान सभा क्षेत्र बाड़ी व बड़ी सादड़ी में ग्राम सड़क योजना से लाभान्वित ग्राम

120. **श्री जसवन्त सिंह (बाड़ी):** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राज्य में वर्ष 2001 से 2002 तक कुल कितनी किलोमीटर सड़क का निर्माण व कितने गांवों को जोड़ने का प्रावधान रखा गया था? उक्त योजना में अब तक कितने गांवों को जोड़ा गया है? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के तहत विधान सभा क्षेत्र बाड़ी व बड़ी सादड़ी में कितने गांवों को जोड़ा गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत राज्य में 2001 से 2002 तक कुल लम्बाई 3684.64 किमी. सड़क निर्माण तथा 1029 गांवों को जोड़ने का प्रावधान रखा गया। उक्त योजना में माह जनवरी, 2003 तक 625 गांवों को जोड़ा गया है।

(2) उक्त योजना के तहत विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में 4 तथा बड़ी सादड़ी में दो गांवों को निम्नानुसार जोड़ा गया।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

विधान सभा क्षेत्र बाड़ी :- 1. निधारा

2. कोटा

3. खरोली

4. करेरूआ

विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी :

1. कजलीखेड़ा

2. मंगरोरा

विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में नाबार्ड योजना में निर्मित सड़कें

121. श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में नाबार्ड द्वारा जिन सड़कों की मरम्मत एवं बनाने का कार्य किया उन सड़कों पर साइड में पटरी का कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में नाबार्ड द्वारा जिन सड़कों की मरम्मत एवं बनाने का कार्य किया गया है उन सड़कों पर साइड में पटरी का कार्य यदि मूल तखमीने में शामिल है और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर माह जून, 2003 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

उद्यानों के संधारण की प्रस्तावित योजनाएं

122. श्री प्रभुलाल करसोल्या (नैनवां) एवं **श्री जसवन्त सिंह** (बाड़ी): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार ने राज्य में वर्ष 2001 व 2002 में कितने उद्यानों का संधारण एवं विकास किया?

(2) उक्त उद्यानों के संधारण एवं विकास किस-किस जिले में कितनों का कितनी राशि से किया?

(3) उक्त उद्यानों में पर्यटकों, नागरिकों व सैलानियों का उद्यानिकी सुविधाएं क्या क्या प्रदान कराई गई? उक्त सुविधाओं में कितनी-कितनी राशि व्यय हुई?

उत्तर

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन उद्यानों में वर्ष 2001 व 2002 में निम्नानुसार संधारण किया गया :-

1. सार्वजनिक उद्यान 37

2. संस्थानीय उद्यान 30

(2) उक्त उद्यानों के संधारण एवं विकास निम्न जिलों में एवं निम्नानुसार व्यय किया गया :-

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

क्र. सं.	जिले का नाम	उद्यानों की संख्या	व्यय राशि (लाखों में)		विशेष विवरण
			वर्ष 2000-2001	वर्ष 2001-2002	
1.	जयपुर	14	65.02	72.41	
2.	जोधपुर	9	103.92	105.06	
3.	सिरोही	4	11.90	9.87	
4.	उदयपुर	8	60.94	63.00	
5.	बांसवाड़ा	1	8.00	8.27	
6.	कोटा	7	59.96	57.62	
7.	बूंदी	2	11.20	4.62	
8.	झालावाड़	4	5.58	6.11	
9.	करौली	1	11.27	10.58	
10.	अलवर	2	34.55	34.57	
11.	भरतपुर	6	33.00	32.47	
12.	धौलपुर	5	15.00	13.75	
13.	बीकानेर	4	25.08	18.99	
	योग	**67**	**445.42**	**437.32**	

(3) उक्त उद्यानों में पर्यटकों, नागरिकों व शैलानियों को स्वच्छ वातावरण एवं प्राकृतिक सौन्दर्य का आनन्द एवं कुछ उद्यानों में नियमानुसार शुल्क लेकर समारोह इत्यादि के लिये आबंटित किया जाता है। इसके लिये अतिरिक्त व्यय नहीं किया गया है।

हाड़ौती क्षेत्र के विद्यालयों में पेयजल सुविधा

123. श्री मदन दिलावर (अटरू): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) हाड़ौती क्षेत्र के कौन-कौन से विद्यालयों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु हैण्ड पम्प लगे हुए नहीं हैं? उक्त क्षेत्र के कितने विद्यालयों में हैण्ड पम्प वर्तमान में खराब हैं या मृत हो गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों में वर्तमान में पेयजल की क्या व्यवस्था है? क्या सरकार द्वारा हैण्ड पम्प लगाने की स्वीकृति किसी संस्था को दी हुई है? यदि हां, तो क्या

(श्री मदन दिलावर)

उक्त संस्था को राशि दे दी गई? यदि हां, तो कब?

(3) अब उक्त विद्यालयों में पेयजल कब तक उपलब्ध करा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) सूचियां परिशिष्ट "क" "ख" "ग" "घ" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त विद्यालयों में पेयजल की व्यवस्था नजदीक के हैण्ड पम्प अथवा अन्य पेयजल स्रोत से की हुई है। सरकार द्वारा किसी संस्था को हैण्ड पम्प लगाने की स्वीकृति नहीं दी गई है।

(3) उक्त विद्यालयों में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को उपलब्ध वित्तीय संसाधनों से एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है।

(सूचियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला जयपुर के विद्यालयों में उर्दू अध्यापकों के स्वीकृत पद

124. श्री रमजान खान (पुष्कर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा सन् 1975 से अब तक जयपुर जिले के बालक/बालिका विद्यालयों हेतु उर्दू अध्यापक तृतीय श्रेणी के 123 अतिरिक्त पद सुरक्षित किये गये हैं? यदि हां, तो उक्त पदों में से कितने-कितने पद किन किन विद्यालयों में आबंटित हैं? उक्त पदों पर कार्यरत उर्दू शिक्षकों, उर्दू शिक्षक के पदों पर कार्यरत सामान्य शिक्षकों व रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि दौसा जिले का गठन हो जाने के उपरान्त उक्त पदों में से दो पद उक्त जिले में हस्तान्तरित हो गये थे ?

(3) क्या यह सही है कि शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा वर्तमान तक उक्त पदों की सुविधा कम करने सम्बन्धी विशिष्ट स्वीकृति जारी नहीं की गई है?

(4) क्या सरकार उक्त उर्दू शिक्षकों के पद पर कार्यरत सामान्य शिक्षकों को हटाकर उर्दू शिक्षक लगाने व उर्दू शिक्षकों के रिक्त पद भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला जयपुर में संचालित विद्यालयों में 1975 से अब तक 87 पद तृतीय वेतन श्रृंखला उर्दू अध्यापकों हेतु आरक्षित हैं। विद्यालयवार आरक्षित पदों व रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "क" कार्यरत उर्दू अध्यापकों एवं सामान्य अध्यापकों का विवरण परिशिष्ट "ख" सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(शिक्षा मंत्री)

(2) जी नहीं। दौसा जिले का गठन होने पर पांच उर्दू अध्यापकों के पद वहां हस्तान्तारित हो गए थे।

(3) जी हां।

(4) नये शिक्षा सत्र में उर्दू शिक्षकों के पद पर कार्यरत सामान्य शिक्षकों का समायोजन किया जा सकेगा। रिक्त पदों पर नियुक्तियां कार्मिक एवं वित्त विभाग की स्वीकृति मिलनें पर की जाती है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा आयोजित स्वयंपाठी छात्रों की परीक्षा में अनियमितता की रोकथाम

125. श्री मोहन लाल चौहान (परबतसर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा आयोजित स्वयंपाठी छात्रों के रूप में परीक्षा में बैठे परीक्षार्थियों द्वारा अपने स्थान पर दूसरे का फोटो लगाकर उससे परीक्षा दिलवाने की कई शिकायतें हर वर्ष बोर्ड/सरकार-को प्राप्त हो रही हैं? यदि हां, तो गत पांच वर्षों में प्राप्त शिकायतों का विवरण व उक्त पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि परीक्षा देने के पश्चात् उक्त छात्रों के आवेदन पत्र आदि पर लगे फोटो बोर्ड में वहां के कर्मचारियों की मिलीभगत से बदलकर वास्तविक (असल नाम वाले) छात्र का फोटो चिपकाने की शिकायतें भी लगातार प्राप्त हो रही हैं?

(3) सरकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में हो रही उक्त हेराफेरी को रोकने के लिये क्या कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1999 में एक एवं वर्ष 2000 में छह प्रकरण सामने आये इनमें की गई कार्यवाही की सूचना विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं।

(3) वर्ष 2001 की परीक्षा से परीक्षार्थी का फोटो स्केन करके प्रवेश पत्र एवं प्रमाण पत्रों पर मुद्रित किया जा रहा है ताकि फर्जी फोटो चिपकाने की कार्यवाही की पुनरावृत्ति नहीं हो।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

कोटपूतली (जयपुर) के विद्यालयों में शिक्षकों के पदों पर भर्ती

126. डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्र/शिक्षक अनुपात

(डा. रघुवीर सिंह गौड़)

में अति विसंगति है? यदि हां, तो आवश्यक रूप से शिक्षकों के पद कब तक भर दिए जावेंगे?

(2) उक्त सभी विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों के पद कब तक भर दिये जावेंगे?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त क्षेत्र के 13 विद्यालयों में छात्र/शिक्षक अनुपात में पद कम आबंटित है। आवश्यकता वाले विद्यालयों में नये पद सृजित किये जाने पर ही इन विद्यालयों को पदों का आबंटन किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(2) शारीरिक शिक्षकों के पद पर नई नियुक्तियों की कार्यवाही की जा रही है।

जिला बाड़मेर के विद्यालयों में रिक्त पदों पर भर्ती

127. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रिंसिपल/प्रधानाध्यापक/व्याख्याताओं एवं वरिष्ठ अध्यापकों के कितने पद रिक्त हैं?

(2) क्या यह सही है कि उक्त रिक्त पदों को नहीं भरने से विद्यार्थियों का परिणाम अच्छा नहीं रहता है?

(3) अब उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में माध्यमिक शिक्षा के अधीन संचालित विद्यालयों में रिक्त पदों की स्थिति इस प्रकार से है:-

पदनाम	रिक्त पद
प्रिंसिपल	03
प्रधानाध्यापक	06
व्याख्याता	22
वरिष्ठ अध्यापक	17

(2) पदों के रिक्त रहने से परीक्षा परिणाम प्रभावित नहीं हो रहा है, विभाग द्वारा छात्रों के हितों को मध्यनजर रखते हुए वैकल्पिक शैक्षणिक व्यवस्था की जाकर अध्यापन कार्य कराया जाता है।

(3) रिक्त पदों को भरे जाने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले पदों हेतु अर्थनाएं आयोग को प्रस्तुत की जा चुकी हैं। डीपीसी से भरे जाने वाले पदों हेतु डीपीसी आयोजित करवाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। द्वितीय श्रेणी अध्यापकों के पद राजस्थान लोक सेवा आयोग की परिधि में आ जाने के कारण नियुक्ति आयोग के माध्यम से करवाई जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर के विरुद्ध पारित निन्दा प्रस्ताव

128. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर द्वारा स्थानान्तरणों में की गई अनियमितता के विरुद्ध जिला परिषद् की साधारण सभा द्वारा निन्दा प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है? क्या सरकार उक्त के आधार पर जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या उक्त प्रस्ताव की प्रति सरकार को प्राप्त की गई? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त होने पर विचार किया जावेगा।

(2) जी नहीं।

जिलेदारों की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति

129. श्री मोहनलाल बारूपाल(जायल): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1993 में जिलेदारों की नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति जारी की थी?

(2) क्या यह भी सही है कि दसवीं विधान सभा के ग्यारहवें सत्र में प्रश्न संख्या 978/सिंचाई/अता. दिनांक 5.2.1998 को पूछे गये प्रश्न के बिन्दु संख्या 6 में सरकार ने यह स्वीकार किया था कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28.7.1997 द्वारा नियमों में संशोधन के आदेश जारी किये जा चुके हैं और अब विभाग द्वारा नियुक्ति देने की कार्यवाही की जा रही है?

(3) क्या सरकार ने दिनांक 30 मई, 1993 की लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी है? यदि नहीं, तो 5 वर्ष की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त भी नियुक्ति नहीं देने के क्या कारण हैं?

(4) अब कब तक नियुक्ति आदेश जारी कर दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार के पत्रांक प. 15(11) सिंचाई/35/85 दिनांक 9.5.1994 द्वारा नियमों में संशोधन होने तक नियुक्ति पर रोक लगा दी गई थी। नियमों में संशोधन अधिसूचना दिनांक 28.7.1997 को जारी की गई। तदुपरान्त राज्य सरकार के पत्रांक प.1/14/सि./97 दिनांक 22.8.1998 द्वारा सीधी भर्ती के पदों पर रोक लगाने के कारण नियुक्ति देना सम्भव नहीं हुआ एवं राज्य सरकार के आदेश संख्या

(शिक्षा मंत्री)

एफ-1(10)सि/99 दिनांक 26.9.2001 द्वारा राजस्व संवर्ग में स्वीकृत पटवारी, जिलेदार एवं उपसमाहर्ताओं के सभी पद समाप्त कर कर्मचारियों को राजस्व मण्डल अजमेर में समायोजन कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में तथाकथित नियुक्ति देना सम्भव नहीं है।

(4) प्रश्न संख्या-3 में वर्णित स्थिति एवं पदों के अभाव में नियुक्ति सम्भव नहीं है।

जिला हनुमानगढ़ में स्काइट योजना हेतु प्रशिक्षण देने वाले व्यक्तियों को मानदेय

130. **श्री रामप्रताप** (हनुमानगढ़): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त विकास निगम ने स्काइट योजना के तहत जिला हनुमानगढ़ को वर्ष 1999 से 2002 तक कितने-कितने लक्ष्य दिये?

(2) उक्त अवधि में प्रति वर्ष किस किस गांव के कौन-कौने से व्यक्ति को प्रशिक्षण दिया गया? पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त व्यक्तियों के मानदेय का भुगतान कर दिया गया है? यदि हां, तो कब? क्या मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो उसके लिये कौन जिम्मेदार है और अब बकाया भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. द्वारा स्काइट योजनान्तर्गत जिला हनुमानगढ़ को वर्ष 1998-99 से दिसम्बर, 2002 तक निम्नानुसार लक्ष्य आबंटित किये गये:-

वर्ष	लक्ष्य
1998-99	220
1999-2000	812
2000-2001	350
2001-2002	300

विशेष केन्द्रीय सहायता से प्रशिक्षण व्यय पर प्रतिबन्ध होने के कारण वर्ष 2002-2003 से स्काइट योजना का क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है।

(2) वर्ष 1998-99 से 2001-2002 तक जिन व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया उनकी वर्षवार एवं ग्रामवार सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। वर्ष 1998-99, 2000-2001, 2001-2002 में चले प्रशिक्षण का समस्त भुगतान 849 लाभार्थियों का उसी वित्तीय वर्ष में कर दिया गया।

(समाज कल्याण मंत्री)

वर्ष 1999-2000 के 803 प्रशिक्षणार्थियों में से 437 प्रशिक्षणार्थियों को भुगतान उसी वित्तीय वर्ष में कर दिया गया। शेष 366 लाभार्थियों को भुगतान किया जाना शेष है। विशेष केन्द्रीय सहायता की राशि से प्रशिक्षण व्यय पर प्रतिबन्ध के कारण शेष भुगतान सम्भव नहीं है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम धिनोई (जयपुर) का पेंशन भुगतान प्रकरण

131. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि श्रीमती मीरा बुनकर निवासी ग्राम धिनोई, तहसील चौमूं जिला जयपुर को कोषाधिकारी जयपुर ग्रामीण के पेंशन भुगतान आदेश संख्या 071116 एल से 200/- रुपये प्रति माह की दर से विधवा पेंशन दिनांक 27.9.1999 से 26.9.2001 तक उप कोषाधिकारी चौमूं के मार्फत भुगतान किये जाने हेतु पेंशन भुगतान आदेश जारी किया गया था?

(2) क्या उक्त भुगतान हेतु आदेश क्रमांक कोष/जय/ओएपी/पेंशन 4379-81 दिनांक 19.6.2000 जारी किया जा चुका है? यदि हां, तो उक्त आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त पेंशनर को अब तक कितना-कितना भुगतान किस दर से कितनी अवधि तक का किया जा चुका है और उसके बाद का भुगतान किस कारण से क्यों नहीं किया गया? उक्त में कौन-कौन दोषी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कब तक की जावेगी?

(4) अब श्रीमती मीरा को उसकी शेष पेंशन राशि का भुगतान कब तक करा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) यह सही है कि श्रीमती मीरा बुनकर पत्नी श्री प्रभुदयाल बुनकर निवासी ग्राम घिनोई, तहसील चौमूं को पेंशन भुगतान आदेश सं. 071116 एल दिनांक 27.9.1999 को जारी किया गया था।

(2) जी हां। आदेश की प्रति परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(3) श्रीमती मीरा बुनकर पत्नी श्री प्रभुदयाल बुनकर ग्राम धिनोई तह. चौमूं को 27.9.1999 से 30.6.2000 तक राशि 1827/- का 200/- रुपये प्रतिमाह की दर से भुगतान 25.7.2000 को किया जा चुका है। राजकीय आदेश एफ.1(16)एफडी/नियम/93 दिनांक 7.7.1999 के अन्तर्गत पेंशनर से इस आशय की घोषणा लेने का प्रावधान था कि उनके 20 वर्ष या अधिक आयु का पुत्र है किन्तु वह उनका भरण-पोषण नहीं करता है एवं पेंशनर के पास कोई भी चल अथवा अचल सम्पत्ति नहीं है।

(समाज कल्याण मंत्री)

उक्त प्रावधान को राज्यादेश एफ.1(16) वित्त/निगम/93 दि. 7.6.2000 द्वारा समाप्त कर दिया गया। उक्त आदेशों के क्रम में विकास अधिकारी, पं.स. गोविन्दगढ़ के आदेश सं. 1676-1720 दिनांक 8.9.2000 द्वारा उक्त पेंशनर सहित कुल 170 पेंशनर्स की पेंशन निरस्त हुई। अत: इस प्रकरण में कोई दोषी नहीं है।

(4) श्रीमती मीरा को दिनांक 30.6.2000 तक की पेंशन का भुगतान किया जा चुका है। अत: अब पेंशन का भुगतान किया जाना शेष नहीं है।

(आदेश की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला अलवर में पिछड़ी जाति वित्त विकास निगम द्वारा ऋण वितरण

132. डा. करण सिंह यादव (बहरोड़): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पिछड़ी जाति वित्त विकास निगम द्वारा इसके गठन के बाद अब तक किन-किन क्षेत्रों में ऋण वितरित किया है?

(2) जिला अलवर के लाभार्थियों को ऋण कितना-कितना दिया है?

उत्तर

(1) निगम ने अपने गठन के पश्चात् अवधि ऋण योजनान्तर्गत (Term Loan) कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र, लघु व्यवसाय, सेवा क्षेत्र एवं परिवहन क्षेत्र में राज्य के विभिन्न जिलों में ऋण वितरण किया है।

(2) राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा गठन के पश्चात् अनुजा निगम कार्यालय के माध्यम से अलवर जिले के कुल 21 लाभार्थियों को रुपये 7,11,875/- का ऋण वितरण किया गया है। लाभार्थियों की सूची परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

जिला डूंगरपुर व बांसवाड़ा में आदिवासी वर्ग के निर्वाचित प्रतिनिधि

133. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला डूंगरपुर व बांसवाड़ा में जिलेवार सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख के कितने-कितने पद हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिलों में उक्त पदों पर कितने-कितने गैर आदिवासी व्यक्ति निर्वाचित हैं? नाम व जातिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त पदों पर आदिवासी वर्ग के कितने-कितने व्यक्ति निर्वाचित हैं? नाम व जाति के पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री देवीसिंह भाटी)

(4) केन्द्र सरकार द्वारा गठित भूरिया कमीशन की रिपोर्ट की क्रियान्विती में कितना समय लगेगा? कमीशन की रिपोर्ट का सार क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त जिलों में आदिवासियों व हरिजनों का जिलेवार कुल जनसंख्या का कितना-कितना प्रतिशत है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला डूंगरपुर व बांसवाड़ा में जिलेवार सरपंच, प्रधान व जिला प्रमुख के पद निम्नलिखित हैं:-

जिला	सरपंच	प्रधान	जिला प्रमुख
डूंगरपुर	237	5	1
बांसवाड़ा	325	8	1

जिलेवार सूची क्रमशः परिशिष्ट-1 व 2 पर संलग्न है।

(2) जिला डूंगरपुर व बांसवाड़ा में जिला प्रमुख, प्रधान पंचायत समिति एवं सरपंच ग्राम पंचायत के पदों पर कोई भी गैर आदिवासी निर्वाचित नहीं है।

(3) डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिलों में पंचायती राज संस्थाओं में समस्त प्रतिनिधि आदिवासी समुदाय से निर्वाचित हैं। दोनों जिलों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के नाम एवं जाति की सूची क्रमशः परिशिष्ट-1 एवं 2 पर संलग्न है।

(4) केन्द्र सरकार द्वारा गठित भूरिया कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 24 दिसम्बर, 1996 को पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण) अधिनियम, 1996 लागू किया गया, जिसकी अनुपालना में राजस्थान सरकार द्वारा राज. पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण) अधिनियम, 1999 लागू किया गया।

भूरिया कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में मुख्य रूप से निम्न सिफारिशें की हैं:-

1. अनुसूचित क्षेत्रों में नये पंचायती राज का स्वरूप इस प्रकार हो कि परम्परागत संस्थाओं की नींव पर आधुनिक ढांचा निर्मित हो।
2. जनतांत्रिक विकेन्द्रीकरण पर विचारते समय जनजाति क्षेत्र की मान्यताओं एवं संस्थाओं को ध्यान में रखा जावे।
3. जनजाति उप योजना एवं माडा क्षेत्र तथा ऐसे अन्य भाग जो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक में है, उन्हें भी अनुसूचित क्षेत्र अधिसूचना में शामिल किया जावे।
4. संविधान की पांचवीं अनुसूची में सहायता लेकर जनजाति क्षेत्रों में जिला स्तर पर स्वशासन प्रणाली लागू करने हेतु कानून एवं नियम तैयार किये जावें।

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

5. जनजाति सलाहकार मण्डल को सुधारने हेतु कार्यवाही की जाए एवं इसे क्रियाशील बनाया जाए एवं जनजाति विकास हेतु भारत सरकार को सलाह एवं सहायता देने हेतु पुनर्जीवित किया जावे।

6. अनुसूचित जनजाति सांसद एवं विधायक क्षेत्र, जिला एवं खण्ड स्तर पर जनजाति क्षेत्रों में जोड़े जाए।

7. जनजाति क्षेत्र की पंचायतों में बहुमत जनजाति सदस्यों का होवे तथा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष जनजाति के ही होवें। एक तिहाई पद महिलाओं हेतु आरक्षित रखे जावें।

8. जिला एवं खण्ड स्तर पर क्रमशः स्वाशासी जिला काउंसिल एवं उप जिला काउंसिल जनजाति जिलों में गठित हो और उन्हें छठी अनुसूची के अनुरूप प्रशासनिक एवं विधायी शक्तियां दी जावें।

9. परम्परागत वैधानिक संस्थाओं को मान्यता दी जावे।

10. जनजाति क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं की प्राथमिक इकाई के रूप में ग्राम सभा को मान्यता दी जावे जो जिला पंचायत, खण्ड पंचायत, ग्राम पंचायत के नीचे का चौथा स्तर बने।

यद्यपि विकास कार्यक्रम को तैयार करने एवं क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होगी। ग्राम सभा के पास शांति कायम रखने, विवादों का निपटारा करने एवं उसके क्षेत्र में स्थित समस्त संस्थाओं का निरीक्षण करने तथा ग्रामवासियों के दिन प्रतिदिन के जीवन से सम्बन्धित समस्त मामलों पर नियंत्रण की शक्ति होगी।

(5) वर्ष 1991 की जनसंख्या के अनुसार जिला डूंगरपुर की कुल जनसंख्या से आदिवासियों (अ.ज.जा.) की जनसंख्या प्रतिशत 65.85 एवं हरिजन (अ.जा.) जनसंख्या 4.61 प्रतिशत है। जिला बांसवाड़ा में आदिवासियों (अ.ज.जा.) का प्रतिशत 73.47 है जबकि अनुसूचित जाति की जनसंख्या 5 प्रतिशत है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला बाड़मेर के आयुर्वेदिक औषधालयों में रिक्त पद

134. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बाड़मेर के विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों में कितने आयुर्वेदिक औषधालय हैं? विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के औषधालयों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त औषधालयों में चिकित्सक/कम्पाउण्डर एवं अन्य कौन-कौन से पद रिक्त हैं?

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान में, बाड़मेर जिले के विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों में, संचालित विभागीय आयुर्वेद औषधालयों/चिकित्सालयों की संख्या निम्नप्रकार है:-

विधान सभा क्षेत्र	संख्या
बाड़मेर	9
पचपदरा	17
सिवाना	19
शिव	14
चौहटन	12
गुढ़ामलानी	17
योग	88

इसके अतिरिक्त जिले के लिये एक आयुर्वेद चल-चिकित्सा इकाई भी स्वीकृत है। विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में संचालित विभागीय आयुर्वेद औषधालयों की सूची परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) बाड़मेर जिले के विभागीय आयुर्वेद औषधालयों में रिक्त पदों की स्थिति निम्नप्रकार है:-

आयुर्वेद चिकित्सक	31 पद
नर्स/कम्पाउण्डर	7 पद
परिचायक	18 पद

विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में संचालित विभागीय आयुर्वेद औषधालयों में रिक्त पदों की स्थिति निम्नप्रकार है:-

आयुर्वेद चिकित्सक	दो पद
परिचायक	एक पद

नर्स/कम्पाउण्डर का कोई पद इस विधान सभा क्षेत्र में रिक्त नहीं है।

(3) जी हां। वित्तीय स्वीकृति के पश्चात् नई भर्ती होने पर सम्भव हो सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

राज्य में आन लाइन लाटरी का संचालन

135. श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : क्या अल्प बचत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य आनलाइन लाटरी संचालन की योजना है? यदि हां, तो कब से? उक्त के लिए तैयार नियमावली की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में एक बार लाटरी बन्द कर दिये जाने के बाद पुन: लॉटरी संचालन के क्या कारण हैं?

(3) क्या सरकार पूर्व की भांति लाटरी संचालन से उत्पन्न हुए दुष्परिणामों को दोहराने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में आन लाइन

(राज्य मंत्री, अल्प बचत)

लाटरी संचालन हेतु वांछित नियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है एवं राज्य में आन लाइन लाटरी शीघ्र ही संचालित करने की कार्यवाही प्रगति पर है। इस हेतु निविदाएं आमंत्रित करने की प्रक्रिया माह मार्च, 2003 के अन्त तक सुनिश्चित कर ली जायेगी।

(2) राज्य में पूर्व में संचालित पेपर लाटरी बन्द की गई थी। अब राज्य के राजस्व स्त्रोतों को बढ़ाने हेतु तथा सामाजिक सुरक्षा योजना को व्यापक करने हेतु आन लाइन लाटरी का संचालन किया जाना प्रस्तावित है।

(3) जी नहीं। आन लाइन लाटरी से दुष्परिणामों के उत्पन्न होने की सम्भावना नहीं हैं।

पंजीकृत चिटफण्ड कम्पनियों में सरकार का अंश

136. श्री जसवन्त सिंह गुर्जर (बाड़ी): क्या अल्प बचत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अल्प बचत विभाग चिटफण्ड का कार्य कर रहा है? यदि हां, तो उक्त योजना का क्या–क्या कार्य है?

(2) गत दो वर्षों में चिटफण्ड योजना में किस–किस कम्पनी का पंजीकरण/नियमन किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना के तहत की गई पंजीकृत कम्पनियों का क्या–क्या कार्य होता है? क्या इनके कार्यों में सरकार का भी अंशदान है? यदि हां, तो कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त योजना में लक्की ड्रा/इनामी योजनाएं की जाती हैं? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो क्या–क्या? उक्त पंजीकृत कम्पनियों क्या लक्की ड्रा, इनामी योजना कर रही हैं? यदि हां, तो किस नियम के तहत? प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अल्प बचत विभाग में चिट संचालनकर्ता फोरमेन द्वारा प्रस्तुत किये गये चिट फण्ड के प्रस्तावों को चिटफण्ड अधिनियम, 1982 व चिटफण्ड (राजस्थान) नियम, 1989 के अन्तर्गत पंजीकृत कर चिट संचालन की स्वीकृति प्रदान की जाती है। चिट फण्ड योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य चिट अनुबन्ध में वर्णित सदस्यों द्वारा जरूरतमंद सदस्य को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।

(2) चिटफण्ड अधिनियम 1982 व चिटफण्ड (राजस्थान) नियम, 1989 के अन्तर्गत कम्पनी का पंजीकरण नहीं किया जाता है, जबकि फोरमेन द्वारा प्रस्तावित योजनाओं का चिट अनुबन्ध के आधार पर पंजीयन किया जाता है। गत दो वर्षों में पंजीकृत योजनाओं की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, अल्प बचत)

(3) पंजीकृत योजनाओं में फोरमेन द्वारा सदस्यों से सामयिक किस्तें प्राप्त कर उनको रसीद जारी की जाती हैं तथा सामयिक अन्तराल पर प्राप्त धन को प्रत्येक सदस्य चिट अनुबन्ध में निर्धारित विधि से प्राप्त करता है। इन योजनाओं में सरकार का कोई अंशदान नहीं होता है।

(4) जी नहीं। क्योंकि लक्की ड्रा/इनामी योजनाओं पर इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबन्दी) अधिनियम 1978 के द्वारा सम्पूर्ण भारत में रोक का प्रावधान है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

(12.00 बजे)

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री सांवर लाल, सदस्य की ओर से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य की ओर से अकाल के कारण पाली शहर के वार्ड नम्बर-17 एवं 18 के वासियों का पलायन होने के सम्बन्ध में। यह एडजोर्नमैंट है।

(3) श्री हरीश चन्द कुमावत, सदस्य की ओर से तहसील नावां के विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में अध्यापक नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव के विषय नहीं हैं। अत: स्थगन प्रस्ताव के रूप में अनुमति देने में असमर्थ हूं। राज्य सरकार की ओर से जानकारी प्राप्त होने पर माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा दी जाएगी।

(4) श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं पांच अन्य सदस्यों की ओर से राज्य की विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा घटिया ट्रांसफार्मर क्रय करने से हुए नुकसान के सम्बन्ध में।

उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर माननीय सदस्य को दो मिनट बोलने की अनुमति देने पर विचार किया जाएगा।

(12.02 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष : (1) श्री गोवर्द्धन कल्ला, सदस्य की ओर से जिला-जैसलमेर में ओलावृष्टि से पशुओं एवं फसलों को हुए नुकसान के सम्बन्ध में।

(2) श्री प्रताप सिंह सिंघवी, सदस्य की ओर से जिला-बारां में ओलावृष्टि एवं वर्षा से फसल को हुए नुकसान का मुआवजा दिलवाने के सम्बन्ध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

(3) श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य की ओर से राज्य में कच्ची बस्ती के कब्जेधारियों को पट्टे देने के उपरान्त भी उनको वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) मोहम्मद माहिर आजाद, सदस्य की ओर से कामां के राजकीय विद्यालयों में विगत 8 वर्षों से कार्यरत 70 उर्दू शिक्षाकर्मियों को स्थाई करने के सम्बन्ध में।

(5) डा. रघुवीर सिंह गौड़, सदस्य की ओर से कतिपय समाजकंटकों द्वारा जाति बाहर करने की धमकी देकर 63 हजार रुपये वसूल कर लिये जाने की घटना के सम्बन्ध में।

(6) श्री आत्माराम मेघवाल, सदस्य की ओर से पंचायत समिति देसूरी में रिक्त पड़े पदों के सम्बन्ध में।

(7) श्री रमेश खींची, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कठूमर के ग्राम पीरू का नगला के राजीव गांधी पाठशाला का भवन बनाये जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री जसवन्त सिंह गुर्जर, सदस्य की ओर से जयपुर–कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग–12 पर टोल टैक्स वसूल करने के सम्बन्ध में।

श्री गोवर्द्धन कल्ला।

नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

जिला जैसलमेर में ओलावृष्टि से क्षति

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत जिला जैसलमेर में ओलावृष्टि से पशुओं एवं खड़ी फसल को हुई हानि से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख के जरिए निवेदन करना चाहता हूं।

जिला जैसलमेर में भयंकर अकाल की स्थिति है, जिसमें घास के अभाव में पशु, विशेष कर भेड़–बकरी कमजोर हालत में है तथा नहरी क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर में पानी की कमी के बावजूद काश्तकारों ने कुछ भूमि पर जीरे की फसल बोई थी। दिनांक 17–18 फरवरी को जैसलमेर में भयंकर तूफान आया तथा मामूली वर्षा के साथ तीन इंच के ओले पड़े जिससे कमजोर भेड़–बकरी ओलावृष्टि तथा ठंडी हवाओं के कारण मर गई तथा जीरे की खड़ी फसल उखड़ कर गिर गई। जिन काश्तकारों ने अकाल की स्थिति में कर्ज लेकर बुवाई की थी वे बरबाद हो गये। जिला प्रशासन को सर्वे करने का निवेदन किया था, परन्तु पटवारी तहसीलदारों ने रिपोर्ट नहीं दी।

अत: माननीय राहत मंत्रीजी से निवेदन है कि अकालग्रस्त काश्तकारों व पशुपालकों को हुई हानि का सर्वे करवा कर मुआवजा दिलवाने की स्वीकृति प्रदान करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रताप सिंहजी।

जिला बारां में ओलावृष्टि से क्षति

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिए निवेदन करना चाहता हूं कि बारां जिला मुख्यालय सहित पूरे जिले में दिनांक 18 फरवरी के बाद अचानक मौसम के बदलाव के कारण पूरे जिले में मूसलाधार वर्षा व ओलावृष्टि, तेज हवा के कारण भीषण अकाल की मार झेल रहे किसानों की बची-खुची उम्मीदों पर भी पानी फिर गया है। पूरे जिले सहित छबड़ा, छीपाबड़ौद क्षेत्र में अफीम, धनिया, सरसों, चना, गेहूं आदि फसलों में काफी नुकसान हुआ है। इस वर्षा से किसानों के खेतों में खड़ी फसलें तथा खलिहानों में रखी फसलें भी पूर्णरूप से चौपट हो गई हैं। इसलिए मेरी राज्य सरकार से मांग है कि छबड़ा-छीपाबड़ौद सहित पूरे जिले में तुरन्त गिरदावरी करवाकर किसानों को अविलम्ब मुआवजा दिलाया जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला जो दोनों माननीय सदस्यों ने उठाया है, पूरे राजस्थान में भयंकर रूप से जो तूफान आया है, अकाल से पीड़ित हैं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : माननीय एक मिनट, अमरारामजी।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसान पहले ही अकाल से पीड़ित हैं और जो तूफान अभी आया है, एक महीने पहले आया और अभी लगातार जो तूफान आया है, जिससे पक्के मकान की छतें तक गिर गई हैं तो...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपकी तीन और चार तारीख को बहस है न इस पर, बोल लेना आप।

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जब तक सर्वे के लिए आदेश नहीं देगी सरकार...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सरकार जवाब दे देगी उस रोज।

श्री अमराराम (धोद) : और गिरदावरी नहीं, जवाब नहीं...

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गिरदावरी...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप प्लीज, माननीय सदस्य, बिराजिए। बिराजिए प्लीज।

श्री अमराराम (धोद) : इस अकाल में जहां किसानों की खड़ी फसल तबाह हो गई।

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री अमराराम (धोद) : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पूरा करिये। आज समय का अभाव है, मेहरबानी करके इस हाउस को चलने दीजिए। यह बात आप तीन और चार तारीख को उठा लेना, सरकार जवाब दे देगी। बिराजिए-बिराजिए आप।

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : वह सब व्यवस्था करवाएंगे। फिर आओ न आप।

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए आप।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ×××

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा नहीं होगा। आप बोले जा रहे हो।

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुझे मजबूर मत कीजिए, प्लीज, आप बिराजिए।

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : जब वह कह रहे हैं कि तीन और चार तारीख को बहस है, इस पर आपको बोलने दिया जाएगा फिर क्या बात है। आपको पूरा मौका देंगे बोलने का।

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : ऐसे बोलने से काम नहीं चलता। आप कोई तरीके से लाइये। कोई सूचना दीजिए। कुछ तो दीजिए। जो मन आ गया बोल रहे हो।

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए, प्लीज।

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप भी दे देते, हमने कहां मना किया आपको?

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप प्लीज बिराजिए। अंकित मत करिये। आप पूरा करिये। मेहरबानी करके समय का ध्यान रखें, कृपा करिये। श्री ज्ञानचन्द जी।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : कोई सुनने का सवाल ही नहीं है आज।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। श्री ज्ञानचन्दजी।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ×××

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ×××

श्री सांवर लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानचन्दजी।

श्री भाणजी : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानचन्दजी।

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए, समझ ही नहीं रहे हैं।

श्री सांवर लाल : ×××

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री भाणजी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए।

श्री सांवर लाल : ×××

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। चलने दीजिए। माननीय ज्ञानदेवजी करिये, आप बोलिये। आप बिराजिए प्लीज।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ×××

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री सांवर लाल : ×××

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये प्लीज। कह दिया न। श्री ज्ञानचन्दजी।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : मैं आसन से यह निर्देश दे रहा हूं कि तीन–चार तारीख को इस पर बहस होगी, सरकार जवाब देगी तब कह देना उस समय।

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री सांवर लाल : ×××

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (अकाल सहायता मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में कई माननीय सदस्यों ने तूफान से फसलों के नष्ट होने का जिक्र किया है, पशुओं का भी जिक्र आया है, फसल के नुकसान होने का भी जिक्र आया है। माननीय सदस्यों ने कहा है कि भारत सरकार को भी...(व्यवधान) आप बिराजो तो सही कोई सुई चुभ रही है क्या? भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि भारत सरकार को चिट्ठी लिखी जानी चाहिये। मैं तो पचासों चिट्ठियां लिख चुका हूं, आप कहेंगे तो और लिख दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप दिलवा तो दीजिये पैसा। पहले का ही फैसला नहीं कर पायी भारत

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

सरकार। मैं तो सारी चिट्ठियां लिख दूंगा लेकिन जिम्मेदारी, भारत सरकार आपकी है, पैसा दिलवाये।

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : 528 करोड़ रुपये चाहिये केवल 115 करोड़ रुपये...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अभी चार तारीख का सुन लेना।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : कृषि मंत्री बोल रहे हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई (कृषि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में तीन-चार साल से अकाल है। इस बार थोड़ी बहुत फसल हुई थी। सर्दियों में बरसात तो होनी चाहिये थी और बरसात होने से और कुछ ज्यादा हवा चलने से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। और यह बात सही है कि जीरे की फसल का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : अफीम का भी नाम लें। अफीम में पैसों का कोई मतलब नहीं है। अफीम में रूल्स में रिलेक्सेशन चेंज करके जैसे 52 किलो पर हैक्टेयर में पट्टा देते हैं, उसकी जगह आप रिकमण्ड करें।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : रूल्स में परिवर्तन करने का अधिकार राजस्थान सरकार को नहीं है। भारत सरकार...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : लिख तो सकते हैं कि राजस्थान में ओलावृष्टि हुई है। राजस्थान में अफीम की फसल खतम हुई है। लिख तो सकते हैं कि रूल्स में रिलेक्सेशन करो। 52 किलो हैक्टेयर की जगह 48 किलो हैक्टेयर में पट्टे दो।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह मात्रा भारत सरकार ने निर्धारित कर रखी है राजस्थान सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : इसमें पैसा कहां बीच में आ गया साहब। 500 करोड़ दिये हैं, 1400 करोड़ दिये हैं, इसमें पैसा कहां बीच में आ गया?

श्री उपाध्यक्ष : सब सही आप ही कहते हो, वह कहते हैं जो सब गलत है। आप सुनना ही नहीं चाहते हो। उन्होंने कहा मंत्रीजी को बुलाओ, मंत्रीजी बोल रहे हैं, तो सुनना नहीं चाहते। कोई बात हुई क्या?

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

मतलब नहीं है। अफीम में रूल्स में रिलेक्सेशन चेंज करके जैसे 52 किलो पर हैक्टेयर में पट्टा देते हैं, उसकी जगह आप रिकमण्ड करें।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : रूल्स में परिवर्तन करने का अधिकार राजस्थान सरकार को नहीं है। भारत सरकार...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : लिख तो सकते हैं कि राजस्थान में ओलावृष्टि हुई है। राजस्थान में अफीम की फसल खतम हुई है। लिख तो सकते हैं कि रूल्स में रिलेक्सेशन करो। 52 किलो हैक्टेयर की जगह 48 किलो हैक्टेयर में पट्टे दो।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह मात्रा भारत सरकार ने निर्धारित कर रखी है. राजस्थान सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : इसमें पैसा कहां बीच में आ गया साहब। 500 करोड़ दिये हैं, 1400 करोड़ दिये हैं, इसमें पैसा कहां बीच में आ गया?

श्री उपाध्यक्ष : सब सही आप ही कहते हो, वह कहते हैं जो सब गलत है। आप सुनना ही नहीं चाहते हो। उन्होंने कहा मंत्रीजी को बुलाओ, मंत्रीजी बोल रहे हैं, तो सुनना नहीं चाहते। कोई बात हुई क्या?

श्री रामसिंह विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात माननीय सदस्य की सही है कि काफी नुकसान हुआ है। यह केवल राजस्थान सरकार के बूते की बात नहीं कि किसानों की क्षतिपूर्ति की जा सके। लेकिन किसानों को जो नुकसान हुआ है, और अगर सदन को विश्वास है कि हमारे आकलन से या जितना सदन को नुकसान हुआ है उसमें राजस्थान सरकार कुछ देने की स्थिति में है या नहीं और अगर हम लिखते हैं तो भारत सरकार कुछ देने की स्थिति में है या नहीं, यह बातें जब तक नहीं होतीं, तब तक बार-बार मांगना ठीक नहीं होता है। यह बात सब जानते हैं कि जीरे, अफीम और इसबगोल पर ज्यादा असर हुआ है और इसमें किसान को राहत मिलनी चाहिये। फसल का बीमा भी होना चाहिये। मामला मांगने से नहीं होता है। केवल वाहवाही लूटने के लिये बोलने से कुछ नहीं होता। सरकार की हालत तो आप जानते हैं कि बिगौरी माफ कर दी, जो बिगौरी आती है वह माफ कर दी किसानों की। आज किसान, जो कुएं हैं वह ही बिना बिल के चला रहे हैं। कुल-मिलाकर किसानों की सहायता करने में सरकार कोई कसर नहीं रखती है। लेकिन हकीकत यह है कि किसानों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। और जब तक किसानों की स्थिति में सुधार नहीं होगा या सरकार की ओर से या भारत सरकार कोई सहयोग नहीं करती है, किसानों की फसल को फायदा पहुंचाने का माइंड होना चाहिये। जहां 80 प्रतिशत लोग खेती करते हैं वहां पर एक रत्ती भर भी फण्ड नहीं, कोई पैसे नहीं। भारत सरकार चिन्तित

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

नहीं और आप यूं ही बोलते जाते हो। मामला यह नहीं है, मामला यह है कि आखिर सदन का फर्ज बनता है इतने बड़े वर्ग के अन्दर अगर असंतोष है। अपन चाहे जैसे नहीं कर सकते तो मैं समझता हूं यह अपने लिये कोई हित की बात नहीं है। किसान का नुकसान होने के बाद सरकार को चिन्तित होना चाहिये, सरकार चिन्तित ही नहीं है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : मेरी बात सुनना साहब। अमराराम जी, आप बैठ जाओ, अफीम का मामला है।

श्री रामसिंह विश्नोई : आप बोल जाते हो, समझ ही नहीं है कि क्या बात बोलते हो। बिना मतलब की बात आप बोल जाते हो।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : आप बैठ जाओ। आप समझते ही नहीं हो अफीम के मामले में, बीच में बोल रहे हो। मेरा कहने का मतलब यह है कि अफीम की फसल में चीरा लग चुका है और 18 तारीख को ओलावृष्टि और बरसात हुई, उससे अफीम धुल गयी। अब अफीम का जो पट्टा मिलता है किसान को, वह 52 किलो हैक्टेयर पर मिलता है। 52 किलो एक हैक्टेयर पर अफीम दिलाओ तो पट्टा मिलता है। अब एक बार चीरा लग गया तो कम से कम डेढ़–दो किलो अफीम बुझ गयी बरसात और ओलों से तो 52 किलो एक हैक्टेयर में पूरा नहीं होगा तो उसका पट्टा टूट जायेगा। इसमें तो पैसा कहीं लेना–देना नहीं आ रहा है। मैं यह मांग कर रहा हूं कि यहां से राजस्थान सरकार एक चिट्ठी लिखे कि अफीम की फसल को 18 तारीख को ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है तो रूल्स में रिलक्सेशन करके 52 किलो की जगह 48 किलो पर हैक्टेयर पर अफीम का पट्टा दिया जाये। मेरी यह मांग है इसमें पैसा कहां बीच में आ रहा है। यहां 1400–1500 करोड़ कहां बीच में आ रहे हैं। यह मेरी मांग है और यह वाजिब मांग है। मंत्रीजी इस मामले में कुछ नहीं कहते हैं तो इनको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आग लगने दो इनके, यह हटाओ। इसके खिलाफ मैं वाकआउट करता हूं।

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी, माननीय सदस्य द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानचन्द जी बोलिये। हो गयी न बिराजिये अब तो। (व्यवधान) बात खतम हो गयी।

श्री मदन दिलावर : माननीय सदस्य, और हम इस बात से काफी व्यथित हैं कि सम्पूर्ण हाड़ौती में अफीम की फसल में बहुत नुकसान हुआ है और किसान आत्महत्या कर लेंगे यदि यह स्थिति रही तो।

श्री सांवर लाल : राजस्थान सरकार नहीं लिख सकती क्या?

श्री मदन दिलावर : अकाल की मार

श्री रामनारायण चौधरी (विद्युत मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रामनारायण चौधरी (ऊर्जा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर। माननीय सदस्य ने वहां अपनी बात कह कर उनके हाथ में कोई कागज था उसको "ऐसा नहीं होता तो मैं यह करता हूं" और उसको आपकी तरफ फैंक दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : यह पूरे सदन का और, उपाध्यक्ष महोदय, आसन का अपमान है। यह गलत परम्परा है और आपको ऐसे माननीय सदस्यों को प्रताड़ना देनी चाहिए।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, आपका तो इस आसन पर कोई अपमान नहीं है, माननीय सदस्य की भावना को ठेस पहुंची है। केवल एक चिट्ठी ही लिखनी है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ऐसे, उपाध्यक्ष महोदय, की तरफ कागज नहीं फैंके हैं। सरकार के माथे पर फैंका है।

श्री अमराराम (धोद) : आपके मंत्री महोदय कह रहे हैं कि किसानों के प्रति सरकार चिंतित नहीं है।

श्री सांवर लाल : भारत सरकार ने तय कर रखी है उतना उत्पादन खेती में नहीं होगा। उस कानून में रिलेक्सेशन के लिए यह सरकार चिट्ठी ही नहीं लिख सकती। उपाध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा संवेदनहीनता क्या हो सकती है? उल्टा-सीधा घुमा कर जवाब दे रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद) : सरकार चिट्ठी लिखने के लिए तैयार नहीं है। आपके मंत्रीजी कह रहे हैं कि जब तक केन्द्र सरकार आश्वासन नहीं देती तब तक आकलन भी नहीं करायेंगे, इससे बड़ी शर्म की बात इस सरकार के लिए हो नहीं सकती।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : एक सैकण्ड मेरी बात सुनने का कष्ट करें।

श्री सांवर लाल : केन्द्र सरकार तो प्राकृतिक आपदा कोष में...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : और सरकार उसके हितों के प्रति चिंतित नहीं है, इससे बड़ी शर्म की बात सरकार के लिए नहीं हो सकती जो आकलन कराने के लिए तैयार नहीं है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : एक मिनट मेरी बात सुन लीजिये, उससे स्थिति स्पष्ट हो जायेगी।

जहां तक अफीम में नुकसान होने का सवाल है, उपाध्यक्ष महोदय, जिस काश्तकार को नुकसान हुआ है उसके जिले का ओपियम अधिकारी नियुक्त है, उसको दरखास्त देनी पड़ती है। सुन लीजिये, धैर्य रखिये, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं और आप भी कहीं नहीं जा रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, नहीं, सुनाओ।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : नियमों का पालन करना पड़ता है। राजस्थान सरकार द्वारा चिट्ठी तो लिख दी जायेगी, हमें आपत्ति नहीं है लेकिन काश्तकार जब तक जिला अफीम अधिकारी को इस बात की सूचना नहीं देगा कि मेरी फसल का नुकसान हो गया और वह सर्वे करके भारत सरकार को रिपोर्ट नहीं भेजेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : पर आप चिट्ठी तो लिख देंगे न, साहब।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप किसानों को कहिये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : किसानों ने तो एप्लीकेशन दे दी अफीम डिपार्टमेंट को।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा है उसमें राजस्थान सरकार कम नहीं कर सकती।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : नहीं, आप तो चिट्ठी लिखेंगे अपनी तरफ से भारत सरकार को?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : चिट्ठी जिला अफीम अधिकारी की जांच के बाद ही लिखी जा सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, माननीय सदस्य।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : नहीं, आप कैसे नहीं भेज सकते हो? आप पटवारी से गिरदावरी करा सकते हो...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : उपाध्यक्ष महोदय, 1995-96 में पट्टे मिले हैं पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर।

श्री अमराराम (धोद) : मंत्रीजी, अफीम में तो जरूरी है लेकिन जीरे में तो कोई जरूरत नहीं है, गेहूं में तो जरूरत नहीं है। आकलन कराने में ही आपको एतराज है। आपके मंत्रीजी कह रहे हैं सरकार इसके लिए चिंतित नहीं है, सरकार को चिंता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : अमराराम जी, आप बैठो। मैं करता हूं बात, आप सुनो न आगे बात।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सरकार को चिंता है और सरकार इस सम्बन्ध में करेगी।

श्री अमराराम (धोद) : ...कि केन्द्र की सरकार को न राजस्थान की सरकार को चिंता है। करोड़ों रुपये की जीरे की फसल नष्ट हो गयी, करोड़ों रुपये की गेहूं की फसल नष्ट हो गयी, पक्के मकान की छतें उड़ गयीं वहां। आप बताइये कि फसल बच सकती है क्या?

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, किसानों की चिंता नहीं है सरकार को।

श्री रामसिंह विश्नोई : आप पूरी बात सुने बगैर कैसे समझ लेते हो कि कोई चिंतित नहीं है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री रामसिंह विश्नोई : आप मेरी बात को पूरी नहीं सुनोगे तब तक कौन चिंतित है, कौन चिंतित नहीं है यह कैसे मालूम पड़ेगा आपको? मैंने कहा काहे की बात करते हो, आप यों ही +++ बोलते रहते हो।

श्री अमराराम (धोद) : आप कह रहे हो यहां बात करने से अर्थ ही नहीं है।

श्री रामसिंह विश्नोई : कोई माननीय सदस्य बोलता है तो 20-20 आदमी आप खड़े हो जाते हो।

श्री अमराराम (धोद) : आपने ही कहा है।

श्री रामसिंह विश्नोई : मैंने कहा है तो मैं जवाब दूंगा उसका, मेरी बात तो सुनें।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर +++ बोलने कौन आता है, यह बताइये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय। माननीय सांवर लालजी। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : मंत्रीजी, +++ आप बोल रहे हो। कोष बनाया है इसलिए। आप जनता को गुमराह कर रहे हो। भारत सरकार का नियमित पैसा मिलता है, प्राकृति आपदा कोष बनाया हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि उसी कोष से आपको सारी व्यवस्थाएं करनी है। आपको इतना पैसा लेने के बाद भी किसानों के लिए एक रुपया किसी भी प्राकृतिक आपदा में देते ही जोर आता है और वह बात करते ही आपको तकलीफ होती है।

श्री रामसिंह विश्नोई : काहे की तकलीफ होती है?

श्री सांवर लाल : आपको काहे के लिए प्राकृतिक आपदा कोष में पैसा दिया हुआ है, यह बता दीजिये मुझे। यह मंत्रीजी बैठे हैं, इलेवन्थ फाइनेंस कमीशन टैन्थ फाइनेंस कमीशन उसके बाद प्राकृतिक आपदा कोष बनाया, किस परपज से बनाया? ...(व्यवधान) आप किसलिए बैठे हो यहां?

श्री रामसिंह विश्नोई : आप सुनोगे या नहीं?

श्री सांवर लाल : यह बार-बार भारत सरकार देगी तब दोगे आप। आपने घोषणा पत्र में छपवाया, उसमें लिखा प्राकृतिक आपदा से किसानों की फसल नष्ट हो जायेगी हम मुआवजा देंगे, बी.जे.पी. वाले सहायता देते हैं। क्या दे दिया आपने आज तक? बात करते हैं कि भारत सरकार नहीं देती है। उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने नाइन्थ फाइनेंस कमीशन में यह व्यवस्था कर रखी है पूरे हिन्दुस्तान में और राजस्थान को प्राकृतिक आपदा कोष में सबसे ज्यादा

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री सांवर लाल)

पैसा मिला है। 11 वें फाइनेंस कमीशन में। किसान की बात आते ही बारबार कहते हैं भारत सरकार...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य मुझे यह बताइये नेशनल कैलेमिटी कंटिंजेंसी फण्ड...(व्यवधान) और यह फण्ड बनाया क्यों गया भारत सरकार के स्तर पर?

डा. बी. डी. कल्ला : क्या उस पैसे से राजस्थान के अकाल का सामना कर सकते हैं?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : नेशनल कैलेमिटी कंटिंजेंसी फण्ड क्यों बना?

श्री सांवर लाल : नेशनल कैलेमिटी फण्ड से ज्यादा पैसा आपको मिल गया। 30 लाख टन गेहूं का आबंटन हो गया। 5 लाख टन बाकी है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : कुछ नहीं दिया...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : भारत सरकार ने हमेशा किसानों के साथ भेदभाव किया है।

श्री सांवर लाल : किसान की समस्या आते ही आपको तकलीफ होती है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह जो मिला है यह पैसा...

श्री सोहन नायक : भारत सरकार ने किसानों को बरबाद किया है, डीजल के भाव बढ़ाये हैं।

एक माननीय सदस्य : भारत सरकार राजस्थान के किसानों के हितों का ध्यान नहीं रख रही है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : नैशनल कैलेमिटी फण्ड से एक पैसा नहीं मिला है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये माननीय सदस्य, एक मिनट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, कोई लम्बा विवाद नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये न, विवाद समाप्त करते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इस सरकार ने आज एक प्रश्न के उत्तर में माना है कि उन्होंने प्राकृतिक आपदा कोष स्थापित कर रखा है। मंत्रीजी, सुन लो।

श्री उपाध्यक्ष : यह सब जानते हैं, आप बिराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आज का आपका सवाल है और उसमें लिखा है कि लघु सीमान्त किसानों को 2500 रुपये प्रति हैक्टेयर और एक हजार प्रति हैक्टेयर...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह सब जानते हैं, क्यों फालतू समय जाया कर रहे हो आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जहां वर्षा नहीं हुई, उनको दी जाने की व्यवस्था की गयी है। यह आपका उत्तर है।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, आप बिराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि अफीम की खेती समाप्त हो गयी, उसमें अगर यह खुद सर्वे कराकर... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हां, आप बिराजिये तो सही, मैं करता हूं व्यवस्था।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कोई तो घोषणा करें किसानों के लिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये तो सही।

मंत्री महोदय, बहुत सरल बात है। यह इतना-सा कह रहे हैं कि जो नुकसान हुआ है उसके लिए आप गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया को कैलेमिटी फण्ड से पैसा देने के लिए लिख दीजिये। जो अफीम अधिकारी है उसकी रिपोर्ट मंगवा लीजिये कि कितना नुकसान हुआ है। उसके आधार पर चिट्ठी लिख दीजिये।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, जब तक काश्तकार जिला अफीम अधिकारी को अपनी रिपोर्ट नहीं देगा...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : काश्तकारों ने जिला अफीम अधिकारी को चिट्ठी लिख दी, प्रार्थना-पत्र लिख दिये।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष : सिंघवीजी, इतना उत्तेजित मत होइये।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जब तक काश्तकारों की ओर से जिला अफीम अधिकारी को यह प्रार्थना-पत्र नहीं दिया जायेगा कि मेरी फसल को नुकसान हुआ हैं, इस कारण से नुकसान हुआ है और वह कोई असैसमैंट नहीं करेगा तब तक मैं रिपोर्ट कैसे भेजूंगा?

श्री उपाध्यक्ष : ठीक बात है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप खुद अपने आप जांच करा लें।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जिला अफीम अधिकारी हमारे कहने से नहीं करेगा, काश्तकारों को दरखास्त देनी पड़ेगी।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : काश्तकारों ने तो लिख दी, आप जांच कराओ। आप अपने पटवारी, कलेक्टर से कराओ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रताप सिंहजी, बिराजिये आप। आप मेरी बात सुनो पहले।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार गांवों में क्यों बैठा रखे हैं? पटवारी रिपोर्ट क्यों नहीं करता? गांव में एस.डी.एम. बैठा है, वह गांव में क्या कर रहे हैं, झक मार रहे हैं क्या?

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट आप बिराजिये। आप मेरी बात सुनो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपकी सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। हम रिपोर्ट क्यों करवाएं? आपके पटवारी क्या कर रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। माननीय प्रतात सिंहजी, ऐसा नहीं है कि अफीम की खेती आपके यहां पर ही होती है, हमारे यहां भी होती है, हम भी समझते हैं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : हां, आपके यहां भी होती है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, इसीलिए दर्द है, इसीलिए तो हम आपकी प्रशंसा करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो, मैं बताता हूं।

उसका नियम यह है कि जब तक अफीम अधिकारी उस फसल के नुकसान का जायजा लेकर रिपोर्ट नहीं करेगा तब तक न तो यह कर सकते हैं, न भारत सरकार कर सकती। रिपोर्ट अगर सही कर दी तो उसको अगली बार वह पट्टा भी नहीं मिलेगा। आ गयी आपकी समझ में?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : बिलकुल ठीक है, साहब। मैं बताता हूं। एक मिनट मेरी बात सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष : सुनिये, मेरी बात सुनिये।

इसलिए मेहरबानी करके मंत्रीजी ने कहा है, सीधी-सी बात है, उसकी रिपोर्ट मंगा करके उसके आधार पर जितना नुकसान हुआ है उसकी भारत सरकार को चिट्ठी लिख दें।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : एक मिनट मेरी बात सुननी पड़ेगी, उपाध्यक्ष महोदय। प्लीज एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : अब क्या चाहिए?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : 1993-94 में ओलावृष्टि हुई, कलेक्टर और पटवारी की गिरदावरी रिपोर्ट पर अफीम डिपार्टमेंट ने पट्टे बांटे और कई गांव तोड़ दिये थे। उनको पट्टे दिये कि नहीं दिये? तो आपने 1993-94 में कैसे करवायी?

श्री उपाध्यक्ष : वह तो जब ही देंगे जब अफीम अधिकारी अलाउ करेगा।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : उस समय आर.एस. गठाला कलेक्टर बारां थे। उन्होंने गिरदावरी करवायी और पट्टे दिये।

श्री सांवर लाल : इनको किसानों की चिंता नहीं है, साहब।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मुझे इस बात की जानकारी देंगे किस-किस जिले में ओलावृष्टि से अफीम की फसल नष्ट हुई है, मैं कलेक्टर को निर्देश दूंगा कि वे जिला अफीम अधिकारी से चर्चा करके नुकसान का जायजा करें।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : थैंक्यू। छबड़ा, छीपाबड़ौद और अटरू में भयंकर नुकसान

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

हुआ है, आपको यह जानकारी दे दी है। मैं लिख कर और दे दूंगा आपको।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अब लाइन पर आये न।

श्री उपाध्यक्ष : अब तो शांति हो गयी। ज्ञानचन्दजी, बोलिये।

श्री सांवर लाल : सही जवाब पर अब आये मंत्रीजी।

श्री उपाध्यक्ष : इतनी-सी बात है, एक घंटा लगा दिया।

श्री रामसिंह विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर मामला है और एक बार कोई सर्वे होने के बाद और यह मालूम हो जाए कि इतना नुकसान हुआ है और फिर क्या आप देने की स्थिति में हैं क्या? मामला यह है कि आप इतना सर्वे करो, इतनी एक्सरसाइज करो कि पूरे प्रदेश के अन्दर कहां-कहां कितना-कितना नुकसान हुआ। अफीम में कितना हुआ, रायड़ा में कितना हुआ, जीरे में कितना हुआ। फिर करोड़ों रुपये का नुकसान हो जाए, फिर आप देने की स्थिति में हो क्या?

श्री उपाध्यक्ष : देने की स्थिति का सवाल नहीं है यहां।

श्री रामसिंह विश्नोई : मामला यह नहीं है, मामला मैं आपको बताता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह किस से पूछ रहे हैं? आप किस से सवाल पूछ रहे हैं। यह कैसी सरकार है? सरकार के मंत्री आसन से पूछ रहे हैं। आप हैं क्या?

श्री सांवर लाल : यह गवर्नमेंट का मामला है, सहायता मंत्रीजी से बात हो गयी आप बिराज जाइये अब।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : किसानों को तो देना पड़ेगा आपको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह कैसी सरकार है? यह क्या मजाक है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री अमराराम (धोद) : आप आकलन तो कीजिये, सरकार उस पर विचार करेगी।

श्री सांवर लाल : सुन ली हमने उनकी बात। उपाध्यक्ष महोदय, यह बीच में क्या पंचायत शुरू हो गयी? आपकी सुनने की जरूरत नहीं है, सुन ली हमने।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : किसानों को आपको देना पड़ेगा।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय से पैसा लेंगे, उनसे आश्वासन लेंगे। यह पैसा देंगे, कहां से और कैसे देंगे...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : सुन ली हमने, आपकी सुनने की जरूरत नहीं है। हम सहायता मंत्रीजी के जवाब से संतुष्ट हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी का अपने मंत्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। यह क्या है?

एक माननीय सदस्य : आसन से निवेदन कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानचन्दजी।

श्री सांवर लाल : सहायता मंत्रीजी के जवाब से कार्यवाही चाहते हैं हम तो। आप करवा दो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, आपसे पूछ रहे हैं। आप कोई सरकार हैं क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्रीजी के वक्तव्य के बाद यह सारी प्रापर्टी सदन की हो गयी। अब इस पर हम भी अपनी बात कहेंगे। कृषि मंत्रीजी, जब आपके पास यह अधिकार ही नहीं है तो...

श्री रामसिंह विश्नोई : पहले इनको बैठाओ फिर बोलो आप।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आज वे सज्जन हैं नहीं वरना पाइंट आफ आर्डर होता।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आप आसन से पूछ रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर एक नयी परम्परा देखने को मिली। मुझे खेद है। आसन सर्वोपरि है। आसन से सरकार के मंत्री यह कहते हैं, एक मंत्री यह घोषणा करते हैं कि मैं जिला कलेक्टर को लिखूंगा और सारा नुकसान जो फसल में हुआ है उसका सारा मूल्यांकन करवाऊंगा और दूसरे मंत्री यह कहते हैं कि सर्वे करवाओगे तो पैसा कहां से दोगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज बिराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : दर्द इस बात का है कि ये अपने मुख्य मंत्रीजी से बात करते तो हमें कोई एतराज नहीं। ये आसन से पूछ रहे हैं कि आप सर्वे करवा रहे हो तो पैसा कहां से आयेगा। इसका अर्थ यह है कि इस सरकार के मुख्य मंत्री का मंत्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं है, कोई को-आर्डिनेशन नहीं है। कृषि मंत्रीजी, आप बड़े साफगोही से बात कहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने क्या सोचकर कह दिया कि सर्वे होगा उसके बाद पैसा नहीं मिलेगा, आप यह कहना चाहते हो क्या? इसका मतलब आपमें कोई कोनार्डिनेशन नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए।

श्री रामसिंह विश्नोई : आप बातों से राजी होते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं।

श्री सांवर लाल : आपके विभाग से सम्बन्धित मामला नहीं है। मुआवजा मिलेगा और सहायता मिलेगी तो सहायता मंत्रीजी देंगे। आपका काम तो खराबे का आकलन कराने का है।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय कह रहे हैं कि यहां बात कहकर आप राजी हो जाओ। हम

(श्री अमराराम)

यहां राजी और नाराज होने के लिए नहीं आये हैं। हम जिस जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी तकलीफें सदन में रखने का हमारा अधिकार है।

श्री सांवर लाल : राज्य सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। क्यों बार-बार खड़े होते हैं? इनको जवाब देने की आवश्यकता ही नहीं है।

श्री अमराराम (धोद) : और हम इस बात को रखेंगे और मंत्रीजी आसन से यह कहें कि क्या आप पैसा देने के लिए सक्षम हैं। करोड़ों रुपये का नुकसान होगा। आसन से अगर मंत्री यह पूछे तो आसन कहां से देगा?

श्री उपाध्यक्ष : ऐसे नहीं पूछ रहे हैं ये।

(आसन द्वारा संकेत से अंकित नहीं करने के निर्देश)

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो क्यों टाइम खराब कर रहे हो? समय का अभाव है। बिराजो प्लीज।

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : हो गयी बात समाप्त। अब क्यों चर्चा कर रहे हो आप?

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : इन्होंने यह नहीं कहा है। इन्होंने सारी मदद का कहा है। आप पूरी सुनते तो हो नहीं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं जिलाधीश को यह निर्देश दूंगा कि जहां अफीम की खेती को नुकसान हुआ है वह जिला अफीम अधिकारी के साथ चर्चा करके उसकी जांच करके रिपोर्ट तैयार करे और वह भारत सरकार को भेजी जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बैठो न।

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : ×××

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री सांवर लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : इन्होंने कह दिया न।

श्री केसाराम चौधरी : ×××

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : ×××

श्री अरुण सिंह : ×××

श्री सांवर लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : सांवर लालजी, आप चाहते क्या हो?

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अरुण सिंह : ×××

श्री सांवर लाल : ×××

श्रीमती शांति पहाड़िया : ×××

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, प्राकृतिक आपदा के सम्बन्ध में राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि उसका आंकलन कराये। इससे मैं इनकार नहीं करता हूं।

श्री केसाराम चौधरी : ×××

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : बाढ़ का पानी और फसलों की बात, दोनों के बीच में टकरा जायेगी। प्राकृतिक आपदा के सम्बन्ध में राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि उसका आकलन कराये। इसमें सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बचना चाहती है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप सुनिए। चाहे मैं कहूं चाहे वो कहें।

श्री रामसिंह विश्नोई : मैं किसानों का आपसे ज्यादा हितैषी हूं। आप कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन मैं वह बात कहता हूं जो किसान के हित की बात है। जब आपकी गवर्नमेंट थी उस समय प्लान के अन्दर किसानों के लिए एक प्रतिशत बजट रखा हुआ था जो आज 2 प्रतिशत है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री रामसिंह विश्नोई : हां, 02 प्रतिशत है। किसानों के प्रति, कृषि के प्रति आप कितने चिन्तित हैं इस बात से स्पष्ट हो जाएगा। आपने कम किया था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अब क्या चाहते हो आप? कह दिया न उन्होंने।

श्री सांवर लाल : ×××

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया न उन्होंने।

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैंने जब यह कहा कि सरकार जिम्मेदारी से नहीं बचेगी। उसका तात्पर्य यही है कि मैं सम्भागीय आयुक्त को आदेश दूंगा। उनके जिलों में जिन–जिन गांवों में इस प्रकार का नुकसान हुआ है उसका सर्वे करवाकर, कृषि विभाग की सहायता से सर्वे करवाकर हमको रिपोर्ट देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : अब और बोलो थोड़ी देर। माननीय सदस्य बिराजिए। समय के अभाव में प्रक्रिया के नियम 295 के प्रस्ताव पढ़े हुए मान लिए जाएं।

(शेष प्रस्तावों के लिये कृपया परिशिष्ट–12 देखें)

श्री ज्ञानचन्द पारख। पर्ची पर बोलें।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

जवाई बांध से काश्त हेतु पानी देने से उत्पन्न हुए पेयजल संकट विषयक

श्री ज्ञानचन्द पारख। पर्ची पर बोलें।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो पानी का संकट पूरे प्रदेश में है।

श्री उपाध्यक्ष : एक ही बात है आपकी तो। पर्ची भी यही है और यह भी यही है इसलिए बोलो आप तो।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री ज्ञानचन्द पारख : आप बाद में बोलें। एक मिनट मेरी सुन लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : चलने दो न आप।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, अभी-अभी किसानों के लिए जो चर्चा हुई है उसके सम्बन्ध में अभी राजस्थान में सबसे दु:खी किसान है।

श्री ज्ञानचन्द पारख : मेरी बात सुनने के बाद बोलें न आप। मैं दो मिनट बोलना चाहता हूं। आप बाद में बोल लेना।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, एक सूचना देना चाहता हूं मैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप इनको बोलने दो न।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : ये बाद में बोल लेंगे। मैं सूचना देना चाहता हूं। पशु पालन मंत्रीजी यहां बिराजमान हैं। राजस्थान के कई जिलों में भेंड़ों में बहुत भयंकर बीमारी आयी हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, फिर आप निवेदन कर रहे हैं। आप समझ ही नहीं रहे हैं।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सूचना ही तो दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अभी ऐसे कैसे दे रहे हो?

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : क्यों?

श्री उपाध्यक्ष : आप पर्ची दो, कुछ दो फिर बोलना न। आपको कोई रोक रहा है क्या? आप बिराजिए।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : गम्भीर मुद्दा है वगैर पर्ची...(व्यवधान) भेड़ों में भयंकर बीमारी आयी हुई है। भेड़ें मर रही हैं और टीकों का इंतजाम नहीं है। दवाइयों की व्यवस्था नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप तीन चार तारीख को कर लेना।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : दवाइयां उपलब्ध नहीं है। भेड़ और बकरियां मर रही हैं और पशुओं के लिए दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : आप सूचना ही नहीं दिलवाना चाहते हैं। पशु पालन

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं। तैयार हैं अभी कह देंगे वो।

श्री सांवर लाल : जब भेड़ मरना शुरू होती हैं, सारी मर जाएंगी तो भेड़ पालक अनाथ हो जाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार क्या व्यवस्था कर रही है उनकी दवाइयों की? लोग चक्कर लगाते हैं टीके की व्यवस्था नहीं है।

श्री अरुण सिंह : भूख से मर रही हैं हमारे जिले में। पशु पालन मंत्रीजी हमारे जिले के हैं।

श्री उपाध्यक्ष : पहले वह बोल गये अब ये बोल गये। क्या मतलब है।

श्री हरिसिंह कुम्हेर (राज्य मंत्री, डेयरी एवं पशुपालन) **:** पहले एक रुपये का टीका लगता था। हमने उसको कम करके चार आने का कर दिया है और जितने टीकों की आवश्यकता है हम हर जिले में पहुंचा रहे हैं। जयपुर में भी उपलब्ध हैं और आप जहां बतायेंगे वहां टीके पहुंचा दिये जाएंगे। जो आपकी मांग होगी उसी मात्रा में पहुंचा देंगे। यह मैं कह सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : चलिए बोलिए।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) **:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा था वैसे पानी का संकट पूरे प्रदेश में है। हमारे यहां भी इस बार बहुत कम वर्षा हुई। लेकिन उसके पहले जवाई बांध में पर्याप्त मात्रा में पानी था। जो पाली शहर की जनता के लिए कम से कम आठ या नौ महीने पानी उपलब्ध करा सकता था। पर फरवरी, 2002 में राज्य सरकार ने मात्र कुछ बड़े व्यक्तियों को खुश करने के लिए क्योंकि सुमेरपुर में बहुत बड़े-बड़े कृषि फार्म हैं। जिला प्रशासन और जिला कमेटी ने जो इरिंगेशन की रिपोर्ट थी उसको नजरंदाज करते हुए 600 एम.सी.एफ.टी. पानी बड़े काश्तकारों को अतिरिक्त दे दिया और वही पानी हमारे लिए संकट का कारण बना।

इस संकट की जानकारी माननीय प्रभारी मंत्रीजी को है, माननीय मुख्य मंत्रीजी को है। हमने बार-बार सरकार के पास अपनी बात पहुंचाई, संकट की जानकारी दी और सरकार को जानकारी होने के बावजूद भी सरकार ने इस ओर कोई कार्यवाही नहीं की। पाली में बड़े-बड़े आन्दोलन भी हुए, माननीय प्रभारी मंत्रीजी आए थे जब लाठीचार्ज भी हुआ था, आंसू गैस के गोले छोड़े। लेकिन सरकार ने पानी की व्यवस्था करने के बजाय, मुकदमों के जरिए जनता को दबाने का प्रयास किया। हमारी मांग बहुत मामूली मांग थी और वह मांग भी ऐसी मांग थी कि जो वहां के स्थानीय अधिकारी हैं, चाहे जलदाय विभाग के अधिकारी हैं, चाहे जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, उन्होंने संकट से निपटने के लिए एक योजना बनायी थी। जिसकी लागत मात्र साढ़े सत्रह करोड़ थी। पाली की जनता को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एक

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

योजना बनायी थी। जिसकी लागत मात्र साढ़े सत्रह करोड़ रुपये थी। अधिकारियों ने खुद ने वह योजना बनायी। पाली एस.ई. ने पास की, चीफ इंजीनियर ने उस योजना को स्वीकृत किया और माननीय प्रभारी मंत्रीजी खेतसिंहजी जो यहां के संसदीय कार्य मंत्री हैं उन्होंने पाली में...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री कनकमल कटारा : यह महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है पानी की और बीच में इस तरह से व्यवधान पहुंचता है तो फिर बात कहने का कोई मतलब ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो। वो तो जा रहे थे इनको रोका है यों ही।

श्री ज्ञानचन्द पारख : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रभारी मंत्रीजी 12 अगस्त को पाली आए थे। अकाल राहत समिति की बैठक थी। और जो संकट की जानकारी सारे जन प्रतिनिधियों ने प्रभारी मंत्रीजी को दी, अधिकारियों ने दी, तो प्रभारी मंत्रीजी ने उस बैठक में इस बात की घोषणा की और वायदा किया कि मैं जयपुर जाते ही इस योजना को मंजूर करवाऊंगा और पाली शहर और पाली के आसपास के जो गांव हैं रोहिट क्षेत्र के, उसमें पानी का संकट नहीं आने दूंगा। उसके एक दिन बाद रोहिट क्षेत्र के गांव गडवाड़ा में प्रभारी मंत्रीजी एक स्कूल के कार्यक्रम में गये। वहां पांच हजार से ज्यादा लोग मौजूद थे। और वहां भी प्रभारी मंत्रीजी ने इस बात का वायदा किया, घोषणा की यह जो पानी की पाइप लाइन की योजना है, मैं मुख्य मंत्रीजी से बात करके इसको स्वीकृत करा दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, बड़े अफसोस की बात है कि उसके एक दिन बाद 15 अगस्त का जो सार्वजनिक कार्यक्रम था, राजकीय कार्यक्रम होता है उसमें पाली की जनता के नाम संदेश में, पाली की बीस पच्चीस हजार जनता के बीच में माननीय प्रभारी मंत्रीजी ने इस बात की घोषणा की। पाली की जनता को वायदा किया कि आपकी योजना समझो मंजूर हो गयी और सात दिन के अन्दर-अन्दर मैं इस योजना को मंजूर करवाकर काम चालू करवा दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत अफसोस है, दुख है, प्रभारी मंत्रीजी ने तीन बार घोषणा की, सरकार की जानकारी में यह है कि संकट बहुत बड़ा है। एक मटकी पानी के लिए जनता तरस रही है, लड़ रही है उसके बाद भी राज्य सरकार ने इस योजना को मंजूरी नहीं दी। आज पाली में यह हालत हो गयी, पाली में एक-एक मटकी पानी के लिए झगड़ा होता है। जलदाय विभाग जिस पानी को वितरित कर रहा है वह पीने योग्य नहीं है, यह खुद मानता है वह। अधिकारी मानते हैं कि तीन हजार टी.टी.एस. का पानी जनता पी सकते हैं। वह भी पी

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

नहीं सकती लेकिन उसके खुद के आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि जो पाली में पानी वितरित किया गया है वहां साढ़े तीन हजार टी.टी.एस. से भी ज्यादा है।

उसके बाद राज्य सरकार ने एक छोटी योजना स्वीकृत की, रोहिट तक पानी आ जाय। जलदाय मंत्री जी यहां बैठे हैं, मेरा निवेदन है आपसे कि आप इसमें राजनीतिक भेदभाव नहीं करें। वाकई में पाली बहुत बड़े संकट में है। रोहिट तक आपने पाइप लाइन स्वीकृत कर दी और राहिट से 11 किलोमीटर दूर खारड़ा गांव है, मात्र 11 किलोमीटर दूर पाइप लाइन आप और स्वीकृत कर दें तो उसकी जगह पाली तक पानी पहुंच जाएगा। क्योंकि खारड़ा से पाली तक पानी की पाइप लाइन बिछी हुई है। मंत्रीजी से बार-बार निवेदन है, मंत्रीजी यहां बैठे हैं। वैसे यह पर्ची पर मामला है लेकिन संकट इतना बड़ा है कि माननीय मंत्रीजी अगर कुछ कर दें, वहां के अधिकारियों ने और चीफ इंजीनियर ने यहां योजना बनाकर आपके यहां भेज दी है, बजट भी बहुत मामूली है। वर्ना यह चार महीने पाली के बहुत बुरे बीतेंगे। माननीय मंत्रीजी से मैं निवेदन करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठोगे जब वह बोलेंगे। कुछ कहना है?

डा. सी. पी. जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : इसमें कोई दोराय नहीं कि पाली शहर में पानी की भयंकर समस्या है। और जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि योजना उन्होंने भिजवायी तो मैं विभाग से दिखवाकर उस सम्बन्ध में आपसे भी चर्चा कर लेंगे और क्या व्यवस्था हो सकती है उस सम्बन्ध में बैठकर बात करेंगे। यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि पाली की पीने के पानी की समस्या के सम्बन्ध में जैसे आप चिन्तित हैं वैसे हम भी चिन्तित है और इस समस्या के समाधान के आपके साथ बैठकर जो भी निर्णय करना है, करेंगे।

श्री ज्ञानचन्द पारख : आपके पास योजना आ गयी है और बहुत मामूली...

श्री उपाध्यक्ष : आप बात कर लेना। आपको इंवाइट कर लिया। आपको खुद को बुला लिया अब क्या तकलीफ है?

प्रो. सांवर लाल।

पालड़ी ग्राम, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर में 200 बीघा जमीन का मामला

श्री सांवर लाल (भिनाय) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में यह जो सरकार बनी है उसके बाद में भू-माफियाओं के हौसले बुलन्द हुए हैं और अवैध सरकारी जमीन हो, चरागाह हो, मन्दिर माफी हो उन पर कब्जे किए जाते रहे हैं। चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो जाए उसके बावजूद सरकार

(श्री सांवर लाल)

कोई न कोई रास्ता निकालकर उस जमीन को भू-माफियाओं को देने की कोशिश करती है और इन्होंने कोशिश की है। जैसे लालकोठी योजना अगर हम देखें, सुप्रीम कोर्ट में जे.डी.ए. के पक्ष में फैसला हो गया। उसके बाद एक समझौता समिति बनाकर उसके माध्यम से इस जमीन को वापस उन्हीं को दे दिया जो सुप्रीम कोर्ट में हारे हैं।

इसी प्रकार का एक मामला पालड़ी गांव तहसील विराटनगर, जिला जयपुर में 200 बीघा...

श्री उपाध्यक्ष : जिला जयपुर, आप कहां पहुंच गये जयपुर?

श्री सांवर लाल : जयपुर ही तो बोल रहा हूं। विराटनगर, जयपुर। पहुंचने में तो पूरे राजस्थान में ही पहुंचना पड़ता है उपाध्यक्ष महोदय, और जो जनता यहां पर परेशान होती है और जब जनता को यह लगता है कि जन प्रतिनिधि उस भूमि को मुक्त कराने की मंशा नहीं रखते हैं तो वह कहीं न कहीं कोशिश करके अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करते हैं।

मेरे पास भी इसी तरीके से कोई बात आयी है। पालड़ी ग्राम तहसील विराटनगर, जिला जयपुर, 200 बीघा जमीन का मामला। उपाध्यक्ष महोदय, वर्षों से सिवाय चक, चरागाह, मन्दिर माफी दर्ज होने के बावजूद भी यह लोग उस पर बराबर काबिज होते आ रहे हैं। कोशिश करने के बावजूद भी यह लोग उसका कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं। इसके बारे में एक बार तहसीलदार उस समय जो था उसने राजस्थान विधान सभा में गलत जवाब दिया। उसके बाद में जयपुर कलक्टर के माध्यम से उप खण्ड अधिकारी जयपुर ने जांच की और अपने पत्र क्रमांक 3773 दिनांक 22.11.2000 को जिला कलक्टर को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। जिला कलक्टर ने भी इसके विभिन्न बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही करने का लिख दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा में जवाब देने के बावजूद भी प्रश्न के भाग-1 में उल्लिखित जांच रिपोर्ट में जांचकर्ता ने क्या शिकायत एवं तथ्यों को सही मानते हुए भू-माफिया को षड्यंत्र का दोषी माना है? उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने जवाब दिया है जी हां, भू-माफिया गिरोह को षड्यंत्र का दोषी माना गया। इस बाबत भू-माफिया गिरोह के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षक, जयपुर ग्रामीण को इसके द्वारा नियमानुसार मामला दर्ज कर कार्यवाही करने के लिए लिख दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जब कलक्टर ने दोषी मान लिया, एक पुलिस में फार्मिलिटी है कि उसके आधार पर उनको कार्यवाही करनी चाहिए। पर मुझे समझ में नहीं आता है इतना होने के बावजूद आज तक वह लोग उस पर काबिज हैं। और पुलिस तो, माननीय गृह मंत्रीजी

(श्री सांवर लाल)

बिराजमान हैं, कलक्टर और कमिश्नर की रिपोर्ट के बाद पुलिस के पास या थानेदार के पास ऐसा कौनसा अधिकार आ गया कि इतने बड़े अधिकारी की जांच रिपोर्ट के बाद कार्यवाही नहीं करें। और कई कैसेज में तो आपने देखा होगा कार्यवाही करना तो दूर की बात है, उसको एफ.आर. लगाकर बन्द कर देते हैं। तो आपके बड़े-बड़े अधिकारी आई.ए.एस., कमिश्नर इनकी जांच रिपोर्ट का मतलब क्या है।

मैं गृह मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि क्या गृह विभाग ने अलग प्रकार से जांच करने के कोई फार्मूले तय कर रखे हैं? कलक्टर की जांच जिन बिन्दुओं पर होती है उन बिन्दुओं से अलग होता है कि एक छोटा सा अदना अधिकारी सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर उसमें एफ.आर. रिकमण्ड करता है और वह एफ.आर. लागू हो जाती है। तो इस प्रकार की व्यवस्था अगर रही तो जहां पर भी सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक सम्पत्ति है, चाहे मन्दिर की हो, चारागाह की हो, इस पर अतिक्रमण की प्रवृत्ति, दबाने की प्रवृत्ति है वह रुकेगी नहीं, बढ़ेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के खण्ड तीन में दिया, क्या सरकार उक्त भू-माफिया की पुनरावृत्ति न हो, इस हेतु ठोस कार्यवाही कर रही है? जवाब दिया, जी हां। अखबारों में भी बड़े-बड़े अक्षरों में छपवाते हैं, गहलोत साहब ने मीटिंग ली। भू-माफियाओं के खिलाफ एक अभियान छेड़ा जाएगा। अब जयपुर में कौनसा अभियान छेड़ा आपने? कौनसा अभियान कोटा में छेड़ा। जगह जगह आपकी सरकार की आड़ लेकर बेशकीमती जमीन पर लोग कब्जा कर रहे हैं और जो गरबा जमीन है, उसकी आस-पास में आती है, उसकी जमीन को और दबा लेते हैं और किसी भी प्रकार का उनको भय नहीं है। उनको मालूम है सरकार अखबारों में तो देती है कि हम यह करेंगे पर परोक्ष रूप से सरकार उनको सपोर्ट करती है। इसी के जवाब में इन्होंने लिखा है, माननीय प्रार्थी श्री अशोक कुमार, पालड़ी के सम्बन्ध में कार्यवाही विचारधीन है।

मेरा निवेदन यह है कि मामलों को उलझाते हैं। उनको अलग-अलग प्रकार की राय देते हैं। 14.4.2001 की रिपोर्ट, और आज लगभग दो साल का समय होने आ गया, और दो साल में उनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की। अगर यह इस प्रकार करते रहे तो मैं कह सकता हूं राजस्थान में कोई सार्वजनिक सम्पत्ति सुरक्षित नहीं रहेंगी माननीय गृह मंत्रीजी। माननीय मदन दिलावर, विधायक ने कई बार चिट्ठियां लिख दीं। 19.6.2002 को लास्ट चिट्ठी लिखी है। इसके पहले माननीय ज्ञानदेव आहूजा ने 18.12.2002 को लिखा है। और चिट्ठी के अन्दर पूरा खुलासा किया किस प्रकार से इस मामले को दबाया जा रहा है। अगर राज्य सरकार और उसके प्रभावी जो लोग हैं, जन

(श्री सांवर लाल)

प्रतिनिधि हैं, इस प्रकार मामलों को दबायेंगे तो निश्चित रूप से जनता के साथ इससे बड़ा अन्याय कुछ नहीं कर सकते।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा गृह मंत्रीजी से कि श्रीमान् एस.डी.ओ. की जो रिपोर्ट है 3773 दिनांक 22.11.2000 को आप पढ़िये। और पढ़ने के बाद क्या कार्यवाही करना चाहते हैं, इस पर कार्यवाही नहीं हुई है। आज तक यह रिपोर्ट लम्बित है, पैंडिंग है। पैंडिंग केवल यह है कि इसके ऊपर आप एक्शन लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं? सरकार की मंशा नहीं है तो यह स्पष्ट कर दें कि इसी प्रकार होगा। और हमारे संरक्षण में जो लोग-बाग कब्जा करते हैं उनको किसी प्रकार से हम मुक्त नहीं करायेंगे तो कम से कम लोग-बाग भाग दौड़ और अपना श्रम तो जाया नहीं करें।

उपाध्यक्ष महोदय, जिलाधीश द्वारा जो एफ.आई.आर. दर्ज करायी 56/2001 दिनांक 14.3.2001, और वह आज तक पैडिंग है। माननीय गृह मंत्रीजी, आप कहते हैं हमारे यहां पर पारदर्शी, तत्काल कार्यवाही, अब यह बताइये 2001 का जो मुकदमा...

श्री उपाध्यक्ष : बहुत क्या हो गया। बहुत हो गया माननीय सदस्य।

श्री सांवर लाल : बहुत हो गया, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत कुछ हो रहा है। करोड़ों की सम्पत्ति के ऊपर कब्जा हो रहा है। मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उन पर कार्यवाही नहीं हो रही है। गृह मंत्रीजी कहते हैं कि हमारे यहां दर्ज होते ही फटाफट निस्तारण हो जाता है। अब उसका निस्तारण क्यों नहीं हो रहा है?

श्री उपाध्यक्ष : श्री धर्मपालजी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, इस जमीन में श्मशान और कब्रिस्तान की भी जमीन है, प्राइवेट जमीन है, दो सौ बीघा जमीन है। श्मशान और कब्रिस्तान की भी जमीन है...

श्री सांवर लाल : अगर इसी तरह संरक्षण मिला तो गरीब लोगों की जमीन पर भी कब्जा मिलेगा। कब्जा करते रहेंगे लोगबाग।

श्री उपाध्यक्ष : श्री धर्मपालजी।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, तीसरे नम्बर पर मेरा नाम है।

श्री सांवर लाल : कल, परसो जो चर्चा हुई एस.टी., एस.सी. और दलितों की जमीनों के बारे में तो अगर...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये प्लीज।

श्री सांवर लाल : तो उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि अगर आपने एक्शन नहीं लिया, अगर आप रिएक्ट नहीं हुए उनके एक्शन के ऊपर, तो निश्चित रूप से दलितों के मामले में आप कहते हैं कि उन जमीनों

(श्री सांवर लाल)

को मुक्त करायेंगे, आप किसी कीमत पर नहीं करा सकते हैं। इसी प्रकार जो आपकी सार्वजनिक सम्पत्तियां हैं...(व्यवधान) अब आठ महीने का समय रहा है इसमें आप कोई कार्यवाही कीजिये। बाकी जो बची हुई है उसके ऊपर लोग बाग और कब्जा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय धर्मपालजी। माननीय सदस्य, प्लीज बिराजिये। बहुत हो गया...

श्री सांवर लाल : इसके सम्बन्ध में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर में भी मामला दर्ज है, उसमें भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया, तो कह दिया ना आपने...

श्री सांवर लाल : तो कहां जाएं हम, यहां आकर +++। पुलिस में जा रहे हैं, भ्रष्टाचार में जा रहे हैं, बड़े-बड़े अफसरों के पास लोगबाग जा रहे हैं उसके बाद भी अगर न्याय नहीं मिला तब यह लोग मेरे पास आए। गांव के लोग आए कि यह अन्याय हमारे साथ हो रहा है और दो सौ बीघा जमीन के ऊपर कब्जा कर रखा है तो फिर जाएंगे कहां? उपाध्यक्ष महोदय, आप कोई व्यवस्था करिये सरकार के पास। सरकार को आप निर्देश दीजिये कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही करे। अगर कार्यवाही करेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता के साथ न्याय होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सार्वजनिक सम्पत्तियों पर कब्जा करने की भू-माफियाओं की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलेगा। मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि गृह मंत्रीजी, इन मुकदमों का कब तक निस्तारण करायेंगे? बताइये क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो माननीय सदस्य...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, इस जमीन में सिवाय चक की जमीन है, मन्दिर माफी की जमीन है, श्मशान की जमीन है, कब्रिस्तान की जमीन है और प्राइवेट जमीन है। सब मिलाकर वह दो सौ बीघा है जिसके बारे में दस साल से कार्यवाही पैंडिंग है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इतना गम्भीर मामला है। माननीय सदस्य ने इतना गम्भीर मामला उठाया...

श्री उपाध्यक्ष : आप हर चीज को गम्भीर मान लेते हो...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और गृह मंत्रीजी, आप बिराजे हो। आप क्यों नहीं आश्वासन देते हैं कि इनके खिलाफ कार्यवाही करवायेंगे? जब सदन में यह मामला पहले उठा, आपने कांकरीट जवाब दिया।

श्री सांवर लाल : पांच सौ किमी. दूर से एम.एल.ए. हूं। मेरे पास आकर लोगों ने एप्रोच की।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, इसका समाधान तो राजेन्द्रजी कर देंगे। राजेन्द्रजी का दोस्त है वह।

श्री सांवर लाल : और जनरल तो सरकार नहीं कर सकती है पर सरकार की जानकारी में जो बात लायी जाती है उस पर...(व्यवधान) बाकी तो करोड़ों की जमीन पर लोग-बाग कब्जा कर रहे हैं। आप कहेंगे हमारी जानकारी में नहीं है। यह मामला हम आपकी जानकारी में लाये हैं। जानकारी करने के बाद क्या कार्यवाही करने का इरादा सरकार रखती है?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय धर्मपालजी। माननीय सदस्य, प्लीज बिराजिये।

श्री सांवर लाल : गृह मंत्रीजी, कम से कम आपके थाने में जो मुकदमा दर्ज है उसके बारे में तो कह दीजिये कि इसका निपटारा कब तक करवा देंगे। नहीं करवाने का इरादा हो तो बता दीजिये हमको। हम भी इस मामले में काहे को यहां परेशान हों। जनता को कह देंगे यह तो +++ है यहां पर ऐसे ही कब्जे होंगे। ऐसे ही एफ.आई.आर. दर्ज होंगी।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से सदन में कोई मामला उठाया जाता है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं है। इस पर कल हो जाएगा, हर चीज का जवाब देना पड़ेगा।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : इसलिये इसके तथ्यों की जब तक हमारे पास जानकारी नहीं, कुछ कहना सम्भव नहीं लगता। आज सदन में जो मामला उठाया है अगर तथ्य उनके पास हैं, तो मुझे दे दें, मैं इसकी जानकारी करके जल्दी से जल्दी कार्यवाही कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। प्लीज माननीय सदस्य।

श्री सांवर लाल : मेरा निवेदन यह है कि 14.3.2001 का मामला दर्ज है, 56/2001, तो उसका निस्तारण तो करवाने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय, बिराजिये प्लीज। उन्होंने कह दिया आप उनको डिटेल दे दीजिये, जांच करायेंगे। फिर क्या बात रह गयी?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह सूचना आपकी और कर्तव्य सरकार का, यह नारा मुख्य मंत्रीजी का +++ ही है क्या?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आप आओ...(व्यवधान) वही है...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सूचना आपकी, जिम्मेदारी हमारी, इस बात से हम इनकार नहीं करते हैं।

+++ अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि इस सरकार के जो भी मंत्री खड़े होते हैं, एक ही बात कहते हैं, सूचना उपलब्ध करवा दीजिये। फिर हम +++ क्या यहां?

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो ना। हो गया ना।

श्री सांवर लाल : कोई मामला अगर हमने उठा दिया तो this is the moral duty of the Minister. He should collect all the facts.और उसके बाद कार्यवाही करिये।

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री सांवर लाल : ×××

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जो आपने कहा है रिपोर्ट्र्स की रिपोर्ट देखने के बाद एक्शन ले लिया जाएगा।

रेवेन्यू बोर्ड, अजमेर में अनियमितताएं

श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) **:** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान अजमेर रेवेन्यू बोर्ड में हो रहे घोटाले, गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के बारे में दिलाना चाहता हूं। इन सब घोटालों में रेवेन्यू बोर्ड के वहां के अधिकारी, नीचे के कर्मचारी सब शामिल रहते हैं। वहां के अधिकारी, सदस्य और चेयरमैन जो फैसला देते हैं वह फैसला होता कुछ है और जब उसकी प्रतिलिपि वहां से प्राप्त करने जाते हैं तो उसमें फैसला कुछ मिलता है। ऐसे कई मामले वहां पर आए हैं। वहां जब प्रतिलिपि लेने जाते हैं तो कानून के अनुसार उनको प्रति मिलती है। इसमें एक फौजदारी का मामला समाचार पत्रों में भी बड़े विस्तार से छपा। उसमें क्राइम ब्रांच में एफ.आई.आर. दर्ज हुई। इस सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा विस्तार से जांच के लिये दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने के आदेश भी दिये लेकिन सरकार के कान पर आज तक जूं नहीं रेंग रही है। यह पूरी एक गेंग का मामला है। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि वहां पर जो फैसला होता है उसको बदलने में माहिर हैं। इसी तरह के एक मामले में अभियुक्त है इसराइल खान, उसके पिता का नाम है नियामत खान। पिता पुत्र दोनों एक गरीब आदमी की जमीन का फैसला होता है 29.11.2002 को। फैसले की दो कापी हैं। एक तो कापी लेते हैं नियामत खान। दूसरी कापी वह गरीब आदमी कजोड़ीराम, पुत्र श्री बल्लाराम, जाति जटिया, निवासी मेहतपुरा, रामगढ़ में है। यह दोनों फैसले की प्रतिलिपि हैं। इस तरह का इतना बड़ा भ्रष्टाचार अजमेर के रेवेन्यू बोर्ड में हो रहा है। पहले ही रेवेन्यू बोर्ड के बारे में लोग कहते हैं कि वहां पर दादा चला गया तो पोते तक वहां से बाहर नहीं निकल सकता।

मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वहां जो भी भ्रष्ट अधिकारी

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री धर्मपाल चौधरी)

इसमें शामिल हैं, जो भी कर्मचारी लिप्त हैं और जिस अभियुक्त ने इस मामले में नकली दस्तावेज पेश किये हैं इनके खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्यवाही हो और यह दोनों दस्तावेज मैं सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मोहम्मद माहिर आजाद।

राज्य में फैलते कट्टरवाद पर अंकुश लगाने विषयक

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा यह देश और प्रदेश धर्मनिरपेक्ष के नाम से जाना जाता है।

(13.00 बजे)

यहां सारी जातियों और धर्मों के लोग सदियों से निवास करते हैं और देश के संविधान में सबको अपने-अपने धर्मों की क्रिया करने का, स्वतंत्रता से पालन करने का अधिकार है। मुल्क को अंग्रेजों से आजादी दिलाने का सवाल आया हो तो भी हर जाति और धर्म के लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर इस मुल्क को आजादी दिलाने के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया। और संघर्ष किया। जहां रामप्रसाद बिस्मिल...

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण मामला है यह।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजें।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं मेरे विषय पर आ रहा हूं।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें माननीय सदस्य, पर्ची के माध्यम से किसी घटना को लेकर आप बोलें, बाकी देश, धर्म यह है जो तो...

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं घटना पर ही आ रहा हूं, मैं राजस्थान की ही बात कर रहा हूं, घटना की बात कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : हां, घटना बोलो।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं यही निवेदन कर रहा था कि सबका बराबर का योगदान रहा है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, माननीय सदस्य।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मैं सूचना दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, माननीय सदस्य।

मोहम्मद माहिर आजाद : कल तो आप भी अशफाक उल्ला खां का नाम ले रहे थे, आज क्या हो गया, आसन से बात करिये।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मैं सूचना दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, माननीय सदस्य, वह बोल रहे हैं।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : बीजेपी वालों ने आतंक फैला रखा है, यह उसके बारे में बोल रहे हैं।

श्री अरुण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, डीग में त्रिशूल बांटे जा रहे हैं। पूर्व मंत्री इस हाउस का पूर्व मैम्बर सम्पत सिंह त्रिशूल बांट रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, माननीय सदस्य, आप इनको बोलने दीजिये ना।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, इन आतंकवादी गतिविधियों को रोकना चाहिए...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप इनको बोलने दें ना।

मोहम्मद माहिर आजाद : मुझे बोलने दें, आप सपोर्ट करें...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इनको बोलने दीजिये, माननीय सदस्य, आप बैठें। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, बुनकर संघ का समाचार राजस्थान पत्रिका में आया है, दो साल से उनको पेमेंट नहीं मिल रहा है। तीन लोगों ने आत्महत्या कर ली है...(व्यवधान) विचार करने वाली बात है। मैं आपको सूचना दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, माननीय सदस्य।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, पर्ची पर इनके तीन सदस्य बोलें और सत्ता पक्ष के लोग शांति से सुनते रहे, अब इनके +++ (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मैं आपको सूचना दे रहा हूं, आप बुनकर संघ के बारे में बात करें। यह मन्दिर-मस्जिद का झगड़ा करना जानते हैं, इसलिए हम इस बारे में ज्यादा चर्चा न करें। जो मजदूर मर रहे हैं, जो कर्मचारी मर रहे हैं, आज राजस्थान पत्रिका में पूरा विस्तृत ब्यौरा आया है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, माननीय सदस्य, सुनने की क्षमता रखें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बुनकर संघ के कर्मचारियों पर अन्याय हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो, अंकित नहीं हो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : xxx

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : xxx

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये ना आप उनको बोलने दो ना उनको क्यों नहीं बोलने दे रहे हो?

श्री मदन दिलावर : xxx

श्री ज्ञानदेव आहूजा : xxx

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : xxx

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा है, आपने त्रिशूल

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।
xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

पर बोला तब तो एतराज नहीं हुआ। अब जब वह बोल रहे हैं तो उनको क्यों रोक रहे हो?

मोहम्मद माहिर आजाद : तब हम शांत रहे और जब हम बोल रहे हैं तो +++

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनिये, कोई बात आब्जेक्शन की होगी तो मैं निकाल दूंगा।

श्री मदन दिलावर : ×××

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि हमारे इस प्रदेश राजस्थान में सदियों से सब भाई-चारे के साथ रहते आये हैं। प्रदेश में कोई भी संगठन चाहे वह आंध्र में नक्सलिस्ट हों, चाहे सिम्मी हो, जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करते हैं या अराजकता फैलाने का काम करते हैं तो सरकार उस पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए अधिकृत है। आपने सिम्मी पर प्रतिबन्ध लगाया, आपने मिल्ली पर प्रतिबन्ध लगाया, हमने उस पर कोई विरोध नहीं किया। आज पूरे राजस्थान के अन्दर विश्व हिन्दू परिषद् और बजरंग दल प्रदेश के भाईचारे को समाप्त करना चाहते हैं। एक समुदाय विशेष के लोगों के खिलाफ उन्होंने षड्यंत्र बना रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं विद प्रमाण आपको यह बात कहता हूं, यह त्रिशूल की बात नहीं कर रहा हूं। ये बदूंक चलाने का प्रशिक्षण बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं। यह मैग्जीन मैं आपको बता रहा हूं। क्या बुरा है, क्या अच्छा है, यह आसन तय करें। यह हथियार चलाने का प्रशिक्षण...(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ×××

मोहम्मद माहिर आजाद : इस प्रदेश में भाईचारे और कौमी एकता को खतम करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। आपको यह फैसला करना पड़ेगा, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, कि आप प्रधानमंत्री को अच्छा कहते हैं या उस तोगड़िया, +++ को या अशोक सिंघल को अच्छा कहते हो, आप कहें, तोगड़ियाजी कहते हैं।

श्री मदन दिलावर : ×××

डा. के. सी. चौधरी : ×××

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

डा. के. सी. चौधरी : ×××

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ×××

श्री जुगल काबरा : ×××

मोहम्मद माहिर आजाद : जो तोगड़ियाजी ने और अशोक सिंघलजी ने कहा है, मैं उसका विरोध कर रहा हूं। इसको

+++ अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

फैसला करना पड़ेगा कि आप अटलजी को नेता मान रहे हो या अशोक सिंघल को मानते हो।

श्री मदन दिलावर : ×××

मोहम्मद माहिर आजाद : यह अशोक सिंघल ने कहा है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री सांवर लाल : ×××

डा. बी. डी. कल्ला : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री जुगल काबरा : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें माननीय सदस्य...(व्यवधान) आप बैठे ना।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री आर. पी शर्मा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए प्लीज।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए, एक मिनट आप बैठिए न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय विपक्ष के नेता महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि वे माननीय सदस्य बोल रहे हैं, बीच-बीच में व्यवधान इस तरह से अगर आप डालेंगे तो यह भी नहीं बोल सकेंगे और वह भी नहीं बोल सकेंगे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री जुगल काबरा (जोधपुर शहर) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बैठिए आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री आर. पी. शर्मा : ×××

डा. सी. पी. जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : यह रिकार्ड ही नहीं हो रहा है। शर्माजी, आप बैठिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : रिकार्ड ही नहीं हो रहा है।

श्री आर. पी. शर्मा : ×××

श्री शांतिकुमार धारीवाल (पर्यटन मंत्री) : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : हां, ले आएंगे, ले आएंगे तसल्ली रखो, बिराजिए।

डा. सी. पी. जोशी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप बैठिए एक मिनट प्लीज, आसन पैरों पर। बिराजिए आप, आप भी बिराजिए। कोई माननीय सदस्य बोले, आप किसी को बोलने ही न दें यह तो हाउस में चल नहीं सकता। कल या परसों वे त्रिशूल ले लेकर भी खड़े होकर बोले, तो भी बोलने दिया। (व्यवधान) आर्डर प्लीज। जो भी वह कोई बात कह रहे हैं, उसको आप सुनने को ही तैयार नहीं, ऐसे तो हाउस नहीं चल सकता।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : कोई अपमानजनक है, नहीं है, अपमानजनक हो तो आप आब्जेक्ट करिए, मैं उसको एक्सपंज करूंगा। अगर अपमानजनक होगा तो आप आब्जेक्ट करिए लेकिन यह नहीं चल सकता कि आप खड़े हो गए, आप खड़े हो गए, और अगले को बोलने ही न दें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बहुत हो गया, आप बिराजें।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए, मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं कि कोई अनप्लीजेंट एक्शन लेना पड़े उससे पहले आप इनको नियंत्रण में कर दीजिए और डिबेट को ठीक से चलने दीजिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी और मेरे दल के सभी सदस्य निश्चित रूप से वाद-विवाद ठीक ढंग से हो, इसके पक्ष में हैं। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि बात आप चाहे कितनी भी कड़वी कहें पर शब्दों का चयन ऐसा करें और अपने पास कोई तथ्य हो उसके आधार पर अगर बोलें तो कभी भी एक-दूसरे का इर्रिटेट नहीं करेंगे।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा) : ×××

श्री संयम लोढ़ा : ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया : चाहे हमारी तरफ से प्रयोग में लिए शब्द हों या उनकी ओर से, प्रयोग हुआ तो ठीक नहीं है। जो माननीय सदस्य बोलें कम से कम शब्दों का चयन ऐसा करें जिसमें हल्कापन न दिखे। आप अपने किसी तर्क के आधार पर कोई आरोप सिद्ध करना चाहते हैं तो आप करें, उसमें किसी को कोई एतराज नहीं।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तर्क के आधार निवेदन कर रहा हूं। तर्क के आधार पर।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : शब्द का प्रयोग ऐसा हल्का न करें, चाहे वह व्यक्ति यहां हो या नहीं हो। मैं सोचता हूं कि इस तरह से करें तो अच्छा रहेगा।

श्री संयम लोढ़ा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। यह काम मेरा है, आपका नहीं है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इसका प्रोसीजर है। अगर कोई अपमानजनक शब्द आता है, आप आब्जेक्शन कीजिए, मुझे लगेगा तो मैं एक्सपंज कर दूंगा। लेकिन आप हर बार खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बोलने ही न दो तो यह नहीं चलेगा। यह तो नहीं चल सकता। Let him speak. आप उनको बोलने दीजिए। आपको कोई शब्द आपत्तिजनक लगे, आप आब्जेक्ट कर दीजिए, अगर मैं ठीक समझूंगा तो एक्सपंज कर दूंगा, बात सीधी-सी है। चलिए, बोलिए।

श्री रामनारायण चौधरी (ऊर्जा मंत्री)**:** ×××

श्री उपाध्यक्ष : फैसला मैं करूंगा। (व्यवधान) वह फैसला मैं करूंगा। आप बिराजो।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निहायत अदब और संजीदगी के साथ विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं कि श्री अशोक सिंघलजी ने यह कहा कि इस प्रदेश के साधु संतों और राम भक्तों का वाजपेयी से विश्वास उठ गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आपका विश्वास अशोक सिंघल पर है या आपका विश्वास देश के प्रधानमंत्री पर है? अरुण जेटलीजी कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे मुद्दों को ज्यादा दिन तक लटकाए रखना ठीक नहीं है। प्रवीण तोगड़ियाजी कहते हैं कि सरकार संसद में कानून बनाकर विवादित भूमि न्यास को सौंपे, हम मन्दिर भी बनाएंगे और हिन्दू राष्ट्र भी बनाएंगे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह हमारा देश जो धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें आप अपने धर्म का पालन तो आजादी के साथ कर सकते हैं लेकिन आपको यह अधिकार संविधान ने नहीं दिया कि आप दूसरे धर्म के लोगों से भी ज़बरदस्ती अपने धर्म और नियमों का पालन करवाएं। देश के संविधान में आजादी है, हिन्दू धर्म धारण करने का नाम है, आपकी क्या धारणा है, किसी की मान्यता है, किस को मानते हैं, आप मानें मन में। मेरी अलग मान्यता हो सकती है, माननीय होम मिनिस्टर साहब की अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक धर्म विशेष के लोगों के विरुद्ध इस तरीके के, मैं प्रमाण दे रहा हूं, माननीय प्रतिपक्ष के नेता प्रमाण मांग रहे थे, यह प्रमाण मैं इनको कहेंगे तो दे दूंगा, यह कह रहे हैं कि आत्मरक्षा के

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

लिए पिस्तौल और बम का प्रशिक्षण भी बजरंग दल के कार्यकताओं के लिए अनिवार्य है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बात केवल त्रिशूल रूपी हथियार बांटने की नहीं है। यह बात और भी आगे बढ़ रही है और मैं आपका ध्यान गृहमंत्रीजी दिलाना चाहता हूं, गृह मंत्रीजी, आपने स्वयं ने एक बयान दिया था। इस बयान में कहा था कि हमने सिम्मी पर प्रतिबन्ध लगाया। जो भी कट्टरवादी हो, चाहे वह कट्टरवाद इस्लाम का हो, चाहे वह कट्टरवाद हिन्दुत्व का हो, चाहे वह कट्टरवाद सिखिज्म का हो, चाहे वह कट्टरवाद ईसाइज्म का हो, हमको उस कट्टरवाद का मुकाबला करना पड़ेगा। हमको लचीला रुख अख्तियार करना पड़ेगा। माननीय गृह मंत्रीजी ने बयान दिया है और इन्होंने यह कहा है कि हम राजस्थान में सिम्मी की गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाने के बाद राजस्थान में जो फासीवादी और साम्प्रदायिकता फैलाने का काम करने वाली, प्रदेश की कौमी एकता को खुर्द-बुर्द करने का काम कर रहे हैं हम उनको बरदाश्त नहीं करेंगे, इन पर हम प्रतिबन्ध लगाने की कार्यवाही करेंगे। बड़े आदर के साथ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आप अपने इस बयान पर कामय हैं? आज इस बयान को आठ महीने हो गए, इस बयान पर आपने क्या जांच करवाई, कितनी कार्यवाही करवाई। प्रदेश के अन्दर जहां कहीं भी ये तोगड़ियाजी गए हैं और जाकर एक जाति विशेष के, एक धर्म के खिलाफ जो इन्होंने जहर उगलने का काम किया है, उन जगहों पर साम्प्रदायिकता फैला दी। छह हजार करोड़ रुपए का आर्थिक और औद्योगिक नुकसान गुजरात का हम समेट नहीं पाए, राजस्थान जैसे प्रदेश में जो अकाल की मार झेल रहा है, साम्प्रदायिकता की आग में झुलसा के यहां की कौमी एकता को खतम करना चाहेंगे, इसको बरदाश्त नहीं किया जाएगा।

इसलिए मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपकी धर्मनिरपेक्षता की छवि है या आप धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्तों का पालन करते हैं और मैं बजरंग दल का विरोध नहीं कर रहा, मैं विश्व हिन्दू परिषद् का विरोध नहीं कर रहा लेकिन इनकी जो साम्प्रदायिक गतिविधियां हैं, जो अराजक गतिविधियां हैं, जो आतंककादी गतिविधियां हैं, क्या आप उन पर रोक लगाने का इरादा रखते हैं? इरादा रखते हैं तो आप इस सदन के जरिए राजस्थान के अल्पसंख्यकों को, राजस्थान के उन धर्मनिरपेक्ष हिन्दुओं को जो धर्मनिरपेक्षता में आस्था रखते हैं, आपको यह विश्वास दिलाना होगा कि राजस्थान में जब तक अशोक गहलोत की सरकार है और गुलाब सिंहजी शक्तावत गृह मंत्री हैं, किसी भी जाति और धर्म को किसी भी तरीके से नुकसान किन्हीं भी आतंकवादी, साम्प्रदायिक शक्तियों के आधार पर नहीं होने दिया

(मोहम्मद माहिर आजाद)

जाएगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इनकी साम्प्रदायिक और आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाने का इरादा रखते हैं या नहीं? यदि नहीं रखते हैं तो भी बताइए।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री): बिराज जाइए आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : कोई क्वेश्चन नहीं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : कोई क्वेश्चन नहीं, यह पर्ची का मामला है। पर्ची का कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। उपाध्यक्ष महोदय, नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने पर्ची के माध्यम से एक मुद्दा यहां उठाया है। मैं राजस्थान सरकार की ओर से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं राजस्थान में वे ताकतें जो भय का वातावरण बनाकर एक समुदाय से दूसरे समुदाय में अविश्वास पैदा करना चाहती है उनसे सरकार सख्ती से निपटेगी। भय का वातावरण पैदा करना ही हमारे लिए खतरा है। ऐसी ताकतों के बारे में हम गम्भीरता से विचार कर रहे हैं, चाहे वो तीन फल का चाकू हो, चाहे एक फल का चाकू हो, चाहे चिमट हो, चाहे कोई और हो। ऐसे शस्त्र जो, चाहे तलवार हो, चाहे ऐसे शस्त्र जो इंसान को कभी भी किसी तरह की हानि पहुंचा सकता है और जिनकी नीयत भय पैदा करने की हो, ऐसे सारे मामले पर सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है। और मैं समझता हूं करती नहीं रहेगी, जल्दी ही फैसला करेगी, मैं आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूं। भड़काऊ भाषण देने वाले लोग जो हमारी कौमी एकता को नुकसान पहुंचाते हैं, उस सम्बन्ध में भी हम विचार कर रहे हैं। मुझे तो दुःख है एक राष्ट्रवादी व्यक्ति, आज विधान सभा का सदस्य यह कहता है मैं आतंकवादी हूं। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है, जब वे कहते हैं मैं आतंकवादी हूं। क्या होगा इस देश का? एक जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति यह कहता है मैं आतंकवादी हूं।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : क्या चेतावनी देना चाहते हो? (व्यवधान) मैं विपक्ष के नेता महोदय से कहना चाहता हूं कि अटरू से आने वाले माननीय सदस्य यह कहें, वे इस तरह की बातें नहीं कहें जो देश का साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहती हैं, मैं सरकार की ओर से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कोई भी साम्प्रदायिक सौहार्द...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बंशीवालजी।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : चाहे वो किसी भी धर्म की या किसी सम्प्रदाय की हो, सरकार उस पर तत्काल कार्यवाही करेगी।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान) सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचनाएं। श्री बनवारी लाल बैरवा। कोई नहीं बिराजिए, बिराजिए। कोई क्वेश्चन नहीं अब।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

परिवहन विभाग

श्री बनवारी लाल बैरवा (उप मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार परिवहन विभाग की नौ अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या 4.6 (49) परि/कर/मुक्त/मु./97 पार्ट-II दिनांक 4.9.2002 जिसके द्वारा अनुज्ञापत्रों पर दिनांक 8.9.2002 से 19.9.2002 की अवधि में अन्य राज्यों से अजमेर शहर को आने-जाने वाले समस्त यात्री वाहनों के लिए 500 रुपये से अधिक उन करों का परिहार किया गया है जो राजस्थान कराधान अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के अन्तर्गत उपरोक्त श्रेणी के वाहनों पर देय है।

2. अधिसूचना संख्या प.6 (49) परि/कर/मु./2001, दिनांक 13.9.2002 जिसके द्वारा इण्डियन आयल कम्पनी के दो रिफ्यूलर वाहनों को सशर्त करमुक्त किया गया है।

3. अधिसूचा संख्या प.6 (229) परि/कर/मु., दिनांक 26.9.2002 जिसके द्वारा संत श्री आशारामजी, गौशाला समिति, निवाई के ट्रक संख्या आर.जे. 26 जी-0626 को सशर्त करमुक्त किया गया है।

4. अधिसूचना संख्या प.6 (229) परि/कर/एम्बुलेंस/97, दिनांक 20.12.2002 जिसके द्वारा खेलशंकर दुर्लभजी आवेदना आश्रम के एक वाहन को सशर्त करमुक्त किया गया है।

5. अधिसूचना संख्या प.6 (96) परि/कर/मु./तिलो, दिनांक 6.1.2003 जिसके द्वारा ऐसे सभी डबल डेकर बाहर जो किसी भी नगर की नगरीय सीमा में पर्यटकों को घुमाने के लिए काम आये, को पांच वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान की गई है।

6. अधिसूचना संख्या प.6(229) परि/कर/एम्बुलेंस/97, दिनांक 13.2.2003 जिसके द्वारा भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय एवं अनुसंधान केन्द्र, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर के एक वाहन को सशर्त करमुक्त किया गया है।

7. अधिसूचना संख्या प.6(260) परि/कर/मु./2002 पार्ट-II दिनांक

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

13.11.2002, जिसके द्वारा संदेय मोटरयान कर, विशेष पथ कर, अधिभार तथा इस पर आरोपित शास्ति एवं ब्याज पर कतिपय शर्तों के अन्तर्गत छूट दी गई है।

8. अधिसूचना संख्या प.7(103) परि/नियम/मु./94, दिनांक 6.2.2003 जिसके द्वारा राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 में संशोधन किया गया है।

9. अधिसूचना संख्या प.7(94) परि/रूल्स/एचक्यू/94,पार्ट-II दिनांक 29.11.2002 जिसके द्वारा राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 में संशोधन किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी।

प्रतिवेदन

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन

(अप्रैल से जुलाई, 2000)

श्री रामनारायण चौधरी (ऊर्जा मंत्री): माननीय उपाध्यक्षजी, मैं विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 75 एवं राजस्थान राज्य विद्युत प्रदाय नियम, 1963 के विनियम 33 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन (अप्रैल, 2000 से 19 जुलाई, 2000) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेत्तर वाद-विवाद।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण प्रस्ताव के पक्ष में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। राजस्थान के विकास का पूरा आइना तो इन पन्नों के अन्दर समेटा हुआ है ही और पिछले तीन दिनों में काफी बातें यहां पर हमारे माननीय सदस्यों के द्वारा कही जा चुकी हैं कि हमने कितनी किलोमीटर सड़कें बना दी हैं, कितनी डिस्पेंसरियां खोल दी हैं, हमने राजस्थान की जनता की पूरे दिल के साथ सेवा की है। उन बातों पर मैं अपने विचार बाद में रखूंगा, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्दर जो सबसे अंतिम पृष्ठों के अन्दर दो-तीन लाइनें कही गई हैं उनके ऊपर अपनी बात सबसे पहले, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से रखना चाहता हूं।

राज्यपाल महोदय ने कहा-"देश ही नहीं अन्तरराष्टीय परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। एक तरफ आतंकवाद की चुनौती है, साथ ही में उपज रहे धार्मिक कट्टरवाद ने हमारी चिंताएं बढ़ाई हैं।"

(13.25 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

इसके साथ ही अपनी बात को अंतिम रूप

(श्री ललित भाटी)

देते हुए यह श्लोक भी इसमें कहा है-

ये ग्रामा यदरण्यं या सभा अधिभूम्याम।

ये संग्रामा: समितयस्तेषु चारू वदेम ते॥

''हम गांव अरण्य या कहीं भी मिलें, समस्याओं में इकट्ठे हों या समारोहों में, आपसी मतभेदों को मिटाने के लिए वाद-विवाद करें या समितियों में विचार-विमर्श करें-हे मातृभूमि, हमें यही आशीर्वाद दो कि हम सर्वदा वही बात बोलें जो अन्तत: तुम्हारे लिये हितकर हो।''

ये दो बातें कहीं। सभापति महोदय, धार्मिक कट्टरवाद जिस तरीके से उभरकर आ रहा है और हम चाहे विधान सभा में बोलें, चाहे किसी चुनावी सभा के अन्दर भाषण दे रहे हों, बात हमें वही करनी चाहिए जो हमारी मातृभूमि के लिए हितकर हो। सभापति महोदय, जिस तरीके से राजस्थान के अन्दर माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है हम उसके ऊपर यहां पर ध्यानाकर्षित करना चाहते हैं। पाक जनित आतंकवाद हो या हिन्दू जनित आतंकवाद हो, इन दोनों को अपन अलग-अलग नजरिये, अलग-अलग चश्मा लगाकर नहीं देख सकते। आतंकवाद चाहे पाक जनित हो और चाहे विश्व हिन्दू जनित आतंकवाद हो, आतंकवाद आतंकवाद है और उससे निपटने का एक ही नजरिया है।

माननीय सभापति महोदय, जब रघुनाथ मन्दिर के ऊपर हमला किया जाता है तो सारे के सारे एक स्वर के अन्दर उसकी आलोचना करते हैं। जम्मू-कश्मीर की विधान सभा के ऊपर जब हमला होता है तब भी सारे के सारे एक स्वर के अन्दर आलोचना करने के ऊपर आ जाते हैं। संसद के ऊपर हमला हुआ तो वाजपेयीजी ने कहा कि अब अंतिम लड़ाई का वक्त आ गया। देश के लोग इंतजार करते ही रह गये। आरपार की लड़ाई। अब आरपार की लड़ाई का वक्त आ गया है। वह आर और पार कहां पार हो गया अभी तक सभापति महोदय, पता ही नहीं लग रहा। सीमा के ऊपर हमला हो, इनके बड़े-बड़े भाषण आते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि विश्व हिन्दू परिषद् के कार्यकर्ताओं ने हाथों में त्रिशूल लेकर उड़ीसा की विधान सभा के ऊपर जब हमला किया तब इनकी आवाज कहां गायब हो गई थी? क्या उस समय इनको आतंकवाद नजर नहीं आ रहा था? जिस त्रिशूल को बांटने के लिए आज ये लोग बड़े गर्व के साथ कह रहे हैं हम त्रिशूल बांट रहे हैं तो हिन्दुत्व का गौरव बढ़ाने के लिए हिन्दू के अन्दर जागृति लाने के लिए। यह कौनसी जाग्रति है? सभापति महोदय, यह फोटो है, नवज्योति अखबार के अन्दर छपा है, 17 मार्च, 2002 ''उड़ीसा विधान सभा पर विश्व हिन्दू परिषद् का हमला।'' हाथों के अन्दर त्रिशूल। यह फोटो के अन्दर साफ है। इस त्रिशूल के माध्यम से विधान सभा जैसी लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था,

(श्री ललित भाटी)

पवित्र संस्था जिसमें जन आस्थाएं सारी जुड़ी हुई हैं, जन आस्थाओं का उससे बड़ा स्थान लोकतंत्र के अन्दर है नहीं। वहां पर इनके कार्यकर्ता त्रिशूल लेकर हमला करें तो यह त्रिशूल का प्रयोग तो 2002 से ही चालू इन्होंने कर दिया। त्रिशूल का किस प्रकार का प्रयोग ये करना चाहते हैं। हिन्दूत्व की रक्षा करना चाहते हैं या उससे गुंडागर्दी करना चाहते हैं? यह तो सीधा-सीधा उड़ीसा की विधान सभा के ऊपर इन्होंने जो कार्यक्रम किया उससे सारा का सारा सामने नजर है।

सभापति महोदय, ऐसा एक नहीं कई मसले हैं। इन्होंने जिस प्रकार का वहां पर किया, मैं पढ़कर थोड़ा आपकी इजाजत से बताना चाहता हूं। अचानक बड़ी संख्या में व्हिप और बजरंग दल कार्यकर्ताओं के घुस आने से सब हतप्रभ रह गये। भीड़ ने जय श्री राम और नवीन पदनायक मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए शीशे तोड़ डाले, गमले और पत्थर फैंके, मंत्रियों के नाम की तख्तियां नोच डालीं, भीड़ ने दीवारों पर लगे आग बुझाने वाले उपकरणों को उठाकर बगीचे में फैंक दिया। तोड़फोड़ का यह सिलसिला आधे घंटे तक चलता रहा। विधान सभा के अन्दर विश्व हिन्दू परिषद् के कार्यकर्ता इस तरीके की तबाही मचायें, त्रिशूल देकर ये लोग अपने लोगों को सशस्त्र उत्पात मचाने के लिए भेजें और फिर गर्व के साथ राजस्थान के अन्दर यह परिभाषित करने की कोशिश करें कि हम त्रिशूल आत्मरक्षा के लिए बांट रहे हैं, हिन्दुत्व जगाने के लिए बांट रहे हैं, कार्यकर्ताओं में जाग्रति लाने के लिए बांट रहे हैं। यह साफ नजर आता है कि राजस्थान के अन्दर जिस तरीके का यहां एक कौमी सौहार्दपूर्ण माहौल बना हुआ है, सभापति महोदय, यह उसको बिगाड़ना चाहते हैं। और आजकल, सभापति महोदय, जिस तरीके से आतंकवाद के मामले में इनके नेता बड़े-बड़े भाषण दे रहे हैं, आपने और हमने, सब ने यह देखा कि पाकिस्तान दूतावास में रंगे हाथों वहां के जो अम्बेसडर थे उन्हें हुर्रियत के नेताओं को पैसे बांटते हुए पकड़ा गया। और हुर्रियत के नेताओं को पैसा बांटते हुए जब पकड़ा गया, मैं कोट करना चाहूंगा, सभापति महोदय, आपकी इजाजत से पंजाब केसरी लाला लाजपतराय के द्वारा शुरू किया गया एक अखबार है। और हिन्दुत्व का भी और इस पूरे देश के आम नागरिकों के अधिकारों के प्रति जागरुक रहने वाले लाल लाजपतराय रहे हैं जिनके बारे में मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है और बहुत बड़ा लार्ज सर्कुलेटेड यह अखबार है। इस अखबार के जो सम्पादक हैं उन्होंने एक विशेष सम्पादकीय, सभापति महोदय, इस घटना के बाद में छापा और यह भी 8.2.2003 का इसकी अश्विनी कुमारजी लिख रहे हैं कि पाकिस्तान के उच्चायोग ने कश्मीर में दो व्यक्तियों को 50 लाख 50 हजार रुपये कश्मीर में तोड़फोड़ की कार्यवाही जारी रखने के लिए दिये जो

(श्री ललित भाटी)

हुर्रियत को दिये जाने थे या अब्दुल गनी बट्ट को सौंपे जाने थे। इसके लिए ये कह रहे हैं, सभापति महोदय, मैं अब भी, अगर यह सरकार जो राजग की सरकार है, जो अटलजी के नेतृत्व वाली सरकार है कि अब भी अगर यह सरकार हुर्रियत और पाकिस्तानी उच्चायोग पर कार्यवाही नहीं करती तो भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम बदलकर भारतीय +++ पार्टी रख लेना चाहिए, देश की जनता को संतोष हो जाएगा। मैं सोचता हूं कि अब यह नामकरण का वक्त आ ही गया। अब इस तरीके का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बड़े यज्ञ के मंत्रोच्चार आहुतियों के साथ आयोजित करवा ही लेना चाहिए क्योंकि राजस्थान के अन्दर चुनाव भी बहुत जल्दी होने वाले हैं। और यह तो चोला बदलकर, क्योंकि इन्होंने 77-78 के बाद में चोला बदला, 80 में चोला बदला, 89 में चोला बदला, अब भी फिर चोला बदलने की जरूरत है। तो मैं सोचता हूं कि अब इनको +++ जनता पार्टी के नाम से इस देश की जनता के पास में जाना चाहिए ताकि उनको यह पता लगे क्योंकि जनता तो इस देश की, सभापति महोदय, इनको माफ करने वाली नहीं है। जिस तरीके से आतंकवाद बढ़ रहा है उस आतंकवाद को काबू करने के लिए इन लोगों ने कोई कार्यवाही नहीं की। और इसके ऊपर अश्विनी कुमारजी लिख रहे हैं, मुझे तो कई बार लगता है कि केन्द्र में राजग की सरकार अब तक की सबसे +++ सरकारों में एक है। पूर्ण रूप से एक रीढ़विहीन, कमजोर एवं बुजदिल सरकार। इस तरीके की सरकार जब वहां पर चल रही हो तो मैं, माननीय सभापति महोदय, क्योंकि इनका आवरण दोनों तरह से बदला हुआ है। ये बड़े धोखे के साथ में सारी बातों को रख रहे हैं। ये जानते हैं कि हम देश की जनता को मूर्ख बनाकर एक तरफ उलझाये रखना चाहते हैं, उनकी सहानुभूति को लेकर चलना चाहते हैं और दूसरी तरफ ये खुद भी न सिर्फ राजस्थान में बल्कि हिन्दुस्तान के अन्दर धार्मिकता की आड़ लेकर हमारे साम्प्रदायिक माहौल को बिगाड़ कर जो साम्प्रदायिक सौहार्द यहां पर है, उसको बिगाड़ कर यह धार्मिक आतंकवाद फैलाने के अन्दर सबसे नम्बर वन एक लगे हुए हैं।

माननीय सभापति महोदय, इस बारे में मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके की एक नई भाषा का आजकल इन्होंने चलन किया हुआ है, ये बात करने लगे हैं कि हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद देश के अन्दर लागू करना चाहते हैं। सभापति महोदय, पहली बात तो हमारे संविधान से बढ़कर कोई सर्वोच्च पुस्तक हमारे लिए है नहीं। उस संविधान के अन्दर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जैसी कोई बात अगर मुझे ये दिखा दें तो मैं अपने सारे शब्दों को वापस ले लूंगा। इन्होंने एक नया माध्यम इसके अन्दर ढूंढ़ा है कि हम

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री ललित भाटी)

किस तरीके से अपने इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर आये हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जिस संस्था के माध्यम से इस देश के अन्दर लेकर आना चाहते हैं, ये इस बात का जवाब दें इस सदन के अन्दर कि वह संस्था एक राजनीतिक संगठन है या गैर राजनीतिक संगठन है? मैं यहां, सभापति महोदय, कोट करना चाहता हूं कि जब 1977-78 के बाद में दोहरी निष्ठा का सवाल इन लोगों के ऊपर लगा तो संघ परिवार के लोगों ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लिए कहा कि यह हमारा एक सांस्कृतिक संगठन है। और जब सरकार गिर गई 1980 के अन्दर उसके बाद में, भारतीय जनता पार्टी की हार जब हुई। 1980 के चुनाव में तो इन्होंने खुद ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से अपने अभिन्न सम्बन्धों की घोषणा की और राम मन्दिर के निर्माण के जूनून के साथ तो संघ परिवार शब्द का इस्तेमाल यह लोग करने लगे। और संघ परिवार के बारे में मैं यह कोट करना चाह रहा हूं, सभापति महोदय, कि इस प्रकार संघ परिवार की संस्थाओं का अपना कोई चरित्र नहीं है। उनका चरित्र वही है जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का है। यह आपका बजरंग दल और ये आपके जितने भी दल बने हुए हैं, ये सारे उसी के ही अभिन्न अंग हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक व्यक्ति के पीछे चलने वाली गैर-लोकतांत्रिक बन्द संस्था है। इसकी स्थापना इस सदी के तीसरे दशक में हिटलर की नाजी पार्टी के अनुकरण पर हुई। हिटलर की पुस्तक "मीन काफ" इसकी बाइबल है। सभापति महोदय, गुरु गोलबलकर की पुस्तक "आवर नेशनहुड डिफाइंड" का एक उद्धरण मैं आपको देना चाह रहा हूं। जर्मन जाति का स्वाभिमान आजकल चर्चा का विषय है। अपनी जाति और सांस्कृतिक विशुद्धता के लिए जर्मनी ने यहूदियों को देश से निकाल कर सारे विश्व को अचंभित कर दिया। जातीय स्वाभिमान अपने चरम रूप में यहां दिखाई देता है। जर्मनी ने यह भी दिखा दिया है कि मूलभूत भिन्नताओं वाली जातियों और सांस्कृतियों का एक इकाई में समावेश नहीं किया जा सकता। हिन्दुस्तान इससे सबक ले सकता है और लाभ उठा सकता है। इस पुस्तक में कहा है कि हिन्दुस्तान में हिन्दुओं के अलावा दूसरे सब धर्मावलम्बियों को हिन्दू जाति के पूर्णतः अधीन होकर रहना पड़ेगा। यह इनके गुरु गोलबलकर इस तरीके का जब इनको दर्शन दे रहे हैं जो इनकी बाइबिल बना हुआ है, सभापति महोदय, तो यह साफ सामने आ रहा है कि विश्व हिन्दू परिषद् के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, बजरंग दल के लोग और इनके जितने भी सांस्कृति संगठन के नाम के ऊपर दल बने हुए हैं, उन सारे दलों का सिर्फ एक ही ऐम है कि हम किसी भी तरीके से इस देश के अन्दर जो साम्प्रदायिक सौहार्द बना हुआ है, इस साम्प्रदायिक सौहार्द को हम समाप्त करें।

(श्री ललित भाटी)

माननीय सभापति महोदय, जिस तरीके से पाक जनित आतंकवाद के चलते हुए इस राष्ट्र के विखंडित होने का खतरा है, मैं दावे के साथ में यह बात कहना चाहता हूं और आप सब का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि विश्व हिन्दू परिषद् जनित आतंकवाद का रिजल्ट भी इस देश के टुकड़े होंगे। यह बहुत खतरनाक बात होगी। और इस तरीके के लोग अगर यहां पर आतंकवाद को बढ़ाने के लिए बड़े गौरव के साथ में, अभी सीना ठोक ठोक कर माननीय सदस्य दिलावरजी ने कहा कि मुझे बड़ा गर्व होगा अगर त्रिशूल बांटने के ऊपर मुझे आतंकवादी कहा जाता है। माननीय सभापति महोदय, मैं यही कहता हूं कि अगर इस तरीके से गर्वोक्ति के साथ में हम साम्प्रदायिकता के जहर को फैलाने वाली बातें कहेंगे तो बहुत सीधी सी बात है कि जो खुशवंत सिंहजी ने बात कही है, वे हमारे इस देश के एक बहुत विचारवान साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने यह बात कही है गुंडों के बारे में, सभापति महोदय, पूरा का पूरा लिखा है, मैं सारा तो इसको पढ़ना नहीं चाहता, उन्होंने कहा है कि हमारा जब वास्ता जीवन के अन्दर गुंडों से कभी कालेज में होता है, कभी बस्ती के अन्दर होता है, कभी कहीं होता है। उन गुंडों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा है कि नरेन्द्र मोदी, अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर और इनमें सबसे अधिक प्रवीण तोगड़िया के जहरीले भाषण साम्प्रदायिक आग भड़काते रहते हैं किन्तु उन्हें आंच तक नहीं आती, +++ और उन्हीं की जमात में शामिल माने जाएंगे। किसकी जमात, सभापति महोदय, जो +++ यह साफ इसमें लिख रहे हैं कि वे खुलेआम घोषणा करते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर : इतने बड़े नेताओं को, इतने अच्छे नेताओं के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं है।

श्री सोहन नायक : सच्चाई सुनने का मुद्दा रखें।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप खुशवंत सिंह के खिलाफ दावा लाओ न।

श्री सभापति : आप बैठें, बैठें। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : अखबार में छपा है। नवज्योति में छपा है।

श्री सोहन नायक : यह साहित्यकार है। हिन्दुस्तान का बड़ा साहित्यकार है उसने कहा है।

श्री सभापति : आप बैठो न। थोड़ा सा संयम बरतें।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री ललित भाटी : सभापति महोदय, मैं पूरा संयमित हूं, इसको पूरा सदन जानता है।

श्री सभापति : थोड़ा संयम बरतें।

श्री सोहन नायक : ...उसी उग्रवादी ने मारा है। गांधीजी को भी उस उग्रवादी ने मारा है।

श्री ललित भाटी : सभापति महोदय 22 फरवरी की यह नवज्योति है। खुशवंत सिंह। न काहू से दोस्ती...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : आपके नेहरूजी कहते हैं +++ गांधीजी के लिए नेहरूजी ने कहा है। गांधी जी जैसे राष्ट्रपिता को आपने नेहरू जी ने +++ पढ़ लो।

श्री मदन दिलावर : यह अपमानजनक जो कहा है उसको कार्यवाही से निकाला जाए। (व्यवधान) जो अपमानजनक शब्द कहा उसको कार्यवाही से निकाला जाए।

श्री सभापति : माननीय दिलावरजी, मैं खुद ही निवेदन कर रहा हूं माननीय सदस्य से।

एक माननीय सदस्य : +++ तैयार हो, कुछ भी कह दो। (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : ये बेवजह की बातें आप मत उठाया करो यहां।

श्री केसाराम चौधरी : यह पढ़ लीजिये। यह पढ़ लीजिये।

एक माननीय सदस्य : यह सत्य है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : +++

श्री केसाराम चौधरी : +++ नेहरू जी ने +++ कहा है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : वो अपनी बात तो कुछ कह नहीं रहे हैं। आपका जब नम्बर आये जब बोलिये न। आपका टर्न आये जब बोलना।

श्री सभापति : आसन ने खुद नोटिस किया है इस बात का।

श्री केसाराम चौधरी : मैं कह रहा हूं न। मेरा टर्न है अभी। (व्यवधान) यह गलत बात है, सचेतक जी। हमारे नेता को इस तरह से...(व्यवधान) नहीं सुनेंगे बात को।

श्री सोहन नायक : नहीं सुनना चाहते हैं तो मत सुनो।

श्री केसाराम चौधरी : बिलकुल नहीं सुनेंगे।

श्री सोहन नायक : माननीय सभापति महोदय, गुंडों को गुंडा कहना मना है क्या?

श्री केसाराम चौधरी : नेहरूजी ने गांधी को +++ बताया है। पढ़ लीजिये आप। आपके तो कल्चर में ही यह है। महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता है उसको नेहरूजी +++ बताते हैं।

+++ आपत्तिजनक शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

डा. बी. डी. कल्ला : यह क्या कह रहे हो? क्या बात कर रहे हो आप? +++

श्री केसाराम चौधरी : बिल्कुल सही कह रहा हूं, यह देखिये। आप कहें तो टेबल पर करूं।

डा. (श्रीमती) कमला : टेबल पर रखो।

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह राष्ट्रपिता की हत्या किसने की है यह बता दो।

डा. (श्रीमती) कमला : यह कहां से उतर कर लाये हो? (व्यवधान) यहां टेबल पर रखो।

एक माननीय सदस्य : +++ किसने की है यह तो बता दो।

एक माननीय सदस्य : आप पढ़कर सुना दो, यहां आकर बता दो।

(माननीय सभापति महोदय द्वारा अंकित करने से मना किया गया)

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री सभापति : माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री केसाराम चौधरी : ×××

श्री सभापति : अंकित नहीं हो रहा है।

डा. बी. डी. कल्ला : ×××

श्री केसाराम चौधरी : ×××

श्री हरिसिंह (महुवा) : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री सोहन नायक : ×××

श्री सभापति : आप बिराजिये, आप बिराजिये।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री सभापति : कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है।

डा. (श्रीमती) कमला : ×××

डा. बी. डी. कल्ला : ×××

श्री सभापति : नहीं हो रहा है, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री केसाराम चौधरी : ×××

श्री आर. पी. शर्मा : ×××

श्री सभापति : एक मिनट बिराज जाओ। जो कुछ मैंने खुद ही नोटिस लेकर के माननीय सदस्य से कहा है कि थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए। इसलिए माननीय सदस्य ऐसी बात को न उठायें और अब आप समाप्त भी कीजिये।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।
××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री सोहन नायक : ×××

श्री सभापति : आप बैठो न।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री सभापति : मैं बात कर रहा हूं, आप बैठो न। एक बार आपको संतोष नहीं हो तो बाद में कह देना। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं न। आप बिराजिये न।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री सभापति : एक मिनट बिराज जाएं आप। सुनो तो सही।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री ललित भाटी : माननीय सभापति जी, खुशवंत सिंह जी इस देश के विद्वान विचारकों में से एक हैं और उनकी विद्वता को लेकर उनको राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैंने डायरेक्शन दिया उस हिसाब से चलिये आप। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा।

श्री केसाराम चौधरी : ×××

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपसे निवेदन है कि किसी संदर्भ में ऐसी बात नहीं कहें...

श्री ललित भाटी : आपका आदेश सिर माथे।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री सभापति : बिराजिये-बिराजिये। मैंने दूसरे सदस्य को...(व्यवधान)

श्री ललित भाटी : माननीय सभापति महोदय, जो बात अभिभाषण के अन्दर कही गई कि जिस तरीके से धार्मिक कट्टरवाद उभरकर सामने आ रहा है और राजस्थान में जिस तरीके से कोशिश की जा रही है...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री ललित भाटी : टोगड़िया राजस्थान के यहां पर लोगों को भड़काने वाले भाषण देकर जावें लोगों को त्रिशूल बांटने की बात करके जावें (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री ललित भाटी : गवर्नर महोदय ने अपने अभिभाषण में जिस बात का उल्लेख किया और हम इसके ऊपर चूंकि यह...(व्यवधान) अपनी बात कहने में हमको रोका जाएगा...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री सभापति : आप बिराजें।

श्री ललित भाटी : संरक्षण करें, सभापति महोदय।

श्री मदन दिलावर : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री सभापति : आप बिराजिये।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री सभापति : बिराजिये बिराजिये, दिलावर जी बिराज जाएं। रिकार्ड को देखकर के अध्यक्ष जी इस पर निर्णय ले लेंगे। आप बिराज जाएं।

श्री ललित भाटी : सभापति महोदय, मैं तो, यह मैंने सुना था आप जैसे बुजुर्गों से ही सीखता आ रहा हूं कि सत्य बड़ा कड़वा होता है। अब सत्य तो बड़ा लाल मिर्च वाला लग गया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री केसाराम चौधरी : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री सभापति : आप जल्दी समाप्त कीजिये।

श्री केसाराम चौधरी : ×××

श्री सभापति : बिराजिये न आप।

श्री ललित भाटी : सभापति महोदय, राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में जिस तरीके से चार साल के अन्दर शासन प्रदेश के विकास में जनता के सामने आया है...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब जल्दी समाप्त कीजिये।

श्री ललित भाटी : यह किसी से छिपा हुआ नहीं है, माननीय सभापति महोदय। मुझे इंटरप्ट करके मेरा समय तो ये ले करके जा रहे हैं।

श्री सभापति : अब जल्दी समाप्त करिये आप

श्री ललित भाटी : मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह बात कहना चाहता हूं कि पिछले चार साल के अन्दर अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान की इस कल्याणकारी सरकार ने प्रदेश के अन्दर जो शासन दिया है, यहां पर साम्प्रदायिक सदभाव को जो बनाकर रखा है, विकास के पहिये को चलाकर के रखा है उसके अन्दर जिस तरीके की नापाक कोशिशें की जा रही हैं कि यहां पर माहौल बिगड़े, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी से यह अपील करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो जहरीके भड़काऊ भाषण देते हैं उनके खिलाफ पोटा लगाने में भी हमको नहीं चूकना चाहिए। अटल बिहारी जी तो लगाने वाले नहीं। अटल बिहारी जी तो न तो आज लगावें, न कल लगावें मगर हमारे को तो इस मामले में चूकना नहीं चाहिए। सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि दलितों के साथ भी बड़ा पाखंडपूर्ण प्रेम आजकल उभर कर आ रहा है। भाजपा की वहां बहुजन समाज पार्टी...

श्री मदन दिलावर : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री ललित भाटी : उत्तर प्रदेश में मायावती के साथ मिल करके जो सरकार...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री केसाराम चौधरी : ×××

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपको पता है...

श्री केसाराम चौधरी : ×××

श्री मदन दिलावर :×××

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये। इसके लिए बाहर बहुत जगह पड़ी है।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप जानते हैं कि चार बजे मुख्य मंत्रीजी जवाब देंगे, समय सीमा तय है। लीडर आफ अपोजिशन को बोलना है। और जो मुझे समय की पाबन्दी दी गई है, मैंने 10 मिनट से ज्यादा, 10 मिनट ज्यादा आपको दे दिये हैं, इसलिए आप समाप्त करें, दूसरे माननीय सदस्यों को बोलने दें। जो मुझे सीमा में बांधा गया है, मैं उसी हिसाब से चल रहा हूं और माननीय सचेतक महोदय कहेंगे तो मुझे कोई एतराज नहीं है। चार बजे मुख्य मंत्रीजी को जवाब देना है। उस सीमा के हिसाब से आप चलिये।

एक माननीय सदस्य : ×××

श्री केसाराम चौधरी : ×××

श्री अमराराम चौधरी : ×××

श्री सभापति : आप थे नहीं यहां, उसके लिए फैसला हो गया। आप बिराजिये।

श्री ललित भाटी : मैंने हमेशा आसन का सम्मान किया है, सभापति महोदय, और मैं बहुत शोर्ट में अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं।

श्री सभापति : आप जल्दी कीजिये।

श्री ललित भाटी : मैं यह बात कर रहा था, सभापति महोदय, कि भारतीय जनता पार्टी ने मायावती के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में अपनी नाक जब से बचाई है, तब से दलितों के प्रति इनका पाखंडपूर्ण प्रेम सब जगह देखने को मिल रहा है। इससे पहले कभी इन्होंने अम्बेडकर को याद किया, इससे पहले कभी इन्होंने दलितों के हितों की बात की? इस बात को मुझे बताइये। ये अब अम्बेडकर जी की मूर्ति को साथ में रखने लगे हैं रामजी के साथ में, शम्भूक जी को मारने वाले भी रामजी थे। यह सारा इस देश के दलितों की जानकारी के अन्दर है। तो एक तरफ तो रामजी को पूजते हैं और एक तरफ रामजी के साथ में अम्बेडकर जी को भी लेकर चल रहे हैं। दोहरा आचरण, दोहरा चरित्र, इस तरह की बातें अब इस राजस्थान प्रदेश की जनता के सामने आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में इस कार्ड को खेलने से कुछ मिलने वाला नहीं है चाहे त्रिशूल को बांटे और चाहे अम्बेडकरजी को राम के साथ में लेकर चले।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री ललित भाटी)

सभापति महोदय, जिस तरीके से यहां पर राजस्थान के अन्दर अकाल भयंकर पड़ते हुए भी लगातार चार साल से अकाल पड़ रहा है मगर राजस्थान की सरकार और अशोक गहलोत जी के कुशल नेतृत्व में उनको जिस तरीके से सम्भाला गया है, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी ताश का पत्ता चलने वाला नहीं है। हमने उन असहाय और गरीब लोगों को जो अकाल राहत के काम के ऊपर आ नहीं सकते, उनका भी अशोक गहलोत जी ने ध्यान रखा है। उन लोगों को भी 50 किलो गेहूं और 30 रुपये प्रतिमाह दिये जा रहें हैं। गरीबों को हमने सम्भाला। अन्नपूर्णा के अन्तर्गत उन्हें 10 किलो गेहूं हर महीने मुफ्त दिया जा रहा है, चाहे दो लाख लगे चाहे पांच लाख लगे...

श्री सभापति : बिराजिये, बिराजिये।

श्री ललित भाटी : यह पहली सरकार है, सभापति महोदय, और पहले नेता हैं अशोक गहलोत, जिन्होंने लोगों के जीवन की गारंटी दी है और गारंटी यह दी है मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष से उनके इलाज के ऊपर जितना भी पैसा खर्च होगा, वह सारा का सारा पैसा खर्च किया जायेगा। हमने राजस्थान प्रदेश की जनता को सूचना का अधिकार दिया है। सामाजिक सुरक्षा के ऊपर अशोक जी के नेतृत्व के अन्दर कांग्रेस की सरकार ने जो काम किये हैं, सभापति महोदय, वह भूतो न भविष्यति, यह बात आप मानकर चलिये। सभापति महोदय, शास्त्रों के अन्दर यह बात कही गई है, ''च विपत्तिकाले यतिष्ठति च सखा'' जो विपत्तिकाल के अन्दर काम आता है, वह हमारा बन्धु है, वह हमारा भाई है, वह हमारा मित्र है। आज प्रदेश के अन्दर भयंकर अकाल पड़ा है, त्रिकाल पड़ रहा है, सुमित्रा जी का आज मैंने आज के वक्ता के अन्दर पढ़ा, उन्होंने कहा कि त्रिकाल प्रदेश के अन्दर पड़ा रहा है। उस त्रिकाल के अन्दर, इस विपत्तिकाल के अन्दर भी भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से केन्द्र सरकार के माध्यम से यहां पर भेदभाव बरत रही है, प्रदेश की जनता को जो सहायता उनको देनी चाहिए, वह सहायता मुहैया कराने की बात नहीं की जा रही है, सभापति महोदय, उलटे विपत्तिकाल में राजनीति की जा रही है, प्रदेश की जनता को दु:ख के अन्दर धकेला जा रहा है। ये चीजें छिपी हुई नहीं हैं, सभापति महोदय। मगर ऐसे में भी अशोक जी ने पहली बार यह उदाहरण दिया है कि अगस्त के अन्दर अकाल राहत के कार्य शुरू कराये गये। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के राज में भी अगर, ये अपने आपको गरीबों का बड़ा हमदर्द कहते हैं, ये कहते हैं कि गरीब जो है, वह गुवाड़ी का गणेश है। उस गणेश को भी इन्होंने यदि सहायता पहुंचाई है तो मैं इससे जानना चाहता हूं, इन्होंने तो उनके जीवन को और खतरे में डाला। पहली बार ऐसा उदाहरण पेश हुआ

(श्री ललित भाटी)

है कि अक़ाल राहत के कार्य अगस्त के अन्दर शुरू करवाये गये। सिर्फ इसलिए कि यह नीयत की बात है। नीति और नीयत कांग्रेस की और अशोक जी की प्रदेश की जनता के सामने आज जुबां-जुबां के ऊपर है और जिस तरह से लोकप्रियता हो रही है, सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बहुत बड़ी भगदड़ मची हुई है, ये नहीं जान पा रहे हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : ये तीन उप चुनाव उनकी लोकप्रियता की मिसाल हैं, इन तीन उप चुनावों में उनकी लोकप्रियता सामने आ गई है, यह अशोक जी की लोकप्रियता ही तो आई है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री केसाराम चौधरी : आपकी वाहवाही का पता लग गया है तीनों उप चुनाव में।

एक माननीय सदस्य : आपकी सरकार के समय में भी बहुत सारे उप चुनाव हुए थे, तभी तो आप 33 रह गये हैं।

डा. महेश जोशी : ऐसा है धर्मपाल जी, बहुत जल्दी मैदान में आप भी आने वाले हो और उस समय सारी लोकप्रियता का आकलन हो जायेगा।

श्री सभापति : आप बिराजें।

श्री केसाराम चौधरी : हम तो गणेश जी को भी दूध पिलाते हैं, आपसे तो इंसानों को भी नहीं पिलाया जाता, क्या बात करते हो।

एक माननीय सदस्य : हम सापों को दूध पिलाने में विश्वास नहीं रखते।

श्री सभापति : माननीय ज्ञानचन्द जी पारख, बैठिये।

श्री ललित भाटी : सभापति महोदय, मैं मेरी बात समाप्त कर रहा हूं।

सभापति महोदय, जिस तरीके से चार साल के अन्दर राजस्थान को देश के दूसरे प्रदेशों के मुकाबले लाकर बराबर के अन्दर खड़ा किया गया है, विकास की गति जो हमारे माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्दर यहां कही गई है, मैं कहता हूं, यह सही मायने के अन्दर उस जनता के सामने संदेश दिया गया है कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को सत्तारूढ़ किया है, उन विश्वासों के ऊपर अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार 100 प्रतिशत सही, खरा उतरी है। और ये विकास के काम और गरीब को सम्भालने का काम का जो सिलसिला शुरू हुआ है, यह सिलसिला थमेगा नहीं। अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में फिर सरकार बनेगी और इसी तरीके से विकास के काम करते हुए राजस्थान को देश के प्रमुख प्रदेशों के स्थान पर लाकर खड़ा किया जायेगा। मैं अपनी यही बात कहते हुए, पक्ष में अपनी बात, समर्थन में अपनी बात करते हुए बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय सभापति महोदय, 24 तारीख को महामहिम राज्यपाल महोदय ने यहां आकर जो अभिभाषण पढ़ा है, उसका मैं विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री लगातार अपना वक्तव्य देते रहे हैं, अखबारों में अपनी बात को छपाते रहे हैं, प्रेस क्रांफ्रेंस करते रहे हैं कि राजस्थान में कोई भूखा नहीं सोयेगा...

श्री सभापति : सीमा 15 मिनट की है, मर्जी आये सो कह लो, जल्दी करो।

श्री मदन दिलावर : ...और सब लोग पेट भरकर खाना खायेंगे। ऐसा उन्होंने बारबार जनता को आश्वस्त भी किया। लेकिन श्रीमान् आपको यह भी पता होगा कि अभी तक इस राजस्थान में भूख के कारण से तड़प-तड़प कर सैकड़ों लोग मर चुके हैं। मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि 80 लोगों की...

श्री सोहन नायक : बिलकुल असत्य है। माननीय सभापति महोदय, इतना असत्य नहीं सुना जा सकता।

श्री मदन दिलावर : 80 लोगों की सूचना तो मेरे पास है। उसमें से श्रीमान् आपको जानकारी दे रहा हूं, सितम्बर के आखिरी सप्ताह में शाहबाद के मुंडेर गांव के चार लोग भूख से तड़प-तड़प कर मर गये हैं एक ही परिवार के श्रीमान्। बारां जिले के शाहबाद तहसील के मुंडेर ग्राम पंचायत के खेड़ा शाहपुर गांव के 33 वर्षीय मुरारी के परिवार के चार सदस्यों ने एक-एक कर उसकी आंखों के सामने तड़प-तड़प कर दम तोड़ दिया और वह बेबस हाथ मलता रह गया। उसके घर में हुई मृत्यु का कारण भूख है। श्रीमान्, उसके घर में एक भी दाना नहीं, एक के बाद एक व्यक्ति भूख के कारण से तड़प-तड़प कर मरता गया, कोई उसकी सुध लेने के लिए गया नहीं। जब यह बात अखबारों में छपी तो अधिकारी लोग दौड़े और दौड़कर परिवार के एकमात्र व्यक्ति जो बच गया था, उसको डांटा, डपटा, फटकारा। कहा, आपकी जमीन को सिवाय चक घोषित कर देंगे, आपको जेल में बन्द कर देंगे कोई मुकदमा दर्ज कराकर। यदि आपने भूख से मरने की बात कही, तो इस प्रकार की बात लगातार दबाव बनाते गये। यही नहीं, श्रीमान् 15 अक्टूबर को मेरे विधान सभा क्षेत्र के छजावा गांव में तोलाराम माली, जो बहुत गरीब आदमी था, एक-डेढ़ बीघा जमीन उसके खाते में थी, दो-तीन बच्चे उसके थे, आय का कोई साधन नहीं, रोज मजदूरी मांगता रहा, ढूंढता रहा, सब जगह भटकता रहा। कोई किसी ने उसको किसी प्रकार का काम नहीं दिया।

(14.00 बजे)

उसकी पत्नी कई दिनों तक पड़ोस से मांग कर आटा लाती रही, बच्चों का पेट भरती रही। एक दिन उसका पति कहीं से रोजगार

(श्री मदन दिलावर)

की तलाश करता-करता आया, नहीं मिला तो दिन के बारह बजे चूल्हे के चौके में अपने घुटनों में पेट देकर उसकी पत्नी बैठी हुई, उसने आकर कहा कि भोजन का क्या हुआ। ज्यों ही उसने भोजन का कहा, बेबस वह महिला रो पड़ी। बोली भोजन, आपको पता नहीं होगा कि मैं पन्द्रह दिन से मोहल्ले से मांग-मांग कर ला रही हूं, बच्चों का पेट भर रही हूं। आपको भी खिला रही थी, आज मेरे बश की बात नहीं है इसलिए बच्चे भूखे हैं। मैं आपको भोजन नहीं करा सकती। यह तो उसका सुनना था, उसने कहा यह कहां तक चलेगा। मैं सब जगह चक्कर काट कर आया हूं, कोई मिला नहीं। जब उसके आंसू आ गये तो पत्नी ने ढाढस बंधाया, चिंता मत करो, फिर मोहल्ले में जाती हूं, मांग कर लाती हूं। आपको भोजन करवाऊंगी, बच्चों को भोजन कराऊंगी, मैं भोजन करूंगी और फिर आगे काम का ढूंढ़ेंगे। मैं भी ढूंढूंगी, आप भी ढूंढ़ना। वह महिला आटा मांगने के लिए मोहल्ले में जाती है। इधर से तौलाराम छजावा गांव का अपने ऊपर केरोसिन डालकर व्यथित होकर मर जाता है कि मेरे बच्चों को कहां तक मैं भूख से बिलखता देखूंगा। यह दर्दनाक घटना मेरे विधान सभा क्षेत्र की है श्रीमन्। ऐसा दृश्य आज गांव में पैदा हो गया है। श्रीमान्, यही नहीं, मामला यहीं नहीं रूकता है। किशनगंज तहसील के सुवास गांव में भूख से बारह बच्चों की मौत हो जाती है।

डा. (श्रीमती) कमला : सभापति महोदय, अब तक जितने ऐसे मामले आये हैं उनका आपके वर्जन के बाद में राजकीय वर्जन, मेडिकल जांच, उसकी वास्तविकता सारी की सारी प्रकाशित हुई है और सारे का सारा सब के नोटिस में आया है।

श्री मदन दिलावर : मेरे पास है।

डा. (श्रीमती) कमला : अब कोई नया किस्सा आप ताजा गढ़ रहे हो इसका तो मैं कह नहीं सकती, बाकी यह जो आप कह रहे हैं इसकी सत्यता पर बहुत बड़ा प्रश्नचिन्ह है।

श्री मदन दिलावर : श्रीमान्, सुवास गांव में भूख से बारह बच्चे तड़प-तड़प कर मर जाते हैं, सरकार ध्यान नहीं देती है। बाद में दौड़ लगाते हैं, जाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, भूख का नाम मत लेना, चाहे कुछ भी कह दो। श्रीमान्, एक आपको यह दिखाना चाहता हूं। क्या करें, अनाज नहीं मिल रहा है, न पैसा है, हम पत्ते खाकर के अपना समय गुजार रहे हैं। जब भूख लगती है न तो पेट को कपड़े से बांध लेते हैं, गिर जाते हैं। सोचते हैं कैसे न कैसे शाम पड़े फिर दिन उगे। कोई न कोई आकर के हमारी रोटी की व्यवस्था कर दे, काम दे दे, मजदूरी दे दे। लेकिन यह नंगे बच्चे, नंग-धडंग भूख के कारण से बिलबिला रहे हैं। श्रीमान्, यही नहीं है, जिठाना गांव में, खानपुर तहसील के जिठाना गांव में एक व्यक्ति केवल इस पर जिंदा था कि जब

(श्री मदन दिलावर)

स्कूल चलता है तब जो घूघरी बनती है उस घूघरी की जो जूठन होती है उस जूठन को उठाकर अपने पेट का पालन करता है। श्रीमान्, दीपावली की छुट्टियां लगती है, स्कूल बन्द हो जाता है, घूघरी नहीं बनती है। तो दस-बारह दिन तक भूखा रहने के बाद वह तड़प-तड़प कर दम तोड़ देता है। दम तोड़ देता है। कांग्रेस आती है, दस हजार रुपये ले लो, बीस हजार रुपये लेलो, पचास हजार रुपये ले लेकिन यदि कोई आ जाय तो यह मत कहना कि भूख से मरे हैं। कैसा दर्दनाक दृश्य होगा उस परिवार के सामने।

डा. (श्रीमती) कमला : सभापति महोदय, इनसे यह कहें कि असत्य तो बोलें लेकिन मर्यादा में तो बोलें। इतना पचास हजार ले लो, एक लाख ले लो, यह मत कहना, वह मत कहना, कहानी गढ़ो तो कुछ तो आधार धरती पर भी रखो।

श्री मदन दिलावर : कहानी। मैं सारी सत्य घटना बता रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उप मुख्य मंत्रीजी, यह कहानी नहीं है। इन्होंने अपने पैरों से अपने विधान सभा सहित, अटरू विधान सभा सहित बारां जिले को नापा है और वहां जाकर यह हृदयविदारक दृश्य एक एक गांव में इन्होंने अपनी आंखों से देखा है।

श्री सोहन नायक : इनके क्षेत्र में इसलिए हुआ कि ऐसे जन प्रतिनिधि है वहां, वह कभी जनता को सम्भालते नहीं हैं।

डा. (श्रीमती) कमला : कोई घटना हो सकती है इसको नहीं...(व्यवधान)

श्री सोहन नायक : आप तो झूठी कहानी बनाते हो।

डा. (श्रीमती) कमला : लेकिन वह जिस तरह से उसमें रंग लगाकर कि पचास ले लो, लाख ले लो, ऐसा मत बोलना और बोला तो तुम्हारा यह हो जायेगा, यह इस तरह से रंग दे देकर के आप जो चढ़ा रहे हैं...

श्री मदन दिलावर : मेरे साथ घटित घटना का वर्णन भी कर रहा हूं।

श्री सभापति : जल्दी करो, माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर : छजावा का जब तौलाराम मरा...

श्री सोहन नायक : सभापति महोदय, जो कुछ बलात्कार होते हैं वह भी अटरू में होते हैं, भूख से मरते हैं वह भी अटरू में मरते हैं, क्यों?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सीने में दर्द बोल रहा है।

श्री मदन दिलावर : जब तौलाराम मरता है तो वहां घोषणा होती है एक लाख का काम चालू करेंगे, इसके बच्चे को पैराटीचर लगायेंगे। वह तत्कालीन शिक्षा मंत्री बात

(श्री मदन दिलावर)

करके आते हैं। फिर बाद में जाते हैं कांग्रेस के नेता, पैराटीचर तो लग जायेगा, एक लाख का काम हो जायेगा, विधवा महिला, तुम यह बताओ, यह लिखक कर दे दो हमको स्टाम्प पर कि मेरा पति भूख से नहीं मरा है। उसने कहा, नहीं कहूंगी। काम चालू नहीं होता है। मैं वहां का विधायक होने के नाते जाता हूं काम चालू कराने के लिए। प्रशासन से पूछा कि यह स्वीकृत काम किसके कहने से तुमने रोका हुआ है? प्रशासन कहता है, ऊपर से आया है। कौन ऊपर, भगवान के यहां से आया है क्या? मैंने कहा कि चालू करो। चालू करते हैं। और जब मैं लौटता हूं तो कांग्रेस प्रायोजित हमला मदन दिलावर के ऊपर होता है। गोलियां चलती हैं, मेरी हत्या करने का प्रयत्न होता है। इसकी एफ.आई.आर. दर्ज है, उप मुख्य मंत्रीजी, आपने कार्यवाही की क्या? मेरी हत्या करने का षडयंत्र, तुम्हारे यहां योजना बनती है मदन दिलावर को कैसे मारा जाय। उसकी हत्या कैसे की जाय, यह भूख के मामले क्यों उठा रहा है। मैं सत्य घटना बता रहा हूं। मैं बड़ौदिया गांव में पैदल-पैदल जाता हूं। वहां लोग मुझे बताते हैं दिलावरजी, भूख के मारे बिलबिला रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। वहां एक गूजर, बड़ौदिया गांव के एक गूजर समाज का व्यक्ति कई लोगों के बीच में आता है। मेरे से कहता है, काम नहीं मिल रहा है। मेरे बच्चों ने कई दिनों से भोजन नहीं किया है, मेरे दोनों बच्चों ने तो में कई दिनों से भोजन नहीं किया है। मैंने कहा मैं जिला कलक्टर से बात करूंगा, प्रशासन से बात करूंगा, आपके कोई काम चलवाऊंगा। उन्होंने कहा कितने दिन लग सकते हैं। मैंने कहा यह निकम्मी सरकार है, कम से कम सात दिन तो लग सकते हैं। यदि मेरी बात मान भी ले तो। इतनी देर में तो अपनी साफी निकाल करके आत्महत्या करने का प्रयास करता है, फांसी लगा लेता है, नीचे गिर जाता है और मैं उठाता हूं। यदि यह झूठ हो तो मुझे गौ माता की सौंगध है। मैं यह कह रहा हूं, मेरी बात में एक भी झूठ हो तो, (व्यवधान) जिस प्रकार की चर्चा यहां की जा रही, जिस प्रकार की बात यहां झूठ उप मुख्य मंत्रीजी कह रही हैं कि नमक-मिर्च लगा कर मैं कह रहा हूं। बूलाखेड़ा गांव में जाता हूं, वहां के लोग मन्दिर पर चढ़ जाते हैं, मन्दिर पर चढ़कर कहते हैं, भगवान की सौंगध खाकर के कह रहे हैं कि कई दिनों से हमने भोजन नहीं किया।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : यह तो माननीय सदस्य, यह सरासर झूठ है।

श्री धर्मपाल चौधरी : यह सत्य है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : गूजर मार्शल कौम है और आत्महत्या जैसा घृणित पाप कभी नहीं कर सकती।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह सत्य है। इन्होंने अपनी आंखों से देखा है।

श्री धर्मपाल चौधरी : यह अपने गांव की कहते हैं, जो भी कह रहे हैं, सत्य बात कह रहे हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : गूजर इतना कमजोर और बुजदिल नहीं है तो आत्महत्या करे। यह मार्शल रेस की कौम है, बोडर पर युद्ध में लड़ते हैं, सेना में भर्ती हैं, वह आत्महत्या जैसा घृणित पाप कभी नहीं कर सकते। गूजर अपने बाहुबल पर और अपने परिश्रम पर विश्वास करते हैं। अगर वहां काम नहीं मिला तो वह दूसरी जगह जा सकते हैं। यह मनगढ़त कहानी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : करो। आप चुनौती दे रहे हैं न, मुख्य सचेतकजी।

श्री धर्मपाल चौधरी : मरे थे जब गये थे क्या आप वहां?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुख्य सचेतकजी, आप जो चुनौती दे रहे हैं न कि यह असत्य बात है...

श्री धर्मपाल चौधरी : जब मरे, वहां गये थे क्या?

श्री हरिसिंह (महुवा) : क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कि यह बात जो माननीय दिलावर साहब ने रखी है, यह असत्य है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : हां, असत्य है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उसने आत्महत्या का प्रयास नहीं किया।

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह असत्य है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह सत्य है।

श्री सभापति : राठौड़ साहब, राठौड़ साहब।

डा. के. सी. चौधरी : सौ बार बोलने से असत्य सत्य थोड़े ही होगा।

श्री सोहन नायक : यह बिलकुल असत्य है।

श्री मदन दिलावर : चलो, आप भी चलो, मैं भी चलूं। आपके साथ मैं भी चलूं, उस बड़ौदिया गांव में चलो, यदि यह असत्य हुआ तो मैं इस सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा।

श्री धर्मपाल चौधरी : आप दोगे? बोलो, अब बोलो न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : दी है न चुनौती, अब बोलो।

श्री धर्मपाल चौधरी : अब यह तो इस्तीफा देंगे, आप भी देंगे क्या?

श्री हरिसिंह (महुवा) : जो खड़े होकर गौ माता की कसम खा गया उसके लिए मैं क्या कहूं दूसरी बात।

श्री धर्मपाल चौधरी : बस, इस्तीफा तो दे नहीं सकते...

श्री हरिसिंह (महुवा) : कितनी शपथ दिलाई थी, गाय हमारी माता है, पवित्र है और उसी की कसम खाकर जो कहता है, किसी की कसम ही नहीं लगती।

श्री मदन दिलावर : आज फिर गौ माता की सौंगध खाकर कह रहा हूं, बड़ौदिया की घटना में किसी प्रकार से नमक-मिर्च नहीं है।

श्री सभापति : बिराजिये।

श्री मदन दिलावर : यदि चलना हो, तुम्हें गौ माता की सौंगध है, तुमने मेरे साथ चलकर नहीं देखा है तो, वहां गांव वालों से पड़ताल नहीं की तो। यदि तुम सच्चे गूजर हो तो मेरे साथ चलना।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैं सच्चा गूजर हूं। इसको क्या चैलेंज कर रहे हो। मैं सच्चा गूजर हूं।

श्री धर्मपाल चौधरी : सच्चे गूजर हो तो चलकर देखो तो सही गूजर को।

डा. (श्रीमती) कमला : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने कुछ भी कहने की छूट अपनी ले रखी है उस छूट के तहत में वह जो भी अपना बयान कर रहे हैं वह सत्य है कि असत्य है उसका तो बाद में पता लगेगा, लेकिन इन्होंने अपनी छूट ले रखी है कि वह कुछ भी बयान कर सकते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप मुस्कुरा रहे हो और इनका मन रो रहा है।

श्री सांवर लाल : इन्होंने छूट ले रखी है, आपने क्या छूट ले रखी है?

श्री सभापति : प्रोफेसर साहब।

श्री सांवर लाल : आप बीच-बीच में, उप मुख्य मंत्री हो, आपको हर चीज का जवाब देने की कहां जरूरत है।

डा. (श्रीमती) कमला : उप मुख्य मंत्री बन गई तो मुंह बन्द करोगे क्या मेरा?

श्री सांवर लाल : मुंह बन्द नहीं, तरीके से करेंगे, तरीके से।

डा. (श्रीमती) कमला : कहेंगे जो आप आपत्तिजनक बातें बोलेंगे। उप मुख्य मंत्री बनी हूं तो और ज्यादा जिम्मेवारी है, मेरी आपत्तिजनक बात बरदाश्त करना...

श्री सांवर लाल : आप बार-बार अखबार में छपाती हैं, आपके मुख्य मंत्री छपाते हैं, भारत सरकार नहीं दे रही है। पढ़ा है कानून-कायदा कभी, वित्त आयोग की सिफारिशें पढ़ी आपने?

श्री सभापति : माननीय प्रोफेसर साहब।

डा. (श्रीमती) कमला : आपको क्या परेशानी हो रही है?

श्री सांवर लाल : गैर संवैधानिक बात करते हो आप। गैर जिम्मेदाराना बात करते हो आप, आपका मुख्य मंत्री करता है।

डा. (श्रीमती) कमला : आपने सब कुछ कहने का और सब कुछ सोचने का ठेका ले लिया है। दूसरों को भी सोचना आता है।

श्री सांवर लाल : नहीं-नहीं, आप संविधान के खिलाफ बोलते हैं। संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत जितना मिलना चाहिए उससे ज्यादा भारत सरकार ने दिया है उसके बावजूद बार-बार अखबारों में छपाते हो उसमें शर्म नहीं आती आपको?

डा. (श्रीमती) कमला : कहां से कहां ले जा रहे हो बात। उसका तो जवाब देंगे अभी। रिप्लाई में सारा बतायेंगे मुख्य मंत्रीजी।

डा. के. सी. चौधरी : माननीय प्रोफेसर साहब, आप तो माननीय दिलावरजी को कंट्रोल करें। गौमाता की कसम खाकर भी असत्य बोल रहे हैं।

श्री सभापति : बिराजिये।

डा. (श्रीमती) कमला : ...कितना तो दिया है और कितना आपने निहाल किया है, कितना परेशान किया है सब बता देंगे आपको। सब बात देंगे, अभी पता लग जाएगा।

श्री सांवर लाल : निहाल किया जो आज तक किसी को नहीं किया। किताबें पढा करो किताबें। जनता को गुमराह करने के लिए सदन में बोल रहे हो। कानून-कायदे और किताबें पढ़ो। बिना पढ़े बोल देते हैं यहां पर चाहे जो मर्जी आये कि भारत सरकार नहीं देती है, फलाना नहीं देता है, उस समय तो आपको शर्म नहीं आती है?

डा. (श्रीमती) कमला : माननीय प्रधानमंत्रीजी ने कहा कि मुझे अंधेरे में रखा गया उसके बाद में निर्देश दिये कि इतना इनको मंजूर करो। अखबार में आया है।

श्री सांवर लाल : और अगला हकीकत बात की बयानी कर रहा है...(व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : अगर इतना ही जोश है, यहां की जनता की मदद करने में जोश लगाओ। वहां पर दबाव डालो ज्यादा से ज्यादा पैसा लाओ, ज्यादा से ज्यादा अनाज लाओ ताकि यह जनता आसानी से इस कष्टमय जिन्दगी को निकाल सके।

श्री सांवर लाल : अगर ये गलत बात करें तो बैठ जाइये इनके सामने एक कागज लेकर। बात करो तथ्यों पर करो, बिना तथ्यों के मत करो आप।

डा. (श्रीमती) कमला : यहां जोर लगाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा।

श्री सांवर लाल : आपने सिंचाई विभाग को डुबो दिया। आपने एक तालाब ठीक नहीं कराया सारे टूटे पड़े हैं। सारे तालाब पंचायतों के ट्रांसफर कर दिये क्या बात करोगे आप...(व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : आप 9 वर्ष में क्या करके गये? सारा उजाड़ करके चले गये, सारा मटियामेट करके चले गये। आज पांच वर्ष के अन्दर इतना काम किया है जो 15 वर्षों में नहीं हुआ।

श्री सांवर लाल : माननीय सदस्य अपने एरिया की सही बात उठा रहे हैं। वहां पर लोग मर रहे हैं भूख से मर रहे हैं, काम नहीं मिल रहा है उसमें भी असत्य हो गया।

डा. के. सी. चौधरी : माननीय सभापति महोदय, दिलावरजी को नियंत्रित कीजिये। इनकी भाषा को नियंत्रित करायें। गाय की कसम खाकर असत्य बोल रहे हैं। गौमाता की कसम खाकर असत्य बोल रहे हैं। बार-बार असत्य बोल रहे हैं।

श्री मदन दिलावर : मैं...(व्यवधान)...कसम खाकर भी बोल रहा हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य। आज तो दिलावर साहब बहुत ही नियंत्रित हैं। बहुत नियंत्रित बोले हैं। हां, दिलावर साहब, अब समाप्त कीजिये आप।

श्री हरिसिंह (महुवा) : प्रोफेसर सांवर लाल अनियंत्रित हो रहे हैं।

श्री सभापति : सत्य असत्य नहीं, नियंत्रित हैं अब समाप्त कीजिये आप।

श्री मदन दिलावर : श्रीमान् बारां जिले की किशनगंज तहसील के जैतपुरा गांव में...

श्री हरिसिंह (महुवा) : ...(व्यवधान) आपने कुछ जीवन जितना जिया है उतने दिन तो विधान सभा में बैठी हैं आप सम्माननीय महिला हैं। आप आंख दिखा कर बात करें तो थोड़ा सोचा करें। कहीं कोई इरादा है।

श्री नानूराम कंकरालिया : आपका नम्बर आने वाल नहीं है उप मुख्य मंत्री में।

श्री सांवर लाल : मुख्य मंत्री बना दो न।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप जिये इतने दिनों से विधान सभा में बैठे हैं।

श्री सांवर लाल : मुख्य मंत्री बनाइये मुख्य मंत्री, अगर समय को ही गिनते हो तो। आप इनके अनुभव को गिनते हो तो सी.एम. बनाइये यहां पर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप इनके माध्यम से जिन मतदाताओं को रिझाना चाहते हैं, माननीय कमलाजी के माध्यम से जिन मतदाताओं को रिझाना चाहते हैं, वो गांव गांव में आपसे बदला लेने के लिए खड़े हैं इनके पीछे वो लोग नहीं है। ये मुगालते में बना दिया आपने।

श्री हरिसिंह (महुवा) : ठीक-ठीक है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिये। कृपया समाप्त करने दो। इनको समाप्त करने दो।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : हमारी नेता हैं साहब।

श्री मदन दिलावर : किशनगंज के जैतपुरा गांव में 31 दिसम्बर, 2002 को

(श्री मदन दिलावर)

समाप्त होने वाले पखवाड़े में पांच सहरिया आदिवासियों की भूख से तड़फ-तड़फ कर मौत हो गयी जिनके नाम हैं, मृतकों में, गजरी पत्नी मांगीलाल, मौसमी पुत्री सरजीत, कैलाश पुत्र मुरारी, रामप्रसाद उर्फ परसिया पुत्र देवीलाल और प्रियंका पुत्री ब्रह्मा हैं गांव में अपर्याप्त राहत कार्यों के कारण गांव में सभी को रोजगार नहीं मिल रहा था।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : समाप्त कीजिये।

श्री मदन दिलावर : बूंदी जिले के तालवा गांव के पास पीली की खान के गांव में एक विधवा के 16 वर्षीय पुत्र सरदार को अकाल राहत कार्यों में काम नहीं मिल पाने के कारण, कई दिनों तक भूखा रहने के कारण तड़फ-तड़फ कर मर गया है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह सदन के पटल पर रखवायें।

श्री मदन दिलावर : हां, हां रख सकता हूं। बिलकुल मेरे पास सूची है। मैं रखूंगा, यदि आप आदेश देंगे तो जरूर रखूंगा। इसकी जांच भी होनी चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं। बूंदी जिले के इन्द्रगढ़ तहसील के

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

रमजपुरा गांव के भंवर लाल बैरवा ने भूख से तड़फ-तड़फ कर दम तोड़ दिया।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : असत्य की कोई सीमा तो हो साहब।

श्री मदन दिलावर : करौली जिले के कैलादेवी कस्बे में गुलबाई पत्नी...(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : असत्य की कोई सीमा तो हो साहब। क्या करवा रहे हो आप?

श्री मदन दिलावर :...(व्यवधान)...बंगाले की धर्मशाला, कैलादेवी की भूख से मौत हो गयी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये।

श्री मदन दिलावर : सवाईमाधोपुर जिले के खंडार तहसील के सिहोर खुर्द में पांचा उसकी पुत्र की 24 नवम्बर को भूख के कारण मौत हो गयी।

श्री सभापति : दूसरे माननीय सदस्य को बुला रहा हूं, आप बिराजिये।

श्री मदन दिलावर : श्रीमान्, मेरा निवेदन सुनिये मैंने अभी दो मिनट से ज्यादा बोला नहीं है। मैं पहला वक्ता हूं आज का। हमारी पार्टी का पहला वक्ता हूं आज का।

श्री सभापति : आपकी पार्टी का सब ठीक है अब आप समाप्त कीजिये।

श्री मदन दिलावर : श्रीमान्, मेरे अटरू कस्बे में चम्पालाल सहरिया कई दिनों से भूख से तड़फ-तड़फ कर मर जाए और उसके पश्चात् सारे के सारे तहसीलदार,

(श्री मदन दिलावर)

पटवारी और कई जाएं और कहें कि यह लिख कर दे दें कि आपका पति भूख से नहीं मरा है। और तौलाराम के लिए क्या नहीं कहा यहां के एक मंत्री ने कि वो तो मालपुए खा रहा था। और एस.डी.एम. वहां जाता है मरने के बाद रात को दो बजे। उस मरने वाले के बेटे का नाम नरेन्द्र था। उसने सोचा, उसके बेटे नरेन्द्र को ढूंढ़ा वो तो नहीं मिला और गांव का एक नरेन्द्र मिल गया तो उससे पूछा कि एस.डी.एम. ने कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बोला नरेन्द्र। तो बोले कि पुड़ी ले हाथ में, फोटो खींचना है। उसने पुड़ी हाथ में ली। पुड़ी हाथ में लेते ही फोटो खींच ली और कहा कि इसका बेटा तो पुड़ी खा रहा था, मालपुए खा रहा था। बाद में पता चला उस एस.डी.एम. को कि ये तो उसको बेटा नरेन्द्र नहीं है ये तो दूसरा नरेन्द्र है गांव का। तब वो रोता है चीखता है कलेक्टर से मिलकर कि मुझे बचालो, केमरे वाले से मिल करने फोटो को फड़वाता है। इस प्रकार मालपुए खाने की बात कहना, इस प्रकार पुड़ियां खाने की बात कहना और फिर जिसके घर में पुड़ियां बन रही हो, मालपुए बन रहे हो वो भला मर सकता है?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये अब आप।

श्री मदन दिलावर : नो। अभी रुकिये केवल दो मिनट।

श्री सभापति : श्री सुरेन्द्रजी व्यास। बिराजिये आप।

श्री रामचन्द्र सराधना : ये समय को जाया कर रहे हैं...

श्री मदन दिलावर : श्रीमान्, बडोरा गांव में मैं लिखकर देता हूं कि बड़ोरा गांव में...(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना : निराधार बातें कर आप दूसरे का समय जाया कर रहे हैं। निराधार बातें करके। उनकी बातों को सब जानते हैं।

श्री सभापति : बिराजिये न। बिराजिये आप।

श्री मदन दिलावर : लोग दम तोड़ सकते हैं, भगवान को प्यारे हो सकते हैं। इनकी थोड़ी व्यवस्था कीजिये। प्रशासन उठाकर ले जाता है अस्पताल में फिर वापस छोड़ जाता है, भूख से तड़फ कर मर जाते हैं। सरकार एक बात नहीं बोलती। श्रीमान् कितने लोग मर गये हैं, कितने लोग मर गये हैं।

श्री सभापति : तीन तारीख को आपको समय और मिलेगा।

श्री मदन दिलावर : मैंने गांव में लिख कर दिया पहले इस गांव की स्थिति बहुत खराब है कभी भी भूख से दम तोड़ सकते हैं। वहां लोग मर जाते हैं। मैंने 125 पत्र लिखे हैं मुख्य मंत्री को, सम्भागीय आयुक्त को, जिला कलेक्टर को और मुख्य सचिव

(श्री मदन दिलावर)

को कि गांव की स्थिति क्या है याद कीजिये, परन्तु एक गांव में भी समय रहते हुए कोई कार्यवाही नहीं होती है और कहा जाता है कि वहां कोई भूख से नहीं मर रहा है। 80 लोग मैंने बताये हैं निरन्तर लोग भूख से मर रहे हैं उनकी सूची भी आपने देखी होगी। उनकी जांच भी आपने करवायी होगी। 13 जांच रिपोर्टें आयी हैं। 13 जांच रिपोर्ट एक मामले की 13 जांच रिपोर्ट क्यों? क्या जरूरत थी 13 जांच करवाने की? आपके पापों को छुपाने के लिए कभी तो आप सचिवों की कमेटी भेजते हैं, कभी आप लोग मिल करके एक सदस्यीय कमेटी श्रीमान् नायर साहब को भेजते हैं। उन तीनों सचिवों की कमेटी के निर्णय का क्या हुआ? नायर साहब ने रिपोर्ट, वो उनके पक्ष में नहीं देंगे तो क्यों नहीं देंगे, क्योंकि मुख्य सचिव की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कहा था कि यदि भूख से मर जाएगा, तो होगी।

श्री सभापति : बिराजिये। आपके दो मिनट भी पूरे हो गये।

श्री मदन दिलावर : और उस समय वे अतिरिक्त मुख्य सचिव थे इसलिए उन्होंने बार-बार नयी रिपोर्ट, बार-बार, कब-कब रिपोर्ट दी...

श्री सभापति : आप बिराजिये।

श्री मदन दिलावर : 10 अक्टूबर को रिपोर्ट आती है, 19 अक्टूबर को रिपोर्ट आती है, 23 अक्टूबर को रिपोर्ट आती है, 24 अक्टूबर को रिपोर्ट आती है, 29 अक्टूबर को रिपोर्ट आती है। यहां लोग भूख से तड़फ-तड़फ कर मर जाये श्रीमान्...

श्री सभापति : बिराजिये। राठौड़ साहब, दो मिनट कब के पूरे हो चुके हैं।

श्री मदन दिलावर : और यह सरकार हमेशा इस बात को कहती रही और यह राज्यपाल ने भी कहा। राज्यपाल महोदय ने कहा है।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : नहीं-नहीं आप बिराजिये।

श्री मदन दिलावर : गांव में भूखे हैं राज्यपाल दौरे पर गये हैं। राहत कार्यों पर गये हैं उन्होंने देखा है राहत कार्य जो हुआ है। गांव में भूख और प्यास, लोग त्राहि त्राहि कर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं और अकाल राहत कार्यों में भ्रष्टाचार हो रहा है।

श्री सभापति : बहुत-बहुत धन्यवाद बिराजिये आप।

श्री मदन दिलावर : नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मान्यवर, 80 लोगों की मौतों का जिम्मेदार कौन है? सरकार है। सरकार को सजा मिलनी चाहिए। यह आपराधिक मामला है। गोदामों में अनाज सड़ रहा है और अनाप-शनाप केन्द्र सरकार अनाज दे

(श्री मदन दिलावर)

रही हो, सुप्रीम कोर्ट डाइरेक्शंस दे रही हो कि कोई भूखा नहीं मरना चाहिए लेकिन ये कहते हैं कि भूख से कोई सोयेगा नहीं। भूख से तो कोई नहीं सो पाएगा श्रीमन् भूख से नींद ही नहीं आती।

श्री सभापति : आप बिराजिये।

श्री मदन दिलावर : भूख से नींद आती है भूख से नहीं सोयेगा। भूख से मर जाएगा और इसलिए ये कह रहे हैं कि भूख से कोई नहीं सोयेगा। मैं कहता हूं इस राजस्थान में भूख से कोई सो ही नहीं सकता इससे मर सकता है।

श्री सभापति : आप बिराजिये। माननीय श्री सुरेन्द्र जी।

श्री मदन दिलावर : भूखे आदमी को नींद कैसे आएगी। इस प्रकार बात करना, माननीय सभापति महोदय, इस भूख के मामले को इतना हल्का लेने की जरूरत नहीं है। —

श्री सभापति : आप बिराजिये।

श्री मदन दिलावर : इसका आपराधिक मुकदमा दर्ज कराना चाहिए और मैं यह सदन के पटल पर रख रहा हूं।

श्री सभापति : आपके पास रखो यह अच्छा रहेगा, सुरक्षित रहेगा। माननीय व्यासजी शुरू कीजिये आप।

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। भूख के कारण से, आप मुझे परमीशन दीजिये साहब, आप परमीशन दीजिये। 80 मौतें भूख से हुई हैं ये तो मेरी जानकारी में है। और क्षेत्रों में हुई मौतें अलग हैं। ये तो मेरी जानकारी में है।

श्री सभापति : मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं बिराजिये आप। दूसरे माननीय सदस्य बोल रहे हैं। आप बिराजें।

श्री मदन दिलावर : माननीय सदस्य बोलेंगे, मेरी बात सुन लो।

श्री सभापति : राठौड़ साहब क्या कहते हैं? राठौड़ साहब, क्या चाहते हैं आप?

श्री मदन दिलावर : मेरे इलाके में लोग भूख से तड़फ-तड़फ कर मर गये सूचना देने के बाद मर गये।

श्री सभापति : आप बिराजो तो सही, बिराजो।

श्री मदन दिलावर : बोलो, निकालो अपनी बात कि सूचना तुम्हारी, जिम्मेदारी हमारी। कहां गयी वह सूचना और जिम्मेदारी?

श्री सभापति : बिराजें आप। आप बिराजिए।

श्री मदन दिलावर : यह ऐसे नहीं चलेगा।

श्री सभापति : बिराजिए आप, ऐसे ही चलेगा।

श्री मदन दिलावर : मैं बैठ जाऊंगा, लेकिन यह ऐसे क्यों चलेगा?

श्री सभापति : आप बिराजें।

श्री मदन दिलावर : बदला लेंगे।

श्री सभापति : आप बिराजें।

श्री मदन दिलावर : एक-एक का बदला लेंगे। जाने दो चुनावों में।

श्री सभापति : आप बिराजें। ले लेना बदला।

श्री मदन दिलावर : जाने दो चुनावों में, तबियत ठीक कर देंगे। जिन परिवारजनों के लोग भूखे मरे हैं, वे उल्टा लटका देंगे सरकार को।

श्री सभापति : माननीय श्री व्यास जी।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) **:** माननीय सभापति जी, 24 तारीख को महामहिम राज्यपाल ने जो अभिभाषण यहां दिया और जिसके लिए जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा है उस चर्चा में भाग लेने के लिए आपकी अनुमति से मैं खड़ा हुआ हूं। महामहिम ने अपने संवैधानिक कर्तव्य का निर्वहन किया है, इसलिए मैं न तो उनको धन्यवाद दे रहा हूं और न कोई विरोध कर रहा हूं। यह पालिसी स्टेटमेंट है गर्वनमेंट का। अब गवर्नर एड्रेस के अन्दर अकाल का मुद्दा छाया हुआ है, rightly so. जो अकाल की विभीषिका आज इस प्रदेश के अन्दर है तो मेरे विचार में उससे अहम मुद्दा प्रदेश की जनता के सामने, प्रदेश की सरकार के सामने कोई हो नहीं सकता। और इस अकाल की स्थिति से मुकाबला करने के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं वो गौण हो रहे हैं। राज्य सरकार निरन्तर केन्द्र सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि केन्द्र सरकार भेदभाव करती है और केन्द्र सरकार राजस्थान के साथ सौतेला व्यवहार करती है और पोलिटिकल रीजन से एड को, असिस्टेंस को विदहैल्ड करती है। केन्द्र सरकार के नेता लोग यह आरोप लगाते हैं राजस्थान की सरकार पैसे का उपयोग नहीं करते हैं। जो पैसा हम देते हैं उसको खर्च नहीं कर पाते हैं। Slanging match between the BJP and the Congress, and the Congress and the victims, and sufferers are the people of Rajasthan. आम जनता को इससे कोई सरोकार नहीं है। सभापति महोदय, आपने तीन और चार तारीख निश्चित की है, आंकड़ों पर विचार करके, फिगर्स पर, मैं चाहूंगा कि सदन 4 तारीख को निर्णय करे कि कौन अपना कर्तव्य निर्वहन में केन्द्र सरकार या राज्य सरकार कितनी शिथिलता बरत रही है।

वर्तमान में मैं सिर्फ सदन का ध्यान इस

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

ओर ले जाना चाहूंगा, कल एक प्रश्न सूचीबद्ध था कि केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में जो ड्रिंकिंग वाटर, an integral part of the famine relief operations, आप 7 हजार करोड़ रुपये मांग रहे हैं। काहे के लिए मांग रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर भी उसके अन्दर है। उसके अन्दर अनफोर्चुनेटली बहुत ज्यादा जो हमारी प्रणाली बनी हुई है, डिबेट नहीं होती, मुझे इस बात की बहुत तकलीफ है, और आपस में आरोप-प्रत्यारोपण, हल्ला-गुल्ला चालू हो जाता है। लेकिन जो उत्तर लिखित में आया है-it speaks volumes about it.सभापति महोदय, मैं अभी समय नहीं लूंगा, 3 और 4 को मैं अपोर्चुनिटी अवैल करूंगा, मैं अपने विचार व्यक्त करूं, लेकिन जो 15 परसेंट की परमिसिबल लिमिट है सैंट्रल गवर्नमेंट की असिस्टेंस में 15 परसेंट से अधिक मनी आप सेव करते हैं तो वह लैप्स हो जाती है, वह कैरी फारवर्ड नहीं होती है। ए.आर.पी. मरुस्थल में, will you belive it, 1999-2000 के अन्दर 52.25, यह सेविंग है इनकी। आप लगातार कहते हैं हम बिलकुल सही तरीके से काम कर रहे हैं। क्या आप पैसा खर्च नहीं कर सकते? इसमें कोई संदेह है?

मैं एक बात जरूर कहूंगा। महामहिम राज्यपाल को मैं धन्यवाद दूं या न दूं, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को अवश्य धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कृपापूर्वक इस अभिभाषण के अन्दर केन्द्र सरकार के खिलाफ कुछ सेंटेंसेज इनकारपोरेट नहीं करवाये, करवा सकते थे। कांस्टीट्यूशनल आब्लिगेशन है गवर्नर मना नहीं कर सकता। कल यहां पर जना कृष्णमूर्ति भी, चर्चा है वे आ जाएंगे। खैर वे एड्रेस करेंगे ही नहीं क्योंकि यह लास्ट सैशन है। लेकिन आपको बात कहता हूं, बाध्य हैं। वैसे सरकार जो केबिनेट अप्रूव करती है, माननीय उप मुख्य मंत्रीजी बैठी हैं यहां पर, उनको पढ़ना पड़ता है। यह कम से कम राज्यपाल की गरिमा के अनुकूल भाषण उन्होंने दिलवाया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

अब सभापति महोदय, चर्चा यह है कि चार साल की उपलब्धियां क्या हैं? मोटी उपलब्धि जिस पर बार-बार जिक्र यहां पर किया गया वो कंट्रक्शन एक्टिविटी है। जयपुर को कोई आकर देखेगा तो पहचान नहीं पाएगा। इतना कंस्ट्रक्शन किया है, 6 शहरों का सौन्दर्यकरण किया है। एक यह कच्ची बस्ती का नियमन का। इतनी सारी जमीन का नियमन कर दिया। सभापति महोदय, इसमें कोई संदेह नहीं है कि असीम निर्माण कार्य हुआ है और इन निर्माण कार्यों के अन्दर अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से कर्ज भी लिया गया है। एशियन डवलपमेंट बैंक से भी कर्ज लिया गया है और बहुत तादाद के अन्दर जो काम हुए हैं उनमें कुछ आवश्यक थें, कुछ वांछनीय थे, कुछ अनावश्यक भी हुए हैं। मैं इस चर्चा में भी

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

ज्यादा घुसना नहीं चाहता, लेकिन माननीय मंत्री लोग यहां बैठे हैं, कभी बापू बाजार की जाकर शक्ल देखें कितना पैसा आपने हाउसिंग बोर्ड से ब्यूटिफिकेशन कराकर खर्च किया और वह सब पैसा मटियामेट हो गया। आराम से सब सड़कें खुदी पड़ी हैं, सब जाते हैं वहां पर। वही गवर्नमेंट है। आपकी गवर्नमेंट बदल जाती, दूसरी गवर्नमेंट आ जाती तो यह कह सकते हैं कि फालो अप प्रोपरली नहीं किया, हमने तो बहुत काम किया था। तो आप मेंटेन तो नहीं कर पाये। पर यह एक इश्यू है। अब कच्ची बस्तियों के नियमन वाले इश्यू पर आते हैं। मेरा मुख्य आज की डिबेट में पार्टिसिपेट करने का यही आधार है।

सभापति महोदय, नगरीय विकास विभाग द्वारा प्रशासन शहरों के संग के दौरान एक परिपत्र जारी किया गया। क्रमांक प.9(1)नविवि/3/95, जयपुर, दिनांक 18.5.1999। यह मैं आपको पूरा न पढ़कर आपके सामने रेलेवेंट पोर्शन पढ़ता हूं। ''नियमन योग्य कच्ची बस्तियां। दिनांक 15.8.1998 तक की अनधिकृत रूप से राजकीय भूमि/स्थानीय निकायों की भूमि पर बने आवासीय निर्माणों का नियमन किया जाएगा।''

(14.27 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तो उपाध्यक्ष महोदय, डेड-लाइन है कब तक का किया जाएगा, 15.8.1998 तक। इसके अन्दर उपाध्यक्ष महोदय, भू-माफिया की कार्यवाही पर पूरा अंकुश रखा गया है। मैं इस परिपत्र, जो इसी सरकार द्वारा जारी किया गया है उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करना चाहता हूं। पूरा इफेक्टिव चैक रखा गया है। इस परिपत्र में निर्धारित क्षेत्र से अधिक क्षेत्र का नियमन नहीं किया जाएगा। क्षेत्र भी निर्धारित किया है। यह नहीं कि आप मर्जी आये जितनी जमीन नियमन कर दो। केवल निर्मित क्षेत्र का ही नियमन किया जाएगा, रिक्त भूमि का नियमन नहीं किया जाएगा। यदि भूखण्ड पर केवल चारदीवारी बनी हुई है तो उसे भी रिक्त भूखण्ड माना जाएगा। इन सपोर्ट आफ दी पजेशन यह एविडेंस प्रोड्यूस करनी पड़ेगी कि बिजली के बिल, टेलीफोन के बिल, पोस्टल एड्रेस, कोई डाक आयी हो, मतदाता सूची में नाम, ये सब फूलप्रूफ परिपत्र आपका है।

आपने लालकोठी योजना के अन्दर क्या किया? लालकोठी योजना में नहीं किया? आपने पूरे राजस्थान में ही क्या किया? मंत्रिमण्डलीय समिति बनाकर, न तो आपने उसमें डेड-लाइन तय की, न आपने उसमें सीमा निर्धारित की और निर्मित क्षेत्र के साथ में आपने रिक्त भूखण्ड को नियमित कर दिया। प्रताप नर्सरी, आनन्द नर्सरी, मेघचन्द एण्ड संस। अब उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर तत्कालीन स्वायत्त शासन मंत्रीजी ने हाईकोर्ट के एक फैसले का अंश उद्धृत कर दिया,

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

पढ़कर सुना दिया। हाईकोर्ट का फैसला है, न्यायपालिका का सब लोग आदर करते हैं, करना चाहिए। पर यह एक अनवरत प्रक्रिया है। उपाध्यक्ष महोदय, फिर आपने पृथ्वीराज नगर की जमीन का नियमन किया। जोधपुर में पाल का किया, हर शहर में किया है। उसको मुक्त कर दिया। मैंने एक पत्र माननीय मुख्य मंत्रीजी को दिनांक 4 अक्टूबर, 2002 को लिखा था। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कृपापूर्वक इस पत्र का जवाब भी दिया है। मैं आपकी अनुमति से इस पत्र को पढ़ना चाहता हूं, उसका उत्तर पढ़ना चाहता हूं। सम्माननीय गहलोत साहब, आपके द्वारा राजकीय बहुमूल्य 11454 बीघा भूमि जो कि पृथ्वीराज नगर योजनान्तर्गत अवाप्तिधीन थी, को लोकहित में पूर्णतः अवाप्ति से मुक्त करने के लिए बधाई। मैं अंतरमन से दे रहा हूं बधाई। बधाई इसलिए कि अनेक वर्षों से लम्बित योजनाएं जो सभी सरकारें द्वारा प्रशासन की न केवल निष्क्रियता अपितु मिलीभगत से विफल कर दी गई, और योजनाओं के विपरीत-इन पर अवैध मकानों का निर्माण होता रहा है, जिसमें मध्यम श्रेणी के लोगों की पूंजी उलझती रही की समस्या का, आपने निश्चित ही इससे समाधान किया है।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अवाप्तिधीन भूमि का कब्जा लेने का जितना तीव्र भौतिक विरोध इन अवैधानिक रूप से बसी कालोनियों के निवासी करते आ रहे हैं उससे यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यह व्यावहारिक रूप से सम्भव भी नहीं था कि भूमि का कब्जा प्राधिकरण प्राप्त कर सकता था। वैसे भी जिन लोगों ने अंतिम रूप से इन जमीनों पर भौतिक कब्जा कर रखा था वह स्वयं भू-माफिया न होकर मध्यम श्रेणी के लोग थे, जिन्होंने अपने जीवन भर की कमाई से प्लाट भी खरीदे थे और यहां निर्माण भी करवाया था, चाहे यह भूमि उन्होंने भू-माफिया से ही प्राप्त की थी।

इस लोकहित के मुद्दे पर आपने जो भू-माफिया का हित साधन किया है और साथ ही यह भी कहा है कि किसानों को राहत देने के लिए गृह निर्माण सहकारी समितियों का एवं भू-माफियाओं का दखल इसमें बन्द कर दिया है, आपकी चतुराई और बुद्धिमता का द्योतक है। 7000 बीघा जमीन ऐसी है जिस पर कोई कब्जा करके निर्माण नहीं किया गया है। पूर्णतया रिक्त पड़ी हुई है। वास्तव में इस भूमि पर कोई काश्त भी नहीं हो रही है। अवाप्तिधीन भूमि को आपने मुक्त करके लोगों को लाभ पहुंचाने का दावा किया है।

गृह निर्माण सहकारी समितियों, भू-माफियाओं को प्रतिबन्धित करते हुए आपने किसानों को इस बात की छूट दी है कि वह चाहे तो काश्त करें अथवा प्राधिकरण से प्लान एवं ले-आउट का अनुमोदन कराकर आवासीय कालोनी के

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

लिए प्लाट काटकर बेच सके, आप क्या राजस्थान के किसानों से परिचित नहीं हैं? कौनसा किसान प्लान बनाकर और ले-आउट बनाकर प्लान बेचने में सक्षम है? इससे किसानों के नाम पर आपके द्वारा प्रतिबन्धित भू-माफिया वापस सक्रिय हो गया है। इन भू-माफिया को लाभान्वित करने की मंशा इसी बात से स्पष्ट है कि आपने कोई भी कट आफ डेट निर्धारित नहीं की जब तक का सौदा मान्य नहीं हो। क्या यह सही नहीं है कि कम से कम 4000 बीघा भूमि पर लोगों ने विक्रय के अनुबन्ध किए हुए हैं। पिछले तीन वर्षों में जबरदस्ती भूमि को कब्जे में लेने का नाटक कर क्या प्राधिकरण ने इस भूमि के खातेदारों को मामूली कीमत पर विक्रय के अनुबन्ध करने के लिए विवश नहीं किया है?

आप कितनी सदाशयता भू-माफियाओं के प्रति रखते हैं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि अपंजीकृत डीड से कच्चे पक्के सौदों के आधार पर, यहां तक कि पावर आफ एटोर्नी के नाम पर आपका प्रशासन किसानों की जगह इन भू-माफियाओं से नेगोशिएट करता है और अंतिम रूप से उन्हें सब अधिकार प्रदान करता है जो कि आपकी घोषित नीति के अनुसार मात्र किसानों के लिए सुरक्षित होते हैं। ऐसा ही आपने लालकोठी में किया, ऐसा ही आपने जोधपुर शहर की पाल की जमीनों के विषय में किया है, और यही आप [illegible]

में करने जा रहे हैं। जब आपके निर्णय का कोई विरोध करता है तो उस विरोध को आप उन मध्यम श्रेणी के लोगों की तरफ मोड़ देते हैं जिन्होंने अवैधानिक रूप से भू-माफियाओं से जमीन खरीदकर अपने मकान बना लिए।

मैं आपका ध्यान 23 सितम्बर, 2002 के प्रदेश के समाचार पत्र दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचारों की ओर दिलाना चाहता हूं। इसमें प्रदेश के सबसे बड़े भू-माफिया भीमसेन गर्ग ने यह दावा किया है, उसे पहले से पता था कि सरकार इस योजना के अन्तर्गत भूमि को आवप्ति से मुक्त करेगी। उसके स्वयं के अनुसार उनके नाम से 132 बीघा भूमि इस योजना के अन्तर्गत है। अब जब आपके निर्णय के अनुसार फैसला हो तो क्या आप इस पर नियंत्रण रखेंगे कि कितनी बीघा भूमि भीमसेन गर्ग ने अपनी पत्नी और पुत्रों के नाम से, परिजनों के नाम से क्रय की है व उसने आपकी नीति के अन्तर्गत नियमन कराने हेतु आवेदन किया है।

श्री उपाध्यक्ष : इसका ओपरेटिव पार्ट पढ़ दीजिए। इसकी तो हो गई बात।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ठीक है, आपका आदेश सिर माथे पर। आपकी नीति कहां तक लोकहित में है इसका निर्णय राज्य की जनता खुद करेगी। आप एक श्वेत पत्र राजस्थान सरकार की ओर से जारी कर निम्नलिखित सूचनाएं सार्वजनिक करने का

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

कष्ट करें, किस-किस योजना में कितने-कितने निर्मित क्षेत्र की भूमि को एवं कितने कितने रिक्त क्षेत्र को अवाप्ति से मुक्त किया गया है। मूल बात यह है कि अवाप्ति से मुक्त डिएक्वीजीशन जो आपने ओपन लैंड का किया है, वेकेंट लैण्ड का किया है, वह कितना किया है, हरेक जगह के ऊपर रिक्त क्षेत्र में कितनी-कितनी भूमि के कितने कितने सौदे रजिस्ट्री एवं एग्रीमेंट के माध्यम से किन लोगों ने किए हैं?

उपाध्यक्ष महोदय, कच्ची चिट्ठियों के आधार पर तत्कालीन स्वायत्त शासन मंत्रीजी ने खुद पढ़कर कहा पावर आफ एटोर्नी से नेगोशिएट करते हैं, लालकोठी योजना में कर रहे हैं वे नेगोशिएट। इन क्षेत्रों की भूमि की बाजार की कीमत क्या है, जिन योजनाओं से अवाप्तिधीन भूमि को मुक्त किया है, उन योजनाओं की क्रियान्विति में राज्य सरकार और स्थानीय निकायों की कितनी कितनी राशि व्यय हो चुकी है, इस व्यय में राजकीय एवं स्थानीय निकायों के अमले के समस्त खर्च को जोड़ा जावे।

मुख्य मंत्रीजी ने जवाब दिया कि पृथ्वीराज नगर योजना के अन्तर्गत निर्माण की तिथि निश्चित करवाने तथा खाली जमीनों को अवाप्ति से मुक्त नहीं करने के सम्बन्ध में आपका पत्र दिनांक 4.10.2002 मुझे दिनांक 16.10.2002 को प्राप्त हो गया। मैं इसे आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग को भिजवा रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मुख्य मंत्री के पत्र को फेसवेल्यू पर लिया, लेना भी चाहिए। राजस्थान का मुख्य मंत्री है, इतना बड़ा आदमी कह रहा है तो निश्चित रूप से कोई कार्यवाही होगी। खेद का विषय है कि मेरी जानकारी में इस विषय में किसी स्टेज पर किसी स्तर पर न कोई विचार हुआ, कार्यवाही करना तो बहुत दूर की बात है, कार्यवाही करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

उपाध्यक्ष महोदय, एक अहम मसले में मैं आपकी अनुमति से मुझे तो नेक्सस फैला हुआ है पोलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट और भू-माफिया, इस नेक्सस को कहां से और सपोर्ट मिल रहा है वह चिन्ता का विषय है सदन के लिए और सब लोगों के लिए। होना भी चाहिए, और है, मैं मानता हूं। यह हिन्दूस्तान टाइम्स का आपकी अनुमति से पढ़ रहा हूं :-

"A year ago, the Chief Justice of India had raised the issue of corruption in the judiciary. Justice S.P. Bharoocha thought the matter serious enough to return to it two months later when he said that 20% of the judges in the country suffered from taint. Broaching a taboo subject was no less than a break-through. The Chief Justice also asked for the corrupt judges to be identified and dismissed from service."

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

"Implied in this connection are two valuable principles that a judiciary that does not command respect by virtue of being impartial and above-board cannot sustain the edifice of justice in a democratic order and that no institution or an individual is above the law in democracy."

"The very day he took charge last month, Chief, Justice G.B. Patnaik had found reason enough to suggest that corruption had dented the image of the judiciary to some extent. Not long after, he has seen it fit to order a probe into the conduct of clutch of judges of Karnataka High Court regarding whom the media had aired reports of dubious behaviour."

"In the light of this, it appears incongruous that media organisation should be issued contempt notices by the High Court. The Editors Guild of India has had to appeal to the High Court to review its decision to place curbs on the media while reporting on the activities of the judges."

उपाध्यक्ष महोदय यह भरूचा और जी.बी. पटनायक, उनका खुद का एडमिशन है। जस्टिज मैदान के विषय में इंक्वायरी चल रही है, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह आउटसैट में कहना चाहता हूं, मैं व्यक्तिश: न्यायपालिका का सम्मान करता हूं और करना भी चाहिए। न्यायपालिका ने इस देश के समाज को बहुत बचाया है सेवियर है, और आज भी बचा रही है, ऐसा भी नहीं है By the statement of the CJI himself, 80 प्रतिशत लोग तो हैं ही, मैं 80 से भी ज्यादा मानता हूं। अधिकांश लोग हैं, सब लोग ही बहुत ईमानदार हैं लेकिन कुछ लोग, आप देखिए, इंडिया टुडे में एक आर्टिकल है : "When one nun goes a stray, the whole nunnery goes with her." एक नन अगर एस्ट्रे चली जाती है तो पूरी ननों की उसमें बदनामी होती है। यह सब्जेक्ट ऐसा है इसके अन्दर खुद सी.जे.आई., उन्होंने कहा है यह सब मुनसर करता है चीफ जस्टिज के ऊपर "Slackness of CJs is the cause of corruption." Hindustan Times. 9th November, 2002. जी.बी. पटनायक का है। यह अपेक्षा की जाती है मुख्य न्यायाधीश से। अनफोरचुनेटली हमारे यहां मुख्य न्यायाधीश भी नहीं थे यह उस समय का किस्सा है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं, यह दो मोबाइल टेलीफोन के अगस्त और सितम्बर

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

के बिल मुझे उपलब्ध हुए हैं, इनके विषय में सदन को जानकारी देना चाहता हूं। मोबाइल नम्बर है 98290-14299, गारमेंट क्राफ्ट, एफ-47, मालवीय इण्डस्ट्रियल एरिया। इस फोन से...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, I do not want to interrupt him, ये इतने सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं। जो आदमी हाउस में मेम्बर नहीं है, उसके बारे में हम कोट करें, सामने वाले को कैसे मौका मिलेगा अपनी बात कहने का। Whatever he wants to say, either he should give permissible...हम किसी एक आदमी को डोक पर रखने के लिये कोई बात कहें और वह आदमी हाउस में ही नहीं है कि यह गारमेंट का टेलीफोन नम्बर है, या फलां टेलीफोन नम्बर है, वह आदमी अपने को डिफेण्ड कैसे करेगा? तो इसके लिये प्रोसीजर है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : किसका नम्बर है, आप बता दो ना।

डा. सी. पी. जोशी : हमें सब मालूम है। कंस्ट्रक्टिव एविडेंस के लिये हमने ही ठेका लिया है क्या? ऐसे क्या? अभी आपने पढ़ा होगा अखबार में कि किस तरह के एडिटोरियल आ रहे हैं अंग्रेजी के अन्दर। किस तरह से जर्नलिस्ट को मेनेज करके लिखा जा रहा है, बड़े-बड़े एडिटोरियल आ रहे हैं। टाइम्स आफ इण्डिया में आ रहे हैं, हिन्दू, हिन्दुस्तान टाइम्स में आ रहे हैं कि किस तरह से स्पांसर्ड न्यूज दी जा रही है Is it not part of this , ये जो मेम्बर बोल रहे हैं, वह स्पांसर्ड नहीं हैं? What is the guarantee of this? हम अपने आपको तो पाक साफ रखना चाहें और दूसरे को कहें कि यह बात है, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि वे बोलें मुझे कोई तकलीफ नहीं है लेकिन he is such a senior parliamentarian, जो आदमी हाउस के अन्दर नहीं है वह अपनी बात को डिफेण्ड कैसे करेगा। और डिफेण्ड नहीं करेगा तो वह तो एक्युज्ड होकर चला जाएगा। इसलिये कोई न कोई सिस्टम तो ईजाद किया जाना चाहिए जिससे हम जिस चीज को कोट करें उसमें रिलेवेंट रूल के साथ हम कोट करें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूं, मंत्रीजी आवश्यक...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

डा. सी. पी. जोशी : I am not saying आप जो एग्जाम्पल...

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, मैंने क्या बोला, क्या बोला मैंने?

डा. सी. पी. जोशी : आप नम्बर दे रहे हैं, किसी के टेलीफोन नम्बर...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, तो क्या हो गया? आगे सुनो तो सही, क्या बोल रहा हूं।

डा. सी. पी. जोशी : मुझे सुनना नहीं है, मुझे क्या सुनना है, सबको मालूम है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने किसी के खिलाफ?

डा. सी. पी. जोशी : डेंटल कालेज की सीटों पर पैसा खाया, फलां खाया। कंस्ट्रक्टिव एविडेंस बनाने में आप कितने एक्सपर्ट हैं, सुनना क्या है। आप जो हर-एक को...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैंने कभी नहीं कहा, जोशीजी, आप +++ से बात कीजिए, मैंने नहीं कहा, किसी के लिये पैसा खाया। आपको ज्यादा...(व्यवधान) +++ से बात कीजिए।

डा. सी. पी. जोशी : आपने ठेका लिया है क्या +++ का, मैं परमिशन से बोल रहा हूं, बिना परमिशन के नहीं बोल रहा हूं (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : Take your seat. What do you mean?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपके नम्बर में मैं आपके लिये नहीं बोलता हूं। जब देखो तब खड़े हो जाते हैं। आपको +++ नहीं है बात करने की। मैंने कोई एलिगेशन नहीं लगाया।

डा. सी. पी. जोशी : I am not at your mercy. You are a +++ हर किसी के खिलाफ बोलने का ठेका ले रखा है। भैरोंसिंहजी के खिलाफ बोले, उनको ब्लेक मेल किया और आज बी.जे.पी....(व्यवधान) This is your trend. जिन्दगी भर आपने यह काम किया है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, मंत्रीजी।

डा. सी. पी. जोशी : पिछले समय भैरोंसिंहजी को आपने डॉक में डाला है। आप नहीं बोलें, I am not at your mercy. With the permission of the Chair, I have raised this issue. आप नहीं बोलें, आप सीनियर आदमी हैं। I am not at his mercy. And I will not tolerate it.

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

डा. सी. पी. जोशी : मैं आपसे परमिशन लेकर बोला हूं। इतने सीनियर माननीय सदस्य हैं। मैंने पाइंट आउट किया कि यह व्यवस्था है। मैं इनकी मर्सी पर बोल रहा हूं क्या? बस ये ही एक्सपर्ट हैं, हर एक पर बात करेंगे। और सुओ-मोटो हर प्रकार की बात करने लग जाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, हम यहां पर जलील होने के लिये मंत्री नहीं बने हैं कि किसी की मर्जी आये जो बोल दे।

श्री मदन दिलावर : इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो।

डा. सी. पी. जोशी : काहे को इस्तीफा दे दें। आपकी मर्सी पर जीतकर आए हैं

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(डा. सी. पी. जोशी)

क्या? आप जीतकर आए होंगे तोगड़िया की मर्सी पर। हम तो कांग्रेस के वोट से जीतकर आये हैं। हम किसी की मर्सी पर जीतकर नहीं आये हैं।

श्री मदन दिलावर : जनता की मर्सी पर जीतकर आये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, प्लीज। एक मिनट...

श्री सुरेन्द्र व्यास : पहले मेरी सुन लें, नहीं मेरी बात सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, मेरी सुन लें, मेरी बात सुन लें, एक सैकण्ड, मेरा अनुरोध तो सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, आप बिराजिये प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, आप इकतरफा नहीं दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये ना, उनका जवाब देने दीजिए मुझे। ऐसा है उन्होंने टेलीफोन नम्बर कोट किया है। समबॉडी का नम्बर कोट किया है। आगे क्या कहते हैं, if it is objectionable, we will see.

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां तो खतम किस्सा।

डा. सी. पी. जोशी : I am not going into the merit of this इनका अपना अधिकार है कहें, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैंने तो खाली यह निवेदन किया कि माननीय सदस्य कोई बात रखें किसी के बारे में रखें लेकिन अपने रूल में यह प्रोविजन है।

श्री उपाध्यक्ष : अभी बात रखी नहीं ना...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : कोई भी कोट करें, I am not saying it, वे क्या कहें I am saying it that, उनको रखने का अधिकार हैं, रखे। लेकिन रखे नियम और कानून के अन्दर जो व्यवस्था है, मैं यह बात कह रहा हूं। मैं थोड़े कह रहा हूं आपको कि आप क्या रखे और क्या सही रखे। It is his prerogative. जो मन में हो वह रखे, मुझे क्या तकलीफ है। यह थोड़े ही कह रहा हूं कि यह देखे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्रता के साथ निवेदन कर रहा हूं कि मैं कम से कम अब आपको निश्चित रूप से पुनरावृत्ति करता हूं, मौखिक रूप से मैंने आपको निवेदन किया था, मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगाऊंगा। मेरे मित्र जोशीजी अनावश्यक उत्तेजित हो रहे हैं, उनकी मर्जी है।

डा. सी. पी. जोशी : मैं उत्तेजित नहीं होता। आपने खुद ने इन दिनों जो अखबार में एडिटोरियल आ रहे हैं इनके सम्बन्ध

(डा. सी. पी. जोशी)

में जिस तरह की बातें आ रही हैं कि किस तरह से स्पांसरशिप हो रही है। टाइम्स आफ इण्डिया क्या लिख रहा है, हिन्दू क्या लिख रहा है, इण्डिया टुडे क्या लिख रहा है। एट लेंथ डिस्कशन चल रहा है कि किस तरह से स्पांसर्ड न्यूज देकर यह व्यवस्था की जाती है। मैं तो माननीय सदस्य, यह कहना चाहता हूं कि आप किसी को कहें इसमें लिखा हुआ है भू-माफिया, इसमें लिखा हुआ है फलां माफिया। Who are you to say it that यह भू-माफिया है कि नहीं है? आप तो नाम लेकर कह रहे हैं कि भू-माफिया है, as if you are passing the judgement. भू-माफिया का सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं। भू-माफिया का सर्टिफिकेट या भू-माफिया का कोई फैसला हो गया। जिसको आप चाहे भू-माफिया कह दें। तो माननीय सदस्य, इसकी क्या गारंटी है कि आप जो बोल रहे हैं वह किसी से स्पांसर्ड होकर नहीं बोल रहे हैं? इसकी भी तो कोई गारंटी होनी चाहिए। मैं तो खाली यह कहना चाहता हूं कि यह सारी डेमोक्रेसी में डिबेट चल रही है, अभी सारे हिन्दुस्तान के अन्दर, सारे इंग्लिश पेपर्स के अन्दर यह एडिटोरियल आ रहा है, हिन्दुस्तान टाइम्स के अन्दर वीर सांधवी ने आर्टिकल लिखा है कि किस तरह की स्पांसर्ड न्यूज से हिन्दुस्तान में व्यवस्था की जा रही है। बड़े-बड़ों के आर्टिकल आ रहे हैं इस बारे में कि आज यदि मीडिया के अन्दर स्पांसर्ड करके इस तरह की बातें की जा सकती हैं तो what is the guarantee that इलेक्टेड रिप्रजेंटेटिव इस तरह की व्यवस्था नहीं करता। और नहीं करता है तो इस पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं, मैं यह इसलिये नहीं कहना चाहता हूं, ये लर्नेड मेम्बर हैं। ये बरसों से यह बात करते हैं। लेकिन कोई कैट एग्जाम्पल अपन करें तो डेमोक्रेसी में जो व्यवस्था बनी है उसको भी सोचने की जरूरत है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई बात बिना आधार के नहीं करता हूं। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जनहित में प्रकाशित, राष्ट्रदूत, एक अगस्त, 2002, आपरेशन भू-माफिया, भू-माफिया से बचे। इसमें डिफाइन किया हुआ है, जयपुर विकास प्राधिकरण, आपका सरकारी महकमा मान लीजिए, जो भी है। It is a government authority. मैं भू-माफिया डिफाइन नहीं करता हूं। उसके अन्दर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है भू-खण्ड किसी सरकारी जमीन पर तो नहीं है, भू-खण्ड अधिग्रहित भूमि पर तो नहीं है, एक्वायर्ड भूमि है। यह लालकोठी की भूमि एक्वायर्ड है, जोशीजी तसल्ली से समझने की कोशिश कीजिए। पृथ्वीराज नगर की भूमि एक्वायर्ड है। सुप्रीम कोर्ट से आप मुकदमा जीत चुके थे। इस एक्वायर्ड लैण्ड के ऊपर अगर कोई लैण्ड खरीदता है, वह भू-माफिया है। यह आपका जयपुर विकास प्राधिकरण कहता है,

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

सुरेन्द्र व्यास नहीं कहता है। मैं मनगढ़ंत बातें नहीं करता हूं। मैं बहुत गम्भीर आदमी हूं और आपको पता नहीं क्या एक अजीर्ण लगा हुआ है। (व्यवधान) अब आप बिराजिये, बोलने दीजिए आप। यह गलत बात है।

डा. सी. पी. जोशी : आप मनगढ़ंत नहीं कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आज क्या अजीर्ण हो गया आपको?

डा. सी. पी. जोशी : अगर कोई कानून की व्याख्या करने वाला आदमी, जब तक कानून किसी का फैसला नहीं करे तब तक आप किसी को एक्यूज्ड कह देंगे? आप देखे कि कानून में, यह तोड़ेगा जो कानून का वायलेशन करेगा या यह करेगा, रेप करेगा, सजा देने के बाद होता है। यह इंडिविजुअल हक किसी का नहीं हो जाता है। यह वायलेशन होगा यह भू-माफिया होगा, बिलकुल राइट है। पर यह वायलेशन करने का जजमेंट तो कोर्ट करेगा। यह जजमेंट कौन करेगा, इसका जजमेंट भी आप कर देंगे? (व्यवधान) इसका जजमेंट भी आप कर देंगे कि भू-माफिया कोई है कि नहीं?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, पर्सनल अभी...(व्यवधान) आर्डर, अभी कोई पर्सनल एलीगेशन लगाया नहीं है।

डा. सी. पी. जोशी : लगाएं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन मुझे करना है।

श्री उपाध्यक्ष : लगाएंगे नियम में आएगा तो लगायेंगे देखेंगे। लेकिन अभी तो यह बात अराइज ही नहीं हुई है ना।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक सैकण्ड, अभी पूर्व वक्ता जब बोल रहे थे अखबार के माध्यम से किसी का नाम ले करके कई नेताओं को गाली निकाल रहे थे वे, तब तो आप मेजें थप-थपा रहे थे। तब तो आप मेजें थप-थपा रहे थे।

डा. सी. पी. जोशी : नहीं आप दूसरी बात कह रहे हैं। भैरोंसिंहजी पर जब आरोप लगाये थे तब आप मंत्री थे। तब भी आपको मालूम है, उस पर डिस्कशन हुआ है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आज ही की बात कह रहा हूं। आज ही की बात कर रहा हूं। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : उस वक्त ठीक था, आज ठीक नहीं है। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आज ही की चर्चा कर रहा हूं, आज की चर्चा थी। आज अखबार में, अखबार के नाम से आप करें...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : बात तो वह की वही है. (interruptions)...I am sorry.

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आज अखबार के नाम से विभिन्न नेताओं के लिये यहां अपमानित शब्द कहे गये तब

(श्री भंवरलाल शर्मा)

तो आप ताली बजा रहे थे और अभी तो इन्होंने ऐसी कोई बात ही नहीं कही। अभी तो खैर नाम भी नहीं लिया तो इसमें किस बात की आवश्यकता है आपको...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : भैरोंसिंहजी के खिलाफ आरोप लगाए, मैं कौन होता हूं, तब भी आप सुन रहे थे। लगाओ ना मुझे क्या तकलीफ है। तब भी हाउस में बैठे थे आप। तब भी भैरोंसिंहजी के खिलाफ इन्होंने लगाये थे। आपको सुनने की आदत है, सुने। मुझे कोई तकलीफ थोड़ी है। आप सुनिये, I am sorry, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आप इन्हें एंक्रेज करते हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : भैरोंसिंहजी के खिलाफ लगाने वाला तो कोई पैदा ही नहीं हुआ।

डा. सी. पी. जोशी : ये खुद हैं मौजूद, हाउस के रिकार्ड में है। आपके कहने से क्या होता है, यह तो रिकार्ड में लिखा हुआ है सारा कि भैरोंसिंहजी के खिलाफ, क्या लगाया गया, कौनसी जमीन को किया गया, यह तो हाउस के रिकार्ड में है। यह भी सदस्य थे और आप भी मंत्री थे। रिकार्ड को झुठला सकते हैं क्या आप?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, नहीं, कोई नहीं था। (व्यवधान) क्या हो गया तो, तो क्या हो गया?

डा. सी. पी. जोशी : यह तो रिकार्ड के अन्दर हैं सब चीजें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं?

डा. सी. पी. जोशी : मैं यह कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में इस तरह की व्यवस्था को एंक्रेज नहीं किया जाना चाहिए। चाहे भैरोंसिंहजी शेखावत हों, चाहे अशोकजी गहलोत हों, चाहे गुलाब चन्दजी कटारिया हों, इस तरह की व्यवस्था को एंक्रेज करके आप लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं। आज आपको मजा आ रहा होगा लेकिन इस तरह की व्यवस्था को कराएंगे तो कल आप भुगते हुए हैं, कल भी आपको भुगतना पड़ेगा, यह भी ध्यान में रखना चाहिए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ठीक है, हां ठीक है। पर मंत्री महोदय, जब आपके सदस्य बोलते हैं तब आप कहां चले जाते हो? अखबार के नाम पर...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : ऐसी बात नहीं है, हमने कभी नहीं कहा कि गुलाब चन्दजी कटारिया चोर हैं, हमने कभी बातें नहीं कहीं यह...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अखबार का नाम ले लेकर, एडिटोरियल ले लेकर यहां कितने-कितने नेताओं के, कितने-कितने अपमानित शब्द बोले।

डा. सी. पी. जोशी : हमारे डिफरेंसेज हो सकते हैं, विवाद हो सकते हैं लेकिन इस तरह से ब्लेक मेल की पोलिटिक्स हमने कभी नहीं की।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इसमें काहे का ब्लेक मेल है। यह ब्लेक मैल है, यह ब्लेक मेल हो रहा है क्या?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

डा. सी. पी. जोशी : किसको कह रहे हैं? आप भी भुगत भोगी हैं, किसको कह रहे हैं?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह ब्लेक मेल हो रहा है क्या? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य, बोलिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि यह कोई डिबेट का तरीका नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिये, कोई पर्सनल एलीगेशन नहीं लगे...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, मेरी बात सुन लीजिए आप। मैं इस पर घोर आपत्ति करता हूं। बिना सुने, जोशीजी मेहरबानी करके, मैं अभी चीफ मिनिस्टर का नाम लूंगा, लेकिन मैं एलीगेशन लगाऊं तो उत्तेजित होना ना? नाम लेते ही आप उत्तेजित हों, ऐसा तो टैबू नहीं है कि इस हाउस में सी.एम. का नाम नहीं ले सकते हैं या आपके कोई मिनिस्टर का नाम नहीं ले सकते हैं। आप मेरी पहले बात सुनें। यह 98290-14299, यह भीमसेन गर्ग का नम्बर है और यह जो इस टेलीफोन से सी.एम. आफिस में 380351, रेजीडेंस पर 381212 पर 24 दफे टेलीफोन हुआ है अगस्त और सितम्बर का बिल है। 24 बार टेलीफोन हुए हैं और 21, हो सकता है इनके स्टाफ में किसी ने अटेण्ड किये हों, मैं कोई एलीगेशन नहीं लगा रहा हूं। आप समझने की कोशिश कीजिए। आप सुनिये प्लीज, Kindly Keep patience 24 बार टेलीफोन हुए हैं और 107 और 143, यानि ढाई-ढाई, तीन-तीन मिनट भी बात हुई है। 21 सितम्बर को पृथ्वीराज नगर, की जमीन को अवाप्ति से मुक्त किया गया और इसी दरमियान 706103, एक, दो, तीन, चार और पांच, पांच बार धीरज श्रीवास्तव कोई आफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी है, उनके यहां पर टेलीफोन हुए हैं। इसमें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जोशीजी की लायल्टी चीफ मिनिस्टर के साथ है और मेरी लायल्टी इनके साथ है। यह मेरे मित्र हैं, मैं उल्लेख नहीं करूंगा, इसमें बहुत से मिनिस्टर्स के नाम हैं। मैं यह टेबल के ऊपर रखूंगा और इसलिए रखूंगा कि यह रिकार्ड पर आये, आप जो चाहे इसकी जांच करा लीजिए। मैं कोई भी एलीगेशन नहीं लगाता हूं। निष्कर्ष निकालना सदन के हाथ में है। मैं सिर्फ फैक्ट्स रखना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें क्या निष्कर्ष निकालना चाहते हो? आप क्लियर करो न,

(श्री उपाध्यक्ष)

नहीं, नहीं, कोई नहीं था। (व्यवधान) क्या हो गया तो, तो क्या हो गया?

डा. सी. पी. जोशी : यह तो रिकार्ड के अन्दर हैं सब चीजें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं?

डा. सी. पी. जोशी : मैं यह कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में इस तरह की व्यवस्था को एंक्रेज नहीं किया जाना चाहिए। चाहे भैरोंसिंहजी शेखावत हों, चाहे अशोकजी गहलोत हों, चाहे गुलाब चन्दजी कटारिया हों, इस तरह की व्यवस्था को एंक्रेज करके आप लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं। आज आपको मजा आ रहा होगा लेकिन इस तरह की व्यवस्था को कराएंगे तो कल आप भुगते हुए हैं, कल भी आपको भुगतना पड़ेगा, यह भी ध्यान में रखना चाहिए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ठीक है, हां ठीक है। पर मंत्री महोदय, जब आपके सदस्य बोलते हैं तब आप कहां चले जाते हो? अखबार के नाम पर...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : ऐसी बात नहीं है, हमने कभी नहीं कहा कि गुलाब चन्दजी कटारिया चोर हैं, हमने कभी बातें नहीं कहीं यह...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अखबार का नाम ले लेकर, एडिटोरियल ले लेकर यहां कितने-कितने नेताओं के, कितने-कितने अपमानित शब्द बोले।

डा. सी. पी. जोशी : हमारे डिफरेंसेज हो सकते हैं, विवाद हो सकते हैं लेकिन इस तरह से ब्लेक मेल की पोलिटिक्स हमने कभी नहीं की।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इसमें काहे का ब्लेक मेल है। यह ब्लेक मैल है, यह ब्लेक मेल हो रहा है क्या?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

डा. सी. पी. जोशी : किसको कह रहे हैं? आप भी भुगत भोगी हैं, किसको कह रहे हैं?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह ब्लेक मेल हो रहा है क्या? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य, बोलिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि यह कोई डिबेट का तरीका नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिये, कोई पर्सनल एलीगेशन नहीं लगे...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, मेरी बात सुन लीजिए आप। मैं इस पर घोर आपत्ति करता हूं। बिना सुने, जोशीजी मेहरबानी करके,

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

मैं अभी चीफ मिनिस्टर का नाम लूंगा, लेकिन मैं एलीगेशन लगाऊं तो उत्तेजित होना ना? नाम लेते ही आप उत्तेजित हों, ऐसा तो टैबू नहीं है कि इस हाउस में सी.एम. का नाम नहीं ले सकते हैं या आपके कोई मिनिस्टर का नाम नहीं ले सकते हैं। आप मेरी पहले बात सुनें। यह 98290-14299, यह भीमसेन गर्ग का नम्बर है और यह जो इस टेलीफोन से सी.एम. आफिस में 380351, रेजीडेंस पर 381212 पर 24 दफे टेलीफोन हुआ है अगस्त और सितम्बर का बिल है। 24 बार टेलीफोन हुए हैं और 21, हो सकता है इनके स्टाफ में किसी ने अटेण्ड किये हों, मैं कोई एलीगेशन नहीं लगा रहा हूं। आप समझने की कोशिश कीजिए। आप सुनिये प्लीज, Kindly Keep patience 24 बार टेलीफोन हुए हैं और 107 और 143, यानि ढाई-ढाई, तीन-तीन मिनट भी बात हुई है। 21 सितम्बर को पृथ्वीराज नगर की जमीन को अवाप्ति से मुक्त किया गया और इसी दरमियान 706103, एक, दो, तीन, चार और पांच, पांच बार धीरज श्रीवास्तव कोई आफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी है, उनके यहां पर टेलीफोन हुए हैं। इसमें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जोशीजी की लायल्टी चीफ मिनिस्टर के साथ है और मेरी लायल्टी इनके साथ है। यह मेरे मित्र हैं, मैं उल्लेख नहीं करूंगा, इसमें बहुत से मिनिस्टर्स के नाम हैं। मैं यह टेबल के ऊपर रखूंगा और इसलिए रखूंगा कि यह रिकार्ड पर आये, आप जो चाहे इसकी जांच करा लीजिए। मैं कोई भी एलीगेशन नहीं लगाता हूं। निष्कर्ष निकालना सदन के हाथ में है। मैं सिर्फ फैक्ट्स रखना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें क्या निष्कर्ष निकालना चाहते हो? आप क्लियर करो न, आप क्या निष्कर्ष निकालना चाहते हो? चीफ मिनिस्टर के यहां टेलीफोन कर लो आप तो, इसमें वाट इज दिस, निष्कर्ष क्या है? क्या निष्कर्ष निकालना चाहते हैं? चीफ मिनिस्टर के यहां पर हजारों टेलीफोन आते हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं यह निष्कर्ष निकालना...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : राजेन्द्र राठौड़ जब मंत्री थे जब कितने फोन किये, उससे कोई इन्फरेंस निकाला जाएगा? उससे कोई इन्फरेंस निकाला जाएगा क्या? (व्यवधान) राजेन्द्र राठौड़ जब मंत्री थे, साथ में टेलीफोन करते थे, बिजनेस करते थे, उससे कोई इन्फरेंस निकल जाएगा क्या? यह तो हम कोई चीज को किस लेवल पर ले जाना चाहते हैं यह...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, कोई मतलब ही नहीं है। पचासों टेलीफोन तो चीफ मिनिस्टर के आते हैं, वहां क्या बात है? क्या निष्कर्ष निकालना चाहते हैं?

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

डा. सी. पी. जोशी : यह कोई सिस्टम है क्या? प्रधानमंत्री के घर पर कोई टेलीफोन कर रहा है तो टेलीफोन के अन्दर प्रधानमंत्री इन्वाल्व है, Do you want to have this inference? भंवरलालजी के घर पर कोई फोन कर रहा है या भंवरलालजी बोल रहे हैं इसलिए भंवरलालजी ऐसे ही आदमी हैं। यह कोई इनफरेंस का तरीका है?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अभी कोई इन्फरेंस नहीं है।

डा. के. सी. चौधरी : कई सारे कारण हो सकते हैं इसमें, किसी जगह से जोड़ने की जरूरत कहां है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : तो मैंने क्या कहा?

डा. के. सी. चौधरी : टेलीफोन, चीफ मिनिस्टर के यहां कोई भी टेलीफोन कर सकता है। एक क्या दस करें, फोन कर सकता है। इसलिए माननीय सदस्य आप बताना क्या चाहते हैं?

श्री सुरेन्द्र व्यास : तो मैंने क्या कहा?

डा. सी. पी. जोशी : साहब, आपने क्या नहीं कहा? कह रहे हैं भू-माफिया है। आप कह रहे हैं उनके नम्बर है। आप कह रहे हैं मुख्य मंत्रीजी से यह, तो फिर क्या बाकी बचा?

डा. के. सी. चौधरी : तो मुख्य मंत्रीजी के यहां कोई भी फोन कर सकता है। आप जब खुद 25 फोन करते हैं, आप भी बिल लेकर दे दें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कौन मना कर रहा है इनको?

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को सहर्ष मानने के लिए तैयार हूं कि सम्भवतया मुख्य मंत्रीजी से इसकी बात ही नहीं हुई। मैं कहां मना कर रहा हूं?

श्री उपाध्यक्ष : What do you want? आपका इन्फरेंस क्या है? What do you want to infer from this?

श्री सुरेन्द्र व्यास : लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो है भीमसेन गर्ग, यह कांग्रेस का वर्कर नहीं है। यह 16.7.2002 को फुल पेज एडवरटाइजमैंट, ''माननीय श्री रामदासजी अग्रवाल, भाजपा के वरिष्ठ राष्ट्रीय नेता और भारतीय जनता पार्टी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कोषाध्यक्ष नियुक्त किये जाने पर शुभ-मंगल कामनाएं। भीमसेन गर्ग, अध्यक्ष फैडरेशन आफ राजस्थान ट्रेड एण्ड इण्डस्ट्रीज।''

श्री उपाध्यक्ष : तो क्या हुआ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : मतलब मैं सिलसिलेवार यह बता रहा हूं कि मैं वर्कर हूं तो हो सकता है कि बिजनेस में यह उनका वर्कर भी हो सकता है।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

श्री उपाध्यक्ष : बिजनेस का कोई आदमी मुख्य मंत्रीजी से बात नहीं कर सकता है क्या?

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप ठीक कह रहे हैं, अब सवाल यह है कि आपने यह बात तो ठीक कही है, लेकिन अगर काल-बैक किया जाए तो, मोबाइल के अन्दर काल-बैक का नम्बर भी आता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यानि, मोबाइल के अन्दर यह बीमारी है कि काल-बैक का नम्बर भी आता है। काल-बैक किये जाएं तो, नहीं नहीं, आप डिसाइड करें। (व्यवधान) मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं ना?

डा. के. सी. चौधरी : क्या तकलीफ है आपको? फोर्टी के अध्यक्ष हैं, फोंटी के अध्यक्ष होने के नाते उद्योग जगत की कोई बातचीत करने में क्या तकलीफ होती है? फोर्टी के अध्यक्ष हैं वह।

श्री सुरेन्द्र व्यास : है, बिलकुल।

डा. के. सी. चौधरी : और राजस्थान फोर्टी के अध्यक्ष की हैसियत से वे पचासों समस्याओं के लिए मुख्य मंत्रीजी से बात कर सकते हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप भी तो व्यापार मण्डल के इंचार्ज हैं तो आपका नाम तो है नहीं इसमें। जो कांग्रेस के व्यापार प्रकोष्ठ के पूरे राजस्थान के इंचार्ज हैं, आपका नाम तो है नहीं इसमें। चलिए कोई बात नहीं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि अन-फार्चूनेटली वह जो फैसला यहां पर तत्कालीन स्वायत्त शासन मंत्रीजी सुना रहे थे वह काग्नीजेंस तो ली थी जस्टिस केशोट ने। और जिन न्यायाधीश ने फैसला करके इसको डिस्पोसल कर दिया, अब यह पृथ्वीराज नगर योजना का वापस कोग्नीजेंस ले लिया उन्हीं जस्टिस केशोट ने। जैसा मैं निवेदन कर चुका हूं कि अधिकांश जुडिशियरी, अधिकांश क्या पूर्णतया ही मानता हूं मैं, एक्सेप्शनली दो-तीन आदमियों को ही छोड़कर, सेंसियर है सोसाइटी के, हम लोग अनुग्रहित हैं आज, हमारा समाज रसातल में चला जाय अगर जुडिशयरी हमारी मदद नहीं करे तो, वापस कोग्नीजेंस लिया और नोटिसेज इश्यू किये हैं। और यह एक सुखद अध्याय है कि वे न्यायाधीश जिन्होंने तत्काल लालकोठी का फैसला किया था, वे सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उनका जो है-98290-28453, यह उन न्यायाधीशजी के नम्बर हैं और इनसे निरन्तर इनका सम्पर्क है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं तीन बजे आपका भाषण समाप्त कर दूंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, मैं करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप मर्जी आये जो बोलते रहिये, तीन बजे आप समाप्त

कीजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके आदेश की पालना करूंगा। मैं एक बड़ा गम्भीर विषय इस सदन के सामने रखना चाहता हूं कि जो पालिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स और लैण्ड माफिया, यह जो नेक्सस है, इसमें जुडिशियल काम्प्लीसिटी आ गई अब। जुडिशियरी का जो सपोर्ट मिलता है, और चौथा स्तम्भ और मिल जाता है तो इस देश का क्या होगा? क्या होगा इस देश का, इस पर विचार कीजिए। यह एक गम्भीर विषय है। आप कहेंगे कि इसकी चर्चा यहां पर क्यों करते हो? मैं अब आपसे कहता हूं कि इसकी चर्चा मैं इसलिए करता हूं, यह जस्टिस रामास्वामी के केस में इम्पीचमैंट की प्रोसीडिंग्स आई, पार्लियामैंट ने उसको फेल कर दिया। कांग्रेस गवर्नमैंट थी। आज यह हमारा सौभाग्य है, मैं चाहे मुख्य मंत्रीजी का कितना ही आलोचक हूं पर इस बात को मैं भी स्वीकार करता हूं कि इस आदमी का एक व्यक्तित्व है। आज अटल बिहारीजी और सोनियाजी अगर यह मिलकर कोई सुधार लाना चाहे तो निश्चित रूप से ला सकते हैं। संविधान में जुडिशयरी के, चीफ जस्टिसेज यह चिल्ला रहे हैं तो कुछ न कुछ व्यवस्था होनी चाहिए कि जिससे इन जजेज के ऊपर नियंत्रण हो। आप क्या समझते हैं कि यह नहीं हो सकता? संविधान में जो आवश्यक बहुमत है, वह कांग्रेस और बी.जे.पी. अगर मिल जाए, रचनात्मक विरोध होता है, इस इश्यू पर, और सौभाग्य से जो हमारा नेता है सदन का, अशोक गहलोत का यह व्यक्तित्व है कि वह सोनियाजी को प्रभावित कर सकता है, सोनियाजी को बात समझा सकता है कि यह राष्ट्र के हित में है, देश के हित में है। इसलिए मेरी तो मंशा यह है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी यदि वाकई में वह कहीं इन्वाल्व नहीं हैं, खुद अगर इन्वाल्व हैं तो बात अलग है, मैं नहीं कह सकता। एक तो मैं यह टेलीफोन रखूंगा टेबल पर आपकी अनुमति से, और मैं यह इसलिए रखना चाहता हूं कि आप इसको चैक करें आप जांच कराएं इसकी। यह बिलकुल फैक्ट्स के अलावा, मैं कुछ नहीं रखता हूं लेकिन आप निश्चित रूप से...(व्यवधान) यह मैं आपके टेबल पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : यह क्या है? आप क्या रख रहे हो? Why? you have not quoted them. Nothing वहां से निकाल कर, लिफाफे से निकाल कर यहां रख रहे हो आप। नो-नो, नहीं, ऐसा नहीं, नो। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : परमिशन ले रहा हूं। आपको क्या आपत्ति है? मैं कोट कर रहा हूं साहब, बिल है। यह बिल है, टेलीफोन के और मोबाइल के बिल हैं। गृह मंत्रीजी, इसमें गलत क्या है? मैं तो खुद कहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी इन्वाल्व नहीं हैं और मान

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

लीजिए धीरज श्रीवास्तव है तो वे कार्यवाही करेंगे, इसमें दिक्कत क्या है?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आप लिफाफे से निकाल कर रख रहे हो, क्या रख रहे हो, यह तो बताओ? यूं ही लिफाफे से निकाल कर वहां रख रहे हो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह इतना मामला नहीं है, यह ओथेंटिकेट किया हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : I am not saying. I am just saying कि आप क्या रख रहे हो, यह तो बताओ? क्या रख रहे हो? लिफाफा रख दिया आपने।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, यह टेलीफोन के बिल हैं। I am sorry. I am sorry. I stand corrected.

श्री उपाध्यक्ष : यह क्या बात है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं यह टेलीफोन के बिल, मोबाइल टेलीफोन के बिल्स जिनको मैंने उद्धृत किया है, जिनको कोट किया है, उनको आपकी अनुमति से रखना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है तो यह बताओ तो सही। आप तो यूं लिफाफा खोलकर...(व्यवधान)

(श्री सुरेन्द्र व्यास, माननीय सदस्य द्वारा कागजात सदन की मेज पर रखे गये)

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन दुर्भाग्य क्या है,...

श्री उपाध्यक्ष : अब हो गया न समाप्त।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, समअप तो करने दीजिए, साहब, समअप तो करने दीजिए। एक ही इश्यू हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : तीन बजे तक समाप्त कर दें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, पांच मिनट लूंगा। पांच मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : तीन बजे विपक्ष के नेता बोलेंगे और चार बजे माननीय मुख्य मंत्रीजी बोलेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, आप इतने सहृदय हैं, पांच मिनट, छठा मिनट नहीं लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, इतना हो गया, आप कन्क्लूड कीजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : I will, तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि इतने अहम् मुद्दे के ऊपर कांग्रेस और बी.जे.पी. एक नहीं हो रही है। कांग्रेस और बी.जे.पी. में काहे का काम्पीटीशन चल रहा है, जातियों के अन्दर इस देश को विभाजित किया जाए। छह हजार जातियों के अन्दर यह देश बंटा हुआ है। माननीय

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

सभा में थे, वह सब जानते हैं। मैं भैरोंसिंहजी के खिलाफ नहीं बोला। यह ठीक है आज वह प्रतिपक्ष में थे...

डा. करण सिंह यादव (बहरोड़) : उनके समधी को कौन जानता है, तब आप भैरोंसिंहजी के खिलाफ बोलते थे। अब आप मुख्य मंत्री के लिये पहले आप मेडिकल का लेकर आये थे, आप चाहते हो किसी न किसी पर कीचड़ उठाकर डाल दें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अगले की हिम्मत है...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : लाता हूं, फैक्ट्स भी लाता हूं, मेहनत करता हूं।

डा. करण सिंह यादव : नहीं, फैक्ट्स क्या लेकर आये, मेडिकल कालेज का क्या फैक्ट्स लेकर आये, क्या प्रूव कर पाये आप? आपने कीचड़ उछाल कर डालने की कोशिश की।

श्री सुरेन्द्र व्यास : डाक्टर साहब, यह प्रदेश का दुर्भाग्य है कि डाक्टर हरिसिंह जैसे, डाक्टर करण सिंह जैसे एक काम्पीटेंट सर्जन को पता नहीं क्या इन्होंने पोलिटिक्स का चस्का लगाया है They would have become renowned surgeon in the country. और आपने अपनी प्रतिभा का सत्यानाश कर दिया और हमारे बीच में आकर बैठ गये। आप तो बिराजो। आप तो आपरेशन करो।

डा. करण सिंह यादव : आप एफिशिएंट वकील हो, कौनसा मुद्दा लाऊं, साहब?

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं कंक्लूड करना चाहता हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि मंत्री) : आज भी यूं के यूं आपरेशंस करते हैं। वैसे के वैसे सर्जन हैं। आज क्या कमी आ गयी?

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, अब तो गांव में भी जाना पड़ता है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं, यह बात कुछ भी नहीं, कोई फर्क नहीं है। आपको होने दो हार्ट-अटैक, यही करेंगे आपरेशन।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कई बातें हैं। एंडलैस इसके अन्दर बातें कही जा सकती हैं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि लगातार सब घोषणाओं के बावजूद न तो इस सरकार ने पिछले चार वर्षों में कोई एम्प्लायमैंट दिया, मैं सिर्फ ब्रीफली होकर शिक्षा विभाग की जो मांगें हैं, इस पर आना चाहता हूं। आप मुझे बताइये पिछले चार वर्षों के अन्दर एक भी शिक्षक की भर्ती की क्या आपने? आपने राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं खोलीं, शिक्षा सहयोगी लगाये।

डा. सी. पी. जोशी : दस हजार शिक्षक लगाये हैं, आप करैक्ट करें। Don't say this thing. दस हजार थर्ड ग्रेड टीचर की भर्ती की इस सरकार ने, करैक्ट कर लें अपने आपको, राजीव गांधी पाठशाला के अलावा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं जानकारी के अभाव में कोई बात नहीं कहता हूं, सिर्फ राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला के डी.पी.ई.पी. के दस हजार अध्यापकों की सेवाएं नियमित की हैं।

डा. सी. पी. जोशी : इन सबके अलावा थर्ड ग्रेड टीचर की संख्या बताता हूं आपको।

श्री सुरेन्द्र व्यास : जोशीजी, अब इस बहस को छोड़िये। आप तो यह बता दीजिये, आप तो शिक्षा मंत्री रहे हैं और आप बहुत प्रभावशाली मंत्री हैं। आपकी कांस्टीट्यूएंसी में एक स्कूल का नाम बता दीजिये जहां पर्याप्त संख्या में अध्यापक हैं। मैं चुनौती से कहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, यहां कोई माननीय सदस्य कह दे कि इनके यहां स्कूल के अन्दर पर्याप्त संख्या में अध्यापक हैं। कभी भी नहीं हैं। आप स्कूलों पर स्कूलें खोले जा रहे हैं तो यह बात उचित नहीं है। मौलिक रूप से कई बातें इसमें उभरकर आती हैं। अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं कि यह जो राजस्थान के अन्दर पोलिटिशियंस राजनेता, नौकरशाह और भू-माफिया, इनके नेक्सस, यह जो जुडीशियल काम्प्लिसिटी है, इस पर रोक नहीं लगायी गयी तो राजस्थान के अन्दर खतम हो जायेगा।

एक व्हाइट पेपर की मैं दुबारा मांग करता हूं। मैंने मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध किया था पत्र लिखकर, आप व्हाइट पेपर पब्लिश कीजिये। उपाध्यक्ष महोदय, आप कल्पना नहीं कर सकते कितने हजारों, करोड़ों का घोटाला इस राजस्थान में हुआ है। सिर्फ छह शहरों में कितनी जमीन आपने डी-एक्वायर की है और उस जमीन के अन्दर कितना हिस्सा, वेकेंट लैण्ड का है, वेकेंट लैण्ड का मतलब घोटाला है। निर्मित का तो घोटाला नहीं कहता हूं, मैं मुख्य मंत्रीजी का आभार मानता हूं पूरे मध्यम श्रेणी के लोगों की ओर से, क्योंकि वह भू-माफिया के माध्यम से आयी होगी। लेकिर आयी मध्यम श्रेणी के लोगों के पास में है। उसका व्यावहारिक रूप से सम्भव ही नहीं, लेकिन जो वेकेंट लैण्ड जनहित के अन्दर जो आपने भू-माफिया का एक साधन किया है, उसका कोई एक्सपोजर तब होगा, उसकी वास्तविकता तब आयेगी जब सिर्फ आप भूमि का हिसाब देंगे बाजारी मूल्य से। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय विपक्ष के नेता महोदय।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने इस पवित्र सदन में जो अपना अभिभाषण रखा और जिस तरह से इस अभिभाषण को तैयार किया गया, इस अभिभाषण को अगर यहां से डाक से डिस्पैच करके बाहर के किसी राज्य में भेज दें तो इसको पढ़ने वाला शायद यही कल्पना करेगा कि राजस्थान के अन्दर इतना आराम है, इतना अच्छा चल रहा है कि राजस्थान

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

में असंतोष नाम की कोई चीज तो है ही नहीं। और सरकार ने जो–जो इसमें वर्णन किया है, इस वर्णन से ऐसा लगता है कि जैसे राजस्थान में कोई तकलीफ नहीं है, जनता बहुत प्रसन्न है। अकाल की कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। लोगों को काम मिल रहा है। अमन–चैन है। कोई भूखा रहने की स्थिति में नहीं है। किसी को काम की आवश्यकता नहीं है। मतलब सब प्रकार से, एक तरह से अमन–चैन का एक दस्तावेज पेश किया है।

सच में अफसोस इस बात का है कि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण पिछले साल के कुछ कार्यों की समीक्षा और अगले वर्ष में प्रदेश किस ओर जायेगा, वर्ष भर में उसकी आगे की क्या प्रगति रहेगी, क्या होगा, इसका एक डाकुमेंट के रूप में पेश होता है और वर्ष में एक बार महामहिम यहां आकर इस सदन के सामने आपनी बात रखते हुये सम्पूर्ण प्रदेश को एक दिशा देने का प्रयास करते हैं। दुर्भाग्य यह है कि इस सबको पढ़ने के बाद, मैं सोचता हूं कि न तो कोई दिशा है और न दशा है। क्योंकि आपने जितनी गम्भीरता से शब्दों का प्रयोग किया और आगे जाकर जिस प्रकार स्थिति बनी है, पिछले सत्र और इस सत्र के बीच हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती अकाल की रही है, सभी की। भीषणतम अकाल में मार झेल रहे प्रदेश में चार करोड़ 48 लाख लोगों और 4 करोड़ 52 लाख पशुधन को राहत पहुंचाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। सरकार ने इस जिम्मेदारी को समझते हुये 16 अगस्त के दिन से काम प्रारम्भ कर दिया। आप सभी जानते हैं कि इस भयंकर अंकाल की चपेट में आपने जिस प्रकार का ज्ञापन बनाकर दिया, उसमें भी आपने अगस्त में यह काम हुआ, सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, मतलब एक बड़ी फेहरिस्त बना दी। उस फेहरिस्त से चलें तो काम तो उसका चौथाई हिस्सा भी नहीं। इतना कम काम होते हुये भी इतना भयंकर अकाल, चार साल से पानी–चारे से दुःखी, और आपने थोड़ी–सी दस दिन राहत पहुंचा दी, उसमें अमन–चैन हो गया सब लोगों को। कोई भुखमरी नहीं रही। 10 दिन में से 9 दिन काम करेगा और 9 दिन की तनखाह से उसका परिवार पल जाएगा। बड़ा सुखी जीवन हो जाएगा। मतलब इसके आधार पर आप क्या चीज कहना चाहते हैं, यह मेरे को समझ में नहीं आई। कृपा करके ऐसे शब्दों का प्रयोग करके आप उस राजस्थान की दुःखी जनता को निराश नहीं करें। कम से कम उसके मन में यह आशा तो रखो कि सरकार इस महीने में नहीं कर पायी अगले महीने में कुछ कर पायेगी, उसके बाद कुछ होगा।

आपने जो इस डाकुमेंट के आधार पर कहा कि 55 लाख लोगों को काम दे दिया, अब 55 लाख लोगों को कितना काम मिला, मजदूरी कितनी मिली? उस मजदूरी से,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अगर मान लें 9 दिन उसने मजदूरी की और आपका फिगर मान लें 50 रुपये का तो 450 रुपये में वह भी पल जायेगा, उसका जानवर भी पल जायेगा, उसका परिवार भी पल जायेगा? मतलब भीषणतम अकाल चार साल में, खाने को दाना नहीं, जमीन में एक तिनका उगा नहीं, उसके खेत में पानी की एक बूंद नहीं और जो किसान था वह त्राहि-त्राहि कर रहा है, वह रो रहा है। वह अपने दु:ख को रो भी नहीं सकता किसी के सामने क्योंकि वह अच्छा जागीरदार था लेकिन आज अपने पशु को पालने के लिए, अपनी खेती के विनाश के लिए रो नहीं सकता।

आप ऐसे बढ़िया शब्द लिखकर इसको जिस जामे में पहनाते हो जैसे बहुत बड़ा करिश्मा कर दिया। इससे तो लगता है कि राजस्थान में न तो बच्चों को कोई असंतोष है, भले ही मास्टर हो या नहीं हो, अस्पताल में कोई डाक्टर हो या नहीं हो, मरीज मरे तो मरने दो, बहुत सुख है। लोग रोज यहां हड़ताल करने आते हैं, जुलूस निकालते हैं सब बेकार निकालते हैं? यह किसान जगह जगह जाकर आपके ग्रिड स्टेशंस पर प्रदर्शन करते हैं। पत्थरबाजी करते हैं; लाठीचार्ज होता है और गोली चलती है। फोकट में चलती है? या तो वो लोग गलत हैं जो यह आन्दोलन कर रहे हैं या आप लोग गलत हैं। दोनों में से कोई एक तो गलत होगा? अगर आपके इस डाकुमेंट के आधार पर देखें तो अमन-चैन है, इन सब लोगों को अपने घर आराम से, खुशी से प्रसन्न रहना चाहिए। फिर आये दिन आपको इन सारी समस्याओं का मुकाबला करना पड़ रहा है, यह आपको किस बात के लिए इंगित करता है? थोड़ासा अपने अन्दर झांकने की कोशिश करो। आप कोई चीज कहना चाहो, जरूर कहो। लेकिन इस तरह से आवरण मत पहनाओ कि सब प्रकार से अमन-चैन है।

आपने जिस प्रकार से रोजगार के बारे में फिगर्स दिये हैं, आपने दिया कि 18 लाख मजदूरों को जनवरी में काम में लगा दिया, इन फिगर्स को आपने स्वयं ने देखा होगा तो मैं सोचता हूं शायद आपको इन आंकड़ों से अच्छी प्रकार से पता लग जायेगा कि इसमें केवल 12 लाख 675 श्रमिक अकाल के हैं। अकाल राहत मंत्रीजी, जब आप जवाब दो तो इस बात को स्पष्ट कर देना। बाकी 603029 मजदूर लगे हुए हैं, यह केन्द्र प्रवर्तित योजना का पैसा आया उसमें मजदूर लगा है। किस को मूर्ख बनाना चाहते हो? ज्ञापन देते हो तब कहते हो 21 लाख लोग लगेंगे दिसम्बर में, जनवरी माह में 23 लाख लगेंगे। क्या यह 13 लाख हैं? केवल आप जनता को किसी तरह से आवरण में ढक कर इस सच्चाई को छिपाना चाहते हैं। आप यह क्यों नहीं बोलते हो कि इस सारे में जो आप कह रहे हो कि हमने 18 लाख मजदूर लगा दिये, इसमें अकाल राहत में मात्र 12,675 श्रमिक हैं कि नहीं हैं?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : 12 लाख है, फिगर देख लो, 12 लाख बोलिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हां, हां। बिलकुल, बिलकुल। 12 लाख 675 श्रमिक हैं। आपका बाकी सारा जो लेबर लगा है वह विभिन्न योजनाओं में लगा जिनमें आपने...(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह तो भारत सरकार कहती है कि विभिन्न योजना का धन और गेहूं दिया था, उसका सदुपयोग करिये क्योंकि यह एम्प्लायमेंट गारंटी स्कीम है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपने जो ज्ञापन प्रस्तुत किया, जिसको अन्तिम ज्ञापन का नाम दिया उसमें लिखा कि हम 5 लाख लगायेंगे फिर 13 लाख, फिर 15 लाख नवम्बर में, फिर 18 लाख, फिर जनवरी में 21 लाख, फिर 23 लाख, यह नाटक क्या है? या तो यह सही है या यह गलत है?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह नाटक नहीं है वास्तविक आवश्यकता का आकलन करके भारत सरकार से अनुरोध किया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नहीं, आवश्यकता का आकलन था तो उसकी जगह 12 लाख...

श्री उपाध्यक्ष : यह तो तीन और चार तारीख को वापस होगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं सोचता हूं वह तो करेंगे लेकिन जिन बातों को यह बारबार घुमा रहे हैं, वास्तव में जो लेबर लगा वह बहुत कम लगा, उसको अधिक दिखा करके जनता के सामने यह मैसेज देना चाह रहे हैं कि यहां पर्याप्त लेबर लग गया।

इसी तरह से आपने देखा होगा कि जो केन्द्रीय सहायता है, आपने जो भी लिटरेचर हमें उपलब्ध कराया उन सब को मैंने जोड़ा है और उसके बाद अकाल के अन्दर जो कुछ पैसा मिला है, अगर आप चाहो तो अलग-अलग जोड़ कर बता दूं, आपको मिला है केन्द्रीय हिस्से में 1661, राज्य हिस्से में 553, ब्याज में 117.46

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : कितने साल का बोल रहे हो?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सारा जोड़ा मैंने।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : नहीं, इस साल का।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इस साल का नहीं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : 2059 की बात करो आप, पिछले 10 वर्ष के आंकड़ों से क्या मतलब है? 2059 में भारत सरकार ने नेचुरल कैलेमिटी कन्टिंजेंसी फण्ड से राजस्थान को क्या दिया?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : गृह मंत्रीजी, जब आपकी सरकार आयी उसके बाद में आंकड़े हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इतना जल्दी मत करो आप।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : 10 वर्ष के आंकड़े देने से क्या फायदा?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह 10 वर्ष के नहीं, यह आपकी सरकार के आंकड़े हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह मैं दे रहा हूं, यह सारे 10 वर्ष के दे रहा हूं, यह सत्य है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : कल जब जलदाय मंत्रीजी 10 साल के आंकड़े देने लगे तब तो आपको आपत्ति हो रही थी। तब तो आपने लम्बा-चौड़ा खींचा था और आज 10 वर्ष के आंकड़े लेकर खुद आ रहे हो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अब आपका नम्बर आये तब इसे बता देना।

एन.सी.आर.एफ. में 309.88, पी.एम.फण्ड से 70 करोड़ रुपया मिला। यह मिला कर 2712, टास्कफोर्स ने इस बार जो स्वीकृत किया वह 208 करोड़, गौशाला को मिला 11.66 करोड़, यह सारा मिला कर टोटल अमाउंट बना 27,112 खर्चा आपका हुआ है 2259.40 और उसके बाद 296 करोड़। इन सब को मिला कर मैंने जिन आंकड़ों को इकट्ठा किया है, आपकी किताब से इकट्ठा किया, इन सब को जोड़ते हैं तो 375 करोड़ रुपया प्रारम्भ से लेकर आज तक जो इस अकाल के पेटे हमें प्राप्त हुआ उसमें से आज भी बैलेंस है। चाहे आप उसको कन्वर्ट करके अपने प्लान में ले आओ, चाहे मर्जी हो जहां ले जाओ। राजस्थान को जो पैसा मिला वह आपने अपनी जेब से अभी तक एक नया पैसा खर्च नहीं किया।

दुर्भाग्य तो यह है कि जब हम अकाल का चार साल का इतना रोना रोते हैं, हमने अपने स्वयं के बजट में, हमारा जो प्लान बजट पेश हुआ उसमें कहीं एक नये पैसे का प्रावधान है क्या? हमने अपने बजट हैड से एक पैसा खर्च किया क्या? हम अपने बजट हैड से तो खर्च करना नहीं चाहते, खर्च करना चाहते हैं दिल्ली के पैसे से और वाहवाही के लिए तालियां पिटवाना चाहते हैं हम से। यह जो सभी सदस्य ने तालियां पीटी न जब आपने बोला कि हमने असहाय को 50 किलो अनाज दे दिया, हम 30 रुपये दे दिये, हमने दो किलो राशन दे दिया, हमने पानी पहुंचा दिया, घास के डिपो पर चारा पहुंचा दिया, लोगों को 75 परसेंट अनाज के रूप में इतना दे दिया तो यह घर का है क्या?

एक माननीय सदस्य : यह केन्द्र का पैसा है, केन्द्र का सहयोग है।

डा. महेश जोशी (सरकारी उप मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, लगातार एक

(डा. महेश जोशी)

बात राजस्थान की जनता को प्रताड़ित करने के लिए कही जाती है "केन्द्र का पैसा"। केन्द्र में जो पैसा आता है उसमें राजस्थान के नागरिकों का, राजस्थान की जनता का पैसा है। केन्द्र सरकार कोई अहसान नहीं करती है अगर पैसा देती है तो। आप किसकी जेब की बात कर रहे हैं। केन्द्र से पैसा कोई अमेरिका से आता है, रूस से आता है? कहां से आता है? केन्द्र में पैसा राजस्थान की जनता का हिस्सा है और उसमें हमारा हिस्सा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जोशीजी, आपके जो बजट का पैसा है वह आपका पैसा नहीं है, वह भी राजस्थान की जनता का पैसा है। ढोंग आप रचते हो। ढोंग आप रखते हो कि सारा काम आप अपने पैसों से कर रहे हो। दिल्ली का पैसा, केन्द्र का पैसा...

डा. महेश जोशी : आपको शर्म आनी चाहिए, बारबार आप केन्द्र, की बात कर रहे हैं।

श्री सांवर लाल : राजस्थान के बजट के पैसे को, जोशीजी, इटली भेज रहे हो क्या? राजस्थान की जनता में खर्च करवाइये उसको। राजस्थान की जनता का पैसा है इटली मत भेजो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य...

डा. के. सी. चौधरी : भारत सरकार के बजट में राजस्थान की जनता का कंट्रिब्यूशन पूरा होता है।

श्री सांवर लाल : 40 हजार करोड़ का कर्जा ले लिया, उसको इटली पहुंचा दिया क्या?

डा. के. सी. चौधरी : केन्द्र को पैसा राज्यों से ही आता है, राज्यों को वापस पैसा दोगे तो कोई एहसान थोड़ी हो रहा है।

डा. महेश जोशी : राजस्थान पत्रिका के जोधपुर संस्करण में छपा है और उसके आधार पर मैं आरोप लगाता हूं...(व्यवधान) उनको पैसे दिये हैं।

श्री सांवर लाल : यह कानून की किताब है यह पढ़ो कुछ, बिना दिमाग के बात मत करो।

डा. महेश जोशी : ...(व्यवधान)... कि तुम यह कहो कि भूख से मर रहे हैं।

श्री सांवर लाल : पैसा मिलता है पैसा, यह ग्यारहवें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, माननीय सदस्य।

डा. महेश जोशी : मैं राजस्थान पत्रिका का वह संस्करण यहां टेबल करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस पर आप कोई उत्तेजित मत होओ, यह तो आपको मटीरियल दे रहे हैं, चार तारीख के जवाब के लिए, जो आप कलैक्ट कर लो। क्यों जवाब दे रहे हो आप बारबार।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं कह रहा हूं कि आप भी इससे परिचित हैं कि

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

फाइनेंस कमीशन ने अपना कोई क्राइटेरिया तय किया और हमारे हिस्से का जो शेयर है वह हम को मिलता है। इसके अतिरिक्त भी आपको मिला है। इससे ना कह सकते हो? ना तो नहीं कह सकते न? आपका जितना गेहूं आपको मिल रहा है वह सब उसी में कवर हो रहा है क्या? उतना ही पैसा है क्या आपके हक का कि उस हक से बाहर का आपको मिल रहा है? यह जो आपको गेहूं मिला है, पानी को पहुंचाने के लिए मुफ्त ट्रेन मिली है, डीजल मिला है, यह भी आपके हक का ही है न?

डा. महेश जोशी : यह अमेरिका के पैसे से मिल रही है क्या?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जब भी आप मांगते हो, अभी गौशाला का 50 करोड़ दिया, वह भी आपका ही है, अभी 11 करोड़ दिया यह भी आपका घर का ही है, पानी पिलाने के लिए 208 करोड़ दिया यह भी आपका घर का ही है? आप ऐसे अधिकार जताते हो, यही आपका दोष है। मैं सोचता हूं कि जो कुछ हमारी मदद करे उसके लिए तो हमें उनको कहना चाहिए कि ठीक है। और हमारी आवश्यकता है उनकी पूर्ति केन्द्र और करे, हम भी उस बात में आपका सहयोग कर सकते हैं लेकिन आपने यह पत्थर फेंक करके सहयोग मांगने की आदत बनायी है। मैं सोचता हूं हिन्दुस्तान में इतने राज्य हैं उसमें से आपके यहां अकेले यहां अकाल नहीं पड़ा? या अकेले आपके यहां अकाल पड़ा।

मुख्य मंत्रीजी ने भी एक आरोप लगा दिया कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। मैंने उस दिन भी आपको मीटिंग में कहा था कि आप भेदभाव समझाना चाहें हम समझना चाहते हैं। भेदभाव तो तब समझ में आये कि केन्द्र के इतने जिलों में राज्यों में यह है, सम्पूर्ण हिन्दुस्तान में 14 राज्यों में अकाल है और 289 जिले अकाल से पीड़ित हैं। सारा मिलाकर सबने जो अपनी मांग रखी है वह 29,861 करोड़ की रखी है। सब राज्यों की जोड़ रहा हूं। यह सारा मिलाकर जो गेहूं मांगा वह 109 लाख मैट्रिक टन मांगा। यह सारे देश का है। जिसको आप एन.सी.आर.एफ. कहते हैं, इसका भी कोटा फिक्स है 10 हजार करोड़ का। गेहूं का कोटा भी फिक्स है 5 हजार करोड़ का। यह 15 हजार करोड़ का जो आपका फण्ड है, जिसमें से सभी राज्यों को मदद करनी है, बाकी राज्य भी अकाल की चपेट में हैं। तो यह तो समझाओ कि हमको तो कम दे दिया या ज्यादा दे दिया और इनको कम दे दिया। ये आंकड़े हैं, इन आंकड़ों के आधार पर आरोप लगाओ कि वास्तव में राजस्थान के साथ यहां भेदभाव हुआ तो हम समझने के लिए तैयार हैं। बिना कोई तर्क दिये रोजाना पत्थर फेंकने का धंधा करना और फिर वापस जाकर उनसे मांग रख देना, ये दोनों चीजें एक साथ चलाना

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

ठीक नहीं है। अकाल हमारे टाइम पर भी पड़ा था। तब केन्द्र में सरकार आपकी थी। तब हम भी गये थे। जाकर भैरोंसिंहजी अपने व्यवहार से लाये। तब आपने एक भी दिन यह पढ़ा था क्या कि केन्द्र हमारी मदद नहीं कर रहा है? यहां तो सवेरे उठते ही छोटे मोटे अखबारों में सबमें एक ही रट पकड़ ली है कि केन्द्र मदद नहीं करता, केन्द्र मदद नहीं करता।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्षजी, जब मैंने पार्टी की मीटिंग बुलायी थी तब भी नेता प्रतिपक्ष महोदय ने ये ही बातें कही थीं, और तब भी मैंने इनको स्पष्ट यह कहा था कि आपको गलत फहमी है। आपके पास जो आंकड़े हैं वे बिलकुल ठीक नहीं हैं। आप जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, आपको पैरवी राजस्थान की करनी है न कि अन्य राज्यों की। उसके लिए लोक सभा में जो आपके सदस्य हैं वे बहुत काफी हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने अभी कह दिया कि गौशाला के लिए 50 करोड़ मिल गये। कौनसे मिल गये? हमें तो आज इसकी जानकारी है नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपको नहीं है। जिनके पास राहत पहुंची है उनको जानकारी है। जालौर में जिनके पास पहुंचा है उनको जानकारी है।

श्री अशोक गहलोत : यह कहां का तरीका है? इसका विरोध तो आपको भी करना चाहिए। आज संविधान के अन्तर्गत जिस प्रकार का ढांचा बना देश के अन्दर, उसमें अगर यही व्यवस्था चलती रहेगी कि केन्द्र से सीधा गौशालाओं को पैसा जाएगा, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं कि राजस्थान के अन्दर जो कैटल कैम्पस खुले हैं, लाखों गायें वहां पर रखी गयी हैं उसके लिए क्या करेंगे आप? आप लोग थोड़ा बहुत पैरवी करें तो राजस्थान की पैरवी करें। इसके लिए हम सदन में बैठे हुए हैं कि अधिक से अधिक मदद केन्द्र से कैसे लें। उसके बाद आलोचना करें यदि कहीं कुप्रबन्ध है तो। आप लोग जिस प्रकार से बात कर रहे हैं मैं तो यह कहना चाहूंगा आपको कि संविधान के अन्तर्गत जो आपने फाइनेंस कमीशन की बात की है, फाइनेंस कमीशन की बात ही हम कर रहे हैं। और इसीलिए कह रहे हैं कि जो फाइनेंस कमीशन में सी.आर.एफ. के अलावा नेशनल कैलेमिटी कंटिंजेंसी फण्ड बनाया है, उसमें से जरूरत पड़ने पर जो मदद मिलनी चाहिए वह हमें नहीं मिल रही है। अभी तक हमारी यही शिकायत है और कोई शिकायत नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कुल कितने का फण्ड है वह भी बता दो आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : वह मैंने बता दिया। दस हजार करोड़ रुपये का फण्ड है और पांच हजार उसमें गेहूं या अनाज का है। यह सब मिलाकर पन्द्रह हजार करोड़ रुपये होता है।

श्री अशोक गहलोत : उसमें यह प्रोविजन भी है कि जरूरत पड़ने पर उसके लिए सैस लगाकर देश से पैसा इकट्ठा किया जा सकता है और राजस्थान को नेचुरल कैलेमिटी डिक्लेयर करने के लिए बार-बार हमारी मांग है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैंने सवाल अभी भी पूछा। आपने बार-बार कहा कि इस विषय पर भेदभाव किया, भेदभाव किया। अगर आप इस बात को प्रमाणित करना चाहते हो तो कुछ तथ्य देकर तो करें ताकि हम कंविंस हों कि आप जिस बात को कह रहे हैं कि उसमें ठोस आधार है। वह आधार, जिस प्रकार से मांगा है वह दिया नहीं।

श्री अशोक गहलोत : यह भी आपका रिलेटिव टर्म है। चौदह राज्यों में अकाल पड़ हुआ है। केन्द्र सरकार खुद मान रही है कि सभी राज्यों में एकसा अकाल नहीं है। केन्द्र ने खुद ने माना है कि सबसे भयंकर स्थिति राजस्थान की बनी हुई है। जब भयंकर स्थिति बनी हुई है तब आप कैसे तुलना करेंगे कि राजस्थान को कितना ज्यादा मिलना चाहिए। हमारी यह मांग होनी चाहिए, हम सब मिलकर यह मांग करें कि अधिक से अधिक केन्द्र हमें मदद दे। जो मदद मिलेगी चाहे वह कैश में मिले या किसी काइंड में भी मिले, वह यहां की जनता के काम आयेगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं सोचता हूं आपको केन्द्र से बहुत बड़ी उम्मीद है और हमसे आपको है नहीं। कारण यह है कि आप जिला कमेटी बनाओ। उसमें, अगर हमारा एम.एल.ए. नहीं है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में तो आपको दो मैम्बर जिला परिषद् के लेने हैं तो कांग्रेस के लेने जरूरी हैं। मतलब आप जिस जगह भी कमेटी बनायें, कहीं किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं है वहां तो बड़े पारदर्शी रहते हैं न? वहां तो किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं है।

डा. महेश जोशी (सरकारी उप मुख्य सचेतक) : माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप इसी बात का बदला ले रहे दिखते हो। जयपुर की टी.ए.सी. बनी है। जयपुर शहर से चार सदस्य कांग्रेस के हैं। एक भी विधायक टी.ए.सी. का मैम्बर नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं आपको पूछता हूं।

डा. महेश जोशी : रेलवे का प्रोग्राम होता है जयपुर के एम.एल.एज. को नहीं बुलाते। पी.एन.टी. का प्रोग्राम होता है जयपुर के एम.एल.एज. को आमंत्रित तक नहीं करते। आप क्या बात कर रहे हैं? किस पर आरोप लगा रहे हैं?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप शायद आरोप को समझे नहीं अभी तक। पहले आप कृपा करके मेरी बात को समझ लो। जिस जिले में कोई एम.एल.ए. हमारी पार्टी का है वह एक भी, उस जिला कमेटी में रहता है, प्रतिनिधित्व हो गया। लेकिन

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

राजस्थान के कुछ जिले ऐसे हैं जहां हमारी पार्टी का कोई एम.एल.ए. नहीं है वहां जब आपकी कमेटी बनती है तो वहां जिला परिषद् है...

डा. बी. डी. कल्ला : आपने सरकार के पास नहीं भेजा होगा कि इनको ले लो। आपने कोई किसी के नाम का प्रस्ताव भेजा हो तब कहना चाहिए।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, ये भाषण दे रहे हैं। बार-बार इंटरवेंशन कर रहे हैं, ठीक नहीं है। अगर इसी तरीके से होगा तो हम भी करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। यह कोई विवाद का विषय नहीं है। ये तो सुझाव दे रहे हैं कि ऐसा करो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर आप सच को अपने तर्क से गलत साबित करने की कोशिश करोगे तो परिणाम प्रदेश को ही भुगतना पड़ेगा। अगर हम पारदर्शी हैं तो हमें अपने आदेश में देना चाहिए कि वहां हमारे लोगों को लगाने की पारदर्शिता कहां प्रकट की है। इसको आप थोड़ा सा देख लो।

आप कहते हो कि अकाल से कहां मौत हुई। मौत हुई नहीं और बार-बार इसकी रट लगा रहे हो तो अपने जितने यहां बैठे हैं उनमें से किसी का लड़का मरा है क्या? इस भूख के कारण से हममें से किसी का मरा है क्या? गरीब का बच्चा क्यों मरता है?

डा. महेश जोशी : नहीं मरा, नेता प्रतिपक्ष महोदय। आजाद साहब के पास है। पढ़कर सुना सकते हैं। किस तरीके से भूख से मरने के...(व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, नैचुरल डैथ को भूख से कैसे जोड़ सकते हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष महोदय बोल रहे हैं और उप मुख्य सचेतक महोदय मुख्य मंत्रीजी के सामने नम्बर बढ़ाने के लिए यूं +++ एक-एक मिनट में।

श्री उपाध्यक्ष : आप भी बोल रहे हैं अभी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उधर से उप मुख्य सचेतकजी के +++ और इधर से जो नये नये आये हैं ये खड़े हो गये।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं आपकी तारीफ ही कर रहा हूं। आप सुनो तो सही।

श्री सांवर लाल : तारीफ मत करो। आप बिराज जाओ। प्रतिपक्ष के नेता महोदय बोल रहे हैं।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

मोहम्मद माहिर आजाद : एक 45 वर्षीय सुबान खां की मृत्यु हो गयी।

श्री उपाध्यक्ष : माहिर आजाद साहब, बिराजो।

मोहम्मद माहिर आजाद : कल वहां बी.जे.पी. के लोग गये और साढ़े आठ हजार रुपये उसके बाप नानू खां को सहायता के रूप में दिये और उससे कहा कि तू यह कह कि मेरे बेटे सुबान खां की मृत्यु भूख से हुई है। उसने कहा कि आप आर्थिक सहायता देने आये हो या रिश्वत देने आये हो।

उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान पत्रिका (जोधपुर संस्करण) है। पैसे देकर कहलवाना चाहते हैं कि भूख से मरा है। उसको साढ़े आठ हजार रुपये आर्थिक सहायता के दिये और उनसे कहा कि यह कहो कि मेरा बेटा भूख से मरा है। उस स्वाभिमानी नानू खां ने कहा कि चाहे तुम्हारी सहायता वापस ले जाओ, मेरा बेटा भूख से नहीं मरा है। चाहे आप कितने ही पैसे दो, झूठ नहीं बोलूंगा। इस तरह की राजनीति मौत और अकाल के साथ करना चाहते हैं और इसकी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं भूख के ऊपर। आपको थोड़ा बहुत खयाल होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आजादजी, आपको चुनौती देता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, माननीय विपक्ष के नेता महोदय।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप मेरी किसी भी बात पर एक छोटा-सा भी कभी धब्बा लगा दो।

मोहम्मद माहिर आजाद : कटारिया साहब, आज का अखबार है। साढ़े आठ हजार रुपये दिये हैं। मैं नाम रहा हूं। ओसियां गांव का खारिया खुर्द गांव में और उससे जबरदस्ती कहलवा रहे हैं कि आप यह कह दो कि भूख से मौत हुई है। यह राजनीति नहीं करनी चाहिए।

श्री सांवर लाल : नाम बताइये।

मोहम्मद माहिर आजाद : सुबान खां।

श्री सांवर लाल : सुबान खां तो छोड़िए। यह बताइये कि कौन कहलवाना चाह रहा था?

मोहम्मद माहिर आजाद : आपकी पार्टी के अध्यक्ष।

श्री सांवर लाल : पढ़कर बताइये।

मोहम्मद माहिर आजाद : हां, मैं पढ़ता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री माहिर आजाद, प्लीज सिट डाउन।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय, आप इजाजत दें तो पढूं? आपके क्यों मिर्ची लग रही है?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज। ऐसे डिबेट नहीं चलेगी। आप मेहरबानी करके बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, मुख्य मंत्रीजी जवाब दे देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह तो टिट फार टैट है। अगर ये बोलेंगे तो हम भी बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए न फिर।

डा. के. सी. चौधरी : नैचुरल डैथ को भूख से कैसे जोड़ रहे हैं। प्राकृतिक मौत को भूख से जोड़ना बिलकुल गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए प्लीज चौधरीजी।

डा. के. सी. चौधरी : एकदम अन्याय है। साढ़े आठ हजार रुपये देकर आप यह कहलवा रहे हैं कि मौत भूख से हुई है। जो भी डैथ होगी भूख से करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ये हर चीज बोलेंगे, जवाब देंगे तो इसका क्या रिएक्शन होगा। आप थोड़ा बहुत हाउस का डैकोरम मैन्टेन कीजिए। इनको जो कहना है कहने दीजिए, मुख्य मंत्रीजी का जवाब आ जायेगा। ऐसा कोई डेरोगेटरी जवाब दें तब तो कोई समझ में आता है। ये कह रहे हैं कि सहायता नहीं दी है, हम कह रहे हैं दी है। इससे फर्क क्या पड़ रहा है? ये तो कहेंगे कि नहीं दी है। आप कह रहे हैं कि दी है तो कैसे कहेंगे ये। लैट हिम स्पीक।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हम इस सच्चाई से आंख मूंदना चाहे तो आपकी इच्छा है। राजस्थान के कई घर ऐसे होंगे और विशेषकर मैं जिस उदयपुर डिवीजन से आता हूं, आपमें से कोई मैम्बर चाहे तो मेरे साथ दो दिन का दौरा बनाकर आ जाएं और मैं आपको ऐसे घरों में ले जाता हूं जिनके बरतन में दो किलो अनाज से ज्यादा मिल ही नहीं सकता। और अगर मैं असत्य कहता हूं कि यहां आकर कह देना, जो सजा देना चाहे दे देना। आज भी राजस्थान के ऐसे लाखों परिवार हैं जिनका गुजारा दोनों टाइम भी ठीक प्रकार से नहीं होता है। उन लोगों को मजदूरी चाहिए, काम चाहिए। आज नौ दिन के काम से 450 रुपये में वह और उसका परिवार जिन्दा नहीं रह सकता। चाहे वह कहीं से कुछ और करता होगा या गलत काम करता होगा तो वह करेगा क्योंकि उसको अपने बच्चों को भूखे मरने नहीं देना है और इस कारण से अराजकता फैलने की स्थिति बन रही है। कृपा करके ऐसे लोगों को जिनके मकान में बर्तन नहीं है, जिनके मकान में अनाज नहीं है, उनको कोई प्राथमिकता देकर इस दस दिन की सीमा को तोड़ डालिए नहीं तो वह हमारी सीमा तोड़ेंगे। इस बात को आप गहराई से समझिए। वाद विवाद करने के लिए मैं कभी नहीं बोलता हूं। मैं जो बात कहता हूं धरातल से उठाकर के कहता हूं। इस कारण से हम इसमें अगर आंख बन्द करना चाहे तो आपकी इच्छा, मैं कुछ नहीं कह सकता।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इस समय किसान जिस प्रकार के हालात से गुजर रहे हैं, आप सब किसान के बहुत हिमायती बनते हैं। हमने जो कुछ काम किया वह तो सब बेकार है, गांठ का पैसा नहीं। मतलब लोगों का उधार लेकर के बहुत अच्छी शादी करें और फिर पड़ोसी कहे शादी तो बहुत बढ़िया की, मण्डप भी बहुत अच्छा। यह पता नहीं है यह सब पैसे उधार के हैं। उधार के पैसे से आप राजी होकर के अपनी मेजें थपथपा रहे हैं। वास्तव में हमारी मेहनत का पैसा है क्या, हमारी कमाई का पैसा है क्या?

जब हम ए.डी.बी. से लोन ले सकते हैं, छह शहरों को बढ़िया बना रहे हैं, सब तारीफ कर रहे हैं, पुलों के ऊपर जा रही है, दिन में रात दिख रहा है, रात में दिन दिख रहा है। दिख रहा है हां, दिख रहा है। छह शहरों में ही इन्सान रहता है क्या? राजस्थान का बाकी गरीब एरिये में रहने वाला आदमी नहीं? जब हमारे पास संकट पर संकट चार साल का आ गया, पांचवें साल अकाल पड़ा, हम कर्जा लेकर भी हमारी जिम्मेदारी को क्यों नहीं निभा सकते हैं? आ गयी मुसीबत, आ गयी। जब हम 48 हजार करोड़ में वैसे ही डूब गये, बिना किसी बात के डूब गये। हमको गालियां दी थीं यहां, श्वेत पत्र जारी किया था, 23,800 करोड़ के कर्जे में डुबा दिया राजस्थान को। आपने क्या निहाल कर दिया? कोई महल बना दिए थे क्या? जो 48 हजार करोड़ का हो ही गया तो होने दो, कोई बात नहीं। दो हजार करोड़ रुपया और कर्जा लेकर के भी कम से कम उस भूखे आदमी को बचाओ, उस भूखे जानवर को बचाओ। यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, यह हमारा दायित्व है। राजस्थान की पांच करोड़ जनता उसका पेमेंट करेगी, आप अकेले करने वाले नहीं हो। यह अभिमान भी मत पालो कि आप ही इसका पेमेंट करोगे, जो आएगा वह करेगा। इस सरकार को जो चलाएगा जैसे चलाएगा, राजस्थान की जनता खून पसीने का पैसा देकर आप का खजाना भरती है तो मरने के लिए नहीं भरती है। संकट के समय में आप उसकी मदद न करो और अपने अपने तर्कों के आधार पर यहां डिबेट करो। पक्ष और विपक्ष है यह। क्या लोकतंत्र का मजाक बना हुआ है। कोई चीज अच्छी हो या बुरी हो तर्क से काटेंगे। तर्क से काटेंगे तो कोई डिबेट काम्पीटिशन रखो ना। यहां काहे का लोकतंत्र का, सदन का उपयोग करते हैं हम लोग लेकिन हमारा मन यह हो गया कि नहीं, नहीं हमको तो किसी न किसी बात की तारीफ करनी, किसी न किसी की काट करनी, यही हमारा धर्म हो गया। निभाओ इस धर्म को। और वह भूखा व्यक्ति और मरता हुआ व्यक्ति आपको कोई न कोई आशीर्वाद जरूर देगा और उसका परिणाम क्या होगा, वह आप स्वयं भुगतोगे।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मैं जो भी कहता हूं ऐसे ही नहीं कहता हूं। हर चीज को आपने जैसे कमाल ही कर दिया हो। कभी देखने की कोशिश की सच्चाई को, कमाल क्या है और वास्तव में है क्या? आप कहते हो हमने विद्युत में करिश्मा कर दिया। इसमें लिखा है बड़ा करिश्मा पैदावार में। मैं आपके ही आंकड़े देता हूं, कभी देखने की कोशिश करके उसको पहचानो, 1990 मार्च में स्वयं स्त्रोत से 789 मेगावाट बिजली हम पैदा करते, भागीदारी स्त्रोत से 933 आती थी, केन्द्रीय स्त्रोत से जो आबंटन मेगावाट होता था वह 989 होता था। टोटल जो हमारी क्षमता मेगावाट थी 2711 मेगावाट थी। मार्च, 1999 में आपने आते ही पैदा नहीं कर दिया रातों रात कि बिजली पैदा हो गयी। यह फिगर मैं नहीं दे रहा हूं। यह फिगर आपके द्वारा दिए हुए कागज से मैंने निकाले हैं। मार्च 1999 में स्वयं 1302, भागीदारी 949, केन्द्रीय स्त्रोत से 1790 और कुल हुआ 4041 मेगावाट। यह 4041 मेगावाट मार्च 99 का दे रहा हूं। अब आपने जो दिया है आंकड़ा जनवरी 2003, उसमें स्वयं स्त्रोत से है 2069, भागीदारी से है 968, केन्द्रीय स्त्रोत से मिला है आपको 1673, कुल मिला है 4710 मेगावाट। अब इसकी गणित करके जो मैंने निकाली है, मेरी गणित के हिसाब से तो मुझे लगता है 669 मेगावाट तो आपके खाते की है अब यहां 1200 से 1800 कोई खड़ा होता है, कोई गिनाता है। यह कोई मैंने अपनी तरफ से आंकड़ें नहीं बनाये, वास्तव में हमने बिजली जो पैदा की, कारण क्या है कि हमने अपने केन्द्रीय स्त्रोत से जो कुछ भी हमें प्राप्त होना है उन सबको जोड़ करके मैंने बताया।

आपने एक बात और अपने भाषण में लिख दी कि छीजत चार परसेंट कम कर दी। कहां से कर दी। आंकड़े तो बताओ कि यहां से कर दी। हमको समझ में तो आए कि आपका आंकड़ा इस बात को बोले कि हां यहां छीजत कम हो गयी। मैं आपको बताता हूं, 1999–2000 में 42 प्रतिशत छीजत थी जिन्हें 2000–2002 में बढ़ाकर 44 प्रतिशत हो गयी। क्यों हो गयी, मैं बता रहा हूं 2001–2002 में कुल 2390 करोड़ यूनिट बिजली उपलब्ध हुई जिसमें से 1335.5 करोड़ यूनिट बिजली बीच में गयी जिसका पैसा आया। जितना आपने उत्पन्न किया और जितना बेचा वो ही तो हुआ। उन दोनों का ही तो डिफरेंस होगा और कौनसा डिफरेंस होगा।

इसी तरह से जो छीजत आयी है आपकी, इस छीजत से जो मैंने परसेंटेज निकाला यह 44 परसेंट है। तो आपने यह महामहिम राज्यपाल से क्या कहलवा दिया। कौन कारीगर है जिसने यह बना करके दिया आपको। यह ऐसे तथ्य हैं जिन तथ्यों को आप ना नहीं कर सकते। मैं सोचता हूं आपने जनरेशन बढ़ाया, तारीफ है आपकी, अच्छा किया आपने पर आप इस बारे में भी सोचो। जब आपका जनरेशन बढ़ता है तो अगर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सूरतगढ़ का ताप विद्युतगृह बनता है तो 1990 में तैयार हो गया फिर उसके बाद 1993 तक वह लटका पड़ा रहा। फिर आया सैंक्शन की जाय तो उसको वन विभाग ने रोक दिया एक साल तक वह वन विभाग में पड़ा रहा, 1994 में उस पर काम शुरू हुआ। पहला जो आपका है उसमें चार वर्ष लगते हैं। उसके बाद हर साल में एक साल में एक प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं, नई क्या कर दी, कैसे कर सकते हैं।

डा. चन्द्रभान : एक साल में कैसे कर सकते हैं?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अब आप बता देना। जो मेरी समझ में है साल सवा साल में हम, क्योंकि उसकी प्रारम्भिक तैयारी शुरू हो जाती है। उसमें किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं रहता। पैसे की अगर आपको पूर्ति होती है तो हम उसको तैयार कर सकते हैं और उसी रूप में तैयारी हुई है। यह जो अपनी चार यूनिट बनी है, एक हमारे टाइम पर तैयार थी जिसका आपने उद्घाटन किया और तीन उसके बाद आपने और बनायी। तो आपने चार साल में तीन कैसे कर दिये, हम तो नहीं कर सकते। कोई जादू का डंडा था क्या आपके पास? तो इन तर्कों के आधार पर आप बात को समझें।

आपने मांग और पूर्ति की जो उपलब्धि बतायी है, गलत आंकड़े हैं। आपने बताया कि 5.6 केवल मांग और पूर्ति में हमारा अन्तर है। यह मांग और पूर्ति आप किससे निकालोगे? मांग की पूर्ति तो 24 घंटे की बिजली से निकालोगे या आप अपनी मर्जी से छह घंटे की बिजली से निकालेंगे। किसको मांग और पूर्ति कहते हो आप? चौबीस घंटे में जो बिजली हमको चाहिए वह 950 लाख यूनिट रोजाना की चाहिए हमको। उसके तहत जो हमारे पास है 740 लाख यूनिट है इस 740 लाख में भी जो आपने हिसाब निकाला, यह मेरे हिसाब से बीस प्रतिशत आता है। आपने कहा वह बिजली की जो मांग और खपत में अन्तर है वह मात्र इतना-सा आपका है। अब इस तरह से आपने यह जो छीजत वाला है, इसको मैंने बताया विद्युत दर की बढ़ोतरी, आपने तो कमाल कर दिया। आपने जो विद्युत दर बढ़ाया, बढ़ाया ना, उस विद्युत दर के आधार पर आपकी मजबूरी थी, आपको लोन लेना था और इसके कारण से आपको राजस्थान की कायाकल्प करनी थी, 850 करोड़ का तो आपने एग्रीमैंट किया उनसे उनकी शर्तों के आधार पर आपने लोन लेने की कोशिश की। मिला कितना? 154-55 ही तो मिला। उसके बाद उन्होंने आपको कहा कि जिन शर्तों के आधार पर हमने आपको लोन दिया। वे शर्तें पूरी नहीं हो रही और वह शर्तें पूरी नहीं होने के कारण से हम आपको आगे लोन नहीं दे सकते। आपको इसका अल्टीमेटम दिया है। आपने उनसे जो समझौता किया, करार किया वह

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

क्या किया, टी एण्ड डी लोसेज परसेंटेज आप गिरायेंगे।

2000 में 42 प्रतिशत, 2001 में 40.6 फिर 2002 में 36.2 फिर उसके बाद 35.7 फिर आपने 2003 में 35.7 तो 35.7 तो आपके लोसेज नहीं हुए हैं। यह तो 44 के लगभग जा रहा है।

इसी तरह से आपने दिया है एग्रीकल्चर टैरिफ हम इस गति से बढ़ायेंगे 2000 में 70 फिर उसके बाद 90 से फिर 110 फिर 140, 175, 214, 216, 220, 2007 तक टैरिफ का आपने यह समझौता किया है और इस समझौते के आधार पर आपने यह जो टैरिफ इन्क्रीज करेंगे हर साल, वह आपने लिखा कि हर साल हम दस प्रतिशत करेंगे। इस दृष्टि से आपने क्या प्लान किया जिसके आधार पर आप लोन लेने के लिए आगे बढ़े और जिसके आधार पर आपने अलग अलग कम्पनियां बना करके काम शुरू किया? आप हैं क्या? इस प्रकार की स्थिति, वास्तव में हम किस तरह से अपनी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।

मैं सोचता हूं अब आप कहते हो घाटा। आपने 1700 करोड़ रुपये की टैरिफ बढ़ा दी, एक दो रुपये की बढ़ायी क्या, विद्युत दरों में 1700 करोड़ रुपया सालाना लोगों को आपने टैरिफ के अन्दर विद्युत उत्पादन दर में इतनी अधिक बढ़ोतरी आपने की। मैंने इसमें सारे दिए हैं कि जो घरेलू कनेक्शन का पचास यूनिट जलता है उसकी रेट आपने कहां से कहां तक पहुंचाई उसके बाद पचास से ज्यादा जलता है। इसी तरह किसान की रेट को आपने बढ़ाई, पोल की रेट आपने बढ़ायी, लोड पर रेट आपने बढ़ायी। आपने स्थाई चार्ज अलग लगा दिया, स्थाई विद्युत शुल्क अलग लगा दिया और लगाकर आपने जनता से तो 1710 करोड़ रुपया उसकी जेब काट डाली और जेब काट करके भी सन्तोष होता अगर आपका घाटा कम होता, लेकिन घाटा और बढ़ा है।

आपने जो 1700 करोड़ का घाटा था वह 19 जुलाई 2000 से लेकर 2000–2003 तक यह कुल घाटा, मेरा कैलकुलेशन 4500 करोड़ रुपये लगभग पहुंच रहा है। यह सब सालों का मिलाकर क्या फायदा हुआ? न घाटा कम हुआ, न लोगों को जो परेशानी थी वह हम खतम कर पाये। मैंने सारे चार्ट रखें है। आपने इस रेट को कितना इंक्रीज किया है कि एक पचास यूनिट वाले को केवल एक रुपया वाइस पैसे में मिला था उसको आपने 195, जिनको 143 में मिलता था, जिसको पचास यूनिट से ज्यादा है उसको तीन रुपये करने का, इस तरह से आपने शुल्क, इसी तरह से व्यावसायिक सेवा में बढ़ाया आपने। इंडस्ट्री में आपने उसी प्रकार बढ़ाया और उसके कारण इंडस्ट्रियलिस्ट्स तो विद्युत लेने से अपने आपको अलग कर रहा है और अपना रिसोर्स तैयार कर रहा है। क्योंकि पांच रुपया यूनिट

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लेकर हम अपना घाटा पूर्ति करते थे। इंडस्ट्रियलिस्ट्स से ज्यादा पैसा लेकर हम एग्रीकल्चरल कंजूमर को मदद करने के लिये उस पैसे को एडजस्ट करते थे। अब जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं वह अपने हाट प्रोजेक्ट लगा कर बिजली ले रहे हैं, अब आप इसकी पूर्ति करो। हमारा नौ हजार का खम्भा आपको बहुत महंगा लगता था। बड़ी आलोचना करते थे।

अब आप स्पेशल स्कीम में जो बारह हजार में लगाते हो, यह योजना है। यानि हमारा पहले तीन पोल का पन्द्रह सौ रुपया लगता था अब आपका प्रत्येक पोल का, चाहे वह एक से लेकर आठ तक का पोल लो, तीन हजार मिनिमम है। इस तरह से आप कब तक जनता को गुमराह करोगे। आप इस हकीकत पर क्यों नहीं आते हो। जब चुनाव लड़ते हैं तब सैंतीस पैसे में ही, आपने अपने घोषणा पत्र में लिखा है, क्यों? क्योंकि वोट चाहिये। और वोट मिल जाने के बाद हजामत के लिये है जनता। क्या है आखिर? अगर हिम्मत है, राजनीति करते हो तो अपनी हकीकत के आधार पर राजनीति करो। जनता को गुमराह करके, राज में आकर 56 साल इस मुल्क के बरबाद कर डाले। (व्यवधान) आपने किये चाहे हमने किये, केवल इस कुरसी पर आ जाएं, बस यही है। चाहे हम सच बोलें या न बोलें, इस स्वभाव से हम कब तक राज चलायेंगे और कब तक यह देश इस तरह से चलेगा। मुझे कम से कम इस बारे में समझ में नहीं आता। हम जो बात करें मिल बैठ कर करें। आप जैसा चाहते हो हम वह करने के लिये तैयार हैं लेकिन उस प्रकार का वातावरण बनेगा तब तो करेंगे। कैसे करेंगे और आपके इस सुधार कार्यक्रम में यह जो सारा मैंने आपको बताया दस प्रतिशत दर बढ़ायेंगे। यह सारा का सारा आपका एग्रीमेंट है जो मैंने नहीं आपने ही किया था तो इस प्रकार जनता के साथ धोखा देकर काम...

फिर आपने सड़क, दे तालीयां दे तालीयां, सब सड़कें आपने ही बना दीं ना? यह आपके ही पैसे से बनीं। राम धर्म से तो बोलो। प्रधानमंत्री ने एक हजार तक की आबादी के गांव को जोड़ने का है, यह आपकी गांठ का पैसा है? प्रधानमंत्री सड़क योजना का है। और आपने आदिवासी क्षेत्र में जनता को मूर्ख बनाने के लिये अंग्रेजी में बोर्ड लटकाए ताकि वह गरीब पढ़ न सके। किस सीमा तक जाओगे? क्या है यह आखिर? यह राजनीति कितनी घृणित और घटियापन पर जा रही है। क्या शर्म आती है इसमें अगर प्रधानमंत्री ने सड़क बना दी, हिन्दी में बोर्ड लगा दो क्या तकलीफ है? यानि अंग्रेजी का बोर्ड लगेगा ताकि वहां का गरीब आदमी पढ़ नहीं सकेगा और आपके जो यह नेता है वहां जाकर भाषण देंगे देखो हमने रोड बना दी। गांठ का गोपीचन्द एक पाई का नहीं। रोड बना दी, यानि आपने राजस्थान के पी.डब्ल्यू.डी. डिपार्टमेंट को कितना डुबाया।

श्री दयाराम परमार (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण) : आप यह बताओ कि यह डायरेक्शन किसने दिये लिखने के लिये? स्टेट गवर्नमेंट ने दिये हैं? दिल्ली से डायरेक्शन दिये हैं। अंग्रेजी में लिख कर दिया कि यह यह लिखो। बड़े बड़े बोर्ड तो आप लगवा रहे हैं और हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हमने कह दिया बोर्ड लगाओ...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मेरे हिसाब से तो शायद आपने दुबारा डायरेक्शन नहीं पढ़े। आपने शायद पढ़ने की...

श्री दयाराम परमार : वह पैसा आपका दिल्ली की सरकार का नहीं है। दिल्ली सरकार...(व्यवधान) तो शायद दिल्ली के अन्तर्गत है। अन्तर्गत है तो भारत सरकार की यह जिम्मेदार है रोड बनाये, नेशनल हाइवे बनाएं और कोई रोड बनाए, तो उसमें क्या हो गया। वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसलिये आपका पैसा हो गया? क्या कहना चाह रहे हो आप? देश का रुपया है तो देश का रुपया लगेगा...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नहीं, नहीं, हमारा नहीं है यह तो आपका है। पहले जब आपका केन्द्र में राज था...

श्री दयाराम परमार : देश का है तो आपका भी है और हमारा भी है। अगर आपकी सरकार है तो हम भी इस देश में ही रह रहे हैं, हम विदेश में नहीं रह रहे हैं...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इन तर्कों से नहीं कट सकोगे। केन्द्र में जब आपका राज था तो कभी यह ध्यान में आया...

श्री दयाराम परमार : आप यह कह रहे हैं कि बोर्ड हमने अंग्रेजी में लिखवाये हैं। बोर्ड हमने अंग्रेजी में नहीं लिखवाये दिल्ली से डायरेक्शन मिले हैं। दिल्ली वालों ने लिखवाये हैं। हमने कहीं नहीं कहा राजस्थान में...

श्री सांवर लाल : दिल्ली वाले तो दे रहे हैं कुछ करो तो सही बैठकर यहां पर राजस्थान में। दिल्ली वाले, दिल्ली वाले कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप?

श्री धर्मपाल चौधरी : बोर्ड लगा रहे हैं, बोर्ड।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह एक हजार की आबादी के गांव कोई हमने तो पैदा नहीं किये दो, तीन साल में। यह सात सौ की आबादी के गांव हमने पैदा नहीं किये। पांच सौ की आबादी के गांव भी पहले से हैं। जब से हिन्दुस्तान बना तब ही से थे ना? आपने पचास साल तक राज किया तब आपको नहीं दिखता था कि एक हजार के गांव की आबादी को जोड़ने के लिये भी केन्द्र सरकार पैसा दे सकती है। यह आपके ध्यान में नहीं आया कि केन्द्र सरकार यह भी काम कर सकती है। आपने आखिर 40-45 साल तक दिल्ली में राज किया आपको कभी भी यह ध्यान में आया नहीं...

श्री आर. पी. शर्मा : देश का पैसा है, यह किसी की जेब से नहीं आया है। पैट्रोल, डीजल पर जो 15 परसेंट टैक्स लगता है उसका पैसा है, जो प्रधानमंत्री सड़क गारंटी रोजगार योजना है वह अड़तीस हजार करोड़ इस बजट में मिल रहे हैं, वह आपका और हमारा पैसा है जिसमें डीजल, पैट्रोल हम भी खरीदते हैं...

श्री सांवर लाल : यह चलेगा नहीं।

श्री धर्मपाल चौधरी : राजस्थान में जो पैसा खर्च हो रहा है वह जो आपके घर से आ रहा है। भरतपुर से आ रहा है वह तो। राजस्थान की जनता पर कोई टैक्स लगाकर नहीं है, वह तो भरतपुर से आ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन : उपाध्यक्ष महोदय, यह न्यूनतम आवश्यकता का, मैं बता रहा हूं प्रधानमंत्री सड़क योजना जो है, पहले न्यूनतम आवश्यकता का...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : हम नहीं जानते क्या?

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री सांवर लाल : यह बतायेंगे, मुख्य मंत्रीजी नहीं जानते हैं क्या? वृद्धिचन्द जी जैन...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : पहले न्यूनतम आवश्यकता नहीं थी, पहले लोग गरीब नहीं थे, उनको काम की जरूरत नहीं थी, यह हमको ही आकर अक्ल आती है कि न्यूनतम कार्यक्रम चलाना पड़ेगा। आपको पचास साल तक याद नहीं आता है, हमको चलाना पड़ता है...

श्री उपाध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय, इन्होंने जब जब भी कहा यह कहा है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की सड़क है और यदि आप निकलो सड़क पर तो प्रधानमंत्रीजी का फोटो लगा हुआ है और उस पर लिखा हुआ है...(व्यवधान) प्रधानमंत्री द्वारा निर्मित उस पर लिखा हुआ है...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : वह स्वर्ण चतुर्भुज सड़क है...

श्री उपाध्यक्ष : बनायी है तो लिखा है। अंग्रेजी में इन्होंने नहीं लिखा, अंग्रेजी में लिखाया गया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपके यहां पर है।

श्री उपाध्यक्ष : यहां का नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी (ऊर्जा मंत्री): कटारियाजी, गांवों को जोड़ने वाली योजना आपके जमाने की तो है नहीं, यह तो कांग्रेस के राज में ही चालू हुई। कांग्रेस के राज में दो हजार तो एक गांवों को जोड़ा फिर पन्द्रह सौ पर यह लाए, अब आप उसको एक हजार तक लाये हो। यह तो कांग्रेस के राज में चालू की हुई योजना है। आपकी इसमें अब नयी देन कौनसी है। अब आप हजार करके लाये

(श्री रामनारायण चौधरी)

हो, अब आप यह साढ़े सात सौ पर लाना चाहते हो...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : आप तो बिजली की बात करना।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे तो चलेगा नहीं मामला यह।

श्री रामनारायण चौधरी : इसमें नयी बात कौनसी है? यह कोई इश्यू ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री केसाराम चौधरी : बिजली के लिये तो चन्द्रभानजी कहेंगे। जब बिजली का बोल रहे थे तब बोल नहीं रहे थे अब तीसरी बात बोलने लग गये। सड़कों का आपका क्या लेना-देना। बिजली की बात करो।

श्री रामनारायण चौधरी : बिजली में कौनसी बात थी?

श्री केसाराम चौधरी : रामनारायणजी, आप बिजली की बात करो। आपको एक शिकायत दी उसका भी जवाब नहीं दिया।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं कह रहा हूं कटारियाजी के जमाने में बढ़ी नहीं क्या टैरिफ? कटारियाजी के जमाने में उसमें कटौती नहीं हुई? कटारियाजी ने खुद ने टैरिफ बढ़ायी है। भैरोंसिंहजी...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, बिराजिये। यह बैठे ना वह बैठे, झगड़ा तो यह है। यह खड़े हो जाते हैं, वह भी खड़े हो जाते हैं। प्लीज, यह कोई इश्यू ही नहीं है। इसको क्यों इश्यू बना रहे हो आप...

श्री रामनारायण चौधरी : इश्यू यह था कि कटारियाजी...

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं सोचता हूं कि उसी के तहत आपने...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : मैं आया जब मैंने सुना बिजली का तो इन्होंने पूछ लिया, सांवर लालजी ने पूछ लिया...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उनको भी कह रहा हूं, आपको भी कह रहा हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं कह रहा हूं बिजली में नयी बात कौनसी हुई, कोई नयी बात कुछ हुई नहीं। जिस तरीके से आप चलाते आ रहे थे उसी तरीके से चला रहे हैं। वही योजना है, उसी तरह की यह टैरिफ है। वह यह कह रहे हैं कि आपने साढ़े बारह हजार ले लिये, कटारियाजी, यह तो आपके...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : पूछना पड़ेगा, आपको नहीं मालूम है बिजली के बारे में भी। केवल यह तो थोप दिया आपके ऊपर और जो जानकार है उनको तो हटा दिया। अब आपको क्या मालूम बिजली क्या है...

श्री रामनारायण चौधरी : वही डबल आप लेते थे, वही डबल हम लेते हैं, इसमें

(श्री रामनारायण चौधरी)

नयी बात कौनसी हुई। वही खम्भे के पैसे आप चार्ज करते थे...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : आप बात कर रहे हैं बिजली की बात और करते हैं सड़कों की। फिर हम भी टोकाटकी करेंगे बीच बीच में। मतलब यह इस तरह से करते हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : एक मिनट, यह तो नोट करो कि यह तो स्वैच्छा से है। भैरोंसिंहजी ने...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) **:** आप तो यह बता दें ट्रांसफार्मरों में गड़बड़ किधर से हुई। ट्रांसफार्मर की गड़बड़ क्या हुई यह बता दें आप।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह काहे का जवाब दे रहे हैं? काहे का जवाब दे रहे हैं? नहीं, नहीं, किस किसका जवाब देंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : यह तो भैरोंसिहजी के जमाने में भी...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, प्लीज आप बिराजिये। काहे को...(व्यवधान) डिस्टर्ब कर रहे हैं। बिराजिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बिजली में तो मार दिया किसानों को।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : फिर खड़े हो गये।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो, आप बिराजो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मतलब आपने अभिभाषण में लिखा कि 2007 तक पांच सौ तक के गांवों को जोड़ देंगे। अब इसमें यह भी तो लिख सकते थे कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत। यह शब्द लिखने में तो आपको थोड़ा अटपटा लगता है ना। मतलब है तो योजना उनकी और लिखते हैं आप। इसमें और क्या थपथपाया कि पांच सौ तक की आबादी जुड़ जाएगी। लगाओ थप्पी, यह थप्पी का पैसा है कहां और कहां से है।

इसी तरह से अब आपने यह कहा, हम लोग आए थे तो हमने हर पंचायत को डामर से जोड़ने की अपनी मन इच्छा रखी, हर पंचायत को जोड़ दिया। राज तो आपने ही किया ना? पहले भी जुड़ सकती थी, पर नहीं जुड़ी। कोई बात नहीं हमने जोड़ दी। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। कोई काम नहीं है। मुझे आपको यह जानकारी देते हुये प्रसन्नता है कि आपने...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, प्लीज। वह बोलेंगे ना आपके बोलने की जगह।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : केवल यही नहीं किया, नवीं पंचवर्षीय योजना में आपने पी.डब्ल्यू.डी. की राशि लगातार घटायी है। हर साल प्लान में घटाया है। आपके प्लान में

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

1997-98 में जो बजट का 5.19 परसेंट खर्च होता था वह आपने 1998-99 में 5.07 उसके बाद 1999-2000 में दिया पी.डब्ल्यू.डी. को 2.9 परसेंट। यह मेरे नहीं हैं और उसके बाद 2000-2001 में आपने क्या किया 3.83 परसेंट, मतलब 3.83 परसेंट टोटल बजट का। यह परसेंटेज बोल रहा हूं मैं और उसके बाद आपने छह सौ करोड़ का नाबार्ड से लोन ले लिया। अपनी गांठ का क्या लगा, अपनी गांठ का कुछ नहीं है। लेओ लोन और लेओ जितना ले सकते हो, कोई बात नहीं है। सड़क अच्छी बनाने के लिए लगा सकते हो 600 करोड़ बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा काम किया है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : भारत सरकार कितना लोन ले रही है यह भी बता दें। भारत सरकार लोन लेकर कुछ नहीं कर रही।

श्री उपाध्यक्ष : आप मैम्बर नहीं मंत्री हो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं यह जो कुछ कह रहा हूं वह आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूं, अपने मन से कोई चीज नहीं बनायी है।

श्री रामनारायण चौधरी : आपने कहा है कि नाबार्ड से लेकर के गांवों में सड़कों की रिपेयरिंग नहीं होनी चाहिए थी, आप यह कहना चाहते हैं, आप कह दीजिये कि गांवों में जो सड़क बनी है, रिपेयर हुई हैं, आपके जमाने में टूट-फूट गयी थी, चल नहीं सकते थे...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : यह बीच में क्यों खड़े हो रहे हैं?

श्री रामनारायण चौधरी : आप कह दीजिये कि नहीं करनी चाहिये थी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इनको बोलने का मौका दे देना आपकी तरफ से।

श्री रामनारायण चौधरी : आप साफ यह क्यों नहीं कहते कि नहीं करवाना चाहते थे...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप अपने पास लिख लो, आपको भी आज इसमें बोलने का मौका देगी आपकी पार्टी, आप पूरा ही बोलो हमें कोई एतराज नहीं है। आप हमारे हर बिन्दु को काटो, अब की बार आपको भी मैं चीफ व्हिप साहब से कहता हूं कि इनका भी आज बोलने में नम्बर रख लो कम से कम वह हमको समझा देंगे कि क्या उन्होंने किया और क्या नहीं किया। हम समझना चाहते हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : डिपार्टमेंट में तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं और यहां बोल रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अब आपने देखा होगा कि यह जो कृषि की दुर्दशा की है, कृषि की विकास दर 1997-98 में 8.6 थी और अब आपकी दशमलव .55

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

क्या दिया, कारण यह है कि किसान का लगान माफ करें तो हम, तो भी आपको अच्छा नहीं लगता। कर्जा माफ करें 10 हजार तक हम, मिनिमम चार्ज खतम करें तो हम, लेवी खतम करें तो हम, चौदह कलम का टैक्स छोड़ें तो हम, सब चीजें हमारी। लेवी छोड़ें तो हम, खालों का कर्जा माफ करें तो हम, किसान को सब फायदा पहुंचाने का काम हमारा और किसान के हिमायती बनने का काम आपका। बहुत अच्छा है, किस तर्क से आप अपनी बात को समझाने की कोशिश करते हैं।

सिंचाई मंत्रीजी, राजस्थान के बारे में चर्चा करने आप और हम इस सदन में कई बार बैठे हैं। और आपने भी इस पर कई बार डिबेट्स सुनी है कि हमारे हिस्से का जो पानी है वह हमें आज भी नहीं मिल रहा है। हमारा हिस्सा 52 प्रतिशत था, अभी भी हम 49 परसेंट ही ले पा रहे हैं, 2 परसेंट शेयर हमारा अभी भी बाकी है। शर्त यह थी कि जब तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप नहीं होगा तब तक हम इसका उपयोग नहीं करेंगे और जैसे ही हमारा हो जायेगा तब करेंगे। लेकिन भाखड़ा–व्यास मैनेजमेंट बोर्ड पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। आज भी पंजाब चाहता है उस तरह से गुंडागर्दी करता है। हमको हमारे हिस्से का पानी मिलता नहीं है। बचा–खुचा हमारे पूर्व मुख्य मंत्री माथुर साहब ने एक समझौता कर लिया कि 8.06 पानी हमको मिलेगा और उसमें भी वह लाइन लिख दी कि जब तक हम अपने सारे का सारा स्ट्रक्चर डवलप नहीं करेंगे तब तक आप उपयोग लो। हमने स्ट्रक्चर डवलप कर दिया, पानी दे रहा है क्या? यह जो बेसिक मुद्दे हैं इनके बारे में कौन सोचेगा। इसके बारे में हम अपना एफर्ट्स क्या करेंगे। इसके बारे में हमने क्या एफर्ट्स किया। मैं सोचता हूं कि इसके बारे में भी विचार करके सदन का सामूहिक मत बना करके हमें अपने हिस्से का पानी लेने का प्रयास करना होगा। अब हमारे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री जी कल बहुत नाराज हो रहे थे, क्योंकि एक प्रश्न आ गया और हमने यह कहा था कि इस अकाल के समय में लोगों को तीनों चीजों की सबसे ज्यादा समस्या है, पीने के पानी की, आज हम हैण्ड पम्प लगाकर आते हैं और 15 दिन, महीने भर बाद में वापस राउंड लगाने जाते हैं तो जिसकी लोगों ने पूजा करके प्रसाद बांटा, वह 15–20 दिन में गायब हो जाता है। इतनी तेजी से अंडरग्राउण्ड वाटर जा रहा है। हमारे पास यह पैसा है, यह फिगर्स जो हमने कल बताये थे आपको इस इंटेंशन नहीं बताये थे हमारा कहना है कि आपको केन्द्र सरकार पूरी मदद दे रही है, लगातार दे रही है, हर साल आपका बैलेंस करोड़ों–करोड़ों रुपया बचता जा रहा है, कल जो हमने फिगर्स बताये थे, 21 करोड़, 54 करोड़ यह जो आपका एआरपी में, सामान्य में, यह हर साल, आपने कहा कि आपने

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

भी बचाया, मैंने कहा था कि हमारे टाइम में केवल 1.86 करोड़ रुपया बैलेंस था। वह उसमें जुड़ करके आया, इसी तरह से आपकी एआरपी और मरुस्थल में भी आपका यह सारा का सारा पैसा बचा है। एक तरफ आदमी प्यासा है दूसरी तरफ हमारे पास पैसा है। लेकिन हम उसकी योजना नहीं बनाते, एक साल का खर्च नहीं हो वह समझ में आ सकता है कि फरवरी मार्च में आया है, लेकिन अब की बार तो दिसम्बर में आ गया ना, यह पैसा आया है उसके बाद में ही लिखा होगा या एडवांस में लिख दिया 176 करोड़ बाद में ही लिखा होगा या पहले लिख दिया।

डा. सी. पी. जोशी : 44 करोड़ रुपये खर्च किये आपके समय में, तब भारत सरकार ने जो 25 परसेंट पैसा बचता था वह नहीं खर्च करते थे। आज जो पैसा कट हो रहा है वह 15 परसेंट पर कट हो रहा है। और हमने पिछली सरकार में खर्चा किया 169 करोड़ रुपये। 1992 से लगाकर 1998 तक जो आप्टिमम खर्चा किया बीजेपी ने वह 101 करोड़ रुपया है। इसलिए मैंने फिगर्स देखकर आपको कल बताया कि 239 करोड़ रुपया है उसमें 113 करोड़ रुपये बचे हैं, हमने दिसम्बर तक का फिगर दिया है और 15 परसेंट के अन्तर्गत जो 34 करोड़ रुपये होते हैं उसकी लिमिट के अन्तर्गत हम सारा पैसा खर्च कर देंगे। एक पैसा नहीं बचायेंगे। आपको कितने आंकड़े बता रहे हैं। आप फिगर बता दें कि 25 परसेंट पर है कि 20 परसेंट पर है कि 15 परसेंट पर है। आप जिम्मेदार आदमी हैं, कोई बात कहें आप तो बता दें कि 101 करोड़ रुपयों से ज्यादा बीजेपी के राज में पानी पर खर्चा हुआ क्या? आपको फिगर दिये हैं 1992 के आप 1.68 की बात कर रहे हैं, लास्ट में पिछली सरकार ने 169 करोड़ रुपये खर्च किये। यह हाईएस्ट एक्सपेंडीचर है, खाली हम बात करना चाहते हैं। चलो यह भी छोड़ दो, कटारिया साहब, इसको भी छोड़ दें। आप विपक्ष के नेता की हैसियत से यह बता दें कि पाली में क्या व्यवस्था करें कि पानी आ जाये, बाड़मेर में क्या करें कि पानी आ जाये, पैसा उपलब्ध है, अभी राजस्थान में अवलेबल वाटर के मैनेजमैंट की आवश्यकता है। पैसा तो आप करोड़ों रुपया ले लें, लेकिन पानी है कहां कि व्यवस्था करें। आप बता दें उस व्यवस्था को हम करने के लिए तैयार हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपके जवाब से हम बहुत संतुष्ट हुए।

श्री केसाराम चौधरी : गुलाब डैम में पानी भरा हुआ है आपने योजना को सैंक्शन की क्या। आज भी पानी भरा है।

श्री सुरेन्द्र गोयल : जोधपुर में पानी मकानों के अन्दर घुस रहा है वहां से भेजने में इनको क्या तकलीफ है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कल मुझे बहुत संतोष मिला जब आपने कहा था कि इस पैसे को हम 31 मार्च तक खतम कर देंगे और अभी आपने नया सवाल खड़ा कर दिया। अब आपका मैं आज का उत्तर सही मानूं या कल का सही मानूं।

डा. सी. पी. जोशी : मैंने यह कहा कि 15 परसेंट की लिमिट के अन्दर जो पैसा बचता है 34 करोड़ रुपये उसके अलावा पूरा का पूरा पैसा हम खर्च करेंगे इस पर हम कमिटेड हैं, एक भी पैसा भारत सरकार को हम नहीं काटने देंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : चलो, भारत सरकार का पैसा तो आप नहीं खराब होने दोगे। लेकिन आपका यह न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तो आपका ही है, राजस्थान सरकार का, हमारा तो नहीं है आपको ही अपना पैसा खर्च करना था ना, इसमें 70 करोड़ 50 लाख रुपया किस तरह से बचा है। 1988-89 में आपका 19 करोड़ बचा उसके बाद 1999-2000 में 15 करोड़ बचा। उसके बाद 2000-2001 में 107 करोड़ रुपया बचा और उसके बाद 2001-2002 में 138 करोड़ रुपया बचा और अभी जो है लास्ट वह 70.50 करोड़ रुपया बचा हुआ है। यह तो आपका ही है, इसमें से तो किसी को कुछ पूछना नहीं था ना, इसको खर्च करने में कहां दिक्कत है, इसका मतलब राजस्थान को पानी की जरूरत नहीं है।

डा. सी. पी. जोशी : इसमें यह तकलीफ है, आप एआरडब्ल्यूपी की गाइड लाइंस को नहीं समझ रहे हैं कि 50 परसेंट पैसा भारत सरकार देती है और 50 परसेंट पैसा स्टेट गवर्नमेंट को मैच करना है। यह पैसा हमने खर्च किया है अभी तक यह 50 परसेंट के मैच का हिसाब है, इसलिए मार्च तक जो पैसा खर्च करना है उसमें इसको मैच करके वह खर्च करेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह तो आपने कल कहा था कि यह तो हमारा ही है सब कुछ।

डा. सी. पी. जोशी : नहीं आप कन्फ्यूज कर रहे हैं एक ही राशि को आप मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि ए.आर.डब्ल्यू.एस. का जो पैसा है वह नार्मल में 50 परसेंट भारत सरकार सरकार देती है और 50 परसेंट स्टेट गवर्नमेंट को देना है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक्सप्रेस की तरह बोलते हैं, इतना तेज बोलते हैं अब इनको ध्यान ही नहीं है कि कहां बोल रहे हैं।

डा. सी. पी. जोशी : आप बोलते होंगे, आप दूसरों को सुनते भी नहीं हैं। आप डोक में डालना चाहते हैं वह नहीं है। आपसे अच्छा बोल रहा हूं। मैं, आपको मालूम ही नहीं है कि क्या बोल रहा हूं मैं।

श्री उपाध्यक्ष : अब यह जवाब दे रहे हैं ना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरे को मालूम है।

डा. सी. पी. जोशी : क्या मालूम है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसका मतलब आपने दो हैड में पैसा बुक कर लिया आप कह रहे हो कि एआरपी का पैसा जो 50 परसेंट मैचिंग ग्रांट है वह आपने एमएनपी में ले रखी है। इसलिए आपने पैसा खर्च नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष : वह जवाब दे रहे हैं न, आप बीच में कहां बोल रहे हो?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये धन एवं खर्च का विवरण। यह हैडिंग है इसका और उसी के फिगर मैंने पढ़े हैं। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शहरी, राज्य मद यह भी उसी में से है, उसमें से भी 48 करोड़ रुपया, वास्तव में यह सबको पता है कि पानी की समस्या है लेकिन समस्या को हल करने के लिए रास्ता तो जनता के लिए निकालना ही पड़ेगा। कैसे निकाल सकते हैं यह आप देखिये। लेकिन हमारा कहना यह है कि हमारे पास उपलब्ध है।

डा. सी. पी. जोशी : नहीं बनती है...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर इस तरह से डिबेट चलेगा तो नहीं चल पायेगा।

डा. सी. पी. जोशी : पानी की व्यवस्थाओं का जो पैसा है, (व्यवधान) मैं, कटारिया साहब, इसलिए कह रहा हूं...।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप में से जो-जो बोलना चाहें आप सब नाम लिखा दीजिये। आपको जितनी तबीयत आये उतना बोल लो।

डा. सी. पी. जोशी : आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि पानी की व्यवस्था कैसे करें, पैसा दे दिया, पानी की व्यवस्था के लिए नहीं बोलेंगे। आप यह भी तो बोलिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह क्या हो रहा है उपाध्यक्ष महोदय?

श्री सांवर लाल : बीसलपुर का क्या हो रहा है, बीसलपुर फ्लोराइड प्रोजेक्ट का, यह बताइये, माननीय मंत्रीजी...(व्यवधान) कुछ नहीं किया, बैठ जाओ आप।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस पर बहुत बहस हो चुकी, तीन तारीख बाद और बहस होगी, इसमें कोई डिस्प्युटेबल बात ही नहीं है कि पानी नहीं है, पानी की व्यवस्था करनी है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा की जो दुर्गति हुई है, अगर आप चाहे तो कुछ एक्सपर्ट्स की आप मीटिंग्स बुला लें। राजस्थान में सम्पूर्ण शिक्षा की जो हमने दुर्गति की है, भगवान ही जाने।

(16.00 बजे)

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आपने विद्यालय तो हर साल खोले और हर साल विद्यालय बिना मास्टर के खोले। मतलब आपने कोई भर्ती नहीं की और चार हजार स्कूल खोल दिये। आखिर इन बच्चों का अब होगा क्या? जो स्कूल आपने 10+2 किया उसमें व्याख्याता एक नहीं होगा तो उस बच्चे का भविष्य क्या बनाना चाहते हो आप? यह मैं सारी लिस्ट दे रहा हूं आपको कि कितने पद खाली हैं। केवल सैकण्डरी एजुकेशन में संयुक्त निदेशक पांच में से पांच खाली, उप निदेशक 16 से 7 खाली, जिला शिक्षा अधिकारी 49 में से 15 खाली, प्रधानाचार्य 1772 में से 800 खाली, प्रधानाध्यापक सैकण्डरी शिक्षा 3341 में से 1000 खाली। संख्या थोड़ी रफ हो सकती है, 2–5 ऊंची-नीची हो सकती है, एकदम हण्डरेड प्रतिशत नहीं कह सकता हूं। व्याख्याताओं के बारे में तो कल्ला साहब ने भी यहां बहुत भाषण दिया। पहला भाषण निकाल करके वापस पढ़ना कि हम व्याख्याताओं की भर्ती जाते ही कर देंगे। हो गई न। व्याख्याताओं की भर्ती हो गई न। मतलब 15725 व्याख्याताओं के पद हैं उनमें से खाली पद 7 हजार हैं।

डा. बी. डी. कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, भर्ती निरन्तर चल रही है। सलैक्शंस बराबर हो रहे हैं। अभी इस महीने ही आये हैं उनकी सब की नियुक्तियां कर दी गई हैं। हमने की हैं, इनका बैकलाग भर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, इनको बोलने दें न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब तो आपके जाने के दिन भी आ गये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : चलो व्याख्याताओं को छोड़ दे। जो आपके हाथ में था उसकी पोजिशन देख ले। जो आपके हाथ में था उसको पहले देख ले। आपके वरिष्ठ अध्यापक के 31,779 पद हैं उनमें से 8 हजार के लगभग सैकण्ड ग्रेड के पद खाली हैं। यह तो मैं सैकण्डरी एजुकेशन का बता रहा हूं। 14,366 कुल स्वीकृत पद हैं उनमें से पांच हजार पद खाली हैं। इस तरह से केवल सैकण्डरी में आपके 21,827 पद खाली हैं। क्या शिक्षा को आप बनाना चाहते हो और क्या आप शिक्षा की बात करना चाहते हो। बिना अध्यापक के भी आप स्कूल चला लोगे यह मेरी समझ में नहीं आया।

इसी के साथ आप एलीमेंट्री की हालत देखा तो उसकी हालत तो इससे भी बदतर है। और अगर इन सारों को आप जोड़ें, यह तो आपके अधिकार क्षेत्र में था एलीमेंट्री वाला, उस एलीमेंट्री वाले में भी मैंने सब जोड़ा है। लगभग 47 हजार अध्यापक, एक–दो नहीं, दोनों सैटअप को मिलाकर के 47 हजार पद खाली हैं। एक तरफ वह बी एड किया हुआ बच्चा रो रहा है, एक तरफ पढ़ने वाला बच्चा रो रहा है और हम आराम से राज चला रहे हैं चार साल से। क्या कमाल है आपका, वास्तव में धन्य हो।

इसके अलावा जो काम आपको अपनी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

डी.पी.सी. में करना था अध्यापकों का प्रमोशन, आपके सारे आई.ए.एस. का प्रमोशन हो जाएगा, बाकी बड़े अधिकारियों का प्रमोशन हो जाएगा, आखिर इस मास्टर ने क्या पाप किया, इस राज्य कर्मचारी ने क्या पाप किया कि इसका प्रमोशन नहीं हो सकता। इस पर आप रोक लगा करके बैठे हैं। किस कारण से बैठे हैं? वह भी राज की नौकरी करता है। जैसे ये राज की नौकरी करते हैं तो वो भी राजकी नौकरी करता है। उसकी डी.पी.सी. क्यों नहीं हुई? जहां हमने डी.पी.सी. छोड़ी अधिकांशतः वहीं पड़ी है। केवल अभी आपने प्रिंसिपल की डी.पी.सी. की है। वह डी.पी.सी. नहीं है, आपने अस्थायी वरिष्ठता सूची के आधार पर कर दी। जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। उसको मौका देना पड़ेगा आपको कि अगर आपको आब्जैक्शन करना है तो आब्जैक्शन करें। आपने कोई मौका नहीं दिया, एड हाक अपाइंटमेंट करके उसको बता दिया। केवल प्रिंसिपल और हैडमास्टर का, चार साल से डी.पी.सी. करने की आपको फुर्सत नहीं, किसी प्रकार की कोई नई भर्ती की आपको फुर्सत नहीं, कोई वैकेंसी निकले नहीं। आपका पिछली बार का बजट भाषण था उसमें कहा था कि आप, मूक-बधिर विद्यालय जोधपुर और बीकानेर में खोले जाने की आपने घोषणा की थी। खुल गये न? खुल गये तो कहां खुले? कहीं रास्ते में घूम रहे हैं या वहां तक पहुंचे हैं या नहीं।

प्रारम्भिक शिक्षा पंचायती राज को देंगे। बड़े भाषण दिये, बड़ी तालियां पिटाई थी। प्रारम्भिक शिक्षा दे दी न? हमारे पंचायती राज मंत्रीजी को खड़ा करके पूछो कि प्राइमरी एजुकेशन उनके पास है क्या? उनके डायरेक्टर को पूछो कि आपके पास कुछ है क्या? मतलब किस प्रकार से नाटकर कर रहे हैं, कभी इधर देते हैं कभी उधर देते हैं। सारे शिक्षा के ढांचे का सत्यानाश कर दिया। कोई उसके बारे में चिंतित नहीं है। उस गरीब का क्या होगा, उसका भविष्य तो उसका बच्चा है जिसको वह भूखा रहकर के पढ़ाता है। लेकिन आपने उस प्राइमरी एजुकेशन का जिस प्रकार से भट्टा बिठा दिया, जाकर रोओ न कि एक-एक मिडल स्कूल एक-एक मास्टर से चल रहा है। आप जाकर के रोओ न वहां। मन ऐसा दुःखी होता है कि हम यह नहीं खोलें, हमारी क्षमता नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है लेकिन जनता को खुश करने के लिए बोर्ड लटका करके, इसको पूजो, आरती उतारो बोर्ड की। बिना अध्यापक के आप विद्यालय चला रहे हो, किस तरह से चला रहे हो और फिर आप ताली पिटवाते हो। यूनिवर्सिटी खोल दी और यूनिवर्सिटी को रुपये दिये 50 लाख। वहां चलाओ। शिक्षा के बारे में भगवान जाने।

मुझे बहुत अफसोस है, यह जो डी.पी.ई.पी. योजना है, इस डी.पी.ई.पी. योजना में 19 जिलों का इसमें चयन कराया है। हमारे यहां लोक जुम्बिश थी, शिक्षाकर्मी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

थी, फिर भी हमने प्रयत्न किया कि हमको कहीं से पैसा मिले और उस पैसे से हम ज्यादा से ज्यादा शिक्षा का प्रचार करें। 19 जिलों को किया और स्वीकृत हो करके हर जिले को 40-40 करोड़ रुपये इस स्कीम के तहत हमको मिला है। यह प्रश्न के जवाब में है कि इन जिलों 40-40 करोड़ रुपये दिये जा चुके हैं और आज कितने खर्च हुए हैं? कोई हिसाब देखेगा? कभी कोई मानीटरिंग करता है? बैठ करके कोई विभाग के इन कामों को भी देखता है? फुर्सत नहीं है किसी को भी। हमारा इस सारे में कितना खर्चा होता है? डी.पी.ई.पी. में 6 प्रतिशत होता है मैनेजमेंट पर वह खर्चा हो गया। 24 प्रतिशत करते हैं विद्यालय भवनों में। वह खर्चा हो गया और यह जो 70 प्रतिशत शैक्षणिक गुणात्मक सुधार में देते हैं उसके लिए खड़े हो करके बता देना कि वह कितना हुआ, कितना नहीं हुआ। काम कुछ हो नहीं सकता। केवल जहां-जहां कमीशन के धन्धे होते हैं उसमें फुर्ति से चलता है। निर्माण कार्य फुर्ती से चल रहे हैं। क्या मजाक है?

डा. के. सी. चौधरी : कांग्रेस राज में ऐसा नहीं हुआ। दो-दो लाख रुपये ले करके आपने स्कूल खोली हैं वहां। कांग्रेस के टाइम पर ऐसा कभी नहीं हुआ। आप अपने गिरेबान में झांक कर देखो।

श्री सोहन नायक : आपके वक्त तो शिक्षा को बेचा गया था, वह भूल गये क्या आप?

डा. के. सी. चौधरी : दो-दो लाख रुपये ले करके शिक्षा में स्कूल खोली है आपने।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैंने दो लाख रुपये ले करके खोले हैं, तो आपके पास सरकार है, अगर मैंने बेईमानी की है तो फांसी पर लटका दो।

एक माननीय सदस्य : आपने तो सरकारी दुकानें बना दी थी स्कूलों को।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर मैंने दुकान बना दी, गलती की तो सरकार चला रहे हो आप, सब पावर आपके पास हैं अगर दण्ड है तो यहीं फांसी पर लटका दो कोई गलती की हो तो। उसके लिए भी तैयार हूं।

श्री सोहन नायक : वह सजा तो जनता ने दे दी है आपको। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : साक्षरता दर में राजस्थान हिन्दुस्तान में अग्रणी रहा है हमारे टाइम पर। हमारे टाइम पर रहा है यह। लिट्रेसी रेट हाइएस्ट है अपने राजस्थान में।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : बिलकुल सही कहा आपने। आपने बहुत अच्छा याद दिलाया। अग्रणी की जो ट्राफी है वह जरूर आप ले करके आए। अग्रणी की ट्रोफी जो मिली है वह आपके भाग्य से आपको मिली।

डा. के. सी. चौधरी : लिट्रेसी रेट हाईएस्ट रही है राजस्थान की।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : लेकिन हम लोगों ने भी कुछ काम किया था केवल ट्राफी आप ले गये थे।

डा. के. सी. चौधरी : आपके टाइम में 55 प्रतिशत थी और अब 75 प्रतिशत है, 20 प्रतिशत बढ़ी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय चौधरी साहब, आप समझ ही नहीं रहे हो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : फिर यह जो आपने सर्व शिक्षा का किया, आजकल यह जो सर्व शिक्षा के बारे में केन्द्र सरकार ने, आपका तो एक फूटी कौड़ी पैसा नहीं है एजुकेशन में, आप गिना देना मुझे कि इस स्कीम में आपका यह पैसा लगा हुआ है, मुझे बता दोगे तो मैं मान जाऊंगा। आपका यह सर्व शिक्षा अभियान जो केन्द्र सरकार ने शुरू किया इसी का नाम बदल करके आपने शिक्षा आपके द्वार कर दिया। पैसा तो वही है न? यह शिक्षा आपके द्वार उसी पैसे से है न और उसमें भी कुछ उनके नार्म्स हैं सर्व शिक्षा में 1:40 का रेश्यो है उसमें अध्यापक लगेगा। आपने एक फरमान निकाल दिया कि समानीकर करो 1:59 पर। 1:59 कोई बच्चा किसी स्कूल में बैठ सकता है क्या? गांवों का जा करके प्राइमरी स्कूल देखा हैं क्या कि किसके आधार पर आप यह समानीकर कर रहे हो। आधार क्या है? जबकि एलीमेंट्री एजुकेशन में हम थोड़ी संख्या रख करके बच्चों को पढ़ाए। आठवीं तक बच्चा अगर ठीक पढ़ जाएगा, नवीं कक्षा में आप 60 की क्लास लगाओगे तो भी बच्चा पिक-अप करेगा लेकिन आप उस बच्चे को पहले से अंगूठाछाप जो वर्षों से आपने पाप किया न, फिर से आधा अनपढ़ रख करके इस बच्चे के साथ क्यों अन्याय कर रहे हो? गरीब बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ाई कराता है और उसको आपने जिस तरह से बिना अध्यापक के, बिना किसी प्रकार से यह सर्व शिक्षा अभियान, इसमें यह जो ई.जी.एस. यह राजीव गांधी पाठशाला को आपने डाल दिया, यह आपको तो इसमें कुछ भी नहीं रहा, यह केन्द्र की सर्व शिक्षा का पैसा आ रहा है इसको राजीव गांधी में ट्रांसफर कर दिया ताकि आपके ऊपर कोई भार नहीं पड़े। इसमें तो कई प्रकार की सुविधाएं हैं, प्रति छात्र साल भर की शिक्षण के गुणात्मक सुधार के लिए प्रति छात्र प्राइमरी एजुकेशन में 845 रुपये देते हैं, उसके बाद मिडल में 1200 रुपये प्रति छात्र साल का देते हैं और उसके बाद बाकी है तीन हजार तक का केवल शिक्षण में गुणात्मक सुधार के लिए यह सर्व शिक्षा अभियान पैसा देता है। पैसे में डी.पी.ई.पी. में कमी नहीं, पैसे की सर्व शिक्षा में कमी नहीं फिर किसके लिए? जितना पैसा आपको दिया है आप खर्च करके यह जितनी भी स्कीमों में, चाहे वह लोक जुम्बिश में, चाहे शिक्षाकर्मी में, चाहे डी.पी.ई.पी. में, चाहे सर्व शिक्षा में जो केन्द्र से पैसा मिला भगवान के लिए एक

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

चार्ट यहां रख दो और फिर उसमें यह कहो कि अब आपके पास बैलेंस कितना पड़ा है। आप खर्च नहीं कर पाते हैं इसलिए हमको अधिक न मिला। मतलब कोई मानीटरिंग करने की कोशिश नहीं करता है कि वास्तव में हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। आपने राज्यपाल महोदय के भाषण में कहलवा दिया कि 2003 तक सब को शिक्षित कर देंगे, इसमें आपका क्या लग रहा है? यह तो सर्व शिक्षा अभियान का टाइम-टेबल बना हुआ है। सर्व शिक्षा अभियान में केन्द्र सरकार का लक्ष्य सन् 2003 तक शत-प्रतिशत नामांकन, 2007 तक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना सब के लिए अनिवार्य, 2010 तक प्राथमिक शिक्षा कक्षा 8 तक उत्तीर्ण करना सब के लिए आवश्यक है। इसमें आपका क्या लगा, लिखाया आपने अपने नाम से, पीठ थपथपाई, ताली बजाओ, बजाओ ताली, जैसे डमरू होता है, बजाओ ताली, बजा दी सबने ताली। कोई देखने की कोशिश भी नहीं की, मन से देखो कि क्या शिक्षा की स्थिति बनी है और शिक्षा पर हम क्या-क्या करने जा रहे हैं।

शिक्षा कर्मी योजना, इतनी बढ़िया शिक्षा कर्मी योजना, आपको सुनकर ताज्जुब होगा, डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डवलपमेंट, ब्रिटेन से हमको मदद मिली है, शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट उन्होंने ले रखा है। उन्होंने क्या लिखा है आपके बारे में? उन्होंने पत्र लिखकर हिदायत दी "कि परियोजना अपने उद्देश्यों के बजाय धन को अन्य कार्यों में उपयोग कर रही है, जो गलत है।" यह क्या मजाक है? यही आपको डी.पी.ई.पी. वालों ने लिखा है।

डा. बी. डी. कल्ला (चिकित्सा मंत्री) **:** एक मिनट रुको।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो।

डा. बी. डी. कल्ला : एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : हर चीज का जवाब देंगे तो कैसे होगा?

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) **:** उपाध्यक्ष महोदय, सदन की यह परम्परा रही है कि प्रतिपक्ष के नेता या सदन के नेता जब बोलते हैं, बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करता है।

श्री उपाध्यक्ष : यही मैं कह रहा हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : लेकिन यह परम्परा मंत्रिमण्डल की ओर से, नेता प्रतिपक्ष को टोकते जा रहे हैं, परम्परा का उल्लंघन कर रहे हैं बराबर आप।

डा. बी. डी. कल्ला : कोई तथ्यहीन बात करे तो उसको कहने का अधिकार है। हमने 16 हजार परमानेंट रखे हैं, 28 हजार आदमियों को यहां पर राजीव गांधी पाठशाला में रखा है, उसके बावजूद भी कह रहे हैं।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : उपाध्यक्ष महोदय, तथ्यहीन बात उधर से आएगी तो इधर से भी विरोध किया जाएगा।

डा. बी. डी. कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने कोट किया है, शिक्षा कर्मी योजना का तो इन्हें सुधारने हेतु बोलना पड़ता है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपको मौका मिलेगा, वह बताएंगे सब बात, आप बीच बीच में खड़े हो जाते हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के नेता बोलेंगे तो हम भी पूछेंगे, हम भी इसी परम्परा का निर्वहन करेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप यह बता दो कि यह हिदायत वाला कागज आपको मिला कि नहीं मिला? मिला तो था न?

डा. बी. डी. कल्ला : वह वापस सुधार लिया। इनको गहलफहमी थी, वह सुधार ली।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हां, हां, हां।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, परम्परा यह है।

श्री उपाध्यक्ष : परम्परा मैं जानता हूं, मैं ट्राई कर रहा हूं उसको निर्वहन करने की, आई एम ट्राईंग, अगर सब को-आपरेट करो, आप करो तो हो जाएगी, नहीं तो मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कोई इंटरवीन कर सकता है, इण्टरप्ट थोड़े करेगा? अगर मुख्य मंत्री साहब किसी को कह सकते हैं, एनर्जी मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर का कोई सब्जैक्ट आता है, जिसको चाहे मुख्य मंत्रीजी इंटरवीन करवा सकते हैं। पहले उनका जवाब हो जाएगा ब्रीफली। यह क्या तरीका है? आप खड़े होकर इण्टरप्ट करते हो।

श्री उपाध्यक्ष : मैं उस तरीके को रोकने की कोशिश कर रहा हूं। आप क्या तरीका कर रहे हो, आप भी यही कर रहे हो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं तो ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आई नो माई ड्यूटी, मैं मेरी ड्यूटी समझता हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : परम्परा का ध्यान दिला रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप रेगूलेट नहीं कर रहे थे।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने रोका उनको।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हम तो ध्यान दिला रहे हैं आपको।

श्री उपाध्यक्ष : आप और क्या कर रहे हो, आप भी यही कर रहे हो, यही तो आप कर रहे हो। मैं कोशिश कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कहां कह रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : बीच में इण्टरप्ट मत करिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप निवेदन कर रहे हैं, आदेश दो, आप निवेदन कर रहे हो? आदेश दो, आप तो। निवेदन क्या होता है?

श्री उपाध्यक्ष : मैं आदेश दूंगा तो सब बाहर निकल जाएंगे अभी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : निकाल दो, निकाल दो साहब।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : निकाल दो सबको, जो ऐसा करते हैं उनको।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति हो नहीं सकती, राज्य कर्मचारियों को मेडिकल का पैसा नहीं मिल सकता, राज्य कर्मचारियों को हर महीने पहली तारीख को तनखाह नहीं मिल सकती, उनको बोनस नहीं मिल सकता, उनको सरेण्डर लीव का पैसा नहीं मिल सकता, क्यों? अगर आपने कोई समझौता किया हुआ है, किसी कानून के आधार आप चल रहे हो, अगर केन्द्र में उनका बढ़ेगा डी.ए. तो आप उसके लिए लाइबल हो। हरिदेव जोशीजी समझौता करके गए थे। आप उनकी बात भी नहीं मानना चाहते हैं। मैं सोचता हूं आप इस तरह से तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं, ये तुगलकी फरमान बन्द करें। जो उनका वाजिब हक है, वह वाजिब हक आपको उनको देना पड़ेगा, उसको आप नकार नहीं सकते। वह कोई आपसे ऐसे ही नहीं मांग रहे हैं, उनका अधिकार है। हमारा तो किसी का कम नहीं हो सकता क्योंकि हमें तो तनखाह बढ़ाने की आवश्यकता है, उनके बच्चे हैं, बाकी बड़े-बड़े अधिकारियों के प्रमोशन होने जरूरी हैं क्योंकि वह आपके नजदीक रहते हैं, ये पाप करते हैं जो दूर रहते हैं। इसलिए प्रमोशन और डी.पी.सी. नहीं हो सकती? यही है न?

आपने तो उद्योगों की जो हालत बनाई है, एक खिड़की का करो। एक खिड़की में, उस एक खिड़की में क्या करेंगे? उस एक खिड़की में घुसकर क्या करेंगे? एक खिड़की योजना में, उद्योगों की जो दुर्गति हो रही है उस पर निगाह डालने की कोशिश की कि हमारे उद्योगों की क्या स्थिति बनती चली जा रही है? एक खिड़की योजना, बजाओ ताली। मैं सोच नहीं पा रहा हूं कि हमारी जो विकास दर थी, मुख्य मंत्रीजी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इन सब विषयों को बहुत गहराई से देखें। प्रदेश के हित के लिए देखें, पार्टी से ऊपर उठकर देखें कि हम कहां जा रहे हैं और क्या हो रहा है। हमारी जो विकास

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

दर 15.79 थी वह अब केवल 2.99 रह गई है, 2.99, कभी किसी ने कोई मोनीटरिंग करने की कोशिश ही नहीं की कि आखिर क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है? मैं सोचता हूं कि यह सब, खादी ग्रामोद्योग में जो मजदूर लगते हैं, उसमें मजदूरों की संख्या घटती जा रही है, उसमें कामगारों की संख्या घटती जा रही है, इण्डस्ट्री से लोग निकलते चले जा रहे हैं।

रीको, राज्य औद्योगिक विकास विनियोजन निगम का लाभ प्रतिशत देखिए आप। 1997 में लाभ 21.29 करोड़, 1999-2000 में लाभ कितना रहा है, 2.72 करोड़ और किसी ने कोशिश नहीं की, किस तरह से हम डिपार्टमेंट को देख रहे हैं और क्या हमारी मंशा है, मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे बहुत अफसोस है।

एक बात कहूं, समाज कल्याण मंत्रीजी, आप बाकी तो छोड़ें, जयपुर में आपके जो बच्चे रहते हैं, शिशु गृह हैं, उसके आंकड़ें देखें, एक ही बानगी बता रहा हूं आपके लिए, इस शिशु गृह में कुल मिलाकर 495 बच्चों का एडमीशन हुआ, 495 में से मर कितने गए, 124, 124 बच्चे, यह है हमारा। आप अपने छात्रावासों की संख्या चाहे मत बढ़ाओ, मैं आपसे निवेदन करता हूं कोई जरूरी नहीं है आप कोई कमी-खामी निकालें लेकिन आप जाकर वस्तुस्थिति को देखें कि आपके छात्रावासों की क्या स्थिति है।

श्री बनवारी लाल बैरवा (उप मुख्य मंत्री) : कौनसे छात्रावास में मर गए?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह तो आपके यही हैं गांधी नगर का।

श्री बनवारी लाल बैरवा : शिशु गृह अलग चीज है साहब, छात्रावास अलग चीज है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं आगे बढ़ गया, आप पीछे चल रहे हैं।

श्री बनवारी लाल बैरवा : यह जो शिशु गृह की बात आप कह रहे हैं...।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : पहले तो मैं शिशु गृह ही बोला, अब मैं आप के होस्टलों पर आ रहा हूं। मैंने तो शिशु गृह की बात कही है, उसके बाद आगे चला गया।

श्री बनवारी लाल बैरवा : वह भी सत्य नहीं है, सत्य के परे की बात कह रहे हैं, इसलिए कहना पड़ा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मेरे पास जो रिकार्ड इकट्ठा हुआ है, वही बता रहा हूं, आप चाहें तो मैं हर साल के बता दूं। 1998 में 12 लड़के मरे, 1999 में 26, 2000 में 50, 2001 में 22, 2002 में 14, इन सबका टोटल मैंने किया है। 124 बच्चे, इनकी मृत्यु हुई। पांच साल में है, कोई एक

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

साल में थोड़े ही है। मैंने तो पांच साल के एडमीशन बताएं, पांच साल का एडमीशन है 495 बच्चे।

डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) : किस उम्र के बच्चे मरे?

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय उपाध्यक्षजी, वे बच्चे बहुत कमजोर आते हैं।

डा. के. सी. चौधरी : शिशु गृह में 2 महीने, 2 दिन के, चार दिन के, छह दिन के।

श्री बनवारी लाल बैरवा : बहुत मुश्किल से तो जिन्दा रखा जाता है, पहले भी मैंने बहुत निवेदन किया है, बहुत बीमारी से ग्रस्त आते हैं।

डा. के. सी. चौधरी : दो दिन के, तीन दिन के बच्चे, जिस पोजीशन में लाते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : महिला उत्पादन, आप थोड़ा इस पर भी दृष्टि डालें। और दृष्टि डाल कर देखने की कोशिश करें कि, केवल इसलिए नहीं कि हमने कह दिया इसलिए बुरा ही कहा। हमारे यहां जिस प्रकार से महिला उत्पीड़न के केसेज बढ़े हैं। अभी बीच में एक बार आया था कि जयपुर इसमें सबसे ज्यादा तरक्की कर रहा है। महिला उत्पीड़न के रोकने के प्रयास करें। शिवानी जड़ेजा का काण्ड हुआ। वह तो निपटा ही नहीं, किशनगढ़ में दो बालिकाओं पर तेजाब फेंक दिया।

अब हाई कोर्ट के अन्दर भी आप देखें, आपके डिप्टी रजिस्ट्रार श्री गोविन्द ने किस तरह कृत्य किया, क्या हुआ उसका? क्या अभी उसकी स्थिति है? आप बताना कम से कम, अभी वह कहां है, क्या है?

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि मंत्री) : वह सस्पैण्ड है और डिसमिस होगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सस्पैण्ड कोई सजा है? सस्पैण्ड सजा है?

श्री खेतसिंह राठौड़ : कानूनन काम तो कानून की राय से ही होगा। यूं थोड़े होगा, यह कोई राठौड़ी राज नहीं है हुजूर।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कटारिया साहब।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं सोचता हूं कि ऐसे एक नहीं अनेक छोटे बड़े मामले, अजमेर का अश्लील फोटो काण्ड हुआ। उसके अन्दर जो अभियुक्त थे, दो अभियुक्त थे फारूख चिश्ती और नफ्ती चिश्ती। इनमें से एक गलत, अपने आप में बनाया सर्टिफिकेट, कि यह पागल है। पागल होने के नाते, वह सर्टिफिकेट के कारण से मुक्त हो गया। उसने जाकर सूरत में जो 24 किलो स्मैक पकड़ी गई, 24 करोड़ की, उसमें यही महारथी है। यह किसी जमाने में आपके पदाधिकारी रहे हैं, रहे हैं न? यह मैं तो नहीं कह रहा, आपके यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस राज के थे। मैं नहीं कह रहा हूं, यूथ कांग्रेस के थे। अब आप देखें, इस

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बारे में विचार करें कि यह वास्तव में जितने भी हैं। आप हमको गाली दें, हम आपको गाली दें, समस्या का यह समाधान नहीं है। समस्या का समाधान यह है कि राजस्थान के प्रत्येक गांव और शहर में ये छोटे-छोटे मूर्ति काण्ड हो रहे हैं प्रारम्भ, ये छोटे-छोटे उत्पात क्या हैं, कौन करा रहा है? वहां का स्थानीय आदमी तो इस तरह का बरताव नहीं कर सकता। अगर करता तो 10 वर्ष पहले करता। आप ध्यान लगाइए,बाहर के बहुत से एलीमेंट्स छोटे-छोटे गांवों में पहुंच कर इस प्रकार की गतिविधियों में लीन हो गए हैं, जिससे हिन्दुस्तान में साम्प्रदायिकता फैले। साम्प्रदायिक उन्माद फैले। और पाकिस्तान हम पर किसी भी प्रकार से अटैक करने की तैयारी करे, इसका सारा नेट वर्क जम गया है। इस नेटवर्क को समझिये और समझकर, नहीं तो इतने साल पहले भी निकालते जुलूस इस तरह के। कोई जाता है, गणेशजी की सूंड तोड़ जाता है। कोई जाता है, हनुमानजी का घोटा उठा ले जाता है। कोई घण पटक कर महादेवीजी के टुकड़े कर देता है। आखिर धार्मिक भावनाएं तो हैं और धार्मिक भावनाएं हैं तो फिर उसमें से अगर आपके स्वयं के मन्दिर पर भी अगर कोई इसी प्रकार का बरताव करे, कितनी घटनाएं हो चुकी हैं, कितने साम्प्रदायिक उन्माद हो गये लेकिन उन पर काबू नहीं पा रहे हो।

श्री जनार्दन गहलोत : आप तो गणेशजी को दूध पिलाते हो, साहब।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं सोचता हूं कि कई इस प्रकार की घटनाएं हैं। अब आप इस बेरोजगार के साथ तो जिसकी नाव पर चढ़कर आप यहां तक आये थे, वही थी न आपकी घोषणा कि हम 60 साल से 58 साल की उम्र करेंगे। नौजवानों हजारों पद खाली होंगे। भैरोंसिंह ने आप पर रोक लगा दी, आप बुढ़े हो जाओगे, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, हम आगे रास्ते खोल देंगे, नौकरी लगेगी, भर्ती होंगे। खोल दी न? पहली मीटिंग में 58 साल हो गये। पद तो खाली हो गये, लग गये न वह बच्चे, लग गये न? (व्यवधान) ठीक है, कम से कम रहम करो। जो बच्चा मेरिट से पास होता है, मेहनत करके पास होता है, बड़ी मुश्किल से अपने मां बाप का पैसा लगाकर बी.एड. और बी.एस.टी.सी. करता है। बड़ी मुश्किल से करता है। जब उसको नौकरी नहीं मिलती है न तो यह आप भले ही आरोप प्रत्यारोपण में कह देना कि आत्महत्या नहीं करेगा। आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? एक गोल्ड मेडलिस्ट लड़का, टापर यूनिवर्सिटी का, आपकी गेस्ट फैकल्टी में पढ़ाने जा रहा है। क्या उसका मन रोता नहीं होगा कि गेस्ट फैकल्टी में पढ़ाने जा रहा हूं, सौ रुपये लेकर आ रहा है? कितना मन को कष्ट होता है। आप भले ही कितना ही चिल्लाओ कि 1200 रुपये में राजीव गांधी पाठशाला में कर दिया लेकिन

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उसके भी बाल बच्चे हैं। उसके भी मां बाप हैं, वह भी अपनी पत्नी को ले जाकर जब 1200 रुपये की तनखाह पकड़ाता है, आप में से किसी का बच्चा 1200 रुपये लेकर आएगा तब आप रोओगे घर पर बैठकर कितनी पीड़ा होती है। उस पीड़ा को समझने की कोशिश करें। केवल पैसे बचाने के कारण से उस बच्चे का शोषण मत करो। शोषण की पराकाष्ठा कर डाली है आपने। मजदूर को मिलते हैं 60 रुपये। और राजीव गांधी की पाठशाला में पढ़ाने वाला भारत का भविष्य बनाएगा, उस गरीब के बच्चे का भविष्य बनाएगा। कितना बड़ा पाप करते चले जा रहे हो। और उसके बाद भी हमको रहम नहीं आ रहा है कि आखिर हम क्या कर रहे हैं और उसके कारण से कई बच्चे जो मेरिट में हैं वह अलग पड़े रह गये जो किसी न किसी के कहने में आ गये वह नौकरी पा गये। क्या उसके मन में लगेगा, पढ़ने का मतलब क्या है? शिक्षा का अर्थ क्या निकलेगा? आज राजस्थान के मेरे पास जो आंकड़े हैं जो मैंने आपके इस बेरोजगार कार्यालय से इकट्ठे किये, इन आंकड़ों के अनुसार बेरोजगार की जो सूची है उसमें 15,05,178 कुल रजिस्टर्ड हैं उसमें अधिसूचित रिक्तियां कितनी निकली? 3,528। उसमें से नियोजन कितनों को मिला? 1,136 को। नियोजन का प्रतिशत क्या रहा? 0.15। मैं तो आपका प्रगति रिपोर्ट...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अकेले पुलिस विभाग में मैंने 6 हजार सिपाही भर्ती कर लिये, क्या आंकड़े बता रहे हो?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं तो रोजगार विभाग का जो आपकी प्रगति रिपोर्ट है...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : 2,800 पद भर्ती कर लिये और 2,800 अभी भर्ती कर रहा हूं, 6 हजार तो मैंने भर्ती कर दिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैंने आपको कहा क्योंकि यह हमने कर दिया कि बिना रजिस्ट्रेशन कराये भी कोई सीधी नौकरी में जा सकता है। यह हमने प्रावधान किया इसलिए कई लोग रजिस्ट्रेशन में नहीं जाते, सीधी नौकरी में आते हैं, आ सकते हैं हमारे कानून से। लेकिन जो रजिस्टर्ड हैं, मैंने तो उनकी संख्या ही बोली है। और उनमें से जो सूचनाएं उन पर पहुंची उनमें से कितने लोगों को इसमें से नौकरी मिली? आज की तारीख में यह जो अनुसूचित...(व्यवधान) यह जो सारे यानी शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लगभग 12 लाख बच्चे, रजिस्टर्ड सारे मिलाकर उनकी एक स्थिति है, जनजाति के 72 हजार इनमें रजिस्टर्ड हैं। यह जो 15 लाख की मैंने सूची पढ़ी है उनकी यह दशा है कि उनको किस तरह से नौकरी लगायें।

अभी आपका घोषणा पत्र है इस पर लड़ते हैं चुनाव, बड़ा लोगों को लुभावना

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लगा, बहुत अच्छा लगा, कमाल हो जाएगा, हम आएंगे तो बस हथेली में सरसों उगा देंगे, हथेली में सरसों उग गई न, उग गई, कभी एक निगाह डालकर मुख्य मंत्रीजी उनको देखने की कोशिश करें कि जो हमने घोषणा पत्र में लिखा उसमें क्या-क्या हमने उपलब्धियां प्राप्त की, जैसा सेवानिवृत्ति की उम्र और इसमें उपलब्धि में क्या मिला? आपने कहा 8 घंटे बिजली देंगे और भैरोंसिंहजी ने महंगा कर दिया, हम सस्ती बिजली देंगे, 9 हजार में पोल नहीं मिलेगा, यह मिलेगा, मिल गया न? इसी तरह से, घोषणा पत्र में आपने दिया था, प्राकृतिक प्रकोप, अकाल, ओलावृष्टि में मदद करेंगे, मदद की न, करेंगे, अच्छा जब मौत नजदीक आएगी न तब जरूर करेंगे क्योंकि ज्यों-ज्यों चुनाव नजदीक आएंगे, तब इसमें से कुछ निकालने की घोषणा करेंगे। अब आपने भूमि और भवन कर समाप्त की बात की...(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : और राजस्थान में श्रीगंगानगर में 50 साल तक नहीं हुआ वह बयाना हमारी राजस्थान सरकार ने माफ कर दिया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सिंचाई शुल्क की और बता दो।

श्री राधेश्याम गंगानगर : 446 करोड़ रुपये गंग कैनाल के लिए दिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अब आपने कहा था हम भूमि और भवन कर समाप्त करेंगे। भूमि भवन कर समाप्त हो गया, मैं सारी लिस्ट बनाकर लाया हूं जिसमें आपकी उपलब्धियां अभी तक जीरो हैं, कृपा करके आप अपने उस घोषणा पत्र में एक निगाह डाल लिया करो कि इसमें लिखा है औद्योगिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में विकास दर 15.80 प्रतिशत थी वह दर 2.99 रह गई। अब इसी में आपने लिखा पंचायतों को अधिकार देंगे, मैंने आपको अभी पढ़कर बता दिया, पंचायतों को अधिकार मिल गये न। पूछ लो अपने प्रधानजी से कैसी हालत है। बहुत ऊंचा चलाया था शिक्षा का-यह कर लेंगे, वह कर लेंगे। वास्तव में यह सारा का सारा आपने जिन जिन बातों का दिया वास्तव में आपने उसके खिलाफ और जो कोई भी राजनीति पार्टी जनता को केवल गुमराह करने के लिए कुछ आधारभूत उनके सामने शगूफे फेंक कर जीतने का प्रयास करती है तो जनता उनको जितने प्यार से चुनती है उतने प्यार से भी, तीन चुनाव में दिया, आप तो अपने आप गर्व कर रहे थे कि सागवाड़ा तो हमारी बपौती है। सागवाड़ा बपौती है, वह गरीब भी समझता है कि क्या आपने राज प्राप्त करते समय क्या-क्या बातें कही थी उसके बाद क्या मिला था। उस आदिवासी को इस बात का कष्ट था कि जब गुजरात में दंगे हुए वह 50 किलोमीटर पैदल चला तो हमारी कोई गाड़ी उसको बैठाने के लिए नहीं

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

थी। लेकिन वर्ग विशेष के लोगों को ससम्मान लाकर उनके ही घर में, गलियाकोट में जब रचा न तो आत्मा तो उनकी कुलबुलाती है, वह भी इंसान हैं। हिन्दू हो गया तो इसका मतलब अपराध तो नहीं किया। उसकी तो आप व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। यह जो आपका दोहरा चरित्र है, डा. करण सिंहजी माननीय सदस्य, आपने बहुत भाषण दिया था कि हमने 21 परसेंट आरक्षण दे दिया, इसमें दे दिया। नौकरी ही नहीं है तो क्या करें, आरक्षण को चाटें? क्या करें उस आरक्षण का? कितने लोगों की नौकरी लगी इसका चार्ट उठाकर बताना आप तब जाकर आपको इसका संतोष होगा और आपके बंधुओं को भी संतोष होगा। केवल आरक्षण आरक्षण नहीं करें। यह आरक्षण का श्रेय अगर किसी को जाता है, यह जो चेयरपर्सन बने हैं, यह भैरोंसिंह शेखावत की बदौलत बने जिससे गरीब की बच्ची भी जिला प्रमुख, बांसवाड़ा की बनने की औकात रखती है जिसकी झोंपड़ी में लालटेन जलती है उसको भी अगर किसी ने कुर्सी पर लाकर बैठाया तो यह चेयरपर्सन के आरक्षण के कारण से गरीब आकर बैठा है। आपने शोषण किया 50 साल तक उस गरीब का जिसके कारण से गरीब नाराज है।

श्री सी. पी. जोशी : यह भैरोंसिंहजी के कारण से नहीं है, यह 73 वें अमेंडमेंट के कारण से हो रहा है। भैरोंसिंह शेखावत से नहीं हुआ है। आप अपना गलत भ्रम निकाल दें।

श्री बाबूलाल नागर : अब आपने ओ.बी.सी. को आरक्षण नहीं दिया।

श्री राधेश्याम गंगानगर : आपने ट्राइबल कास्ट का बैकलाग कभी पूरा किया क्या? कांग्रेस के राज में हमारी सरकार ने सौ ट्राइबल कास्ट के लोगों को नौकरी दी है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : 73वां और 74वां अमेंडमेंट हुआ...(व्यवधान) शर्माजी, 73वां और 74वां अमेंडमेंट हुआ केवल आरक्षण का प्रतिशत तय करने का, चेयरपर्सन को करने का नहीं है।

डा. सी. पी. जोशी : क्या बातें कर रहे हैं, आप फिर दुबारा देख लें। ट्राइबल सब प्लान में सौ प्रतिशत आरक्षण कांग्रेस ने किया है। आपने नहीं किया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नहीं, नहीं।

डा. सी. पी. जोशी : आपने नहीं किया है, 73वें अमेंडमेंट के अन्दर ट्राइबल सब प्लान में सरपंच एस.सी. का बनेगा, प्रधान एस.सी. का बनेगा, प्रमुख एस.सी. का बनेगा, यह आपने नहीं किया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह 73वें अमेंडमेंट के बाद हुआ है।

डा. सी. पी. जोशी : आप देख लें, 73वें अमेंडमेंट में चेयरपर्सन का भी प्रावधान है, फोर योअर काइंड इंफार्मेशन।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपको यह अच्छी तरह से मालूम होगा।

श्री राधेश्याम गंगानगर : ट्राइब को आरक्षण से ज्यादा दिया गया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : शिड्यूल्ड एरिया की एक अपनी अलग स्थिति है लेकिन जो शिड्यूल्ड कास्ट है, उस शिड्यूल्ड कास्ट के लिए चेयरपर्सन बनाने का कहीं नहीं है, महिला को चेयरपर्सन बनाने का कहीं नहीं है। यह पहली बार भैरोंसिंह शेखावत ने डालकर जनप्रतिनिधियों को सम्मान देकर बराबर की कुर्सी पर बैठाया, धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नेता महोदय।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्षजी, अभी नेता प्रतिप्रक्ष ने बहुत जोशीला भाषण दिया राज्यपाल महोदय के अभिभाषण प्रस्ताव पर। ऐसा लग रहा था जैसे वे कोई पब्लिक मीटिंग में बोल रहे हों। वही उनका लहजा था, वही आक्रोश था और उसी चुनाव की तैयारी के हिसाब से, जैसे वे रिहर्सल कर रहे हों, उस प्रकार की भावना देखने को मिली। मुझे खुशी है कि उन्होंने बहुत तैयारी की। अभी मैंने जब आपको कहा, मीटिंग में भी वे उपस्थित हुए थे तब भी पूरी चर्चा हुई। मैं यही कहना चाहूंगा कि आज चर्चा का चौथा दिन है और चार दिन की चर्चा में जो मुख्य-मुख्य बिन्दु माननीय सदस्यों के उभर कर आये, जिन्होंने भाग लिया उन सब पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा।

मुख्य रूप से अकाल और सूखे पर, बिजली पर चर्चा की गई। अन्य बिन्दु भी सामने आये। अध्यापकों की कमी की बात भी की गई, चिकित्सकों की कमी की बात की गई, पानी की समस्या की बात की गई। मुख्य रूप से अकाल राहत के कामों को लेकर चर्चा हुई। मैं ऐसा मानता हूं कि प्रतिपक्ष के नेता सहित जो साथी लोग बोले, हमने पहले ही कहा था कि दो दिन की चर्चा आप रखा रहे थे उसमें से अधिकांश चर्चा तो इस अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर ही हो जाएगी और मैं समझता हूं कि वही बात हमारे सामने आ रही है।

मैंने कहा कि अकाल चार साल से लगातार पड़ रहा है और चार साल के अकाल के बावजूद भी जिस प्रकार से सरकार ने प्रयास किये हैं एक तरफ वित्तीय प्रबन्धन करके, एक तरफ इंफ्रांस्ट्रक्चर बना कर ये प्रयास किये गये, यह नहीं कहना पड़े कि अकाल, सूखा पड़ा हुआ था इसलिए सरकार कुछ नहीं कर पायी। अकाल का मुकाबला करना कोई मामूली बात नहीं होती है और जैसा मैंने पहले कहा कांग्रेस सरकार जब-जब आयी है उसने अकाल को बहुत गम्भीरता से लिया, प्रबन्धन किया, समय पर मजदूरी मिले, पूरी मजदूरी मिले, करप्शन नहीं हो और आज इसीलिए पूरे देश के अन्दर अकाल प्रबन्धन की तारीफ हो रही है। प्रधानमंत्री आते हैं राजस्थान के अन्दर, वो तारीफ करते हैं, राष्ट्रपति महोदय आते हैं वे तारीफ करके जाते हैं। अभी

(श्री अशोक गहलोत)

हाल ही में 4-6 दिन पहले जब महामहिम उप राष्ट्रपति महोदय आये वे भी अकाल राहत के प्रबन्धन की तारीफ करके गये। आप यह सोच सकते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : उस समय कटारिया साहब मौजूद थे।

श्री अशोक गहलोत : इन कठिन परिस्थितियों के अन्दर इस प्रकार से...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उन्होंने उस रूप में नहीं किया। उन्होंने केवल कलक्टर के काम की, एफिशिएंसी को सराहा था।

श्री उपाध्यक्ष : कलक्टर तो सरकार के ही हैं, कोई अलग थोड़े ही हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सरकार का नहीं था, कलक्टर का था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सुप्रीम कोर्ट वाली बात भी बता दो नेता महोदय।

श्री अशोक गहलोत : सरकार का संकल्प था, माननीय कटारियाजी ने बहुत भावना में बह कर बातें कहीं। मैं कहना चाहूंगा इस प्रकार के प्रबन्धन पहली बार हुए हैं, चाहे प्रबन्धन गेहूं पहुंचाने का हो, गेहूं देना एक बात है और गेहूं गरीब तक कैसे पहुंचे वह दूसरी बात है। यह बार-बार कहना कि केन्द्र आपको यह दे रहा है, गेहूं दे रहा है, पी.एम.जी.एस.वाई. की योजना चला रहा है, आई.सी.डी.एम. में पैसा दे रहा है। यह कोई नयी बात नहीं, खाली राजस्थान को नहीं दे रहा है, पूरे देश के तमाम राज्यों को उसी ढंग से मिल रहा है जैसे राज्य सरकार को मिल रहा है। सवाल इस बात का है कि उसकी परफोर्मेंस राज्य किस प्रकार कर रहा है। क्या आप इससे इंकार करेंगे कि जो प्रबन्धन किये गये हैं जिसमें दो बोरी अनाज वार्ड पंच के घर रखवाया गया, 5 बोरी अनाज ग्राम पंचायत के अन्दर रखवाया गया, 25 बोरी तहसील के अन्दर रखवाया गया 3.5 लाख लोगों को घर बैठे हुए 50 किलो अनाज व 30 रुपये दिये गये अनुग्रह राशि के रूप में।

मिड डे मील योजना चलायी है1 20 करोड़ रुपये की लागत से। अकाल के वक्त में 70 लाख बच्चों को मिड डे मील योजना में दोपहर का भोजन मिल रहा है घूघरी के रूप में। आई.सी.डी.एस. के माध्यम से 35 लाख महिलाओं व बच्चों को पोषण मिल रहा है। अब आप कहेंगे गेहूं केन्द्र का है। मैंने उस दिन भी मीटिंग में कहा था, आप भली-भांति गांव में जाकर कहिएगा कि आपको मालूम है गेहूं कौन बांट रहा है, कहां से आ रहा है, यह गेहूं केन्द्र से आ रहा है, प्रधानमंत्रीजी भेज रहे हैं, हमें कोई एतराज नहीं। आप कहिए कि जो पी.एम.जी.एस.वाई. की योजना एक हजार किलोमीटर सड़कें बन रही हैं यह कौन बनवा रहा है, कौन पैसा दे रहा है। आप कहिएगा, यह प्रधानमंत्रीजी दे रहे हैं,

(श्री अशोक गहलोत)

केन्द्र सरकार दे रही है, हमें कोई एतराज नहीं है। कृपा करके जो काम हो रहा है उसकी परफार्मेंस अगर राजस्थान राज्य कर रहा है, मैं समझता हूं उसको कोई नकार नहीं सकता। आज पूरा देश मान रहा है कि पी.एम.जी.एस.वाई. योजना केन्द्र की होगी, पूरे कंट्री का 69 परसेंट काम कहां हुआ? राजस्थान के अन्दर हुआ। एक साल हो गया उसके बाद में। अच्छी परफार्मेंस की हमें सजा दी जा रही है। यह मैंने प्रधानमंत्रीजी को भी कहा है, पूरे कंट्री में भारत सरकार मान रही है राजस्थान सबसे अच्छा काम कर रहा है। उसके बाद में क्या कारण है कि 710 करोड़ रुपये के प्रस्ताव हमारे साल भर से रोक दिये गये। एक तरफ लाल किले से प्रधानमंत्रीजी ने कहा कि दिसम्बर, 2003 तक तमाम एक हजार आबादी के गांव जुड़ जाएंगे। हमें खुशी हुई; हमने उसी स्प्रिट को सामने रखकर, प्रधानमंत्री की भावना को सामने रखकर हमने समय पर प्रस्ताव बनाये, समय पर आगे भेजे, पर दुर्भाग्य से पहले फैज में हमने सबसे अच्छा काम करके दिखवाया, दूसरे फैज के सारे प्रस्ताव रोक दिये गये। क्या यह पैरवी आपको नहीं करनी चाहिए कि राजस्थान को अधिक से अधिक पैसा समय पर दो? कम से कम राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके हैं, कास्ट आफ डिलीवरी ज्यादा खर्च होती है, राजस्थान के अन्दर एक गांव से दूसरे गांव की दूरी बहुत ज्यादा है। समय पर हमारे राजस्थान की एक हजार की आबादी की सड़कें बननी चाहिए। पर आज जिस प्रकार से डिले किया गया है, मुझे लगता है अब यह एक हजार की आबादी के गांव दिसम्बर, 2003 तक जुड़ नहीं पाएंगे। इस बात का दु:ख हम सबको होना चाहिए।

अगर गेहूं हम मांगते हैं तो किसके लिए मांगते हैं? गेहूं कोई हम लोग खुद उपयोग करेंगे? कहा जा रहा है कि टेक आफ नहीं कर रही सरकार। केन्द्र सरकार गेहूं दे रही है, लेकिन सरकार उठा नहीं रही है। आपको जानकारी होनी चाहिए 100 परसेंट टेक आफ हुआ राजस्थान के अन्दर एस.जी.आर.वाई., स्पेशल कंपोनेंट का, जो हम कहते हैं काम के बदले अनाज योजना। प्रचार ऐसा किया जा रहा है माननीय सदस्यों द्वारा जैसे गेहूं उठाया नहीं जा रहा हो, गेहूं दिया जा रहा हो। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि राजस्थान सरकार ने गेहूं उठाया ही नहीं। हमने उनको आंकड़े दिये। सारा गेहूं 80 परसेंट, 90 परसेंट, 98 परसेंट उठाया गया राजस्थान के अन्दर। ए.पी.एल., जो अबाव पावर्टी लाइन के लोग हैं उनका गेहूं देश के अन्दर कहीं नहीं उठा रहा है। क्योंकि उससे बेहतर क्वालिटी मार्केट के अन्दर है। भाव में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आंध्र प्रदेश व राजस्थान ने उठाया 5 परसेंट, हरियाणा ने उठाया 2 परसेंट, यू.पी. ने उठाया 0.02 परसेंट। कोई उठा ही नहीं रहा है, उसको लेकर प्रचारित कर दिया गया

(श्री अशोक गहलोत)

जैसे राजस्थान सरकार कोई गेहूं नहीं उठा रही है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो बार-बार माननीय नेता, प्रतिपक्ष कहते हैं कि आपने अच्छा प्रचार किया है कि बहुत अच्छा मैनेजमेंट हुआ है, जबकि आपकी मांग 56 लाख मैट्रिक टन की थी या 7,519 करोड़ का ज्ञापन था, पैसा आपको मिला ही नहीं। पिछले सालों में आपने मांग काफी ज्यादा की थी, बहुत कम पैसा मिला। तब अच्छे प्रबन्धन का प्रचार क्यों हो रहा है? आपको तकलीफ इस बात की क्यों हो रही है कि प्रचार अच्छा हो रहा है? जितना पैसा, अभी माननीय अकाल राहत मंत्रीजी कह रहे थे हमारा प्रोजेक्शन है कि अगर केन्द्र हमें मदद करे तो हमारी प्लानिंग जुलाई तक यह होनी चाहिए। इसके आधार पर हमने ज्ञापन बनाकर दिया। ज्ञापन जब बना तो मुझे भी लगा बहुत बड़ा ज्ञापन बन रहा है 7,519 करोड़ का। हमने मीटिंग की, तय किया, हम जानते हैं केन्द्र की कोई ऐसी स्थिति नहीं है पूरा पैसा वह यहां भेज देगा, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, कई राज्यों में अकाल पड़ा हुआ है, पर हमने आधार बनाया 1987-88 के अकाल का। उस वक्त के जो रेट्स थे, चारे की सोच लीजिए, पानी की सोच लीजिए, मजदूरी उस वक्त 14 रुपये थी, आज 60 रुपये है। मुझे कहते हुए गर्व है कि पूरे देश में सबसे अधिक मजदूरी राजस्थान सरकार दे रही है 60 रुपये। गुजरात जिसकी पैरवी आप कर रहे हैं, हमारे पड़ोसा के अन्दर है, गुजरात आर्थिक रूप से बहुत सम्पन्न है, वहां पर 44 रुपये मजदूरी मिलती है, हम 60 रुपये देते हैं। अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है, हम सब मिलकर क्यों नहीं केन्द्र से पैरवी करें। अगर मान लो हमने ज्यादा मांगा भी है तो किसके काम आएगा? यह दुर्भावना क्यों होनी चाहिए कि ज्यादा काम आएंगे तो श्रेय इनको मिल जाएगा। मेरा मानना है कि पब्लिक का कामन सेंस बहुत मजबूत है। अनपढ़ होगा, पढ़ा-लिखा कम होगा, वह समझता है गेहूं कहां से आ रहा है। कोई गलतफहमी उसको नहीं है। वह समझता है कि पी.एम.जी.एस.वाई. की योजना कौन चला रहा है। चुनाव जब आएंगे, लोग खुद समझते हैं कि कौन क्या कर रहा है। वे यह भी समझेंगे कि कौन क्या पैरवी कर रहा था उस वक्त, कौन भूख से बचा रहा था। हमने कहा हम एक व्यक्ति को राजस्थान के अन्दर, और मैंने आह्वान किया तमाम पोलिटिकल पार्टियों के लोगों का कि समय रहते हुए जुलाई के अन्दर उनके कार्यकर्ता आगे आएं, राजनीतिक पार्टी के लोग आगे आएं, हम सब मिलकर उस गरीब के सुख-दुःख के साथी बनें। एक आदमी भूखा मरना तो दूसरी बात है, आरोप लगाना बड़ा आसान होता है। पोल खुलती जा रही है। करौली में पोल खुली, जयपुर में पोल खुली। बी.जे.पी. के दफ्तर में

(श्री अशोक गहलोत)

बैठकर बी.जे.पी. के नेताओं ने कहा कि आप जयपुर का निकाल दीजिए प्रस्ताव में से, यहां भूख से आदमी नहीं मरा है, यह गलत आरोप लगाया जा रहा है। पोस्टमार्टम हो चुका था। अभी माहिर आजाद ने जोधपुर की राजस्थान पत्रिका का हवाला दिया। यह किस्से आते रहेंगे। हमने कहा, एक आदमी भूखा नहीं सोना चाहिए। यह मेरे कहने मात्र से काम नहीं चलेगा। काम चलेगा एक एक गांव का व्यक्ति किस गांव में, किस ढाणी में कौनसी गली में कौनसे मौहल्ले में कौन आदमी तकलीफ के अन्दर है, जब तक बतायेगा नहीं, चाहे सरपंच को बताओ, सरपंच सब पार्टी के हैं, वार्ड पंच को बताओ, पटवारी हैं, ग्राम सेवक हैं, ग्राम प्रभारी बना दिये एक एक गांव के अन्दर। सूचना आपकी, जिम्मेदारी सरकार की, हमने यह बात कही। यह सब मिलकर ही ऐसे अकाल का मुकाबला हो सकता है। यह जो आपका कहना बार-बार कि कम पैसे में मैनेजमेंट अच्छा क्यों हो रहा है। जितना पैसा होगा उतना ही तो मैनेजमेंट होगा। इसलिए आपका यह कहना कि मांग बढ़ाकर आपने दी, हम मानते हैं कि मांग आपको बढ़कर लग रही होगी पर जो हालात हैं, उसमें हमें अपना हिस्सा नहीं मिलता चाहिए। आज 16 अगस्त से काम खोल दिये सरकार ने और मुझे कहते हुए अफसोस है, पिछली बार भी अकाल पड़ा था, तब भी केन्द्र सरकार थी, समय रहते हुए हमने उनसे मदद मांगी। सी.आर.एफ. के अलावा एन.सी.सी.एफ. से पैसा हमें दिया गया, हमने उसका उपयोग किया। पी.एम. रिलीफ फण्ड से हमें पहले 20 करोड़ मिले, जो आप गिना रहे थे। पांच साल के आंकड़े दे रहे थे। आपको गिनाना चाहिए कि इस साल क्या सरकार ने किया है। पूरी लड़ाई चल रही है, इस साल हमें कितनी मदद मिली। कैसे हम अकाल राहत के कामों का मैनेजमेंट कर सके, पशुधन बच सके, यह हमारी कोशिश है। आप बता रहे हैं, आप पांच साल के आंकड़े बता रहे हैं, हम भी मानते हैं...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नहीं, आपने स्वयं ने पांच साल का जिक्र किया है अकाल का पूरा ही तो पांच साल का हमको भी जिक्र करना ही पड़ेगा।

श्री अशोक गहलोत : पिछली बार पी.एम. साहब ने 50 करोड़ रुपये हम लोगों को दिये, उसका उपयोग किया। इस बार हम उनसे मांग रहे हैं, सीधा गौशालाओं को पैसा भेजने का, हमें तो जानकारी है ही नहीं, वास्तव में मिला अथवा नहीं मिला...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप विरोध कर रहे हैं ना।

श्री अशोक गहलोत : हम क्यों विरोध करेंगे, आप 50 करोड़ नहीं, 100 करोड़ देओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर हम

(श्री अशोक गहलोत)

साथ में कहते हैं, कैटल कैम्प लग लगे हुए हैं राजस्थान के अन्दर, कैटल कैम्प के अन्दर भी उनकी भी गायें हैं। वहां भी गायें हैं, दुधारू गायें हैं। तकलीफ में गाय छोड़ी जा रही है, उसके लिए भी हमें व्यवस्था करनी चाहिए। मेरा तो यह निवेदन है कि आज अभी तक हमें कोई पैसा मिला नहीं। क्योंकि जिस प्रकार के स्टेटमेंट आये कि 50 करोड़ रुपये गौशालाओं को भेजे जा रहे हैं, हमें जानकारी भी नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि आप गौशालाओं की मदद करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो पी.एम. रिलीफ फण्ड से पैसा हमें मिले राजस्थान को, जो आज कंसेप्ट था नाइंथ फाइनेंस कमीशन का, आपके समय में भी हुआ था, उस समय में यह था कि सी.आर.एफ. का फण्ड पहली बार देश के अन्दर क्रिएट हुआ। उसमें यह कहा गया कि 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार देगी और 25 प्रतिशत देंगे राज्य। हर राज्य के अन्दर, चाहे अकाल पड़ा हो अथवा नहीं पड़ा हो, बाढ़ आये या नहीं आये, कोई दिक्कत नहीं, आगे काम वह आता रहेगा, उस समय बार बार जाना नहीं पड़ेगा आपको। यह सोचकर यह कंसेप्ट बनाया गया, उसी पर हम लोग चल रहे हैं। पर साथ में हमें यह सोचना पड़ेगा कि उसके अन्दर एन.सी.सी.एफ. का प्रोविजन भी किया गया। इसलिए किया गया कि केन्द्र से...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उसकी भी राशि लिमिटेड है, एन.सी.सी.एफ. की राशि लिमिटेड राशि है।

श्री अशोक गहलोत : लिमिटेड नहीं होती है, केन्द्र उसमें रखता है। आप जो कह रहे हैं, 10,000 करोड़ की राशि उसमें है, मैं मान रहा हूं कि राशि उतनी नहीं है। वहां पर, उसमें पहले 600 करोड़ थी, अब 1000 करोड़ हो गई। उसमें वह 10,000 नहीं है जो आप कह रहे हैं, पर वह चाहते तो सेस लगाकर उसमें और रुपया इकट्ठा कर सकते हैं। हमारा कहना यह है कि जो सी.आर.एफ. का कंसेप्ट बना था उसके अन्दर यह भावना थी, मान लीजिये, सी.आर.एफ. से काम नहीं चले, उस पर राज्यों से किस मद से सहायता देंगे, एन.सी.सी.एफ. का पैसा तो देंगे, यह कंसेप्ट था। हमारी मांग बार बार हो रही है कि आप उसमें से हमें पैसा दीजिये, वह पैसा अभी तक हमें नहीं मिल रहा है इसलिए मैं अपील करना चाहूंगा पूरे सदन से कि हम लोग सब मिलकर एक स्वर में बोलें इस बात को कि केन्द्र से अधिक से अधिक मदद मिलेगी, वह गरीब के काम आयेगी, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है क्योंकि यह मदद अभी तक हमें मिली है 11 करोड़ और समथिंग मिली है, खाली गांवों के लिए मिली। अब आप सोच सकते हैं कि उससे कैसे काम चल सकता है। राज्य के पास पैसा नहीं, आपने कितना ही कहा, 2000 करोड़ लोन ले लिया, यह कहना बड़ा

(श्री अशोक गहलोत)

आसान है। लोन लेने का अधिकार राज्यों को नहीं होता है, मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहूंगा, उसके लिए केन्द्र सरकार की बगैर परमिशन आप लोन ले नहीं सकते हैं। उनकी अपनी सीमा होती है, वह सीमा में दे चुके, वह लोन हम ले चुके हैं। इसलिए आज जब भयंकर अकाल है शताब्दी का, हम सब इस बात को मानते हैं कि आने वाला वक्त कठिन समय है। मार्च है, अप्रैल है, मई-जून है, चाहे पक्ष हो, चाहे प्रतिपक्ष हो, उसके अन्दर कैसे हम गरीब की सेवा करें। यह हम देखकर चलेंगे, उसके लिए पैरवी सबको करनी पड़ेगी, यह मेरा आप सबसे आग्रह है। इसलिए मैंने कहा कि जो सिर्फ 155 करोड़ रुपये दिये हैं हमें, जो पैकेज दिया गया पी.एम. साहब द्वारा लोक सभा के अन्दर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक नया हैड खोल दिया गया। नई बात शुरू की गई, पहली बार 50 साल के अन्दर मेरे खयाल से जहां तक मैं समझता हूं जिसमें आज तक अकाल, सूखे के अन्दर मजदूरों को मजदूरी देकर काम चला रहे हैं कि दुःख का समय निकल जाये। पिछली टास्क फोर्स की मीटिंग हुई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में। खबर आई कि 207 करोड़ रुपये राजस्थान को मिल रहे हैं। एक पैसा उसमें से नहीं मिला, खाली वह कागजों के अन्दर, अखबारों के अन्दर आया था। हमने पता लगाया कि क्या हुआ तो हमें बताया गया कि वहां पर हैड खोले है अलग-अलग, उसमें एक हैड था 107 करोड़ का। उसमें कहा गया कि आप इन्पुट सब्सिडी दो किसान को, इस प्रकार से गौ रक्षा के लिए क्या देंगे, दवाइयों के लिए क्या देंगे, उन्होंने उसको ब्रेक-अप कर दिया। अब मैं यह समझना चाहता हूं कि आज तक मेरी समझ में नहीं आया कि टास्क फोर्स की बैठक होकर जो सी.आर.एफ. का पैसा राजस्थान के अन्दर 288 करोड़ का वह मानते हैं, उसका ब्रेक-अप उन्होंने कर दिया। अनाउंस हो गया कि वह पैसा राजस्थान को मिल गया, जबकि एक पैसा नया हमें नहीं मिला। वह पैसा हमारा पहले ही खर्च हो चुका था। हमारी लड़ाई भी यही चल रही थी कि आप 150 करोड़ रुपये जो पैसा खर्च हो चुका है पिछले साल में, यह फण्ड सी.आर.एफ. का पांच साल के लिए होता है, पांच साल में जब पैसा बचता है, मान लीजिये, एक साल बचता है, दूसरे साल बचता है तो तीसरे साल वह काम आता है, अलग हैड खोला हुआ है, उसी ढंग से पैसा ज्यादा खर्च हो गया तो वह पैसा वापस हमें मिलता है। एकाउंट कीजियेगा क्योंकि पैसा हमारे पास है नहीं, एक पूरी कवायद हो रही है, वह खाली कागजों में हो रहा है।

आप सबको मालूम है कि 100 रुपये आमदनी है तो 117 करोड़ तो खाली उन खर्च में है जो पेंशन मान लीजिये, तनखाह मान लीजिये, जो पहले का लोन है वह,

(श्री अशोक गहलोत)

ब्याज मान लीजिये, या पहले के लोन की किस्तें मान लीजिये, वहीं तो खर्च हो रहा है। बाकी जो कुछ हो रहा है, वह अधिकांश राज्य देश के अन्दर कर्ज लेकर ही खर्च कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अकाल के अन्दर पैसा हमारे पास होता तो माननीय नेता प्रतिपक्ष से मैं यह आग्रह करना चाहूंगा कि फिर हम 150 करोड़ रुपये नाबार्ड से लोन लेकर क्यों अकाल पर खर्च करते, अगर यह स्थिति हमारी होती तो खर्च क्यों करते। इसलिए आपका यह कहना कि आप लोन ले लीजिये, आप खुद पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं, एक पैसा गांठ का निकल नहीं रहा है और आप खाली ताली बजवा रहे हैं। ताली बजाना तो अच्छी बात है, यह तो आपको बजानी चाहिए। हमको सब लोगों को मिलकर बजवानी चाहिए, अच्छे काम के लिए बजानी चाहिए कि कैसे हम किस प्रकार से राहत दे सकें लोगों को किस प्रकार से हम अधिक से अधिक पैसा ले सकें केन्द्र से, उसकी ताली बजानी ही चाहिए। तो मुझे कहते हुए अफसोस है कि इस प्रकार की भावना आप प्रकट करेंगे सदन में बैठकर, ये आपके नेता प्रकट करेंगे तो दिल्ली में मैसेज क्या जायेगा? और यह बात मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैंने यह बात दिल्ली में, पी.एम. साहब को खुद को मैंने यह बात कही है। इलेक्शन ईयर है, राजनीति होगी। पक्ष-विपक्ष बात अपनी कहेगा, दिमाग में रहेगा सब-कोंशियस में। इलेक्शन आ रहे हैं, हम कैसे उसके बीच में रास्ता निकालें, अधिक से अधिक मदद हम लोग लें, राहत पहुंचाने का प्रबन्ध हम लोग करें और यह कठिन समय राजस्थान का निकल जाये। मैं आपसे फिर आग्रह करना चाहूंगा कि आप इसको बड़ी गम्भीरता से लें। जैसा कि आने वाले समय के अन्दर सरकार ने जो प्रयास किये हैं, वह आपकी जानकारी में है, मुझे उसमें ज्यादा कुछ नहीं कहना। इतना ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 10 दिन का सप्ताह क्यों किया हमने आपको कहा कि उसकी लिमिट खोल दीजिये। आपका कहना बड़ा आसान है। हम भी चाहते हैं कि वाहवाही लें, 10 दिन नहीं, 15 दिन रोजगार देते रहें। पर क्या सरकार की स्थिति है, क्या हम दे पायेंगे? एक तरफ तो केश कम्पोनेंट हमारे पास नहीं और दूसरी तरफ अभी जो कंट्रोवर्सी पैदा हो रही थी, नेता महोदया प्रतिपक्ष लोक सभा ने पत्र लिखा सोनिया जी ने पी.एम. साहब को, और यह कहा कि आप गेहूं 10 किलो की जगह 5 किलो कर रहे हैं, यह गलत है। बी.पी.एल. फैमिली की 75 प्रतिशत तक लिमिट बांध दी, वह गलत है। जवाब आया वहां से, मुझे पी.एम. साहब ने कहा कि मैंने सब दिखवा दिया, कोई वहां कटौती नहीं हो रही है क्योंकि कागजों में ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं है, पत्र चल गया। आपको जानकर दुःख होगा कि जिस दिन अपनी मीटिंग हो रही थी सचिवालय के अन्दर, उसी दिन वहां से आदेश आ गया कि वह 5 किलो की बजाय, पहले तो मना आया, बाद में आ गया लिख कर कि 6 किलो देंगे हम लोग।

(श्री अशोक गहलोत)

और जो अति प्रभावित ब्लाक बनाये गये हैं, 74 ब्लाक हैं मेरे खयाल से, उसके अन्दर 8 किलो अनाज देंगे। और 75 प्रतिशत लिमिट रख दी। एक तरफ आप और हम सब कहते हैं, गांव में जाइये, ए.पी.एल. और बी.पी.एल. बराबर हो गये हैं, यह तो आप जानते हैं कि चार साल से अकाल पड़ा हुआ है इसलिए जो ए.पी.एल. फैमिली है, वह भी तकलीफ में आकर बी.पी.एल. की तरह हो गई और वह जो पहले का आपके जमाने में बी.पी.एल. का सर्वे हुआ है, उसका 75 प्रतिशत कर रहे हैं, क्या ऐसे मुद्दे आपको नहीं उठाने चाहिए?

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा और बढ़ावा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन का समय एक घंटा और बढ़ाया जाय?

श्री सुरेन्द्र व्यास : जवाब होने तक बढ़ा दिया जाय, यह बोलो न।

श्री उपाध्यक्ष : हो जायेगा, खतम होगा तभी खतम हो जायेगा, बार-बार क्यों बढ़ायें।

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा और बढ़ाया गया।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री) : कुछ बिन्दु जो मैंने अभी आपके सामने रखे, यह मैं आप से निवेदन कर रहा था कि आज छह किलो, आठ किलो हो गया, क्या ऐसे पाइंट पर हम लोग सब मिलकर बात नहीं करें कि वास्तविकता क्या है, धरातल क्या है।

श्री मानिक चन्द सुराना : 74 ब्लाक्स में आठ किलो है, यह कहिये आप।

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया न इन्होंने। (व्यवधान) आप बिराजिये।

श्री अशोक गहलोत : छह किलो है सब जगह, और 74 ब्लाक्स में आठ किलो है, यही मैंने कहा है। यही मैंने बोला है जो रिकार्ड के अन्दर है। शायद आपका ध्यान इलेक्शन कमीशन की तरफ होगा, आप अभी परेशान हैं मानिकजी सुराना साहब, क्योंकि आपके...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं मुख्य मंत्रीजी, यह पूरे हिन्दुस्तान में हुआ है। यह बी.पी.एल. सर्वे का जो पुन: सर्वे हो रहा है, गरीबी की रेखा के मापदण्ड में जो बदलाव आया है यह सिर्फ राजस्थान के लिए थोड़े ही आया है, पूरे हिन्दुस्तान में आया है, पूरे हिन्दुस्तान के लिए भारत सरकार ने नई गाइड लाइन दी, हालांकि आपकी भावनाओं से...

श्री अशोक गहलोत : देखिए, हिन्दुस्तान की बात मैं नहीं कर रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपकी भावनाओं से व्यक्तिश: मैं सहमत हूं। आप बिलकुल ठीक बात कर रहे हैं कि राजस्थान में अकाल की परिस्थिति को देखते हुए बी.पी.एल. का जो दोबारा सर्वे करके बी.पी.एल. में 23 लाख परिवारों को जो कम करने की बात चल रही है वह नहीं होनी चाहिए। परन्तु आप ऐसा करके कोर्नर मत करें कि सिर्फ राजस्थान के लिए ही किया जा रहा है।

श्री जनार्दन गहलोत : नहीं–नहीं, आंध्र में नहीं की जा रही।

श्री सांवर लाल : नहीं–नहीं, मजदूर को रोकड़ पैसा भी चाहिए मुख्य मंत्रीजी। चारा खरीदना है, चारे से भी परेशान है किसान, केवल गेहूं दे देंगे तो उससे उसकी पार पड़ने वाली नहीं है तीन साल।

श्री अशोक गहलोत : ठीक है, आप बिलकुल ठीक कह रहे हैं। मैं आप से यही निवेदन कर रहा था कि यह कुछ पाइंट ऐसे हैं जिसको हम लोग, क्योंकि आप बात कर रहे हैं चूरू से आने वाले माननीय विधायक, दूसरे राज्यों की स्थिति और हमारे में बहुत फर्क है। वहां पर कुछ गांवों में अकाल हो सकता हैं, कहीं एक साल का है, सिर्फ दो साल का हो सकता है मुश्किल से, हमारे यहां के अकाल की कोई तुलना दूसरे राज्यों से नहीं कर सकते। यह तो केन्द्र सरकार खुद मान रही है। उसी ढंग से कैटेगरी बनाई गई, उसी ढंग से उस कैटेगरी में हमें रखा गया है, उससे हमारी कोई शिकायत नहीं है, पर जो हालात हमारे सामने हैं उसमें दिल्ली के लोगों को भी फुर्सत नहीं है। अगर हम वहां सब मिलकर बात करेंगे तो उन्हें समझ में जल्दी आयेगा कि प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष मिलकर बात कर रहे हैं इसका मतलब इस बात में दम है, वह लड़ाई हम कामन लड़ेंगे वहां जाकर। चाहे कोई पालिटिक्स पार्टी के लोग बैठे हों, हमारे विधायक बैठे हों, तब जा करके उनके बात जल्दी समझ में आयेगी। मैं निवेदन यह कर रहा था आपको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुख्य मंत्रीजी, क्षमा करना। आपने तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक में कह दिया कि आप कूच करो दिल्ली की तरफ। आपने कांग्रेस विधायक दल की बैठक में कहा, जब आप बात करते न हमसे।

श्री अशोक गहलोत : वह अन्तिम हथियार है। आप ठीक कह रहे हो, अन्तिम हथियार है।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : यह प्रस्ताव पास करो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने तो कूच का ही एलान कर दिया।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : यह कह रहे हैं आप भी चलो।

श्री अशोक गहलोत : अल्टीमेटली तो वो तो अन्तिम हथियार के रूप में हमने कहा है कि अगर आप मदद नहीं करेंगे और हालात ऐसे बनेंगे तो राजस्थान की जनता को हम किसी भी कीमत पर भूखे नहीं मरने

(श्री अशोक गहलोत)

देंगे, यह मैं कहना चाहता हूं, इसलिए उसको कहा है। अगर आप सहयोग नहीं करोगे...

श्री सांवर लाल : माननीय मुख्य मंत्रीजी, अपने खजाने से भी तो कुछ करो कोशिश करके।

श्री अशोक गहलोत : मैं आपके पाइंट पर आ रहा हूं।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह आपके बस की बात नहीं है, बीच में कहां पड़ रहे हो।

श्री अशोक गहलोत : इसलिए मैंने कहा कि आप कृपा करके इसको बहुत गम्भीरता से लें और यह भी गलतफहमी फैल रही है दिल्ली के अन्दर, मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा, उसको दूर करें। पहले एक तरफ दस दिन का सप्ताह, अभी नेताजी कह रहे थे प्रतिपक्ष के, कि नौ दिन ही काउंट होते हैं, बिलकुल ठीक कहा आपने। तो बता दीजिये गेहूं कितना मिलता है एक आदमी को? फिर एक आदमी के परिवार में एक आदमी लग सकता है एक महीने के अन्दर। गलतफहमी दिल्ली में यह है कि एक आदमी को दस किलो प्रति दिन अनाज दे रहे हैं, वह क्या करता होगा, कैसे खाता होगा। हमने उनको समझाने की कोशिश की है, यह गलतफहमी है, हम उसको नहीं दे रहे हैं, उसके पूरे परिवार के भरण-पोषण के लिए उस आदमी के माध्यम से दे रहे हैं। और वह कोई बहुत मामूली होता है, सत्तर-अस्सी किलो मुश्किल से उसको धान मिलता है, यह तो आप भी मानेंगे।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक हम, एक तरफ तो लिमिट है, बी.पी.एल. का पचहत्तर परसेंट करने जा रहे हैं, दूसरे दिन, पन्द्रह दिन, दस दिन का सप्ताह कर दिया हम लोगों ने, अब आप बतायें कि आगे आने वाले तीन-चार महीने में कैसे उनको राहत पहुंचायेंगे। पचास किलो घर बैठे लोगों को दे रहे हैं अनाज, जो लोग श्रम नहीं कर सकते काम पर, वह स्कीम हमने लागू की। यहां तक लागू कर दिया हमने कि कोई प्राइवेट कुआं खोदे, अपना मकान बनाये या अपना टांका बनाये, टांके चूरू में बहुत बनते हैं। आपके वहां पर, आप मुझे बताइये पूरा वेलकम हुआ सब जगह। प्रचार हुआ साहब यह गवर्नमेंट की पोपुलरटी बढ़ रही है। लोग समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट ने यह स्कीम निकाल दी, हमने कोई स्कीम नहीं निकाली है। हम केन्द्र के गेहूं का ही उपयोग कर रहे हैं। हम अलग से, राजस्थान सरकार कोई अलग गेहूं खरीद कर उनको नहीं दे रही है। केश कम्पोनेंट वह अपनी जेब से दे रहा है, गेहूं हम दे रहे हैं, गेहूं केन्द्र का है, सरकार का दिया हुआ। आप प्रचार यह कीजिये गांवों में जाकर, यह गेहूं जो आपको दिया जा रहा है, प्राइवेट कुओं के लिए भी, यह

(श्री अशोक गहलोत)

भी केन्द्र का है, हमें एतराज नहीं है। पर कृपा करके आप गेहूं अधिक से अधिक मिले राजस्थान को, इस पर आप साथ दीजिये, यह मेरा निवेदन आप लोगों से करना है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कुछ तो बोलो नेताजी।

श्री अशोक गहलोत : पशुधन की चिंता हमारे भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य ने की, बहुत ही ठीक बात कही आपने। आपको मालूम है पहली बार पचास साल के अन्दर और मेरे खाल से हिस्ट्री में पहली बार कंट्री के अन्दर हम लोगों ने, अनुदान दे रहे हैं अलग बात है, पिचासी रुपये दे रहे हैं, सौ रुपये दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट सब्सीडी दे रहे हैं। पहले भी दी जाती रही है, हमने बारह रुपये प्रति पशुधन कर दिये, वह एक बात है। पर चारा उगाने को प्रोत्साहन देने के लिए अनुदान तो पहली बार दिया गया। और तो और, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो आज तक तो धान और गेहूं के लिए ही घोषित हुई है, चारे के लिए हमने घोषित की है। तो एक प्रयास किया है कि कैसे, और उसका 59 प्रतिशत एरिया बढ़ा है चारा उगाने के लिए और मुझे उम्मीद है कि इस महीने के बाद में चारे की समस्या कम से कम हो जायेगी। तो आज पशुधन कैसे बचे हमारा, पीने के पानी की जो आपने कल, मैंने सुना है कि काफी आपने हंगामा किया है यहां पर, क्वेश्चन नहीं चलने दिया, बड़े-बड़े ऐसे आंकड़े पेश कर रहे हैं कि बहुत जुल्म हो गया है, आप कल्पना करो कि आपके जमाने के अन्दर ग्रामीण योजना में कितना पैसा कटा था, आपके पास आंकड़े होंगे, नहीं तो मैं आपको भेज दूंगा आंकड़े।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुख्य मंत्रीजी, क्षमा करें। चूरू के अन्दर...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 98.36, 2000-2001 में पैसा...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राठौड़ साहब, माननीय प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और 2001-2002 में 92 प्रतिशत, मतलब 98 और 92 प्रतिशत राशि बचे...

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, प्लीज।

श्री धर्मपाल चौधरी : पानी पीने का टाइम दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : वह पी लेंगे पानी। आपके भरोसे नहीं चल रहे वह।

श्री अशोक गहलोत : आपने जो बात कही है न, वह बात मैं इतना ही कहना चाहूंगा, एक ही बात क्योंकि नेता प्रतिपक्ष ने बहुत ही उसको इस रूप में कहा है जैसे कि यहां पैसा कट रहा हो और बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यह पी.एच.ई.डी. मंत्री ठीक कह रहे थे आपको।

(श्री अशोक गहलोत)

आपके जमाने में 25 प्रतिशत तक पैसा खर्च नहीं होता था, उसको नहीं काटते थे, वह प्रोवीजन था। उसको 15 प्रतिशत कर दिया, वह तो कोई बात नहीं, एक ही बात है। उस जमाने में जो पैसा आता था, यह पूरी योजना जो है इसमें गांवों में, ढाणियों के अन्दर जहां आपके पानी पूरा नहीं पहुंचता या आधा ही पानी पहुंचता है। चालीस लीटर का मेरे खाल से उसमें प्रोवीजन किया हुआ है और बीस लीटर ही पहुंचता है, उसके लिए स्कीम बनाई हुई है। इसमें जब स्कीम बनी है उसमें पहले हैण्ड पम्प और ट्यूब वैल खुद कर काम चलता था। हमारे वक्त में हमने बड़ी योजना बना दी। यह गलत काम किया, समझ लीजिये आप। अब उसके अन्दर सौ करोड़ की योजना है, डेढ़ सौ करोड़ की योजना है और उस योजना में पैसा खर्च, पैसा उड़ाना तो एक बात है। चूरू से आने वाले माननीय विधायक समझ जायेंगे, पैसा उड़ाना एक बात है, पैसा खर्च करना दूसरी बात होती है। हम निवेश करना चाहते हैं, उड़ाना नहीं चाहते हैं। एक-एक पैसे की कीमत है, केन्द्र पैसा हमको दे रहा है, कितनी मुश्किल से दे रहा है, हम चाहेंगे उस पैसे का सदुपयोग हो। अगर जनवरी में पैसा आयेगा, अभी 90 करोड़ रुपये आये हैं सात जनवरी को। आप कल्पना करो, सात जनवरी को आये हैं और यह उम्मीद करें कि वह पैसा अब डेढ़-दो महीने में खर्च हो जाय, सम्भव नहीं है। इसलिए हमारी जो पहले स्कीम थी आपके हैण्ड पम्प और ट्यूब वैल वाली, उसको बदल कर हमने बड़ी योजनाएं हाथ में ली हैं। उसमें वक्त लगता है। और पन्द्रह प्रतिशत का प्रोवीजन कर दिया, पहले पच्चीस से बीस किया, अब पन्द्रह कर दिया, इस कारण से यह पैसा कटा है और हमारी कोशिश है, जैसा मंत्रीजी ने कहा कि कैसे हम पूरा उसका उपयोग करें, यह मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुख्य मंत्रीजी, क्षमा करें, पिछले तीन सालों में...

श्री उपाध्यक्ष : फिर वही बात। माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पन्द्रह प्रतिशत से ज्यादा राशि बची है इसमें। यह आप देख लें। आप कहें तो मैं टेबल कर दूं। पिछले तीन सालों में...

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज आप बिराजिये। प्लीज। यह कोई डिबेट है, बिराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

डा. सी. पी. जोशी : यह बैलेंस अमाउंट

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अशोक गहलोत)

बता रहे हैं, कटा हुआ अमाउंट बता रहे हैं। बैलेंस अमाउंट का क्या हुआ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

डा. सी. पी. जोशी : यह बैलेंस अमाउंट हैं, पैसा कटा हुआ कहां है, कटा हुआ कहां है, बैलेंस तो रहेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

डा. सी. पी. जोशी : नहीं मान्यवर, पच्चीस पर्सेंट तो बैलेंस रहेगा। आप कटा हुआ बता रहे हैं क्या। फालतू बात कर रहे हैं। वह कटा हुआ अमाउंट थोड़े ही है, बैलेंस अमाउंट है, बैलेंस तो रहेगा, आज भी रहेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

डा. सी. पी. जोशी : पन्द्रह प्रतिशत तो रहेगा, आज भी रहेगा पन्द्रह प्रतिशत।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री अशोक गहलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऊर्जा क्षेत्र को लेकर काफी टीका-टिप्पणी की गई। हमें इस बात की प्रसन्नता होनी चाहिए कि यह फिगर हमारे नहीं हैं, जैसे आपने फिगर्स दिये हमें, उसी ढंग से भारत सरकार के फिगर्स दे रहा हूं आपको। कंट्री में हाइएस्ट जनरेशन राजस्थान में हुआ है, इससे कोई इंकार कर सकता है। इससे कोई इन्कार कर सकता है क्या? हर इकाई 6 महीने पहले आ रही है। 80 करोड़ बच रहे हैं इससे कोई इंकार कर सकता है? 50 साल में जितनी बिजली हमारी उससे जो पैदा हुई थी हमारे अपने सोर्स थे करीब-करीब उतनी ही बिजली पैदा पांच साल में हो गयी उससे कोई इन्कार कर सकता है? 90 में आपने कहा कि आपके...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैंने आंकड़े दिये उनमें कोई आंकड़े इसमें गलत दिये हों तो आप विद्युत मंत्री बैठे हैं वो बात दें कि मैंने जो जनरेशन बताया है वो सही है कि नहीं है।

श्री अशोक गहलोत : यह आपके आंकड़े पता नहीं आप कहां से लेकर आये हो वो तो आप जानें किसी अधिकारी ने आपको देने का प्रयास किया होगा या लेने का प्रयास आपने किया होगा उसमें गफलत रह गयी होगी कुछ आपको।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जो कागज आपके हैं उसी से है।

श्री अशोक गहलोत : पूरी बात सुनिये। ये आंकड़े ऐसे हैं जो वार्ड सभा में जाते हैं और इसमें कोई इंकार कर सकता है क्या? आपने कहा कि आपने कैसे इतना पहले हमने सब कुछ कर दिया इसलिए फटाफट बन गये होंगे। कैसे आपने अचानक सब

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अशोक गहलोत)

कुछ कर दिया इतने कम अर्से में यह आपको आश्चर्य हो रहा था। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आश्चर्य मत करिये क्योंकि आपके वक्त में सरकार कांग्रेस की चली गयी थी जिसने कंसीव किया था सूरतगढ़ प्रोजेक्ट, आपकी सरकार आ गयी कोई बात नहीं। आपने कहा कि फोरेस्ट के पता नहीं क्या-क्या झगड़े हो गये इस कारण से आपने देरी की। तो देरी बहुत महंगी पड़ी राजस्थान को। पहले मैंने कहा था एक हजार तीन सौ करोड़ का जो प्रोजेक्ट था वो 2300 करोड़ रुपये का हो गया पहली बात। तो यह फिर आपकी एक इकाई बन गयी आपके वक्त में, हम स्वीकार करते हैं। आपकी सरकार जा रही थी उसके पहले बन गयी थी। इलेक्शन कमीशन ने आजकल जो राइडर लगा है उससे आप लोग उसको चालू नहीं कर पाए। ऐसा कई बार होता है यह कोई नयी बात नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह सूरतगढ़ के अलावा कोई प्रोजेक्ट आपने जो बनाया हो और उसकी स्वीकृति करायी हो उसका मैं कह रहा हूं। शुरूआत से लेकर...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : शुरूआत आपने की है।

श्री अशोक गहलोत : वो ही मैं कह रहा हूं। हमारी सरकार बनी तो आपको जानकर खुशी होगी कि हमने तीन महीने नहीं लगाये निर्णय करने में। ये तीसरी चौथी इकाई जो आ रही है, मैं खुद वहां पर गया था। वहां पर मुझे मालूम है कि वहां पर क्या था वहां पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। उसके लिए सिर्फ निर्णय टाइम पर हुआ, निर्णय टाइम पर हुआ उसके कारण तीसरी चौथी इकाई का शिलान्यास भी हम लोगों ने किया और उद्घाटन भी हमारे वक्त में हो गया है। मैं आपको कहना चाहता हूं, अब आप कहोगे...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : 3 प्रोजेक्ट थे उनके अलावा।

श्री अशोक गहलोत : और पांचवीं इकाई?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : वो तो उसी जगह है।

श्री अशोक गहलोत : और वो अब आपकी पांचवीं इकाई वहां बन रही है। कोटा का आप आठ साल तक क्लियरेंस नहीं ले पाये, दिल्ली से हमने उसकी क्लियरेंस ली। 195 मेगावाट का प्रोजेक्ट चल रहा है। रामगढ़ का चल रहा है 70 मेगावाट। इस मार्च के अन्दर अगले महीने में रामगढ़ का आ रहा है आपके जून-जुलाई में सूरतगढ़ का आ जाएगा। अगस्त-सितम्बर में कोटा की इकाई आ जाएगी। 70 मेगावाट, 250 मेगावाट सूरतगढ़ के अन्दर और 195 मेगावाट कोटा के अन्दर अगले 6 महीने में आ रही है इससे कोई इंकार कर सकता है क्या? इसलिए मैं आपको आह्वान करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो

(श्री अशोक गहलोत)

आप पता नहीं कहां से आंकड़े लेकर आ गये पर जो हमारे प्रयास हुए उसको आपको एप्रिशिएट करना चाहिए। आलोचना करें आप। जहां कमी रहे उसकी आलोचना होनी चाहिए। पर जो काम हुए हैं उस पर आपको एतराज नहीं होना चाहिए। आज भारत सरकार ने सर्वे कराया क्रिसिल के माध्यम से क्रिसिल एजेंसी से सर्वे करवाया पूरी कंट्री में। आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान तीन राज्यों को प्रथम श्रेणी में रखा गया उससे कोई इंकार कर सकता है क्या? यह तो हमारा सर्वे नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : छीजत का क्या हुआ?

श्री धर्मपाल चौधरी : 8 घंटे का क्या हुआ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : 8 घंटे का और छीजत का क्या हुआ?

श्री अशोक गहलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सड़कों के बारे में बात की गयी और गलत आंकड़े पेश किये गये। मैंने कुछ तो आपको निवेदन किया कि सड़कें पी.एम.जी.एस.वाई. में तो हम लोगों ने 69% एचीवमेंट किया है और सबसे आगे हैं। आर.यू.पी. की आपको क्या एतराज है? एक तरफ आप कहते हो कि शहरों पर पैसा लगा रही है सरकार, और दूसरी तरफ नाबार्ड से लोन हमने नहीं लिया 600 करोड़ का, यह आपको गलतफहमी है। वो आंकड़े भी गलत हैं आपके पास में। वो पी.डब्ल्यू.डी. और कृषि विपणन बोर्ड लगा रहा है पैसा ढाई सौ करोड़ रुपये लिया लोन वहां पर नाबार्ड से सिर्फ, और ये प्रयास हमारा है कि आप सबके क्षेत्रों में उसमें हमने भेदभाव नहीं रखा है कि यह पक्ष का है कि यह विपक्ष का है। कौनसा एम.एल.ए. रहता है। तीन करोड़ रुपये की सड़कें 120 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत पूरे राज्य में एक साथ चल रहा है काम। बल्कि मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि जो पेवर मशीनें हैं पहले खाली शहरों में दिखती थी पेवर मशीन। आज गांवों में पेवर मशीनें दिख रही हैं आपको।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपको भी मालूम होगा आपको शायद यह ध्यान नहीं होगा कि पहले गांवों को जोड़ने वाली सड़क जो बनी थी वो भी पेवर से ही बनी थी। आप पुराने कागज निकलवा लें पी.डब्ल्यू.डी. के।

श्री अशोक गहलोत : बनी कहां थी?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : बनी थी।

श्री अशोक गहलोत : बनी कहां थी? आपके वक्त में...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं तो यह कह रहा हूं कि जो हमने पंचायतों को जोड़ा था इन पंचायतों को वो आप कागज निकलवा कर बता दो न।

श्री अशोक गहलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये-बैठिये।

श्री राजेन्द्र पारीक :...(व्यवधान)..."दिल के फफोले जल उठे चतुर्वेदीजी के ख्वाब में"

श्री अशोक गहलोत : वो फफोले, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सीकर से आने वाले विधायक ने ठीक कहा मैंने भी उस जमाने में पढ़ा था कि जब मैं सड़क पर चलता हूं तो फफोले दिल में हो जाते हैं और माननीय कटारियाजी बहुत ही ध्यान रख रहे हैं अपने नेता का इस कारण से उनका बचाव कर रहे हैं वरना तो कहावत थी कि सड़कें हैं कहां राजस्थान में। राजस्थान की सड़कों का भट्टा बैठ गया था। पूरे देश के अन्दर पहले कहावत थी कि जब राजस्थान में घुसते हैं तो मालूम पड़ता है कि राजस्थान आ गया है। अब कहावत हो गयी कि जब राजस्थान से जाते हैं गुजरात तो मालूम पड़ता है कि गुजरात आ गया, इतना फर्क पड़ गया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जनता जानेगी अबकी बार आपको...(व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत : इसलिए यह बहुत शानदार काम हुआ है इसको आपको एप्रिशिएट करना चाहिए नम्बर-1 नम्बर-2, आपको पैरवी करनी चाहिए केन्द्र में जो हमारी राशि पैंडिंग है पी.एम.जी.एस.वाई. की, कृपा करके आप उसमें हमारी मदद करें। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, जिससे कि हम लोग समय पर, यहां पर एक हजार की आबादी के गांवों को जोड़ सकें। फिर 2005 तक जोड़ने थे पांच सौ के, 2007 तक पांच सौ की आबादी के, वो काम शुरू कर सकें। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस काम में आप आगे आयें। फिर हमने योजना यह भी बनायी है, आपको मैं इस सदन में कहना चाहूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से, जो मिसिंग लिंक हैं जिनकी चर्चा हर विधायक करता है, चाहे कोई पोलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखता हो पक्ष विपक्ष का उसके लिए हमने योजना बनायी। करीब साढ़े तीन करोड़ रुपयों की योजना बनी है। उसको हम अभी एग्जामिन कर रहे हैं कि किस रूप में यह पूरी हो सकती है। हम चाहेंगे कि राजस्थान में जो मिसिंग लिंक हैं वो काम भी पूरा हो जिससे कि राजस्थान सड़कों के मामले को लेकर मैं फिर कहना चाहूंगा कि पूरे उत्तर भारत के अन्दर सबसे आगे निकले, ये मेरा मानना है। यह मेरी कोशिश है यह मैं आपको कहना चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई के अन्दर पहले भी मैंने आपको कहा कि गंग कैनाल का काम हमारा बहुत तीव्र गति से चल रहा है। इतने सालों में कभी ध्यान नहीं दिया। आपने कहा कि राज आपने खूब किया, काम कुछ ही नहीं किया। सब कुछ आपने ही किया है 8 साल में पता नहीं आपने क्या-क्या कर दिया। पर मैं कहना

(श्री अशोक गहलोत)

चाहूंगा कि जो हमारा इतना पुराना प्रोजेक्ट था उसका काम सुचारू चल रहा है। करीब 30 करोड़ रुपये अभी तक खर्च हो चुके हैं। और 35 किलोमीटर की लाइनिंग जो हमारी पंजाब साइड की है, वो काम कम्पलीट हो गया है। और 17 किलोमीटर में से करीब 8 किलोमीटर सड़कें जो लाइनिंग है नहर की, राजस्थान साइड में, वो काम पूरा हुआ है। दो साल में इसको पूरा करने का प्लान बनाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह काम...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : साढ़े चार सौ करोड़ का प्रोजेक्ट है, मुख्यमंत्री महोदय इसका।

श्री अशोक गहलोत : 446 करोड़ का प्रोजेक्ट है और इसके अन्दर...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और दो साल से आप वाहवाही लूट रहे हैं दो साल में तीस करोड़ रुपये खर्च किये हैं। दो साल से राज्यपाल के अभिभाषण में कहला देते हो, बजट में कहला लेते हो और खर्च किये 30 करोड़। आपके शासन में तो होगा नहीं यह पूरा।

श्री अशोक गहलोत : इसके अन्दर सुनिये। इसके अन्दर माइनर जो है, आप ठीक कह रहे हो पैरवी करते नहीं हो जाकर। उलटी पैरवी करते हो दिल्ली के अन्दर, फिर कह रहे हो कि दो साल में काम आगे नहीं बढ़ रहा है। मैं यही कह रहा हूं कि पैरवी करें आप उसमें भी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पर आप असत्य बातें क्यों करते हो 440 करोड़ के प्रोजेक्ट में दो वर्ष के अन्दर 30 करोड़ रुपये खर्च करो...

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : आप तो शुरू ही नहीं कर पाए थे उसको, हमने शुरू तो किया।

श्री अशोक गहलोत : आप अब फिर भी यह कहोगे कि यह पैसा, यह पंजाब गवर्नमेंट से बात भी करनी पड़ती है। साथ में आपको शायद जानकारी नहीं होगी मैं यह भी कह दूं आपको इसमें पैसा भी गया है।

श्री राधेश्याम गंगानगर (राज्य मंत्री, आयुर्वेद) : महाराज गंगासिंह के बाद पहली दफा हुआ है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री बने गये इसलिए गंगासिंहजी नजर आने लग गये। पोपाबाई का राज कहा था आपने एक बार इस राज को। आपको मंत्री बना दिया तो गंगासिंहजी नजर आने लग गये। वाह-वाह।

श्री अशोक गहलोत : राठौड़ साहब, सुनिये-सुनिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर : अभी हमारे नेता बोल रहे हैं मैं अभी जवाब देता हूं आपको आपकी बात का, चिन्ता नहीं करें आप।

श्री अशोक गहलोत : 733 करोड़ का जो आपने जिक्र किया जो जल प्रबन्धन कृषकों के द्वारा योजना बनायी हम लोगों

(श्री अशोक गहलोत)

ने। अब आप इसमें भी कहेंगे कि वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर कर रहे हैं। आज 24 जिलों के अन्दर 6.19 लाख हैक्टेयर भूमि उससे सम्बन्धित योजनाएं जो 25–30 साल से जर्जर बन गयी थी नहरें और बांध, उसकी मरम्मत का काम एक साथ शुरू करने जा रहे हैं वह आपको शायद जानकारी होगी। उसके लिये 504 उपभोक्ता समितियां बन चुकी हैं, उनके चुनाव हो गये हैं और मेंटीनेंस भविष्य में वही करेगी। उनको सुपुर्द कर दी गई है इस प्रकार से यह काम हाथ में लिया गया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सिंचाई शुल्क तो नहीं बढ़ाया न?

श्री अशोक गहलोत : नर्मदा परियोजना, गंग नहर प्रणाली, मांही सिंचाई परियोजना ये बड़ी योजनाएं हैं उनके काम को गति प्रदान की जा रही है। शायद आप कहना भूल गये इसके लिये भी पैसा दिल्ली से आता है, यह पैसा भी दिल्ली से आता है, खाली अकेली राजस्थान सरकार नहीं देती हैं इसमें। चार साल में करीब एक लाख हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र सृजित हुआ है राजस्थान में, यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।

पेयजल के लिये जो बड़ी योजनाएं हैं वह आपके सामने हैं। बीसलपुर का ए.डी.बी. का जो लोन है शहरों के लिये, बड़े सम्भागीय मुख्यालयों के लिये, जिसके लिये हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वह काम हो रहा है। वहां काम होना भी आवश्यक है। हर मुख्यालय पर काम होना बहुत आवश्यक है। गांव के साथ अगर आप उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो वहां बीमारियां फैलेंगी। आजकल तो गांव वाले भी शहरों में आकर बसते हैं। इसलिए हम अगर इस प्रकार भेदभाव करेंगे, समय रहते सिवरेज सिस्टम नहीं बनायेंगे, गन्दगी दूर नहीं करेंगे, कच्ची बस्तियों का विकास नहीं करेंगे तो आप मानकर चलिए कि आने वाले वक्त में तकलीफ गांव को भी होगी और शहर को भी होगी। इसलिए संतुलित विकास होना जरूरी है। यह लोन आपके वक्त का है, प्रक्रिया शुरू की गई थी। हमने उसको पूरा आगे बढ़ाया है, इतना ही काम हमने किया है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा यह जो बड़ी योजनाएं हैं बीसलपुर–जयपुर की ए.डी.बी. में उसको शिफ्ट किया गया है। वह काम जल्दी शुरू होगा। मानसी वाकल का काम चल रहा है, सवाईमाधोपुर चम्बल के टेण्डर हो चुके हैं। भरतपुर धौलपुर योजना प्रारम्भ हो चुकी है। जोधपुर लिफ्ट का काम चल रहा है। बीसलपुर–दूदू का जल्दी ही काम शुरू हो रहा है। इस प्रकार से यह कोशिश है कि एक तरफ तो यह बड़ी योजनाएं चलें और दूसरी तरफ अकाल और सूखे में हैण्ड पम्प, ट्यूबवैल के साथ साथ टेंकर से, रेलगाड़ी से भी पानी पहुंचे। उपाध्यक्ष महोदय, अभी कितने लच्छेदार भाषण मैंने माननीय नेता प्रतिपक्ष के सुने इसलिए मुझे कहना पड़ा जैसे कोई पब्लिक मीटिंग में बोल रहे हों, आज दुनिया

(श्री अशोक गहलोत)

को मालूम है रेलगाड़ी दिल्ली की है। अब पानी रेलगाड़ी ले जायेगी तो मालूम नहीं कि पानी कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, सबको मालूम है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इसमें तो नहीं है, शायद रेलगाड़ी आपको इसमें नहीं दिखती है।

श्री अशोक गहलोत : इसलिए नहीं है कि हमें हमारी जनता के बुद्धि कौशल पर भरोसा है। वह समझती है कि रेलगाड़ी किसकी है। इसलिए हम इस बात को इसमें क्यों लिखें। (व्यवधान)

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : मुझे भी पानी पिलाओ, मुझे भी पानी पिलाओ।

श्री अशोक गहलोत : आपका भी खयाल रखेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, 91 में देश में शिक्षा सेंसेक्स में हम सबसे पीछे थे और एक कलंक था राजस्थान पर। कटारिया साहब भी कभी शिक्षा मंत्री रहे हुए हैं इसलिए इनको तकलीफ इस बात की है कि सारा श्रेय सरकार ले रही है और पहली सरकार को मिल नहीं रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ श्रेय मिलता है वह कामन मिलता है, सबको मिलता है। 1991 से 2001 में हमें तो खाली दो-ढाई साल ही मिले। आपके वक्त में लोक जुम्बिश भी था, सब कुछ था। हमने खाली कोशिश की कि कैसे हम इस काम को आगे बढ़ायें। हमने गांव गांव राजीव गांधी पाठशालाएं खोलीं। आरोप लगे कि साहब उसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भर दिया, पता नहीं क्या क्या कहा गया। पर एक प्रयास था। दूसरे राज्यों में हुआ, हमने भी किया और केन्द्र सरकार ने पार्लियामेंट में अनाउंस किया, जिस स्वयं शिक्षा अभियान की आप बात कर रहे हो, यह आप राजस्थान की सरकार के पीछे क्यों पड़े हो? सरकार के पीछे तो भले ही पड़ो लेकिन जनता के पीछे क्यों पड़े हो आप लोग? पैसे तो वह के वह हैं। आप कह रहे हो कि स्वयं शिक्षा अभियान में पैसा तो दिल्ली से आ रहा है और आप वाहवाही लूट रहे हो। पैसा तो संविधान के अन्तर्गत सब राज्यों को मिलता है। एक मद आप मुझे बता दीजिए जो खाली राजस्थान को दिया जा रहा हो और अन्य राज्यों को नहीं देते हो तो आप बता दीजिए कि यह आपको फेवर कर रहे हैं। जब संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत सब राज्यों को चाहे दक्षिण के हों, चाहे पूर्व के हों, चाहे पश्चिम के हों, चाहे उत्तर के हों, सबको मिल रहा है। और कोई राज्य ढंग से खर्च कर रहा है, कोई राज्य खर्च नहीं कर रहा है उसमें भेदभाव करना पड़ेगा आपको। हमने एक-एक पैसे का उपयोग किया है, हमने पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। राजीव गांधी पाठशालाएं हमने खोलीं, शिक्षा आपके द्वार के माध्यम से तमाम विभागों को हमने सम्मिलित किया। मुझे कहते हुए फख्र है शिक्षकों से लेकर चाहे पटवारी हो, ए.एन.एम.

(श्री अशोक गहलोत)

हो, ग्राम सेवक हो, हर विभाग के लोगों ने उस अभिमान को गम्भीरता से लिया। आज हम कहने की स्थिति में हैं 23 लाख बच्चों से चलकर साढ़े 21 लाख बच्चों ने प्रवेश लिया। नामांकन करवाया स्कूल में। इसमें आपको तकलीफ क्यों हो रही है। राजस्थान में अच्छा काम हुआ है आपको बधाई देनी चाहिये क्योंकि आप शिक्षा मंत्री रहे हुए हो। आप शिक्षा मंत्री के रूप में इस बात का ज्यादा अहसास कर सकते थे कि सरकार ने अच्छा काम किया उसके लिये वह बधाई की पात्र है। फिर आप अपनी बात कहते पर आपने तो उसका जिक्र ही नहीं किया। आपने कहा कि पैसा दिल्ली से आ रहा है उसमें तकलीफ आपको क्यों हो रही है। हर विभाग का पैसा दिल्ली से आयेगा और दिल्ली से हम लेंगे और लेकर रहेंगे, हमारे हक को कोई मार नहीं सकता।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : शायद मैंने जो कहा उसको आपने लिया नहीं। मैंने कहा कि डी.पी.ई.पी. में आपको 40 करोड़ के हिसाब से 19 जिलों को पैसा मिला हुआ है उसमें से आपने कितना खर्च किया और कितना खर्च नहीं हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : बैठो, बैठो आप।

श्री राधेश्याम गंगानगर (राज्य मंत्री, आयुर्वेद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा जो हर साल पोपा बाई के राज की बात करते हैं वह प्रोसीडिंग में लिखी गई है। मैं क्लीयर करना चाहता हूं हमारे विधायक दल की मीटिंग में मैंने यह कहा था 153 आये हैं, कोई पोपा बाई का राज नहीं समझे। यह हमारा जो मेनीफेस्टो है, यह हमारी गीता है। इस गीता का ध्यान रखें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : वाह वाह, शाबाश, मंत्री नहीं हो तो पोपा बाई का राज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुख्य मंत्री महोदय, आप इनका प्रमोशन करो।

श्री अशोक गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान में राजीव गांधी पाठशालाएं हों, चाहे शिक्षा आपके द्वार अभियान हो, वह काम जिस रूप में हुआ है उसकी आज सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। राष्ट्रपति महोदय जब राजस्थान पधारे थे तो आते ही पहली बधाई उन्होंने इस प्रोग्राम को लेकर राजस्थान को दी। मैं पूरे सदन के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वह राजस्थान में ध्यान रख सकते हैं कि यह अभियान किस प्रकार से चल रहा है। पूरे मुल्क में इस बात की चर्चा है कि राजस्थान सरकार ने जो जम्प किया है, मैं यह नहीं कहता कि दो-ढाई साल में सब कुछ हो गया, आपने भी किया होगा, आपके वक्त में भी हुआ है। पर जिस प्रकार आपने बातें रखी हैं जैसे कि खाली दिल्ली के पैसे से हम यहां अभियान के नाम से नाटक कर रहे हों। आपको समझना होगा कि एक-एक घर जाकर अभियान का

(श्री अशोक गहलोत)

सर्वे हुआ है। एक बार नहीं हुआ है, दो बार नहीं हुआ है, एक-एक टीचर घर में गया है। संघर्ष किया है बच्चों को लाने के लिये। कृपा करके, मैं आपको आह्वान करना चाहूंगा, विशेष रूप से आपको कि 1 लाख 26 हजार के आसपास बच्चे बचे हुए हैं जो हार्ड कोर हैं। सामाजिक परिवेश ऐसा होगा, घुमक्कड़ जातियों के लोग हैं, और भी कई तरह के लोग हो सकते हैं। हमने हालांकि कोशिश की है, एक-एक मोबाइल स्कूल खोली है हर जिले में। हम आपके सुझाव आमन्त्रित करना चाहते हैं सदन के अन्दर और सदन के बाहर। अब सबसे हार्ड काम यह है कि केन्द्र सरकार ने देशभर में आह्वान किया है कि 2003 दिसम्बर तक नामांकन कम्प्लीट हो जाना चाहिये। अगर राजस्थान सरकार उसमें कामयाब होती है तो आपको प्रसन्नता होनी चाहिये। और मेरा संकल्प है अगर आप सब इसमें सहयोग करें, एक एक बालक-बालिका किसी भी परिवार में, किसी भी गांव में, किसी भी ढाणी में वंचित नहीं रहे। इसमें हम मिलकर कैसे काम करें यह मैं आपसे आह्वान करना चाहूंगा। मेरी भावना आप समझ जायेंगे। मैं समझता हूं, आप तो समझ ही जायेंगे कम से कम क्योंकि आप शिक्षा मंत्री रहे हुए हो।

इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि एक तरफ हमने यह काम किया और दूसरी तरफ राजस्थान के भविष्य को देखते हुए जिस प्रकार से इंजीनियरिंग कालेज, आपने कहा कि आपको क्या हो गया यह नहीं किया, वह नहीं किया। हमारे ऊपर छोड़ दिया। हमने प्राइवेट सैक्टर को अलाउ कर दिया। कहां तो इंजीनियरिंग की 8 संस्थाएं थीं वह 30 हो गईं। 1606 बच्चे थे वह 7684 हो गये। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। कुल मिलाकर आप देखिए जिस प्रकार से जम्प हुआ है उससे आप खुद मानेंगे कि आज 13 मेडिकल कालेज, 20 डेंटल कालेज, 6 नर्सिंग कालेज और 27 नर्सिंग स्कूलों को हमने एन.ओ.सी. दे दी है। बाकी आपके इंजीनियरिंग कालेज, एम.सी.ए., एम.बी.ए., फार्मेसी, पोलीटैक्निक, आई.टी.आई. इन सबमें बढ़ोतरी की है, यह हमारा प्रयास रहा। हम चाहते हैं राजस्थान में मानव संसाधन बढ़े क्योंकि आई.टी. का जमाना आ गया है। ट्रिपल आई.टी. की इंस्टीट्यूट हमने वहां पर शुरू कर दी और मैं चाहूंगा कि राजस्थान में समय रहते हुए मानव संसाधन का विकास हो। हमारे यहां के बच्चों को तकलीफ होती है वह दक्षिण में जाते हैं, आप सब जानते होंगे मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमारा प्रयास है कि समय रहते हुए राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाये। अकाल, सूखे के बावजूद भी हर बच्चे की जबान पर है कि राजस्थान के अन्दर इस विपरीत परिस्थिति के अन्दर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली हो, पानी, सड़कें, सिंचाई, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सोशल सिक्योरिटी का काम भी हमने किया है। आपको पूरी जानकारी है। सब बातें

(श्री अशोक गहलोत)

मुझसे ही क्यों सुनना चाहते हो, आप तो बहुत समझदार हो।

कहना चाहूंगा कि एस.टी., एस.सी. कारपोरेशन को लेकर। ओ.बी.सी. और अल्पसंख्यक की गारंटी आपके जमाने में एक करोड़ की थी हमने बढ़ाकर 8 करोड़ कर दी। ओ.बी.सी. की 16 करोड़ कर दी, एस.टी., एस.सी. 6 से 22 करोड़ कर दी। आज 57 करोड़ की गारंटी हमने दी है, जिससे कि छोटे से छोटे काम हो सकें।

23 लाख परिवारों का हमने पूरा ध्यान रखा है। मेडिकल के अन्दर फ्री दवाइयां, फ्री आपरेशन, 10 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, पर आत्मा को संतोष है कि यह काम इतना अच्छा हुआ कि जिसके पास दो जून खाने को पैसे नहीं उसको इलाज के लिए 50 हजार, 1 लाख रुपया मिल जाए, यह काम सरकार ने किया है।

सी.एम. रिलीफ फण्ड के अन्दर भी, मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, बता सकता था कि उसमें 8–10 गुणा ज्यादा जम्प किया है हम लोगों ने। हमने छूट दे दी, 24 हजार की आमदनी वाले व्यक्ति को भी उसका लाभ होना चाहिए क्योंकि उसके पास भी पैसा नहीं होता। बी.पी.एल. के अलावा, उस पर करीब 10 करोड़ हमने खर्च किए हैं। हमने उनका ध्यान रखा है।

मिड डे मील स्कीम का मैंने बताया था, बहुत काम है, कई राज्य नहीं कर पाये। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, आप कहोगे आपने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसलिए कर दिया। आप यह कह सकते हैं, कहने का अधिकार भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पूरे देश को, सब राज्यों को कहा है। कई राज्यों ने हाथ खड़े कर दिए। मुझे लिखा, प्रधान मंत्री को लिखा कि हम यह भार नहीं उठा सकते। हमने लिखा है जरूर और 120 करोड़ का प्रोविजन किया है, हमने काम शुरू कर दिया। 76 लाख बच्चे 60 हजार स्कूलों के अन्दर दोपहर का भोजन ले रहे हैं। और तो और, हमने यह भी किया साथ में, 60 हजार स्कूलों में औरतें जो विधवा या बुजुर्ग हैं, जो खाना पकाती हैं, उनको 300, 350, 400 रुपये मिलने लग गये। अकाल के वक्त में उनकी भी सहायता हो गई और उनको रोजगार मिल गया।

आई.एस.डी.एफ. में कुछ लिमिट बढ़ा दी। अकाल पड़ा हुआ था। हमने कहा 65 की जगह 100 कर दें, 100 की जगह 150 कर दें। इस प्रकार हमने कोशिश की कि 35 लाख से भी क्रास कर जाएं। ऐसे व्यक्तियों को पोषाहार मिल जाए। इस प्रकार से यह कोशिश की है कि राजस्थान के अन्दर सोशल सिक्योरिटी के अन्दर हम लोग पीछे नहीं रहे।

अभी आपने जो पीने के पानी की बात कही, मैं आपको कहना चाहूंगा, क्योंकि मैंने सुना कि कल आपने बड़े जोर शोर से पानी को लेकर काफी बातें कीं, आक्रोश भरे शब्दों के अन्दर। आपके वक्त में ग्रामीण विकास

(श्री अशोक गहलोत)

योजनाएं, उसमें 1996-97 में 25 करोड़ रुपये कटे, 1997-98 में 87 कट गए, 1998-99 में 63 करोड़ रुपये कटे और हमारे वक्त में 1999-2000 में सिर्फ 5 करोड़ कटे। 2000-2001 में 14 करोड़, 2001-2002 में सिर्फ दो करोड़ रुपये कटे हैं। कहने का मतलब यह कटना-वटना, इसे आप इस रूप में लेते हैं कि कोई काम नहीं हो रहा होगा। कोई कारण भी हो सकते हैं, आपके वक्त भी हो सकता है कोई कारण निकला हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : ज्ञापन देकर पानी के नाम पर पैसा वसूल।

श्री अशोक गहलोत : इस बात को लेकर हाउस का क्वेश्चन आवर नहीं होने दो, यह इतना गम्भीर मामला नहीं था इसलिए मैंने यह बात फारवर्ड कर दी वरना मैं वह कहता भी नहीं आपको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुख्य मंत्रीजी, क्षमा चाहूंगा, अभी जो सेन्टर की टीम आई, स्टडी टीम आई, उसको ज्ञापन दिया आपने। फिर पानी के पैसे क्यों मांगे? जब आप खुद मान रहे हैं कि आपके पास पैसा बचा है, सेन्टर स्पोन्सर्ड स्कीम का पैसा बचा पड़ा है, तो फिर हमेशा यह क्यों बात करते हो कि इसमें पैसा दो, पानी का भी पैसा दो?

श्री अशोक गहलोत : इसलिए मांगा कि आपकी जेब में 25 रुपये हैं और आपको मालूम है कि शाम तक आपके 200 रुपये खर्च होंगे। तो 25 रुपये से ज्यादा तो मांगेगे ही आप। मान लीजिए 80 करोड़ रुपये बचे हैं, 400 करोड़ की दरकार है, तो मांगेगे ही हम लोग।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : 200 करोड़...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुख्य मंत्रीजी, आपने एनुअल प्लान काटा है। 800 करोड़ की वार्षिक योजना काटी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राठौड़ साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 1800 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना काटी है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजेन्द्रजी राठौड़, प्लीज...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सारी अकाल के नाम पर काटी है। आपने अपने वार्षिक अंशदान से एक पैसा खर्च नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजेन्द्रजी राठौड़। अंकित नहीं हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री उपाध्यक्ष : बार-बार टोकने की आपकी यह...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : xxx

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय पारीक साहब, बिराजिए। प्लीज राठौड़ साहब, कोआपरेट कीजिए।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : ×××

श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : क्या बात है? यह पूछ रहे हैं, बार-बार बीच में बोल रहे हैं, आप बिराजिए प्लीज।

श्री धर्मपाल चौधरी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं बिराजिए आप।

श्री सांवर लाल : ×××

श्री धर्मपाल चौधरी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बोला, तब भी बोला मैंने, माना, माना।

श्री अशोक गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, अकाल के बाजवूद भी आपको मालूम है कि राजस्थान में 27 प्रतिशत दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुई है। इसके मायने है कि मैनजमेंट हो रहा है। गांवों में चारे का प्रबन्धन किया। चाहे पंजाब से लाए, चाहे गुजरात, चाहे मध्य प्रदेश से लाए। राजस्थान में जितना अच्छा मैनेजमेंट, श्रेष्ठ मैनेजमेंट कहना चाहिए, अकाल प्रबन्धन में हो रहा है उसको लेकर आपको प्रसन्नता होनी चाहिए। आप यह कहें कि आपने इतना बड़ा ज्ञापन दिया और कुछ नहीं हुआ, इस तरह से लिंक नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जल्दी ही हाउस में राजस्थान टीनेंसी बिल ला रहे हैं, राजस्थान भू-राजस्व विधेयक ला रहे हैं।

प्रशासन गांवों के संग, प्रशासन शहरों के संग प्रोग्राम बहुत शानदार चला, आपको मालूम ही है। 66 लाख लोगों को बेनिटि हुआ। इसमें 12 लाख शहरों के अन्दर हुए थे। उसके बाद में नियमन करने का अभियान चलाया गया, 10 लाख किसानों को बेनिफिट हुआ। शहरों में बेनीफिशरी काफी बढ़ी है।

हाल ही में कोशिश की है कि सार्वजनिक उद्देश्य हेतु भूमि फ्री दे रहे हैं चाहे गांवों, चाहे शहरों के अन्दर, उसमें 1000 वर्गगज जमीन, उसमें 8 उद्देश्य रखे हैं जिसमें स्कूल, कालेज, धर्मशाला, चिकित्सालय, इसके अलावा जो अपंग लोग हैं उनके लिए कोई काम करना है या सामुदायिक केन्द्र बनाना है इनके लिए हम लोगों ने प्रयास किया, कैसे इनको राहत मिल सके, महिलाओं के लिए भी किया।

आपको तो मालूम है कि सूचना के अधिकार को लेकर काफी चर्चा चली थी। हम लोगों ने सूचना का अधिकार तो दे ही दिया पहले। हम यह कहने

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अशोक गहलोत)

जा रहे हैं कि मान लो कोई सूचना का अधिकार नहीं देगा तो उसके खिलाफ पनिशमेंट क्या रखेंगे, उसका हम प्रोविजन करने जा रहे हैं। यह सूचित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने काफी कुछ बातें कही कि सरकारी कर्मचारियों का दिल जीतने के लिए, दिल जीतने के लिए, इस लेग्वेंज में पहली बार बोलें, मुझे अच्छा लगा। आपकी पूरी तैयारी थी क्योंकि बी.जे.पी. के आफिस में बैठकर सब लोगों को डंडा पड़ा, समझ गए ना आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष) : मैं सोचता हूं कि अभी तीन चुनाव हारे हैं अभी आपको उनका सदमा खा रहा है।

डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) : म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हार गए हाथों हाथ ही, उसके बाद। (व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, जब आप आए थे, अपनी मीटिंग हुई थी, आल पार्टी मीटिंग थी। कटारियाजी, तब आप भी आए थे। आपके मैम्बर, पार्लियामेंट थे दूसरी मीटिंग में। उसी दिन मीटिंग हुई थी। दोनों मीटिंग में स्वर एक ही थे। आपके भी वही थे और मैम्बर, पार्लियामेंट के भी वही थे। आंकड़े भी वही थे। इसलिए मैंने सोचा कि कोई न कोई क्लास बी.जे.पी. कार्यालय में ली गई दिखती है। अच्छा लगा। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जरूरी है, मैंने पहले भी कहा कि डेमोक्रेसी के अन्दर कोई इश्यू बनाओ। हो क्या रहा है, नोन इश्यू को इश्यू और इश्यू को...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : थोड़े दिन बाद लगेगा।

श्री अशोक गहलोत : आप लोगों ने तय कर रखा है कि गुजरात में चुनाव कैसे जीतें। कह रहे हैं कि हिंसा करो, मारो, काटो, जला दो। जीतकर कैसे आएं, इसलिये नोन इश्यू को इश्यू बनाने का काम, और इश्यू को नोन इश्यू बनाने का काम आप करना चाहते हैं। यह सुन लीजिये मैं आह्वान करना चाहूंगा कि किसी भी कीमत पर राजस्थान को गुजरात नहीं बनने देंगे। कोई पार्टी, कोई संगठन यह गलतफहमी नहीं पाले।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : राजस्थान तो राजस्थान ही रहेगा।

श्री अशोक गहलोत : जिस प्रकार से इश्यू बनाना चाह रहे हैं, मुझे इस बात का अफसोस है कि चार साल के अन्दर कई आह्वान किये हैं। बिजली, पानी को लेकर आन्दोलन करेंगे। पता नहीं क्या-क्या कहा, मैं भूल जाता हूं, एक इश्यू नहीं बना पाये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने भी इश्यू बनाया था ना गुड गर्वनेंस का। तीन चुनावों के अन्दर...(व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत : कर्मचारियों को काफी भड़काया गया।

श्री सांवर लाल : मुख्य मंत्रीजी, बार बार गुजरात का आप जिक्र कर रहे हैं। बड़ौदरा काण्ड के बारे में आपका क्या कहना है? एक्शन का रिएक्शन होता है। (व्यवधान) नहीं, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इस जनता को? बड़ौदरा काण्ड की घटनाएं होने दें राजस्थान में?

मोहम्मद माहिर आजाद : इनको बड़ौदरा और गोधरा का ही फर्क ही नहीं मालूम है। आप बड़ौदरा, बड़ौदरा, में क्या हुआ, गोधरा बोलें।

श्री सांवर लाल : गोधरा और बड़ौदरा एक ही है। आप बिराज जाएं, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? जब ऐसे काण्ड होते हैं उस पर तो कोई आवाज उठाते नहीं हो आप।

मोहम्मद माहिर आजाद : इतना पता होना चाहिए। प्रोफेसर साहब, कुछ तो पढ़ो। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : मुख्य मंत्रीजी, आप तो अपनी हार के कारणों का विश्लेषण कर दीजिए उससे सब काम सही हो जाएगा। तीनों चुनावों के अन्दर कैसे हारे, इसका जरा विश्लेषण कर दीजिए। आपके पास तो इश्यू भी था, गुड गर्वनेंस का इश्यू था, वह क्यों फ्लाप हो गया? यह तो जरा बताएं कि वह गुड गर्वनेंस का इश्यू फ्लाप क्यों हो गया? और राजस्थान का एक हिस्सा सागवाड़ा, दूसरा बानसूर और तीसरा बाली, तीनों जगह तीनों खाने चित्त कैसे हो गये, यह तो बताइये।

श्री अशोक गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य, बात यह है कि कमलाजी पूछ रही हैं कि आप पंचायतों में हारे, उसका क्या कारण है। पर मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा, मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं इसलिये खुलासा नहीं करूंगा हाउस के अन्दर क्योंकि यह प्लेटफार्म नहीं है नम्बर-एक। नम्बर-दो, मैं चाहता हूं आप मुगालते में रहो।

श्री मानिक चन्द सुराना : किस बात का प्लेटफार्म नहीं है, अपनी हार के कारणों का विश्लेषण करें इसमें यह कोई पोलिटिक्स प्लेटफार्म थोड़े ही चाहिए। यह सदन सबसे बड़ा मंच है, आप कहें अपनी बात को, राजस्थान के हिस्से-हिस्से तक पहुंचेगी।

श्री अशोक गहलोत : आप बैठिये, मैं यह कहना चाहूंगा, आप मुगालते में रहे, मुगालते में बैठे रहो, आप लोग।

श्री मानिक चन्द सुराना : मुगालते में आप हैं और 9 महीने बाद में आप इधर आकर बैठेंगे।

श्री राधेश्याम गंगानगर : आप तो फरमा रहे थे कि अब हमारा राज कभी नहीं आएगा। आपने खुद ने कहा था।

श्री अशोक गहलोत : कैसे भी आएंगे। मानिक चन्दजी, सुरेन्द्रजी व्याय, आप भी

(श्री अशोक गहलोत)

आ जाएंगे, ऐसे माननीय सदस्य बहुत गलत कम्पनी में बैठे हुए हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : आपकी गलतफहमी थी, 3 चुनाव हारने से मिटी या नहीं मिटी, यह बताइये। आपकी गलतफहमी मिटी या नहीं मिटी 3 चुनाव हारने से और यदि नहीं मिटी हो तो फिर 200 का चुनाव होगा तब पता चलेगा।

श्री अशोक गहलोत : आपका भ्रम आपको मुबारक और मैं चाहूंगा कि यह भ्रम बना रहे अगले चुनाव तक।

श्री सुरेन्द्र व्यास : पर मैंने तो मुख्य मंत्रीजी कुछ कहा ही नहीं, मुझे क्यों गलतफहमी में आप ले रहे हो? मैंने तो कोई चर्चा ही नहीं की राजनीति की, मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री अशोक गहलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं लम्बा समय नहीं लेना चाहता हूं, काफी लम्बा हो गया। मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि एक तो यह कहना कि कर्मचारियों की सरकार हितैषी नहीं है, गलत है। स्ट्राइक होना एक बात है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सुरेन्द्रजी व्यास, इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं।

श्री अशोक गहलोत : स्ट्राइक हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्ट्राइक में हम लोगों ने उनकी मांगें मानी नहीं, हमारी अपनी मजबूरी थी। आप सब लोग सब जानते हैं, मजबूरी कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या कारण रहे मजबूरी में, सरकार तो आपकी गयी थी और आपने जाते जाते जो निर्णय किये उसे कहूंगा तो कहेंगे कि वही बातें आप रिपीट कर रहे हो। किस प्रकार से पे-कमीशन लागू हुआ ही, चुंगी भी समाप्त हो गयी थी, 400 करोड़ का घाटा हुआ। लाटरी बन्द हुई थी क्योंकि हमने ही मांग की थी। कोई दिक्कत नहीं उसमें। हालात ऐसे बनते गये कि 23 करोड़ का कर्ज़ा आप छोड़कर गये। अब आज 46-47 करोड़ जो भी कर्ज़ा है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 48 करोड़ कर्ज़ा है।

श्री अशोक गहलोत : 48 मान लो, मैं तो कोई अकाउंटेंट हूं नहीं आप ज्यादा जानते होंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अकाउंटेंट नहीं, आपने तो बड़े जोर-शोर से कहा था ना, जोर-शोर से श्वेत पत्र जारी करके हमारे पर आरोप लगाया था ना आर्थिक स्थिति से जर्जर कर दिया राजस्थान को। दिवालिया कर दिया हमने तो राजस्थान को। अब आपने क्या किया राजस्थान को?

श्री अशोक गहलोत : एक काम करो, हमने व्हाइट पेपर निकाला। आप अब निकाल दो। अभी आप निकाल दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम वहीं आकर निकालेंगे, मुख्य मंत्रीजी, याद रखना। यह दीवार पर साफ लिखा हुआ है, आपकी सरकार जा रही है, आप जा रहे हैं, मुख्य मंत्रीजी।

श्री अशोक गहलोत : अब आप किधर आओगे, यह तो समय बताएगा। यह तो जनता के हाथ में है। मेरे हाथ में होता तो...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह तो आपके कामकाज की समीक्षा, आपने भाषण दिये हैं 32 जगहों पर, उप चुनावों में मेरे सरकार के कामकाज की समीक्षा, हो गयी समीक्षा आपकी।

श्री अशोक गहलोत : मेरे हाथ में होता अलग बात है, पर वह तो जनता के हाथ में है। जनता जनार्दन है, सर्वोपरि है लोकतंत्र के अन्दर। आपकी तरह नहीं कहूंगा कि जीते-जी बदला लूंगा। हम नहीं कहेंगे। क्योंकि यह तो लोकतंत्र है। जनता जनार्दन के हाथ में, हमें विश्वास है कि हमने 4-5 साल हमारी नीति-नीयत में कोई फर्क नहीं रहा, कथनी-करनी में कोई अन्तर नहीं रहा। कितना कामयाब हो पाए, मेनिफेस्टो बताता है। मेनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि यह काम नहीं हो पाएंगे। हम स्वीकार करते हैं और कोई काम कोई गवर्नमेंट 100 प्रतिशत कर भी नहीं सकती। पर जो मेनिफेस्टो, लिखित में डाकूमेंट है कोई दिक्कत नहीं है उसमें हम जनता के बीच में जाएंगे, आपनी बात कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं यही कहना चाहूंगा कि पिछले 4 साल से 1.1.1999 से लेकर फरवरी, 2003 तक 97502, यह हम लोगों ने एम्प्लायमेंट देने की कोशिश की है। इसमें 21959 तो रेगुलर है, 1.1.1999 से लेकर फरवरी 2001 तक और साढ़े 7 हजार हैं एक मार्च, 2001 से जुलाई, 2002 के बीच में और फिर आपके राजीव गांधी पाठशालाओं के 35 हजार टीचर्स हैं। आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, बोर्ड, कारपोरेशंस के लोग हैं। कांस्टेबल की भर्ती हुई, आप कह रहे थे जैसे, 2800 की भर्ती तो अभी खोली हम लोगों ने छूट दी है और तो और जो हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट में, एनीमल हस्बेंड्री में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो अभी कल्लाजी आपको बता रहे थे, हम भी इस बात से दुःखी हैं। आपने जो कहा, मैं स्वीकार करता हूं। आपने कहा, यह सुरेन्द्र व्यासजी ने भी कहा। और भी कई लोगों ने कहा होगा टीचर्स गांव में नहीं हैं, कहीं अस्पताल में डाक्टर्स नहीं हैं, नर्स नहीं हैं, यह शिकायतें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं स्वीकार करता हूं। इसकी चिन्ता भी हमें है। इसके लिये हम यह कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे इनकी भर्ती करें। चाहे फिक्स-पे पर करें, चाहे रेगुलर लें पर टीचर्स को कैसे भरें हम लोग जिससे कि स्कूलें खाली नहीं रहें। यह हम स्वीकार करते हैं कि स्कूलें हमने खोलीं और समानीकरण करके आपको मालूम है कटारिया साहब, आप तो मंत्री रहे हुए हैं। आपने आरोप लगा दिया, 300 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष बचे हैं,

(श्री अशोक गहलोत)

प्रतिवर्ष 300 करोड़ के आंकड़े हैं हमारे पास में।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप भर्ती नहीं करें तो 600 करोड़ बच जाएंगे, करना क्या है?

श्री अशोक गहलोत : मेरी बात सुनिये, पूरी बात सुनें। आज 7-8 स्टूडेंट बैठे हैं स्कूल के अन्दर, 5-7-8 स्टूडेंट हैं और 4-4 टीचर बैठे हुए हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ऐसे तो आपने नयी स्कूलें खोली हैं जहां 5 लड़के ही नहीं हैं।

श्री अशोक गहलोत : इसलिये हमने यह तय किया है कि एक तरह से 4 साल की जो सर्विस करेगा, चाहे पैराटीचर्स के रूप में करे, चाहे किसी भी रूप में करो। मैं यह घोषणा करना चाहूंगा 4 साल जो सेवा करेगा राजस्थान की उसको हम चौथे साल जो मैंने पहले ही कहा, 4 साल पूरे होते ही हम उसको परमानेंट करने के प्रोसेस में डाल देंगे, जो एलिजिबल होगा। जो एलिजिबल होगा, चाहे वह शिक्षाकर्मी भी क्यों नहीं हो। एलिजिबल होगा, डी.पी.ई.पी. का क्यों नहीं हो, 4 साल जो सेवा कर लेगा उसको हम चाहेंगे, चाहे डी.पी.ई.पी. हो, चाहे लोक जुम्बिश हो, चाहे वह शिक्षाकर्मी हो, उसका भी, उसने भी सेवा की है, उसने भी काम किये हैं। आपके वक्त शिक्षाकर्मी योजना चली थी। हम चाहेंगे कि कैसे इन सबको 4 साल पूरे होने पर, उसमें इतना ही रहेगा कि राजीव गांधी पाठशालाओं के टीचर का तो हम अभी शुरू कर रहे हैं, शिक्षाकर्मी योजना अभी 2 साल और चलेगी उसमें एलिजिबिलिटी देखनी पड़ेगी। जो एलिजिबल होगा उनको प्रोसेस में डाल पाएंगे। उसके बगैर कर नहीं पाएंगे हम लोग। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। 4 साल जो भी सर्विस में आएगा उनको हम चाहेंगे कि स्कूल में टीचर जाएं। प्रमोशन हम कर रहे हैं स्कूलें भरने के लिये जिससे कि स्कूल में कोई टीचर रहे, कोई खाली नहीं रहे। आपने आंकड़े दिये, बड़ी अच्छी बात है। उन आंकड़ों का ध्यान रखेंगे हम लोग। पर यह समस्या बनी हुई है, समस्या यह भी बनी हुई है कि टीचर जो गांव के अन्दर लगते हैं जिला चेंज करवा लेते हैं और वह स्कूल खाली रह जाती हैं। यह हमारे लिए समस्या बनी हुई है। इसलिये यह कोशिश है कि कैसे हम लोग उनको वहां रोकें। इसके लिये यह भी कोशिश करेंगे कि कोई ट्रांसफर पालिसी ऐसी बने जिससे कि मिनिमम डिस्टर्बेंस हो। आज ट्रांसफर के कारण से कई जिलों के अन्दर स्कूलें खाली पड़ी हुई हैं और कई जिलों में ज्यादा लोग चले जाते हैं। तो समानीकरण प्रोसेस भी चलेगा। क्योंकि 300 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष गवर्नमेंट के बचें, सिर्फ इसलिये कि टीचर्स की अगर हम भर्ती करते, तो 300 करोड़ रुपये का भार राजस्थान की जनता पर पड़ता। उसको हमने बचाया है। यह मैं

(श्री अशोक गहलोत)

आपको निवेदन करना चाहता हूं और इस काम का सब जगह पर वैलकम करना चाहिए। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। इस ढंग से करीब 490 अभी हाल ही में आर.पी.एस.पी. को दिये हैं।

उसमें करीब 70 तो आर.ए.एस. के लोग हैं, 20 आपके आर.पी.एस.के होंगे। 52 आर.ए.एस. के, अकाउंट्स सर्विसेज के हैं। इस प्रकार से सब-आर्डिनेट सर्विस में भी, तहसीलदार, एक्साइज सर्विसेज, कामर्शियल टैक्सेशन के, को-आपरेटिव सम्वर्ग सर्विसेज के, कुल मिलाकर करीब 490 लोगों की भर्ती शुरू हो रही है। तो यह नहीं है कि भर्ती हमने रोक रखी है। भर्ती आपके वक्त में भी रूकी हुई थी, फर्क इतना ही है कि आपने उसको अनाउंस नहीं किया था, बड़ी होशियारी से काम चलाया था।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप पांचवें साल करते हो और हम शुरू से करते हैं, इतनी ही गलती है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम आते ही करते हैं और आप जाते-जाते करते हो।

श्री अशोक गहलोत : नहीं, हमारे वक्त में तो, मैंने आपको आंकड़े दिये सात हजार...(व्यवधान) करीब एक लाख लोग लगे हुए थे पहले से। एक लाख लोगों की भर्ती हुई है चार साल के अन्दर, एक लाख लोगों की, नहीं भूलना चाहिए आपको। और अब भी होगी आगे क्योंकि आपने कोई कसर नहीं छोड़ी कर्मचारियों को भड़काने के लिए। अभी आप यह कह रहे थे कि आपने कर्मचारियों के लिए क्या किया? कितनी अफवाह फैलाई आप लोगों ने कि आपकी और सुविधाएं काटी जा रही है। बहुत कुछ कहा गया। हमने विश्वास दिलाया कर्मचारियों को उनके नेताओं को, डी.ए. की हमारी स्थिति नहीं थी, उसके बावजूद भी आपको मालूम है कि उनको डी.ए. दिया गया और मैं आपको कहना चाहूंगा कि डी.ए. का जो परसेंटेज है, वह राजस्थान में हाइएस्ट परसेंटेज है 52 परसेंट पर हम लोग पहुंचे हैं जबकि दूसरे राज्यों में आज भी 47 है और 46 है, कई राज्यों में तो फ्रीज कर चुके हैं। हमने दो डी.ए. दिये उनको। हमारी कोशिश रहेगी कि वे हमारी सरकार के और सचिवालय परिवार के अंग हैं, वे कोई अलग नहीं होते हैं। पर जो मांगें मान सकती है सरकार वही मांग तय करेगी। हम उसके अलावा, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज कई राज्यो में तो आपको मालूम है कि बिल्डिंग मोरगेज रखी गई। पंजाब के अन्दर जब आपकी मिलीजुली सरकार थी वहां पर, तनखाह चुकाने के लिए पंजाब के अन्दर, आसाम के अन्दर ट्रैजरी बन्द हुई है महीने में चार-चार पांच-पांच बार ट्रैजरी बन्दी हुई है। हमने कम से कम ऐसा प्रबन्धन तो किया कि कर्मचारियों को टाइम पर सह तनखाह मिल जाए। यह भी मैं मानता हूं कि आपने

(श्री अशोक गहलोत)

आप में एक ऐसा काम हुआ वरना यह स्थिति बनती कि राजस्थान का नाम भी उन राज्यों में आता जो समय पर तनखाह नहीं चुकाते। इसलिए मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि आगे आने वाले वक्त के अन्दर सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

और अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि जो कम्प्यूटर करने का मैंने जो आपको कहा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अन्दर करीब 90 परसेंट कम्प्यूटराइज हो चुका है रेवेन्यू रिकार्ड, उनकी जमाबन्दी की नकलें करीब 190 तहसीलों में मिलने लग गई हैं। इस प्रकार लोक मित्र, जहां पर बिलों का भुगतान हो सके, यह व्यवस्था करने की शुरूआत की गई है। जन मित्र योजना शुरू हो रही है, जहां पर प्रार्थना–पत्र का निस्तारण वहीं हो सके। ग्राम दीप योजना, जयपुर में बड़े रूप में काम शुरू हो रहा है। करीब 400 ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर दिये गये हैं। प्राइवेट सैक्टर को, जहां पर गांव में बैठे लोगों को उसकी सुविधा मिल सके और सारथी योजना जहां पर आपके स्थानान्तरण रजिस्ट्रेशन का जो काम है वह तत्काल हो सके, उसके लिए दस्तावेजी पंजीकरण का यह काम करने का प्रयास है। इसी तरह जो काम हम लोगों ने हाथ में लिये हैं, वे काम मैं आपको बताना चाहता हूं कि वे काम पूरे हुए हैं। और तो और, जो रेंट कंट्रोल एक्ट का आपने पास किया हाउस में, वह मैं आपको कहना चाहूंगा, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि परसों राष्ट्रपति महोदय ने उस पर हस्ताक्षर कर दिये हैं। अब एक प्रकार से यह लागू हो गया और जल्दी ही इसको हम लोग आगे की फार्मलटीज हैं वह पूरी करेंगे। इस प्रकार से यह काम भी पूरा हुआ है।

लालकोठी और पृथ्वीराज नगर, आपको मालूम होगा कि जब हम आये थे सरकार में, जब पांच एक्ट में हमने संशोधन किये थे एक साथ में, यह कोशिश की गई थी कि जो कृषि भूमियों में लोग बैठे हैं उनका नियमन कैसे करें। यह समस्या आपके सामने भी बहुत बड़े रूप में थी। आप नहीं कर पाये थे। हमने उसको कर दिखाया। इच्छा शक्ति होती है तो काम होता है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : पैसा मिलता है तो जल्दी होता है।

श्री अशोक गहलोत : इतने लाखों लोगों का भला हो गया। मैं तो उनको जानता भी नहीं। हमने यह भी कहा कि किसान को अपनी भूमि भू–माफियाओं को बेचने की जरूरत नहीं है। अगर वे चाहें तो अपनी भूमि को खुद प्लाट काटकर दे सकेंगे। नगरपालिकाएं, नगर–निगम, यू.आई.टी., जे.डी.ए. यह उसमें सहयोग करेगी। आज भी हम उस बात पर कायम हैं और तो और लालकोठी की बात भी की जाती है कि आप सुप्रीम कोर्ट से जीते हुए थे। दे दिया गया। पृथ्वीराज नगर की स्थिति यह है, ऐसा कई जगह पर होता है। हमने एक

(श्री अशोक गहलोत)

ही बात का संकल्प किया। हजारों किसान रोज-रोज मिलने के लिए आते थे। कृषि के मामले थे। कोई जमाने में जब लालकोठी को एक्वायर किया गया किसान से, उस वक्त में तो वहां कोई जाने को तैयार नहीं होता था। जाने को तैयार नहीं होता होगा। मैं तो 25-30 साल पुरानी बात कह रहा हूं। उस वक्त तो पता नहीं कौन कहां था पर हमने देखा कि इतनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बन गईं। पूरी लालकोठी बन चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार जीती हुई है। इस बात को लेकर चलते रहेंगे, चलते रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। लालकोठी थी, चाहे वह पृथ्वीराज नगर था, ऐसे कई फैसले सरकार ने किये। आगे भी हम करेंगे, यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। हम चाहेंगे लोगों को कष्ट कम से कम हो। कितनी दुकानें बनती गई इल्लीगल? पूरे जयपुर के अन्दर मुख्य सड़कों पर इल्लीगल दुकानें बनती गई, बनती गई, बनती गई, कोई रोक नहीं पा रहा था। कब तक यह चलता रहेगा? कितना सरकार को नुकसान हो रहा है? व्यक्ति को नुकसान और उसका कोई समाधान नहीं और करप्शन भयंकर फैलता रहता है। एक झटके में अगर फैसला कर लो, आप कोशिश करो तो उसका फायदा ही मिलता है आपको। हमने यह सब फैसले किये। हम चाहेंगे कि ऐसी नौबत ही नहीं आये कि आप एक्वायर करो, जमीन ले नहीं पाये सरकार। यह नौबत ही नहीं आनी चाहिए। मेरी दृष्टि से सरकार के अन्दर यह विल पावर होनी चाहिए कि एक बार अगर सरकार ने जमीन लेना तय किया, सोच-समझ कर तय करे, लेने के बाद में वह योजनाएं इम्प्लीमैंट हो ही, यह स्थिति बननी चाहिए। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं और यही स्थिति बनेगी भविष्य के अन्दर। ऐसी कोई योजना नहीं बनाएंगे या बनने के बाद में वह योजना पड़ी रहे, उसके ऊपर...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं जो मैं आपसे बार बार अनुरोध भी कर चुका हूं लिखित में भी। आपने प्रयास किया उसकी तो मैं खूब प्रशंसा करता हूं। बिलकुल साहसिक कदम था और यह असम्भव था कि जो निर्मित क्षेत्र थे उनको बेदखल किया जाए, इसमें कोई इंकार नहीं है। वर्षों से लम्बित समस्या का आपने समाधान किया। आपने रिक्त भूखण्डों का नियमन भी, डी-एक्वीजिशन क्यों किया? यह सबसे बड़ी बात है। जो खाली भूखण्ड है न, खाली भूखण्ड को आप रखो। 7000 बीघा जमीन पृथ्वीराज नगर में, चार हजार बीघा के ऊपर तो निर्मित क्षेत्र है, लोगों ने मकान बना रखे हैं। आपने किया, आप धन्यवाद के पात्र हैं। काफी लोगों का आपने भला किया है, इसमें कोई सन्देह नहीं है, सब मिडल क्लास लोग हैं। लेकिन वह सात हजार बीघा जो खाली जमीन पड़ी है, उसको आपने क्यों डी-एक्वायर किया? उसमें कोई किसान प्लाट नहीं बना सकता है, ले-आउट नहीं बना सकता है, सब आपके भू-माफिया है, उन्होंने कच्चे सौदे कर रखे हैं।

श्री अशोक गहलोत : मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, अब मैं तो एक बात जानता हूं कि...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : करते क्या हैं सब? (व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज पृथ्वीराज नगर इतना बड़ा नगर था जो लोग बस गये थे उनको तो रेगुलराइज करेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, अच्छा किया।

श्री अशोक गहलोत : ठीक है, पर जब किसान मेरे पास आते थे सुबह–सुबह मिलने के लिए। मुझे यह कहते थे कि साहब, हमें यह बताइये, बड़े–बड़े डेलीगेशन आये कि इनको तो आप रेगुलराइज कर रहे हो जिन्होंने सरकार की बात नहीं मानी, उन्होंने जमीन बेच दी और आप जब उनको रेगुलराइज कर रहे हो तो हमने जमीन बेची नहीं, हम आज भी चाहते हैं कि हम खेती करेंगे। हालांकि मैं जानता हूं कि हो सकता है कि वे खेती नहीं करेंगे, मान लीजिए, हम खेती करेंगे, हमने आपकी सरकार की बात का वजन रखा। आप हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? मेरे पास क्या जवाब था उनका?

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप डैड लाइन तय कर दीजिए। ऐसा तो नहीं है कि आज बेची। कोई डैड लाइन तय कर दीजिये आपने अपने परिपत्र के अन्दर डैड लाइन देखी है। जो आपके विभाग ने, जो ''प्रशासन शहरों के संग'' आपने अभियान चलाया, निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, आपने पूरा चैक लगाया उसके अन्दर। आपने देखा, सीमा निर्धारित की, इतना प्लाट होगा, कब्जे का लिखा, सब लिखा आपने वही सब यहां डाइल्यूट कर दीजिए मेरे खयाल से...(व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत : जे.डी.ए. ने कोशिश बहुत की। मानने की, समझाने की करी, कुछ लोगों से लिखा भी लिया, कुछ तो यहां आये थे। अल्टीमेटली हमने देखा कि कितनी भी कोशिश कर लो, फैसला करेंगे तो कहीं न कहीं कुछ कमी भी रहेगी। पालना नहीं होगी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, मुख्य मंत्रीजी, सब कच्चे सौदे हो रखे हैं और सब भू–माफिया को फायदा किया आपने, यह निश्चित रूप से आप इसको एग्जामिन कर लें लेकिन आपने अनजाने में किया होगा तो मैं कोई आरोप नहीं लगाता लेकिन आपकी इस एक्सरसाइज से निश्चित रूप से भू–माफियाओं को फायदा हुआ है।

श्री अशोक गहलोत : मैं इस बात को नहीं मानता कि भू–माफियाओं को फायदा हुआ होगा। हर जगह, जितना हो सकता है, कुछ लोगों को फायदा हुआ भी होगा। हम अगर यह मान लें कि इन पांच भू–माफियाओं को फायदा नहीं हो, मान लीजिए उनके पीछे पड़े भी थे हम लोग, आगे भी पड़ेंगे, आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं, पर उसके कारण से अब उन पांच को फायदा

(श्री अशोक गहलोत)

नहीं मिले या 25 को फायदा नहीं मिले, उसके कारण से लाखों लोगों को अगर नुकसान होता है तो...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : लाखों कहां है? लाखों नहीं हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी आप सही बात नहीं कह रहे हैं, लाखों नहीं हैं। एक-एक के पास पचास-पचास बीघा जमीन है। कहां से लाखों हैं? कोई लाखों नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : और जो भू-माफिया हैं उनके टेलीफोन नम्बर आपके पास मौजूद हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपका तो विचार ही नहीं, आप बाद में जवाब देना।

श्री शांति कुमार धारीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई लोकल बाडी किसी स्कीम के तहत लैण्ड एक्वायर करती है, जैसे लालकोठी है। लालकोठी की स्कीम बनी 60 के आस-पास। लैण्ड एक्वायर की गई। जितनी भी पुरानी सरकारें निकलीं, उन्होंने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि किसने किस जमीन पर कब्जा किया। जो अवार्डी थे, उनके मामले उलझा दिये गये, उनको कभी सुलझाया नहीं गया और अदालतों में मामले चलते रहे। नतीजा यह हुआ कि अवार्डी ने सब-अवार्डी कायम कर दिया। सब-अवार्डी ने दूसरे को बेच दिया और वहां पर मकान खड़े हो गये। कुल-मिलाकर लालकोठी में मुश्किल से 40-50 प्लाट खाली पड़े हुए थे, आप यह देखिये कि पूरी लालकोठी का फैसला अगर कोई भी सरकार करेगी तो इकजाई करेगी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपका सर्कुलर क्या कहता है "केवल निर्मित क्षेत्र का ही नियमन किया जाएगा।"

श्री शांति धारीवाल : पहले मेरी बात सुन लें आप, फिर उसके बाद बोल लें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्या बात सुनेंगे आपकी?

श्री शांति कुमार धारीवाल : मेरी बात तो सुन लें। मुझे एक्सप्लेन तो कर लेने दें, क्या दिक्कत है इसमें? कोई भी सरकार किसी भी स्कीम के बाबत एकमुश्त फैसला कर सकती है, यह नहीं कर सकती कि इसका छोड़ दिया और उसका बचा दिया। इसको पकड़ लिया और उसको बरी कर दिया। ऐसा नहीं कर सकती सरकार। कभी नहीं कर सकती।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ऐसा नहीं हुआ करता। आपने लिखा है- "केवल निर्मित क्षेत्र का ही नियमन किया जाएगा, भूमि का नियमन नहीं किया जाएगा।" आपकी सरकार कहती है।

श्री शांति कुमार धारीवाल : कैबिनेट कमेटी के बाद के फैसले हैं। यह प्रस्ताव 10.7.1999 का, सर्कुलर पढ़ रहे हैं न आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, वह पढ़ रहा हूं। बिलकुल सही है।

श्री शांति कुमार धारीवाल : उसके बाद कई फैसले हो चुके। कई फैसले हो चुके उसके बाद।

श्री सुरेन्द्र व्यास : जो फैसला हो चुका उसका मैंने बता दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये-बिराजिये, माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक): आपकी बहस अलग से अरेंज कर देंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, आप लैण्ड माफिया की इस तरह मदद नहीं कर सकते।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री) : मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य, और कोटा से आने वाले सदस्य और मंत्री, दोनों की धींगामस्ती में हम नहीं पड़ना चाहते। मेरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही निवेदन है कि ये तमाम फैसले हमने सुलझाने का प्रयास किया।

कच्ची बस्तियों के नियमन के फैसले थे, हम लोगों ने यह कोशिश की कि कैसे नियमन हो 15 अगस्त, 1998 तक के, उसमें कई जगह काम हुआ, कई जगह काम रुक गया, शहर की जमीन थी, कुछ भी था परन्तु सरकार की मंशा थी कि कैसे हम लोग इन लोगों को राहत पहुंचाये। और तो और ग्रांट एक्ट के तहत भी गरीबों को पट्टे दिये गये। इस प्रकार से हमारा प्रयास है और इसके साथ-साथ में आपको मालूम है कि 82 एस.डी.ओ. आफिसेज खोले गये पहली बार, जितना सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो जाये।

पंचायत राज का हमने यहां अधिवेशन बुलाया और हमारा प्रयास है कि पंचायतों को कैसे अधिक अधिकार दें। इसके लिये हमारी सब-कमेटी अभी तक प्रयास कर रही है कि कैसे 73-74 संशोधन के अन्तर्गत प्रोविजंस हैं, उनके अन्तर्गत धीरे-धीरे इनको अधिकार मिले। हम इसकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, यह मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कानून-व्यवस्था के बारे में चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत जोर-शोर से आंकड़े दिये थे, पता नहीं वह आंकड़े कहां से लेकर आए हैं। 2002-2003 अपराध व कानून-व्यवस्था की स्थिति के अन्दर संतोषजनक सुधार हुआ है। हमारे शासनकाल में अपराधों पर पूर्ण अंकुश रहा है। आप देखिये जो पंजीकृत हुए हैं वर्ष 2002 में हुए हैं 1,51,248 जबकि 1996 के अन्दर...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हो-हो।

श्री अशोक गहलोत : हो-हो तो बाद में बोलना। 1996 में 1,61 हजार पंजीकृत हुए थे। 1997 में 1,65 हजार हुए थे और 1998 में 1,67 हजार हुए थे। 2002 के अपहरणों से कहीं अधिक थे, उस वक्त में जब आप लोग शासन में थे। पता नहीं आप आंकड़े कहां से लेकर आ गये। हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार, बलवे जैसे जघन्य अपराधों में आप देखिये, कमी हुई है। 2002 में 1,276 हत्या के मुकदमे दर्ज हुए जबकि 1996 के अन्दर 1,622, 1997 में 1,553 और 1998 में 1,514 मुकदमे पंजीकृत हुए

(श्री अशोक गहलोत)

जो कहीं अधिक हैं। 2002 में बलात्कार के 1,051 मुकदमे दर्ज हुए, जबकि 1996 के अन्दर 1,162, 1997 में 1,255, 1998 में 1,266 मुकदमे दर्ज हुए थे। अपहरण के जो मुकदमे दर्ज हुए उनमें कमी आई है। नकबजनी के मुकदमों में कमी आई है। इस प्रकार से यह कहना कि कानून–व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है, इसको मैं स्वीकार नहीं करता हूं बल्कि अभी जो श्रीमती दुर्लभजी का केस हुआ था, आप इन्तजार में थे कल हाउस में आएंगे और इसको मुद्दा बनाएंगे। आपने देखा है कि चाहे श्रीमती दुर्लभजी का मामला हो, चाहे जोधपुर में गौरव जैन का मामला हो। आपने यह तो कह दिया कि राजस्थान की पुलिस ने कुछ नहीं किया है। यह कहना बड़ा आसान है। आप इस तरह कहकर राजस्थान की पुलिस का मनोबल तोड़ना चाहते हैं। इसको मैं स्वीकार नहीं करना चाहता हूं। राजस्थान पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। जितनी तारीफ, मैं तो उम्मीद कर रहा था कि आप लोग सब मिल कर हाउस में यह प्रस्ताव पास करेंगे। जिस प्रकार से पिछले समय में एक के बाद एक घटना, चाहे मूर्ति चोरी की घटना हो, चाहे वह राव शेखाजी की मूर्ति का मामला हो, चाहे बलदेव मिर्धाजी की मूर्ति का मामला हो, चाहे गौरव जैन के अपहरण की बात हो, चाहे सुमेधा अपहरण की बात हो, इन तमाम कैसेज के अन्दर पुलिस ने किस प्रकार सफलता हासिल की, इसकी आपने तारीफ की? आपने उल्टा काम किया।

मैं तो अन्त में आपसे फिर कहना चाहूंगा कि राजस्थान की अपनी गरिमा रही है। हमेशा यहां भाई–चारा, सद्भाव रहा है। चाहे पोलिटिकल पार्टियों में मतभेद होते होंगे, लेकिन जब कभी मिले हैं तो मैंने खुद ने महसूस किया है कि किसी भी राजनैतिक पार्टी के लोग आपस में भाईचारे में कमी नहीं रखते हैं। आपस में जब मिलते हैं तब दुआ–सलाम इस प्रकार से होती है जैसे अपनों से होती हो। कभी मैंने यह महसूस नहीं किया कि वह अलग–थलग या फिर दुराव की बात हो। यहां शांति और भाईचारा कायम रहे, यह पूरे सदन का संकल्प होना चाहिये।

चाहे विश्व हिन्दू परिषद् हो, चाहे बजरंग दल हो और कोई दल हो अगर वह कोई ऐसा काम करते हैं जिससे आपको-हमको लगे कि यह जनहित में नहीं है तो उसको रोकना चाहिये आपको।

त्रिशूल की बात कही गयी। किसको त्रिशूल की बात कह रहे हो। भगवान शिव के त्रिशूल को हर धार्मिक आस्था वाले लोग मानते हैं, हम भी मानते हैं। चाकू आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे फंक्शन कर–करके। क्या आप उससे फाइट करेंगे? मैं नेता प्रतिपक्ष से पूछना चाहूंगा कि अगर चाकू बंटेंगे और इतने खतरनाक चाकू बंटेंगे, इतने धारदार चाकू बंटेंगे और इसके लिये जश्न मनाए जाएंगे, वह चाकू किसके काम आएगा, किसी को पता नहीं है। हो सकता है वह चाकू एक हिन्दू दूसरे हिन्दू के काम में ले ले। हिन्दू–मुस्लिम की बातें छोड़ दीजिये

(श्री अशोक गहलोत)

आप। बी.जे.पी. एक राजनैतिक पार्टी है, यह बात मैंने एन.डी.सी. की बैठक में कही है दिल्ली के अन्दर, अभी जब मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन था तब मैंने इस बात को फिर उठाया कि यह किसी के भी काम आ सकता है। जब किसी के हाथ में चाकू होगा, उसका अधिकार होगा यह तो, त्रिशूल जिसने लिया है तो वह किसी को भी मार सकता है। इसलिये हमें यह देखना पड़ेगा कि राजस्थान में शांति रहे।

अब कहा जा रहा है गुजरात का प्रयोग करेंगे सारे राजस्थान में। क्या प्रयोग करेंगे? प्रयोग करना है, प्रयोग करेंगे आप लोग?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप अपने मन से ही बना रहे हो, प्रयोग करेंगे।

श्री अशोक गहलोत : हां, वह प्रयोग करेंगे जिस प्रकार से विश्व हिन्दू परिषद् के नेता आ रहे हैं, बजरंग दल के आ रहे हैं नेता और आकर नारे लगा रहे हैं, समारोह आयोजित कर रहे हैं। आप लोग इस पर नहीं बोल रहे हो। आप लोगों को भी अपनी पार्टी में इस बात का विरोध करना चाहिये कि ऐसे लोग, जो आकर यहां का माहौल खराब कर रहे हैं, राजस्थान की जनता कभी किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी, आपको अपनी पार्टी के अन्दर यह बात उठानी चाहिये। खाली सरकार कोई कदम उठाये, मैं समझता हूं, यह ऐसे मामले हैं, जिन पर तमाम पक्ष के लोग, तमाम राजनैतिक पार्टियों के लोग, इनको सबको मिलकर ऐसे मामलों में एक आवाज में मांग उठानी चाहिये तब जाकर शांति और भाई चारा कायम रहेगा। मैं यही मानकर चलता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इसमें कोई कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे कि आने वाले वर्ष के अन्दर हम कैसे राजस्थान में शांति और भाईचारा कायम रखें। इसमें सत्य है चाहे कोई भी विचारधारा की पार्टी हो, चाहे हिन्दू हों, चाहे मुस्लिम, चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, अगर कट्टरपंथी ताकतें आकर माहौल खराब करने की कोशिश करेंगी तो हम सबको मिलकर एक सद्भाव लाना चाहिये, यह संकल्प सदन का होना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री जुगल काबरा, सदस्य, विधान सभा द्वारा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 3 मार्च, 2003 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.00 बजे सोमवार, 3 मार्च, 2003 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उत्तर)

विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में चिकित्सकों के रिक्त पद

59. श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में कुल कितने चिकित्सकों एवं पैरा मेडिकल स्टाफ के पद स्वीकृत हैं?

(2) उक्त क्षेत्र में वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में कोई नया हास्पिटल/स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में चिकित्सकों एवं पैरा मेडिकल स्टॉफ के कुल 25 पद स्वीकृत हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में वर्तमान में चिकित्सकों एवं पैरा मेडिकल स्टाफ के स्वीकृत पदों में से मात्र एक पद चिकित्सा अधिकारी का रिक्त है। जी हां, चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पद को अस्थायी व्यवस्था के तहत समेकित वेतन पर रखने हेतु कार्यवाही की जा रही है। साथ ही राजस्थान लोक सेवा आयोग को रिक्त पदों को भरने हेतु निवेदन किया जा रहा है।

(3) भारत सरकार के द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार पंचायत समिति क्षेत्र मुण्डावर में आवश्यक 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के विरुद्ध 9 स्वीकृत हैं। नया हास्पिटल/स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने पर उक्त प्रस्ताव पर भी गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

खादी वस्त्रों की सरकारी खरीद को प्राथमिकता

60. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या खादी ग्रामोद्योग राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा सरकारी खरीद में पूर्व में प्राथमिकता दी जाती थी? यदि हां, तो अब उक्त नीति में परिवर्तन कब और क्यों किया गया?

(2) क्या सरकार लोगों को रोजगार देने के लिये सरकारी खरीद में खादी वस्त्रों व वस्तुओं को आवश्यक रूप से खरीदे? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या उक्त सम्बन्ध में खादी संस्थाओं और राज्य खादी बोर्ड द्वारा भी इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से मांग की गई है? यदि हां, तो कब-कब और उस पर क्या निर्णय लिया गया?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा सरकारी खरीद में प्राथमिकता दी जाती है। प्राथमिकता देने की नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

(2) सरकार ने लोगों को रोजगार देने के लिये खादी वस्त्रों व कुछ वस्तुओं को सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में निविदा के बिना खरीद के लिये प्रावधान रखा है। केवल खादी से खरीदने की अनिवार्यता नहीं है।

(3) जी हां। समय-समय पर खादी संस्थाओं व राज्य खादी बोर्ड द्वारा आवेदन/पत्र देकर राज्य सरकार के समक्ष यह मुद्दा उठाया गया है। यह प्रकरण राज्य सरकार के पास विचाराधीन है।

ब्यावर के फूलसागर तालाब की क्षमता में वृद्धि

61. श्री रमजान खान (पुष्कर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला अजमेर की तहसील ब्यावर के फूलसागर (जालिया) तालाब की जल आवक क्षमता बढ़ाने के लिए देवाता फीडर का निर्माण शुरू किया गया है? यदि हां, तो उक्त फीडर पर अब तक कुल कितना कार्य हो चुका है तथा उक्त पर सरकार की जितनी राशि व्यय हो चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि देवाता फीडर पूर्ण नहीं होने के कारण आसपास का पानी पाली जिले के रायपुर बांध में बेकार चला जाता है? क्या सरकार उक्त कार्य को पूर्ण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1970-71 में अकाल राहत मद में फूलसागर जालिया तालाब की जल आवक क्षमता बढ़ाने के लिए देवाता फीडर का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। इस योजना पर अब तक लगभग 13,500 घन मीटर मिट्टी का कार्य एवं 376 घन मीटर चुनाई का कार्य हुआ है। इसकी कुल लागत रुपये 70.00 लाख के एवज में अब तक अकाल राहत मद में से 6.23 लाख रुपये की राजकीय राशि व्यय हो चुकी है। विवरण प्रपत्र-'क' सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं। पिछले 25 वर्षों में जवाजा बांध केवल चार बार ही ओवर फ्लो हुआ। पिछले कई वर्षों से वर्षा की कमी के कारण वांछित जल की मात्रा भी इस क्षेत्र के तालाबों में नहीं आने के कारण से तालाब अपने पूर्ण भराव तक भी नहीं भरे हैं। इस योजना को विभागीय मापदण्डों के अनुरूप उपयुक्त नहीं पाये जाने के कारण इसे विभागीय मद से पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित नहीं है।

परिशिष्ट "क"

फूलसागर (जालिया) तालाब की देवाता फीडर पर कार्य/व्यय का विवरण

कार्य का विवरण	अब तक निम्न कार्य हुआ है
13500 घन मीटर	मिट्टी का कार्य
376 घन मीटर	चुनाई कार्य

व्यय का विवरण

वर्ष	व्यय की गई राशि (लाखों मे)
1970-71	0.44 लाख रुपये
1981-82	1.67 लाख रुपये
1983-84	4.12 लाख रुपये
योग	6.23 लाख रुपये

पानरवा (उदयपुर) में आश्रम छात्रावास निर्माण

62. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पानरवा तहसील झाडोल जिला उदयपुर के आश्रम छात्रावास के भवन निर्माण के आदेश जारी कर निविदाएं आमंत्रित की गईं थीं? यदि हां, तो आदेश एवं निविदा की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त आश्रम छात्रावास के भवन के स्थान को परिवर्तन कर आश्रम भवन का निर्माण करवाया गया? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त प्रकरण में अनियमितता हुई है? यदि हां, तो क्या सरकार दोषियों को दण्डित करेगी?

(श्री नन्दलाल मीणा)

(4) क्या अब सरकार पानरवा में छात्रावास भवन निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। बालिका आश्रम छात्रावास पानरवा झाडोल जिला उदयपुर के निर्माण हेतु जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। कार्यकारी एजेंसी राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम द्वारा जारी की गई निविदा की प्रति परिशिष्ट-2 पर अवलोकनीय है।

(2) जी नहीं। बालिका आश्रम छात्रावास पानरवा के साथ-साथ 2 और आश्रम छात्रावास के निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि उपलब्ध न होने के कारण राज्य सरकार द्वारा इसके निर्माण हेतु जारी स्वीकृति को दिनांक 24.7.01 द्वारा निरस्त किया गया था। इस राशि से किराये के भवनों में संचालित तीन अन्य आश्रम छात्रावासों के भवन निर्माण की स्वीकृति दी गयी थी।

(3) जी नहीं।

(4) पानरवा में छात्रावास भवन निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि उपलब्ध होने पर आश्रम छात्रावास के निर्माण पर पुनर्विचार किया जावेगा।

परिशिष्ट-1

राजस्थान सरकार
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

क्रमांक : एफ. 1(3)(36)टीएडी/लेखा/97-98 जयपुर, दिनांक : 28.2.98

आयुक्त
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
उदयपुर।

विषय : आश्रम छात्रावास निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि निम्न स्थानों पर भारत सरकार से प्राप्त राशि में से आश्रम छात्रावास निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है :

क्र.सं.	पंचायत समिति	जिला	आश्रम छात्रावास का नाम	राशि
1.	धरियावद	उदयपुर	कुण (बालिका)	33.37
2.	प्रतापगढ़	चित्तौड़	कूलथाना (बालिका)	33.37
3.	अरनोद	चित्तौड़	जाजली (बालिका)	33.37
4.	सागवाड़ा	डूंगरपुर	वरदा (बालिका)	33.37
5.	कोटड़ा	उदयपुर	पानरवा (बालिका)	33.37
6.	सराड़ा	उदयपुर	अदवास (बालिका)	33.37

कृपया उक्त स्थानों पर भूमि आबंटन एवं निर्माण के नक्शे एवं तखमीने तैयार कर शीघ्र भिजवाने की व्यवस्था करें ताकि वित्तीय स्वीकृति जारी कर राशि उपलब्ध करवाई जा सके।

भवदीय
ह०/-
शासन उप सचिव

परिशिष्ट-2

कार्यालय आवासीय अभियन्ता आर.एस.आर.डी.सी. लि. यूनिट उदयपुर

55 बी, मधुवन, केनरा बैंक के सामने, उदयपुर, फोन : 417534

निविदा सूचना क्रमांक : 3/2001-2002

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार के अभियांत्रिकी विभागों द्वारा मान्य प्राप्त एवं अनुभवी ठेकेदारों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से कार्य के सामने अंकित निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि जमा करवाकर क्र.सं. 1 दिनांक 24/9/2001 तक व क्र.सं. 2 से 6 तक दिनांक 13/9/2001 तक नियमानुसार कार्य दिवस में खरीदी जा सकती है। ये निविदाएं क्र.सं. 1 दिनांक 26/9/2001 को एवं क्र.सं. 2 से 6 तक दिनांक 14/9/2001 को शाम 3.00 सायं बजे तक प्राप्त कर उसी दिन 3.30 बजे निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी।

क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत रु. (लाखों में)	धरोहर राशि (लाखों में)	निविदा शुल्क	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1.	निम्नलिखित स्थानों पर आश्रम छात्रावासों का निर्माण कार्य				
	(i) विकास नगर	18.00	0.36	500/-	11 माह
	(ii) झाडोल (पं. सं. सराड़ा)	18.00	0.36	500/-	11 माह
	(iii) पानरवा	18.00	0.36	500/-	11 माह
	(iv) कनवई	18.00	0.36	500/-	11 माह
	(v) भीण्डर	18.00	0.36	500/-	11 माह
	(vi) सीसारगा	18.00	0.36	500/-	11 माह
2.	पुलिस क्वार्टर उदयपुर में प्लीन्थ प्रोटेक्शन एवं नाली इत्यादि का निर्माण कार्य	2.00	0.04	200/-	1 माह
3.	आर.टी.ओ. बिल्डिंग, उदयपुर में सिविल कार्य	1.50	0.03	200/-	$1\frac{1}{2}$ माह
4.	जी.ए.डी. क्वार्टर उदयपुर में डवलपमेंट कार्य				
	(i) प्रथम श्रेणी	2.25	0.05	200/-	1 माह
	(ii) द्वितीय श्रेणी	4.00	0.08	200/-	1 माह
	(iii) तृतीय श्रेणी	3.50	0.07	200/-	1 माह
5.	जी.ए.डी. क्वार्टर उदयपुर में खिड़कियों में कांच का कार्य	2.00	0.04	200/-	1 माह
6.	जी.ए.डी. क्वार्टर उदयपुर में वार्ड रोब शटर का कार्य	4.90	0.10	200/-	1 माह

नोट :

1. निविदादाताओं का वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।
2. धरोहर राशि अधोहस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा ही स्वीकार की जायेगी।
3. निगम किसी भी निविदा या उसके अंश को बिना कारण बताए निरस्त कर सकेगा।

ह०/-
आवासीय अभियन्ता
आर.एस.आर.डी.सी. लि., उदयपुर

औषधालयों में चिकित्सकों के रिक्त पद

63. श्री अमीन ख़ान (शिव) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के कितने औषधालयों में कौन-कौन से पद रिक्त हैं? उक्त रिक्त पद सरकार कब तक भरने का विचार रखती है?

(2) राज्य में बजट प्रावधान अनुसार कितने औषधालय नहीं खुले हैं?

उत्तर

(1) विभागान्तर्गत संचालित कुल 3740 औषधालयों/चिकित्सालयों/मोबाइल यूनिटों में दिनांक 15.2.2003 को निम्न पद रिक्त थे :—

पदनाम	संख्या
आयुर्वेद चिकित्सक	435 पद
यूनानी चिकित्सक	16 पद
होम्योपैथिक चिकित्सक	21 पद
नर्स/कम्पाउण्डर	523 पद
कनिष्ठ लिपिक	2 पद
परिचारक	153 पद
वाहन चालक	2 पद

वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त, रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया नियमानुसार पूर्ण कर पद भरे जा सकेंगे।

(2) वर्ष 1999-2000 के बजट भाषण में की गई घोषणा अनुरूप 100 नवीन आयुर्वेद व 50 यूनानी औषधालय अभी प्रारम्भ नहीं किए जा सके हैं।

प्रस्तावित वेट प्रणाली से आय

64. श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वेट प्रणाली लागू होने से राज्य सरकार को कुलमिलाकर नफा होगा अथवा नुकसान?

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 2003-04 में होने वाले नुकसान की शत प्रतिशत भरपाई केन्द्र सरकार करेगी?

(3) क्या वैट प्रणाली लागू होने के बाद हर पाइंट पर होने वाली कर चोरी रुक सकती है? क्या उक्त से सरकार की आय बढ़ सकती है?

उत्तर

(1) प्रारम्भिक वर्षों में वैट प्रणाली लागू होने से नुकसान होगा किन्तु आगामी वर्षों में लाभ होने की आशा है।

(2) जी हां। वित्त मंत्रियों की बैठक में केन्द्र द्वारा प्रथम वर्ष में शत-प्रतिशत भरपाई का आश्वासन दिया गया है।

(वित्त मंत्री)

(3) जी हां। कर भार प्रत्येक विक्रय बिन्दु पर विभाजित होने से कर चोरी नियन्त्रित होगी, परिणामस्वरूप कर राजस्व में बढ़ोतरी की आशा की जाती है।

जिला पाली में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

65. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार राज्य के हर तहसील स्तर पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का विचार रखती है?

(2) जिला पाली में किन-किन तहसील स्तर पर कितने-कितने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले गए? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त संस्थाओं में कौन-कौन से ट्रेड में कितनी-कितनी प्रशिक्षण हेतु सीटें हैं तथा कितने-कितने प्रशिक्षणार्थी वर्ष 1999 से 2002 तक प्रशिक्षण ले चुके हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार तहसील मारवाड़ जंक्शन पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वित्तीय संसाधनों की सीमितता के कारण राज्य सरकार द्वारा तहसील तथा पंचायत समिति स्तर पर निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने हेतु निजी क्षेत्र की संहभागिता को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(2) पाली जिले में तहसील स्तर पर संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की सूची परिशिष्ट-1 संलग्न है।

(3) उक्त संस्थाओं में संचालित व्यवसायों में प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध प्रवेश स्थानों का व्यवसायवार विवरण तथा वर्ष 1999 से 2002 तक इन संस्थाओं में प्रवेशित छात्रों का विवरण परिशिष्ट-2 पर तथा प्रशिक्षण प्राप्त छात्रों का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(4) जी हां। किन्तु वर्तमान में वित्तीय संसाधनों की सीमितता के कारण मारवाड़ जंक्शन में राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलना सम्भव नहीं है। निजी क्षेत्र से यदि कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है तो राज्य सरकार की नीति के अनुसार यथोचित निर्णय लिया जावेगा।

परिशिष्ट-1

पाली जिला मुख्यालय में तहसील स्तर पर संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की सूची

क्र.सं.	तहसील का नाम	संस्थान का नाम	स्थापना वर्ष
1.	पाली	ओ. प्र. सं., पाली	1961
2.	सोजत	ओ. प्र. सं., सोजतसिटी	1989
3.	जैतारण	ओ. प्र. सं., जैतारण	1996
4.	देसूरी	ओ. प्र. सं., देसूरी	1996
5.	बाली	ओ. प्र. सं., फालना	1987

परिशिष्ट-2

क्र. सं.	औ.प्र. संस्थान का नाम	व्यवसाय का नाम	स्वीकृत		वर्ष वार प्रवेशित छात्रों की संख्या				योग
			एकक	स्थान	1999	2000	20_01	20_02	
1.	मुख्यालय जिला पाली	1. फिटर - दो वर्षीय	2	32	22	19	19	19	79
		2. टर्नर - दो वर्षीय	2	24	17	14	14	14	59
		3. विद्युत - दो वर्षीय	2	32	22	19	19	19	79
		4. वायरमैन - दो वर्षीय	1	16	22	00	19	00	41
		5. वेल्डर - एक वर्षीय	2	24	35	28	28	28	119
		6. मैकेनिक डीजल - एक वर्षीय	2	32	44	38	38	38	158
		योग	11	160	162	118	137	118	535
2.	तहसील सोजत सिटी	1. मेके. रेडियो एवं टी.वी. - दो वर्षीय	1	16	00	14	00	19	33
		2. वेल्डर - एक वर्षीय	1	12	13	14	15	14	43
		योग	2	28	13	28	15	33	76
3.	तहसील जैतारण	1. फिटर - दो वर्षीय	1	16	00	19	00	19	38
		2. वायरमैन - दो वर्षीय	1	16	00	19	00	19	38
		3. मैकेनिक डीजल - एक वर्षीय	1	16	22	19	19	19	79
		योग	3	48	22	57	19	57	155
4.	तहसील देसूरी	1. मैके. मोटर व्हीकल - दो वर्षीय	1	16	00	19	00	19	38
		2. मैके. इलैक्ट्रोनिक्स - दो वर्षीय	1	16	00	19	00	19	38
		3. वायरमैन - दो वर्षीय	1	16	00	16	00	19	35
		योग	3	48	00	54	00	57	111
5.	फालना (तहसील बाली)	1. फिटर - दो वर्षीय	1	16	00	16	00	19	35
		2. वेल्डर - एक वर्षीय	1	12	00	12	14	14	40
		3. कटिंग एण्ड टेलरिंग - एक वर्षीय	1	12	00	16	14	09	39
		योग	3	44	00	44	28	42	114
		महायोग	**22**	**328**	**197**	**301**	**199**	**307**	**991**

नोट : दो वर्षीय व्यवसाय जिसमें केवल एक एकक (यूनिट) स्वीकृत है, वहां एक वर्ष छोड़ कर आगामी वर्ष में प्रवेश किया जाता है।

ह०/-
सहायक निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय,
जोधपुर

परिशिष्ट-3

वर्ष 1999 से 2002 तक पाली जिले की विभिन्न संस्थाओं से प्रशिक्षण ले चुके प्रशिक्षणार्थियों की संस्थानवार, व्यवसायवार सूची

क्र.सं. औ.प्र.सं. का नाम	व्यवसाय	वर्ष 1999	2000	2001	2002	योग
1. देसूरी	1. वायरमैन	03	12	00	11	26
	2. मैके. मोटर व्हीकल	x	06	00	13	19
	3. इलैक्ट्रोनिक्स	02	13	00	14	29
	योग	05	31	00	38	74
2. फालना	1. फिटर	प्र. शून्य	प्र. शून्य	x	12	12
	2. वेल्डर	प्र. शून्य	प्र. शून्य	08	11	19
	3. कटिंग टेलरिंग	प्र. शून्य	प्र. शून्य	10	10	20
	योग	—	—	18	33	51
3. जैतारण	1. फिटर	x	08	x	12	20
	2. वायरमैन	02	11	x	13	26
	3. मैकेनिक डीजल	15	24	17	17	73
	योग	17	43	17	42	119
4. पाली	1. फिटर	18	17	20	12	67
	2. टर्नर	13	17	11	06	47
	3. इलैक्ट्रीशियन	18	23	17	15	73
	4. वायरमैन	17	x	15	x	32
	5. वेल्डर	26	27	21	25	99
	6. मैकेनिक डीजल	38	43	38	35	154
	योग	130	127	122	93	472
5. सोजत सिटी	1. मैके. रेडिया टीवी	x	09	x	13	22
	2. वेल्डर	15	13	14	13	55
	योग	15	22	14	26	77
	कुल योग	167	223	171	232	793

नोट : (x) दो वर्षीय पाठ्यक्रम में एक यूनिट होने के कारण इन व्यवसायों में नये प्रवेश नहीं दिये गये।

ह०/-
संयुक्त निदेशक, प्रशि.
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय,
राजस्थान, जोधपुर

प्राकृतिक प्रकोप हेतु राहत कोष की स्थापना

66. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) एवं श्री रोहिताश्व कुमार (बानसूर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कृषि को उद्योग का दर्जा देने, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा देने की घोषणा की थी? यदि हां, तो उक्त सन्दर्भ में सरकार ने क्या-क्या कार्यवाही की है?

(2) क्या सरकार ने चुनाव घोषणा पत्र में अकाल बाढ़ अनावृष्टि, तूफान जैसे प्राकृतिक प्रकोप से निपटने हेतु राहत कोष स्थापित करने की घोषणा की थी? यदि हां, तो उक्त सन्दर्भ में क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या सरकार की कोई कृषि नीति है? यदि हां, तो कृषि नीति का प्रारूप सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(i) प्रकरण भारत सरकार में विचाराधीन है, जैसे ही केन्द्र स्तर पर इस दिशा में कोई निर्णय लिया गया तो राज्य सरकार भी उसी के अनुरूप आवश्यक कदम उठायेगी।

(ii) प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को सहायता उपलब्ध कराने के लिये प्राकृतिक आपदा कोष स्थापित किया गया है। जिसके तहत लघु एवं सीमान्त कृषकों को 2,500/- रु. प्रति हैक्टेयर (सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्रों में) एवं 1,000/- रु. प्रति हैक्टेयर (वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों में) दी जाने की व्यवस्था की गई है।

(2) जी हां। प्राकृतिक आपदा से राहत प्रदान करने के लिये एक कोष की स्थापना की जा चुकी है जिसमें 75% राशि भारत सरकार से एवं 25% राशि राज्य सरकार से दी जाती है।

(3) राज्य में अभी कृषि नीति की घोषणा नहीं की गई है।

विधान सभा क्षेत्र डीग में सड़क निर्माण

67. श्री अरुण सिंह (डीग) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र डीग में वर्ष 2002-03 में कितनी नई सड़कों का निर्माण किया गया?

(2) वर्ष 2002-2003 में उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितनी-कितनी राशि सड़कों की मरम्मत/रख-रखाव पर व्यय की गई?

(3) वर्ष 2003-2004 में उक्त विधान सभा क्षेत्र में सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत हेतु कितनी राशि स्वीकृत करने का प्रावधान है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डीग में वर्ष 2002-2003 में तीन नई सड़कों का निर्माण कराया गया।

(2) वर्ष 2002-2003 में विधान सभा क्षेत्र डीग में सड़कों की मरम्मत/रख-रखाव पर राशि रुपये 245.80 लाख व्यय की गई।

(3) वर्ष 2003-2004 में उक्त विधान सभा क्षेत्र में सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत राशि स्वीकृत किया जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

राजस्थान हैण्डलूम डवलपमेंट कारपोरेशन के कर्मचारियों का समायोजन

68. डा. करण सिंह यादव (बहरोड़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या सरकार, राजस्थान हैण्डलूम, डवलपमेंट कारपोरेशन को बन्द करने का विचार कर रही है ?

(2) हैण्डलूम कारपोरेशन में कर्मचारियों को कितने महीनों से वेतन नहीं मिला है ?

(3) उक्त कर्मचारियों का वेतन भुगतान कब तक हो सकेगा ?

(4) क्या उक्त कर्मचारियों को अन्य विभागों में पदस्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) राजस्थान स्टेट हैण्डलूम कारपोरेशन को बंद करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) निगम मुख्यालय में पदस्थापित कर्मचारियों को गत 12 महीनों से तथा अधीनस्थ इकाइयों पर कार्यरत कर्मचारियों को अधिकतम 20 महीनों से वेतन भुगतान नहीं हुआ है।

(3) वेतन भुगतान हेतु राज्य सरकार के स्तर पर राजस्थान स्टेट हैण्डलूम डवलपमेंट कारपोरेशन की विक्रय हेतु उपलब्ध सामग्री को राजकीय विभागों में विक्रय कर राशि व्यवस्था की कार्यवाही प्रक्रिया में है। विक्रय से प्राप्त राशि के उपरान्त ही वेतन भुगतान हो सकेगा।

(4) निगम में गम्भीर वित्तीय संकट और कर्मचारियों के वेतन भत्तों की भुगतान व्यवस्था के अभाव में निगम कर्मचारियों की सेवाएं समायोजन/प्रतिनियुक्ति पर देने के लिये निम्नलिखित विभागों/उपक्रमों में निगम द्वारा प्रस्ताव भेजे हुये हैं :—

1. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग निदेशालय।
2. राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम।
3. परिवहन विभाग।
4. कृषि विपणन बोर्ड एवं कृषि निदेशालय।
5. राजस्थान अनुसूचित जाति, जन जाति वित्त एवं विकास निगम।
6. जयपुर विद्युत वितरण निगम।
7. जोधपुर विद्युत वितरण निगम।
8. अजमेर विद्युत वितरण निगम।
9. राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम।
10. पंचायती राज विभाग।
11. राजकीय उपक्रम ब्यूरो।

यह प्रस्ताव वर्तमान में सम्बन्धित विभागों/उपक्रमों में विचाराधीन है।

जिला बाड़मेर के विद्यालयों में रिक्त पद

69. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला बाड़मेर की उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और उच्च प्राथमिक शालाओं में अध्यापकों के पदों के अनुसार सभी रिक्त पदों को भर दिया गया है ? यदि नहीं, तो किस शाला में कितने-कितने पद रिक्त हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त जिले के उच्च माध्यमिक, माध्यमिक तथा उच्च प्राथमिक शालाओं के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। जिला बाड़मेर में माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन

(शिक्षा मंत्री)

संचालित माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-"क" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले पदों की अर्थनाएं आयोग को प्रेषित की जा चुकी हैं। विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से भरे जाने वाले पदों की विभागीय पदोन्नति समिति आयोजित करवाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अहमदी सिंचाई परियोजना, बारां में एनीकट निर्माण

70. श्री जगन्नाथ (मनोहरथाना) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बारां में स्थित अहमदी सिंचाई परियोजना तथा शेरगढ़ पिकअप वियर के अपस्ट्रीम में अकावद एनीकट निर्माण की स्वीकृति कब जारी हुई थी? स्वीकृति आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनाओं में कौन-कौनसी योजनाओं की निविदा कब-कब आमंत्रित की गई तथा कब-कब कार्य प्रारम्भ हो गया था और वर्तमान स्थिति क्या है? उक्त योजनाओं का कार्य क्यों रोक दिया गया?

(3) क्या अहमदी सिंचाई परियोजना के सम्बन्ध में कुछ विभागों को आपत्ति थी? यदि हां, तो कौन-कौनसे विभागों को क्या-क्या आपत्ति थी? क्या उपरोक्त आपत्ति के बाद एक टीम ने मौके पर जाकर जांच की थी? यदि हां, तो जांच की रिपोर्ट का निष्कर्ष क्या था?

(4) क्या राज्य सरकार ने भारत सरकार को उक्त सम्बन्ध में कोई पत्र लिखकर उक्त आपत्तियों को विड्रा करने हेतु लिखा है? यदि हां, तो कब-कब? उक्त पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बारां में स्थित अहमदी सिंचाई परियोजना तथा शेरगढ़ पिकअप वियर के अपस्ट्रीम में अकावद लघु सिंचाई योजना की स्वीकृति (एनीकट स्वीकृत नहीं है) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ-3(12)ए.एस/सेल/96/411-414 दिनांक 19.11.2001 को प्राप्त हुई थी। आदेशों की प्रति प्रपत्र-"क" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उक्त योजनाओं में से अकावद लघु सिंचाई परियोजना की निविदा दिनांक 04.06.2002 को आमंत्रित की गई।

उक्त योजना परवन वृहद् सिंचाई परियोजना के डूब में होने के कारण स्थगित की गयी।

अहमदी लघु सिंचाई योजना पर भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा सहमति की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण निविदा आमंत्रित नहीं की गई।

(3) जी हां। अहमदी सिंचाई परियोजना के सम्बन्ध में भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को डूब क्षेत्र में 31622 पेड़ों के हानि होने पर आपत्ति थी।

(सिंचाई मंत्री)

जी हां। भौतिक सत्यापन हेतु संयुक्त निरीक्षण दल ने (वन विभाग एवं सिंचाई विभाग) मौके पर जाकर जांच की थी तथा पाया कि कुल 15334 पेड़ हैं। तत्पश्चात् प्रस्ताव नये प्रारूप में तैयार कर जनवरी, 2002 को वन मण्डल अधिकारी को प्रस्तुत कर दिये गये थे। प्रधान वन संरक्षक, जयपुर ने उनके पत्रांक 11188-89 दिनांक 22.11.2002 को अभिशंसा के साथ प्रकरण शासन सचिव, वन विभाग, जयपुर को भेज दिया था। वर्तमान में प्रकरण वन विभाग के अन्तर्गत विचाराधीन है।

(4) जी नहीं।

(आदेशों की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गईं)

महाराष्ट्र पेटर्न प्रणाली का क्रियान्वयन

71. श्री रोहिताश्व कुमार (बानसूर), **श्री जसवन्त सिंह गुर्जर** (बाड़ी) एवं **श्री भंवर लाल शर्मा** (हवामहल) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में आदिवासियों के कल्याण के लिये महाराष्ट्र पेटर्न योजना लागू की गई है? यदि हां, तो इसके लिये कुल कितना बजट प्रावधान वर्ष 2002-03 में रखा गया? उक्त राशि में से अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2001-02 में कितनी राशि उक्त योजना में रखी गई थी एवं कितनी राशि उक्त योजना पर व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि महाराष्ट्र प्रणाली के संचालन के लिये जिला कलक्टरों की अध्यक्षता में बनने वाली समितियों का गठन नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। इसे कुछ संशोधनों के साथ लागू किया गया है। वर्ष 2002-03 में इस हेतु रुपये 40.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया था जिसे अब घटाकर रुपये 10.00 करोड़ किया गया है। वर्ष 2002-03 में किये गये प्रावधान की राशि अभी विभाग को प्राप्त नहीं होने के कारण कोई राशि व्यय नहीं हो पायी है।

(2) वर्ष 2001-02 में इस हेतु रुपये 30.00 करोड़ का प्रावधान किया गया था। जिसके विरुद्ध रुपये 2965.27 लाख की स्वीकृतियां जारी की गयी थीं। इन स्वीकृतियों के विरुद्ध जनवरी, 2003 तक रुपये 1654.06 लाख की राशि व्यय हुई है।

(3) जी हां। महाराष्ट्र प्रणाली के सुचारू संचालन/परिवीक्षण हेतु दिनांक 19.7.2001 द्वारा जिला स्तरीय समितियों के गठन हेतु आदेश जारी किये गये थे। समिति में गैर सरकारी सदस्यों के मनोनयन हेतु जिलों से प्रस्ताव पूर्ण रूप से यथा सदस्यों की लिखित सहमति प्राप्त नहीं होने से समितियों के गठन का कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है।

कर्मचारियों की सुविधाओं पर व्यय भार

72. श्रीमती यास्मीन अबरार (सवाईमाधोपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कर्मचारियों को पूर्व में प्राप्त सुविधाओं में से सरकार ने कई प्रकार की सुविधाओं में कटौती की है? यदि हां, तो कौन-कौन सी सुविधाएं?

(2) क्या सरकार उक्त सुविधाओं को पुनः बहाल करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कौन-कौन सी सुविधाओं को कब तक बहाल किया जावेगा?

(3) वर्तमान में राज्य कर्मचारियों की सरकार से क्या-क्या मांगें हैं? उक्त की पूर्ति की जाये तो सरकार पर कितना आर्थिक भार पड़ेगा?

उत्तर

(1) राज्य कर्मचारियों की सुविधाओं में से राज्य की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित सुविधाओं को स्थगित कर दिया गया है :

क. बोनस

ख. उपार्जित अवकाश के बदले नकद भुगतान

ग. खाद्य अग्रिम

(2) राज्य की वित्तीय स्थिति में अपेक्षित सुधार होने पर पुनर्विचार किया जावेगा।

(3) इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण महासंघों/संघों की मुख्य आर्थिक मांगों की सूचना परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है। मांगों पर कुल आर्थिक भार 2186.19 करोड़ रुपये आयेगा।

परिशिष्ट 'अ'

विभिन्न महासंघों/संघों से प्राप्त महत्त्वपूर्ण मांगों एवं उस पर पड़ने वाले आर्थिक भार निम्नानुसार है

क्र.सं.	मांग	प्रतिवर्ष वित्तीय भार	कुल वित्तीय भार
1.	तदर्थ बोनस	125 करोड़ प्रतिवर्ष	125 x 4 = 500 करोड़
2.	समर्पित अवकाश का नकद भुगतान	184 करोड़ प्रतिवर्ष	184 x 3 = 552 करोड़
3.	वेतनमान विसंगति	10 करोड़ प्रतिवर्ष	10 x 10 = 100 करोड़
4.	यात्रा भत्ता	30 करोड़ प्रतिवर्ष	30 करोड़ प्रतिवर्ष
5.	विशेष वेतन	2 करोड़ प्रतिवर्ष	2 करोड़ प्रतिवर्ष
6.	हड़ताल अवधि का वेतन भुगतान	500 करोड़ One time	500 करोड़ One time
7.	9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पर चयनित वेतनमान नियुक्ति तिथि से देने बाबत्	50 करोड़ प्रतिवर्ष	50 x 10 = 500 करोड़
8.	वर्दी धुलाई भत्ता	2.16 करोड़ प्रतिवर्ष	2.16 करोड़ प्रतिवर्ष
9.	साईकिल सवारी भत्ता	0.03 करोड़ प्रतिवर्ष	0.03 करोड़ प्रतिवर्ष
	योग	903.19 करोड़	2186.19 करोड़
10.	अनाज अग्रिम	40 करोड़ प्रतिवर्ष (उसी वर्ष में वसूल होता है)	40 करोड़ प्रतिवर्ष (उसी वर्ष में वसूल होता है)

रेतीली भूमि में हर्बल पौधों की खेती

73. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भारत सरकार के योजना आयोग ने औषधीय और सौन्दर्य निखारने के गुणों से युक्त पौधों की खेती से जुड़े तमाम पहलुओं का अध्ययन करने के लिए एक कार्यदल गठित किया था?

(2) क्या कार्यदल ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है? उक्त रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त रिपोर्ट की महत्वपूर्ण सिफारिशें क्या हैं?

(4) क्या यह सही है कि राज्य में रेतीली भूमि में अनेक प्रकार के हर्बल पौधे स्वत: ही उत्पन्न होते हैं और हर्बल की खेती करने से उत्पादन और बढ़ जाता है?

(5) क्या यह भी सही है कि ट्रेक्टर द्वारा खेती करने से उक्त हर्बल पौधे नष्ट हो रहे हैं?

(6) क्या सरकार औषधीय खेती को प्रोत्साहन देकर किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करेगी? यदि हां, तो उक्त योजना के विवरण की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भारत सरकार के योजना आयोग ने औषधीय पौधों के समन्वित विकास हेतु श्री डी. एन. तिवारी, सदस्य योजना आयोग, नई दिल्ली की अध्यक्षता में एक कार्यदल गठिन किया था।

(2) जी हां। उक्त रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) उक्त रिपोर्ट की महत्वपूर्ण सिफारिशें परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(4) जी हां।

(5) ट्रेक्टर का उपयोग फसलों हेतु खेत की जुताई एवं बुवाई कार्य के लिये किया जाता है तथा जमीन की तैयारी के साथ खरपतवार नष्ट हो जाते हैं जबकि औषधीय पौधे वन क्षेत्र अथवा गैर खेतीहर भूमि में उगते हैं।

(6) उद्यान विभाग द्वारा औषधीय पौधों के विकास हेतु, केन्द्रीय प्रवर्तित कार्य योजना के अन्तर्गत "औषधीय एवं सुगंधित पौधों का विकास योजना" का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत प्रदर्शन लगाये जाने हेतु कृषकों को औषधीय पौधों के बीज, उर्वरक एवं पौध संरक्षण रसायन पर अधिकतम 750/- रुपये प्रति प्रदर्शन तक अनुदान देय है। इसके अतिरिक्त इच्छुक किसानों को औषधीय पौधों की तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु 7 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जाने का प्रावधान है।

(रिपोर्ट की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समिति कुचामन सिटी में सड़क निर्माण

74. श्री हरीशचन्द कुमावत (नावां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हरीशचन्द कुमावत)

(1) क्या यह सही है कि जॉब नं. सी.आर.एफ./02/राज 2001 में 19 किलोमीटर सड़क के लिये 105 लाख रुपया स्वीकृत किये गये थे? क्या उक्त सड़क निर्माण में किस-किस भाग को छोड़ने का प्रावधान रखा गया है? यदि हां, तो क्यों और नहीं, तो चालू निर्माण कार्य में जगह-जगह सड़क का हिस्सा क्यों छोड़ दिया गया है?

(2) क्या यह भी सही है कि ठेकेदार द्वारा अच्छे सरफेश की सड़क पर तो नया निर्माण कार्य करवाया जा रहा है परन्तु जहां सरफेश ठीक कर निर्माण कार्य करना था उस पोर्शन को नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों विवरण सदन की मेज पर रखें?

(3) क्या पंचायत समिति क्षेत्र कुचामन में राजमार्ग संख्या 2 व 7 लगभग 60 किलोमीटर लम्बाई का है? क्या उक्त का निर्माण कार्य चालू है? क्या उक्त निर्माण कार्य में निर्मित सड़क का कई जगह से उखड़ना अभी से प्रारम्भ हो गया है? यदि हां, तो उक्त निर्माण कार्य को ठीक कराने के लिये क्या-क्या कार्यवाही की गई है?

(4) उक्त सड़क निर्माण के लिये ठेकेदार को अब तक कितनी राशि का भुगतान हो चुका है व निर्माण कार्य पूर्ण करने की अंतिम तिथि क्या है? उक्त निर्माण के जॉब आर्डर सी.आर. एफ/02, जॉब न.सी.आर. एफ/05, जाब नं. सी.आर.एफ/07 की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उक्त स्वीकृत सड़क का कोई भी भाग (पोर्शन) को छोड़ने का प्रावधान नहीं है। किलोमीटर 367 एवं 368 में सड़क अत्याधिक क्षतिग्रस्त होने के कारण डामरीकरण से पूर्व डब्ल्यू बी एम से सुदृढ़ीकरण कराये जाने के कारण वर्तमान में छोड़ा गया है जिसको डब्ल्यू बी एम का कार्य पूर्ण होते ही डामरीकरण का कार्य करवाया जावेगा।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। उक्त निर्माण कार्य वर्तमान में चालू है। सड़क कुछ स्थानों पर पानी के ठहराव के कारण उखड़ी थी, जिसे संवेदक द्वारा ठीक करवा दिया गया है।

(4) संवेदक को अब तक रु. 3,20,19,892.00 का भुगतान किया जा चुका है। कार्य को पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 15.05.2003 है। जॉब ऑर्डर की प्रति परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

परिशिष्ट 'अ'

GOVT. OF RAJASTHAN

PUBLIC WORKS DEPARTMENT DIVISION - PARBATSAR

EEP/D-2421-31 Dated : 6.9.2002

M/s. Surya Construction Co.
"AA", Class Govt. Contractor,
H-68 F, Meera Marg, Bani Park, Jaipur

Sub. : Improvement of Varrious Roads Under CRF Package No. RJ-24/01 (Nagaur) IRQ.

1. Fulera - Sambhar - Nawa Road (SH-2) Km. 352/0 to 371/0 (Job No. CRF/02/RAJ/2001).
2. Didwana - Kuchaman Road (SH-7) Km. 131/0 to 144/0. 147/0 to 149/600 & 150/600 to 155/0 (Job No. CRF/05/RAJ/2001).
3. Jaipur - Kuchaman Road (SH-2) Km. 371/0 to 392/0. (S.H.-7) Km. 103/0 to 131/0 (Job No. CRF/07/RAJ/2001).

Ref. : Your Tender dated 12.07.2002.

Dear Sir,

Your Tender Dated 12.07.2002 for the aforesaid work has been accepted on behalf of the Governor of Rajasthan @7.77% above (in words : Seven Point Seven Seven) Schedule "G" Aggregating tendered Amount to Rs. 5,44,95,735.00 by CE (NH) P.W.D. Jaipur.

You are requested to please attend this office to sign and complete the formal aggrement with in 7 days from the receipt of this letter.

You are directed to Contact Assistant Engineer, P.W.D. DN. Parbatsar. Sub. Dn. Nawa, Sub Dn. Kuchaman City & start the work at once & complete the same within the a period of 8 Month (Eight).

(A) Stipulated date of commencement : 16.09.2002

(B) Stipulated date of Completion : 15.05.2003

This letter of acceptance togather within the tender submitted by you embodying all the conditions therein constitutes the contract aggrement between you & the Governor of State of Rajasthan for the aforesaid work.

The No. Alloted to your aggrement is EEP/CRF/09 of 2002-03.

The receipt of this letter may please be acknowledged.

Encl. : Schedule "G"

Note : The rate of premix seal coat Rs. 900/- Per MT. will be payable including the cost of Binder (Bitumen) as per contractor letter dated 14.08.02 which shall be part of aggrement.

Sd/-
Executive Engineer
P.W.D. Dn. Parbatsar
(On behalf of the Governor of Raj.)

तारांकित प्रश्न संख्या-75

(स्थगित)

इन्दिरा गांधी नहर के काश्तकारों से ब्याज वसूली

76. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उपनिवेशन विभाग इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में काश्तकारों से यदि किस्तें समय पर भुगतान नहीं होता है तो 18 प्रतिशत ब्याज, तथा यदि शास्ति हो तो अतिरिक्त, 6 प्रतिशत कुल 24 प्रतिशत चार्ज किया जाता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ब्याज की रेट व्यावसायिक बैंकों के ब्याज से बहुत अधिक है ? क्या सिंचाई हेतु पानी की कमी के कारण उपज नहीं हो रही किस्तें समय पर नहीं दी जा रही हैं तथा ब्याज बढ़ रहा है।

(3) क्या सरकार ब्याज व शास्ति की रेट कम करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। इं.गा.न.प. क्षेत्र में सामान्य व विशेष आबंटन में आबंटियों द्वारा भूमि की किस्ते समय पर जमा नहीं कराने पर 18% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लिया जाता है। सामान्य आबंटन में जिन आबंटियों के आबंटन निरस्त कर दिये जाते हैं उनसे आबंटन बहाल करने पर 6% अतिरिक्त ब्याज शास्ति के रूप में लिया जाता है।

(2) जी हां।

(3) प्रकरण विचाराधीन है।

जनजाति छात्रावास डूंगरपुर का निरीक्षण

77. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कस्बा डूंगरपुर जिला डूंगरपुर में जनजाति छात्राओं के लिये छात्रावास संचालित हैं ?

(2) उक्त छात्रावास के लिये वार्षिक कितना बजट दिया जाता है ?

(श्री शिवनाथ सिंह)

(3) क्या यह सही है कि उक्त छात्रावास के लिये किसी वार्डन-रसोया/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की कोई व्यवस्था नहीं है?

(4) क्या यह भी सही है कि डूंगरपुर में सहायक डायरेक्टर, उप-डायरेक्टर या इसी प्रकार के किसी अधिकारी का पद सृजित है?

(5) क्या उक्त अधिकारी ने वर्ष 2002 की अवधि में कभी उक्त छात्रावास का निरीक्षण किया है? यदि हां, तो कब-कब और क्या कार्यवाही सुधार हेतु उसने की है?

(6) क्या यह सही है कि वर्ष 2002 की अवधि में किसी समिति ने अपने डूंगरपुर के दौरे में उक्त छात्रावास का निरीक्षण किया तथा सहायक/उप डायरेक्टर की लापरवाही बाबत विभाग के सचिव तथा उच्च अधिकारियों को इस सम्बन्ध में लिखा? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उक्त कन्या छात्रावास के लिए वर्ष 2002-03 में रु. 11.51 लाख का प्रावधान किया हुआ है।

(3) जी नहीं। उक्त छात्रावास के लिए 1 अधीक्षक, 1 कोच की नियमित वेतन श्रृंखला में तथा 4 रसोइये, 1 च. श्रे. कर्मचारी, 1 चौकीदार एवं 1 सफाई कर्मचारी की सेवाएं संस्था के माध्यम से अनुबन्ध के आधार पर ली जा रही हैं।

(4) डूंगरपुर जिले में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के कार्यों के संचालन हेतु एक पद परियोजना अधिकारी एवं एक पद उप जिला शिक्षा अधिकारी का सृजित किया हुआ है।

(5) वर्ष 2002 की अवधि में परियोजना अधिकारी द्वारा 8.9.2002 एवं 22.9.2002 तथा उप जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 13.9.2002 को छात्रावास का निरीक्षण किया गया है। परियोजना अधिकारी द्वारा छात्रावास परिसर की सफाई व आसपास की झाड़ियां कटवाने के निर्देश दिये गये जिसकी पालना वार्डन द्वारा की गई।

(6) वर्ष 2002 की अवधि में राज्य विधान सभा की अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति द्वारा दिनांक 25.9.2002 को उक्त छात्रावास का निरीक्षण किया गया था। समिति द्वारा अपने निरीक्षण रिपोर्ट में जिले में कार्यरत विभागीय अधिकारी के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई विपरीत टिप्पणी नहीं की गई है एवं किसी भी अधिकारी को लापरवाही हेतु विभागीय सचिव एवं उच्च अधिकारियों को नहीं लिखा गया है।

ट्रांसपोर्ट कम्पनियों द्वारा फर्जी बिल कर चोरी

78. श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिल्ली की मुख्य मंत्री ने राजस्थान के मुख्य मंत्री को कोई पत्र लिख कर यह सूचित किया है कि

(श्री सुरेन्द्र व्यास)
राजस्थान की अनेक ट्रांसपोर्ट कम्पनियां बिक्री कर चोरी करने के प्रयोजन से राजस्थान से फर्जी बिल और बिल्टियों के माध्यम से दिल्ली माल भेजने और वहां से माल लाने के अवैध कारोबार में संलग्न हैं और उन्होंने इस प्रकार 400 करोड़ रुपयों के लगभग बिक्रीकर की चोरी की है? यदि हां, तो सरकार ने उक्त विषय में अब तक क्या कार्यवाही की है और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1997 से 2002 तक की अवधि में दूसरे राज्यों की बिल और बिल्टी वाला माल बिक्रीकर की चोरी कर के जयपुर, अजमेर, अलवर, कोटा आदि शहरों में उतारा गया है? यदि हां, तो सरकार ने उक्त विषय में क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विभाग में इस प्रकार का कोई पत्र प्राप्त होना नहीं पाया गया है।

(2) जी हां। ऐसा सम्भावित है कि राज्य में, कुछ व्यापारी ट्रांसपोर्टरों के साथ मिलकर करापवंचन के उद्देश्य से राज्य के बाहर से क्रय किये गये माल के बिल एवं बिल्टी राज्य के बाहर गंतव्य दर्शाते हुए बनवाते हैं तथा माल को राजस्थान राज्य के शहरों में विक्रय कर देते हैं। इस तरह से करापवंचन को रोकने के उद्देश्य से विभाग द्वारा उड़नदस्तों एवं प्रतिकरापवंचन शाखाओं का गठन किया है जो मुस्तेदी से इस पर नजर रखते हैं तथा पकड़े जाने पर निर्धारित कर एवं शास्ति वसूल करते हैं। वर्ष 1997 से जुलाई 2002 तक राजस्थान में कुल रुपये 1386.38 लाख का कर एवं शास्ति की वसूली की गई है।

सहायक अभियन्ता खण्ड सोजत (पाली) द्वारा अनियमितता

79. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) खण्ड सोजत (पाली) के उपखण्ड बर में कार्यरत सहायक अभियन्ता को किस तिथि से हटाकर उसका मुख्यालय पाली किया गया? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सहायक अभियन्ता को पुनः बर मुख्यालय पर कार्य करने के कब आदेश दिये?

(3) क्या यह सही है कि पंचायत समिति रायपुर की साधारण बैठक में माह दिसम्बर में समस्त पंचायती राज जन प्रतिनिधिगण ने उक्त सहायक अभियन्ता द्वारा अनियमितता किये जाने के कारण इसका स्थानान्तरण अन्यत्र करने का निर्णय किया था? यदि हां, तो उसको पुनः पाली का मुख्यालय बदलकर पुनः बर उपखण्ड पर क्यों लगाया गया?

(4) क्या यह भी सही है कि जनवरी, 2003 में उक्त अधिकारी द्वारा जबरदस्त लापरवाही के गम्भीर आरोपों के कारण जिला प्रशासन ने इसे सेवाओं से निलम्बित किया? यदि हां, तो पुनः इसके निलम्बन आदेश को रद्द कर पुनः बर उपखण्ड में क्यों लगाया?

उत्तर

(1) जिला कलक्टर (सहायता) पाली ने आदेश क्रमांक सहायता/2003/1206 दिनांक 23.1.2003 के द्वारा खण्ड सोजत के अधीन उपखण्ड रायपुर (मुख्यालय बर) में कार्यरत सहायक अभियन्ता को निलम्बित कर उसका मुख्यालय पाली कर दिया। (आदेश प्रति संलग्न)

(2) उक्त सहायक अभियन्ता को जिला कलक्टर (सहायता) पाली के आदेश क्रमांक : सहायता/2003/1841 दिनांक 1.2.2003 द्वारा पुनः बर मुख्यालय पर कार्य करने के आदेश प्रदान किये गये।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। अधीक्षण अभियन्ता के जांच के उपरान्त कोई आरोप सिद्ध नहीं होने के कारण जिला कलक्टर (सहायता) पाली ने अपने निलम्बन आदेश दिनांक 23.1.2003 को अपने ही आदेश क्रमांक : सहायता/2003/1841 दिनांक 1.2.2003 द्वारा विभागीय कार्यवाही विचाराधीन रखते हुये रद्द कर दिया गया।

परिशिष्ट-2

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता) पाली

क्रमांक/सहायता/2003/1206　　दिनांक 23 जनवरी, 2003

आदेश

चूंकि श्री जगदीश प्रसाद गहलोत सहायक अभियन्ता, सानिवि. उपखण्ड बर जिला पाली के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने का विचार है।

अतः राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में निम्न हस्ताक्षरकर्ता एतद्द्वारा, उक्त श्री जगदीश प्रसाद गहलोत सहायक अभियन्ता, सानिवि. उपखण्ड बर जिला पाली को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित करते हैं। निलम्बन काल में इनका मुख्यालय अधीक्षण अभियन्ता सानिवि. विभाग, पाली में रहेगा तथा इन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

ह०/-
(कुलदीप रांका)
जिला कलक्टर (सहायता)
पाली

अनूपगढ़, गंगानगर, में अनियमित वेतन भुगतान

80. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार ने कर्मचारी/अधिकारियों को एक माह में कितनी बार वेतन देने का नियम बना रखा है?

(2) क्या यह सही है कि माह में एक ही बार वेतन भुगतान के आदेश सरकार के द्वारा दिये हुए हैं? यदि हां, तो फिर जनवरी, 1999 से जुलाई, 2001 तक श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ के डाक्टरों व कर्मचारियों को एक माह में चार-चार बार वेतन व भत्ते का भुगतान किस आधार व किसके आदेश से किया गया?

(3) क्या उक्त सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई जांच करवाई गई? यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त आधार पर दोषियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सामान्य वित्तीय लेखा नियमों के अनुसार कर्मचारी/अधिकारियों को एक माह में एक ही बार वेतन भुगतान का प्रावधान है।

(2) जी हां। श्री गंगानगर जिले के अनूपगढ़ के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में कार्यरत स्टॉफ के द्वारा कूटरचना कर दोहरे वेतन के बिल बनाकर पारित करवाये गये।

(3) जी हां। निदेशक निरीक्षण विभाग, राजस्थान जयपुर के विशेष जांच दल द्वारा जांच की गई। जांच प्रतिवेदन की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(4) उक्त आधार पर सरकार ने पांच सम्बन्धित दोषी अधिकारी/कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया है। वर्तमान में प्रकरण भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर में अन्वेषणाधीन है।

(जांच प्रतिवेदन की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम हरचन्दपुर (अलवर) में भूमि का अवैध बेचान

81. श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा ग्राम हरचन्दपुर तहसील तिजारा (अलवर) की खसरा नं. 160/291 की भूमि का आबंटन निरस्त करने के लिये कोई दावा किसी अदालत में कर रखा है? यदि हां, तो कब से व किस अदालत में अब तक केस में क्या कार्यवाही हुई?

(2) क्या यह भी सही है कि आराजी खसरा नं. 445 रकबा 13 बीघा बाबत राज्य सरकार ने आबंटन निरस्त करने हेतु कोई दावा दायर कर रखा है? यदि हां, तो क्या आबंटी ने दावा करने के बाद भी इस भूमि का बेचान किया है? क्या सरकार ने अपने

(श्री जगमाल सिंह यादव)

दावे में बेचान पर रोक लगाने की मांग नहीं की है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार अब उक्त भूमि पर रोक लगाने हेतु न्यायालय में आवेदन करेगी? क्या सब रजिस्ट्रार टपूकड़ा को पाबन्द किया जावेगा कि वह इस बेचान का पंजीयन नहीं करें?

उत्तर

(1) जी हां। तहसीलदार तिजारा द्वारा आ.ख.नं. 160/291 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम हरचन्दपुरा के आबंटन को निरस्त कराने हेतु राजस्व अपील अधिकारी, अलवर के न्यायालय के नियम 14(4) के तहत दिनांक 21.2.2002 को अपील दायर की है, जो जैर कार्यवाही (विचाराधीन) है।

(2) ग्राम हरचन्दपुरा में ख.नं. 445 नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में सड़क निर्माण हेतु आबंटित राशि

82. श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डौली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1999 से 2002 तक सड़क निर्माण, डामरीकरण, सुधार के लिये जिला बूंदी को कौन-कौनसी योजना में कितनी-कितनी राशि आबंटित हुई? वर्षवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनाओं के तहत नवीन सड़क निर्माण, डामरीकरण सुधार के कौन-कौनसे कार्य कितनी-कितनी राशि के विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली के हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त शेष अपूर्ण एवं प्रस्तावित कार्यों को कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा?

(4) क्या यह सही है कि मिसिंग लिंक सड़कों को जोड़े जाने के लिये प्रस्तावित 306 करोड़ रुपयों में से विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली के गांव भी लाभान्वित होंगे? यदि हां, तो कौन-कौनसे?

(5) क्या उक्त मिसिंग लिंग सड़कों बाबत स्थानीय विधायक से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उक्त पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1999 से 2002 तक सड़क निर्माण, डामरीकरण सुधार के लिए जिला बूंदी में विभिन्न योजनाओं में आबंटित राशि का योजनावार, वर्षवार, विवरण प्रपत्र "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त योजनाओं के नवीन सड़क निर्माण डामरीकरण व सुधार के विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली के कार्यों व राशि को सूची प्रपत्र "ब" में संलग्न है।

(3) शेष अपूर्ण कार्यों को प्रपत्र "ब" के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यों को माह मार्च, 2003 एवं आर.यू.पी. के कार्यों को माह जून, 2003 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(4) जी नहीं। मिसिंग लिंक योजना प्रस्तावित नहीं है।

(5) जी हां। इस पर कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

(विवरण/सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कोटपूतली (जयपुर) हास्पिटल में ब्लड बैंक की स्थापना

83. श्री रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2001 के विभागीय बजट में बी. डी. एम. हास्पिटल कोटपूतली (जयपुर) में ब्लड बैंक खोले जाने का प्रावधान था ?

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 2002 के बजट में भी उक्त हास्पिटल में ब्लड बैंक खोले जाने का प्रावधान है ? यदि हां, तो ब्लड बैंक की क्या स्थिति है ?

(3) अब ब्लड बैंक बी.डी.एम. हास्पिटल कोटपूतली में कब तक खोल दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) वर्ष 2002-03 के राज्य योजनान्तर्गत बजट प्रावधान में बी. डी. एम. हास्पिटल कोटपूतली में ब्लड बैंक खोले जाने का वित्तीय प्रावधान था, परन्तु संशोधित अनुमान 2002-03 में उक्त हास्पिटल में ब्लड बैंक खोलने का प्रावधान स्वीकृत नहीं किया गया है।

(3) ब्लड बैंक खोले जाने हेतु राज्य योजनान्तर्गत समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर ही ब्लड बैंक खोला जाना सम्भव हो सकेगा।

परिशिष्ट-2

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-97 की सूची)

(विधान सभा क्षेत्र खारची में सर्वेक्षण के दौरान रुग्ण/बन्द पाई गयी इकाइयों की सूची)

रूग्ण इकाइयां

1. मै. मालवीय उद्योग, एच-31, औद्योगिक क्षेत्र, मारवाड़ जंक्शन, पाली
2. मै. रामदेव बुश इण्डस्ट्रीज, जी-25, औद्योगिक क्षेत्र, मारवाड़ जंक्शन, पाली

बन्द इकाइयां

3. मै. कोठारी केमिकल्स, जी-1-3, औद्योगिक क्षेत्र, मारवाड़ जंक्शन
4. मै. कोठारी डाई केम, जी-24, औद्योगिक क्षेत्र, मारवाड़ जंक्शन
5. मै. क्वालिटी प्रोडक्ट, एच-4-5, औ. क्षेत्र, मारवाड़ जंक्शन
6. मै. महावीर डाइकेम, एच-9-10-12-ए, ओ. क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन
7. मै. महावरी आइस, एच-11, औ. क्षेत्र, मारवाड़ जंक्शन
8. मै. सोलंकी इण्ड. एच-13-ए, औ. क्षेत्र, मारवाड़ जंक्शन
9. मै. पालरिया इण्ड. एच 13-औ. क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन
10. मै. भारत इण्ड. एच. 14, औ. क्षेत्र, मा. जं
11. मै. गणेश उद्योग, एच-15 ओ. क्षेत्र मा. जं.
12. मै. सरस्वती उद्योग, एच-16, ओ. क्षेत्र मा. जं.
13. मै. बजरंग टैक्सटाइल, एच-17, मा. जं.
14. मै. मालवीय इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन, एच-23, मा. जं.
15. मै. मारवाड़ ऑयल एण्ड मेहंदी उद्योग, एच-18-19, मा. जं.
16. मै. परमार उद्योग, डच-27, औ. क्षेत्र मां. जं.
17. मै. विश्वकर्मा उद्योग, एच-20, ओ. क्षेत्र मा. जं.
18. मै. ज्येश इण्ड. कारपोरेशन, एच-29, ओ. क्षेत्र मा. जं.
19. मै. लक्ष्मी उद्योग, एच-30, ओ. क्षेत्र मा. जं.
20. मै. मरूधरा उद्योग एच-34, ओ. क्षेत्र मा. जं.

21. मै. मुरलीवाला प्रिंटर्स, एच-35, औ. क्षेत्र मा. जं.
22. मै. शिव शक्ति उद्योग, एच-3, ओ. क्षेत्र मा. जं.
23. मै. डी.एस.बी. इण्डस्ट्रीज, एफ-21, ओ. क्षेत्र मा. जं.
24. मै. अंजू साइकल स्टोर, बस स्टैण्ड जोजावर
25. मै. नारायणलाल जीवाजी, सुथार, जोजावर
26. मै. बाबूलाल पारसमल, गांव पोस्ट जोजावर
27. मै. आनन्द सोफा रिपेयरिंग वर्क्स, जोजावर
28. मै. ज्योति इण्ड. गांव पो. जोजावर
29. मै. नाथू मेहंदी उद्योग, गांव पो. कण्डालिया
30. मै. घीसूखां शम्सुखां गांव पो. कण्टालिया
31. मै. शर्मा गृह उद्योग गांव कण्टालिया
32. मै. किरण इण्ड. बांव आउजा
33. मै. मरूधर परफ्यूमर इण्ड. गांव आउजा
34. मै. बरकल इण्ड. गांव पो. आउजा
35. मै. विनर वुड वर्क्स, गांव पो. आउजा
36. मै. प्रवीण कुमार रामचन्द्र, गांव पो. आउजा
37. मै. ढगलाराम रूपाजी फ्लोर मिल, गांव राइको की ढाणी आउजा
38. मै. पारस इण्ड. माणक चौक, आउजा
39. मै. मालवीय फर्नीचर मार्क, गांव आउजा
40. मै. देवेन्द्र फ्लोरिंग टाइल्स गांव पो. राणावास
41. मै. बाबारामदेव फ्लोर मिल, गांव राणावास
42. मै. गिरधारी लाल नेकाजी जिनिंग इण्ड. राणावास
43. मै. मंथन सोप इण्ड. गांव राणावास

44. मै. हीर मेघ वर्क्स, गा. पो. धामली
45. मै. लक्ष्मीदास मूलदास गा. पो. धवला
46. मै. अरुण फ्लोर मिल गा. पो. धमला
47. मै. कंकूदेवी हजारी लाल, गा. पो. धमला
48. मै. एमोटेक्स कारपो. मा. जं.
49. मै. लक्ष्मी इण्ड. कारपो. मा. जं.
50. मै. किस्तूरचन्द भीकाराम मा. जं.
51. मै. कृष्णा गैस वेल्डिंग वर्क्स, मा. जं.
52. मै. अशोक आइस हास्पिटल रोड, मा. जं.
53. मै. मिश्रीलाल छरेगाजी खरबी बाजार, मा. जं.
54. मै. घनश्याम फोटो स्टेट, मा. जं.
55. मै. परिहार फ्लोर मिल्स, मा. जं.
56. मै. हकुमतराय घनश्यामदास मा. जा.
57. मै. लक्ष्मी आयल मिल, मा. जं.
58. मै. मारवाड़ पैकेजिंग इण्ड. मा. जं.
59. मै. गिरधारी इंजीनियरिंग वर्क्स, मा. जं.
60. मै. महेश सोडा वाटर फैक्ट्री, मा. जं.
61. मै. राजस्थान मेटल इण्ड. हास्पिटल रोड, मा. जं.
62. मै. जगदीश केमिकल इण्ड. मा. जं.
63. मै. श्रीनाथ टायर रिट्रेडिंग कम्पनी, मा. जं.
64. मै. जगदम्बा क्रसिंग क., गांव जाडन
65. मै. पोकरराम हरजी, गांव जाडन
66. मै. सलीम मोहम्मद इन्साफ अली गांव जाडन
67. मै. मेवाड़ आयल एण्ड फ्लोर मिल, गांव जाडन
68. मै. अम्बिका किंग सोप फैक्ट्री गांव जाडन

69. मै. देवड़ा आयल मिल, गा. जाडन

70. मै. अग्रवाल एसोसिएट्स गा. जाडन

71. मै. जयअम्बे क्रसिंग वर्क्स गांव जाडन

72. मै. सर्वोदय मेटल इण्ड. गांव देवली

73. मै. राजस्थान मेटल इण्ड. गांव देवली

74. मै. सोहन लाल कन्हैयालाल, गांव सिरयारी

75. मै. मोहनलाल देवाजी, गा. सिरयारी

76. मै. गणपतलाल, शिवलाल, गांव खारची

77. मै. तुलसाराम मोतीराम, गा. खारची

78. मै. महालक्ष्मी फ्लोर मिल, गांव खारची

79. मै. इन्द्रचन्द्र, रामचन्द्र, गांव दूदोड़

80. मै. जगदीश गिरधारी, गां. चतरागुडा

81. मै. मदुडी/मदनलाल, गा. गुडा चतरा

82. मै. अरुण फ्लोर मिल, गांव धुन्धला

83. मै. अशोका इण्ड. गांव धुन्धला

84. मै. सोजत केमिकल एण्ड लाइम इण्ड. गां. धुन्धला

85. मै. नरपताल कान्तिलाल गांव बारसा

86. मै. निरमल केमिकल इण्ड. गांव सावरडा

87. मै. सूर्यनगर फ्लोर मिल, गांव सूर्यनगर

88. मै. बोराणा फ्लोर मिल, गांव सावराड

89. मै. नेमाराम मोतीराम, राठौड़ गांव सावरडा

90. मै. डायमण्ड आइस केण्डी, गांव फूलाद

91. मै. स्वास्तिक मेटल इण्ड. कराडी

92. मै. [illegible] फ्लोर मिल, गांव बिठुडाकलां

93. मै. धोरू खां फ्लोर मिल, गांव मूसालिया

94. मै. जगदीश फ्लोर मिल, गांव इसाली

95. मै. मूलसिंह भूरसिंह फ्लोर मिल, गांव दुर्गाजी का गुडा

96. मै. ख्वाजा फ्लोर मिल, मिल गांव डिगोर

97. मै. भैरूलाल मूलाजी जिनिंग आयल एण्ड फ्लोर मिल, बान्ता

98. मै. विजय चूड़ी उद्योग, गांव चेलावास

99. मै. तुलसीराम, मनरूपजी गांव जोगडावास

100. मै. राजखार इण्डस्ट्रीज, गांव भींवली

101. मै. महालक्ष्मी उद्योग गांव मण्डा

102. मै. चिमनाराम चेलाराम, मा. जं.

103. मै. एमीअक्स इण्ड. कारपो. मा.जं.

परिशिष्ट-3

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या 101 की सूची)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद
सूची नियमन, तहसील दीगोद

क्र.सं.	नाम ग्राम	नियमन	ख.नं.	रकबा
10-7-02 1	पाडलिया	मथुरालाल खण्डेलवाल कुम्हार सा. कथोड़ी	433	1.39
10-7-02 2	पाडलिया	रामनारायण पुत्र जगन्नाथ चमार सा. पाडलिया	229	0.30
10-7-02 3	पाडलिया	मांगीलाल पुत्र गजानन्द मीणा सा. पाडलिया	87	0.16
10-7-02 4.	भीमपुरा	गोबरीलाल पुत्र औंकार गूजर सा. भीमपुरा	मि. 69	0.16
10-7-02 5.	भीमपुरा	श्यामलाल पुत्र औंकार गूजर सा. भीमपुरा	मि. 69	0.32
10-7-02 6.	भीमपुरा	रामलाल पुत्र औंकार गूजर सा. भीमपुरा	मि. 69	0.32
16-7-02 7.	आमोरा	लठूरलाल पुत्र केसरा नायक सा. आमरा	234	0.16
16-7-02 8.	आमोरा	छीतरलाल पुत्र श्रवण मीणा सा. चामोरा	233	0.80
25-7-02 9.	करीरकाखेड़ा	बिरधा पुत्र नन्दा बलाई	42	0.64
25-7-02 10.	कालरेवा	बाबूलाल पुत्र गजानन्द खाखास	80	0.44
25-7-02 11.	बल्लमपुरा	द्वारकालाल पुत्र जगन्नाथ मेहर	328/413	0.40
25-7-02 12.	करीरकाखेड़ा	रामकरण पुत्र लाला सांसी	337/387	0.10/0.16
25-7-02 13.	भौरा	जगदीश पुत्र प्रभूलाल बैरागी	491	0.10
25-7-02 14.	कालारेवा	किशनगोपाल पुत्र माधोलाल मीना	130	0.30
25-7-02 15.	करीरका खेड़ा	जमनालाल पुत्र छोटू मीना	41	0.90
			42	0.86
				7.51

परिशिष्ट-4

परिशिष्ट 'अ'

(अतारांकित प्रश्न संख्या-115 का विवरण)

केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत राज्य सरकार को प्राप्त राशि का विवरण

क्र. संख्या	वर्ष	राशि (करोड़ में)
1.	1998-1999 (1 दिसम्बर से)	शून्य
2.	1999-2000	शून्य
3.	2000-2001	25.27
4.	2001-2002	50.54
5.	2002-2003	78.15
	कुल	153.96

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार को प्राप्त राशि का विवरण

क्र. संख्या	वर्ष	राशि (करोड़ में)
1.	1998-1999 (1 दिसम्बर से)	शून्य
2.	1999-2000	शून्य
3.	2000-2001	140.09
4.	2001-2002	150.00
5.	2002-2003	शून्य
	कुल	290.09

परिशिष्ट-5

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-116 का विवरण)

विधान सभा क्षेत्र दीगोद में विधायक महोदय की अनुशंसा से आरयूपी फेज-1 के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों की सूची

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत	
		लम्बाई कि.मी.	राशि (लाखों में)
1.	देवली आंवा से कनवास (कि.मी. 1, 2, 4)	3.00	10.20
2.	कोटा लाडपुरा सांगोद छबड़ा रोड 28/0 से 30/0, 33/0 से 34/0, 49/0 से 52/0, 54/0 से 56/0	8.00	26.00
3.	अडूसा से बालाजी की थाक 2 किमी. (0/0 से 2/0)	2.00	6.80
4.	सम्पर्क सड़क मण्डाप 1.00 किमी. (0/0 से 1/0)	1.00	3.40
5.	देवली से ढोटी 3 किमी. (0/0 से 3/0)	3.00	11.25
6.	दरा कनवास सांगोद बपावर 4.5.6.13	4.00	13.60
7.	दरा कनवास सांगोद किमी. 1 से 3, 11, 12, 15	6.00	20.40
8.	बड़ोद से बूढादीत (6/0 से 8/0, 10/0 से 14/0)	6.00	22.50
9.	सम्पर्क सड़क से कोटडा दीपसिंह (0/0 से 3/0)	3.00	9.00
10.	सम्पर्क सड़क से मोरपा (0/0 से 2/0)	2.00	6.00
11.	मनडावरा से नीमोदा उजाड (2/0 से 6/0)	4.00	13.60
12.	दीगोद से नीमोदा (0/0 से 3/0)	3.00	10.20
13.	सुल्तानपुर से मण्डावरा (0/0 से 5/0)	5.00	18.75
		50.00	171.70 लाख

परिशिष्ट-6

प्रपत्र "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-118 का विवरण)

क्र.सं.	सम्पर्क सड़क का नाम	कुल अवार्ड की राशि	भुगतान की राशि	शेष राशि	पंचायत समिति का नाम
1.	कोटखावदा से रूपाहेड़ीखुर्द	427847.80	427847.80	—	विधान सभा क्षेत्र बस्सी
2.	रामनगर से कोटखावदा	388188.00	285582.00	102606.00	विधान सभा क्षेत्र बस्सी

प्रपत्र "ब"

शेष राशि जिसका भुगतान किया जाना शेष है

सड़क का नाम : रामनगर से कोटखावदा

क्र.सं.	काश्तकार का नाम	राजस्व ग्राम	अवार्ड का दिनांक	अवार्ड की राशि	शेष भुगतान	विशेष विवरण
1.	श्री नारायण पुत्र अम्बालाल जाति-ब्राह्मण	देह	12.1.2001	1,02,606.40	1,02,606.40	

परिशिष्ट-7

परिशिष्ट "क"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-124 का विवरण)

(उर्दू अध्यापकों के स्वीकृत पदों का विवरण)

क्र.सं.	नाम विद्यालय	स्वीकृत पद
1.	उप्रावि, महावतान, जयपुर	2
2.	उप्रावि, दबावखाना, जयपुर	3
3.	उप्रावि, मुरली मनोहरजी	1
4.	बाउप्रावि, मोती कटला, जयपुर	1
5.	उप्रावि, बैसिक मॉडल, जयपुर	4
6.	उप्रावि, शीतल निवास	3
7.	उप्रावि, सांगानेर ओल्ड	1
8.	बाउप्रावि, चौमूं	1
9.	उप्रावि, चौमूं नं. 3	1
10.	उप्रावि, मानपुर सड़वा	1
11.	उप्रावि, लक्ष्मण डूंगरी	1
12.	उप्रावि, भरतोलाव	1
13.	उप्रावि, चाकसू	1
14.	बाउप्रावि, पानों का दरीबा	2
15.	उप्रावि, खो नागोरियान	2
16.	उप्रावि, रामगंज	1
17.	उप्रावि, नाहरवाड़ा	1
18.	प्रावि, मेहरान	2
19.	प्रावि, मेहन्दीकाबास	1
20.	उपावि, वन विहार	3
21.	प्रावि, सिलावटान	2
22.	प्रावि, पहाड़गुज	1
23.	प्रावि, मौलाना सहाब	3
24.	प्रावि, कमीगरान	3
25.	प्रावि, नीलगरान	4
26.	प्रावि, पन्नीगरान	1
27.	बाप्रावि, पानों का दरीबा	3
28.	प्रावि, व्यापारियान	2
29.	प्रावि, द्वारिकापुरी	1
30.	प्रावि, कायमखानिया	3
31.	प्रावि, तोपखानादेश	3
32.	प्रावि, जालूपुरा	7
33.	प्रावि, हसनपुरा बंजारा	3
34.	प्रावि, बालकला मंदिर	1
35.	प्रावि, सांगानेर, टाउन	1
36.	प्रावि, दरगाह शरीफ	2
37.	प्रावि, आदर्श नरेना	1
38.	प्रावि, वार्ड नं. 41	1
39.	प्रावि, मनोहरपुर नं. 1	1
40.	उप्रावि, महाराजा आदर्श	1
41.	उप्रावि, तोपचीखाना	2
42.	उप्रावि, गांधी चौक आमेर	1
43.	प्रावि, तेलीपाड़ा	1
44.	उप्रावि. नाहरी का नाका	1
45.	उप्रावि. लेबर कॉलोनी	1
46.	प्रावि. बस्सी सीतारामपुरा (अनार्थिक होने पर प्रावि. वाटर वर्क्स में मर्ज)	1
47.	प्रावि. शिवबाड़ी, सांगानेर	1
48.	उप्रावि. आरएसी. बटालियन	1
49.	उप्रावि. बांदरी का नासिक	1
	योग	87

उर्दू अध्यापकों के रिक्त पदों की सूची

क्र.सं.	नाम विद्यालय	रिक्त पद
1.	राप्रावि. दरगाह शरीफ	01
2.	राप्रावि. जालूपुरा	02
3.	राउप्रावि. बेसिक मॉडल	01
	योग	04

परिशिष्ट "ख"

कार्यरत उर्दू अध्यापकों जो उर्दू अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं एवं सामान्य अध्यापक जो उर्दू अध्यापकों के विरुद्ध कार्यरत हैं, की सूची

क्र.सं.	नाम विद्यालय	कार्यरत उर्दू अध्यापक श्री/श्रीमती/सुश्री	कार्यरत सामान्य अध्यापक श्री/श्रीमती/सुश्री
1	2	3	4
1	उप्रावि, महावतान	1. आरीफा बेगम 2. फरजाना परवीन	
2.	उप्रावि, दवाबखाना	1. शहनाज कंवल 2. मोहम्मद युनूस 3. नाज शाकरी	
3.	उप्रावि, मुरलीमनोहर	1. अकीला परवीन	
4.	बाउप्रावि, मोतीकटला	1. आबेदा बेगम	
5.	उप्रावि, बैसिक मॉडल	1 तस्लीम बानो	1. माया रानी राठौड़ 2. सावित्री यादव
6.	उप्रावि, शीतलनिवास	1. फीरदोस परवीन 2. मुमताज मेहन्दी	1. तारा सक्सैना
7.	उप्रावि, सांगानेर औल्ड	1. शाहिद अहमद	
8.	बाउप्रावि, चौमूं	1. ताहिरा बेगम	
9.	उप्रावि, चौमूं नं. 3	1. बाबूलाल	
10.	उप्रावि, मानपुर सड़वा	1. रामावतार मीणा	
11.	उप्रावि, लक्ष्मणडूंगरी	1. शाहिदा सुल्ताना	
12.	उप्रावि, भरतोलाव	1. इमामुद्दीन	
13.	उप्रावि, चाकसू	1. मोहम्मद हनीफ	
14.	बाउप्रावि पानों का दरीबा	1. शगुफ्त यास्मीन 2. आशीफा सिद्धकी	
15.	उप्रावि, खोनागोरियान	1. अब्दुल वहिद 2. राम प्रसाद रैगर	
16.	उप्रावि, रामगंज	1. यासमीन खानम	
17.	उप्रावि, नाहरवाड़ा	1. शाहिदा बानो	
18.	प्रावि, मेहरान	1. साजिदा खान 2. शाहिना खान	
19.	प्रावि, मेहन्दीकाबास	1. अब्दुल सत्तार	

1	2	3	4
20.	उप्रावि, वन विहार	1. अहेतराम अहमद	1. मनमोहन शर्मा 2. मूलचन्द शर्मा
21.	प्रावि, पहाड़गंज	1. अब्दुल शेकूर खां	
22.	प्रावि, मौलाना सहाब	1. केसर बानो 2. जीनत बानो 3. मोहम्मद आरिफ खान	
23.	प्रावि, कमीगरान	1. मोहम्मद उमर 2. अब्दुल वहिद	1. मंजू गुप्ता
24.	प्रावि, नीलगरान	1. शरीफल हसन 2. मोहम्मद ईस्माइल	1. बीना भाटिया 2. बाबू खां
25.	प्रावि, पन्नीगरान	1. निशात बानो	
26.	बाप्रावि, नवीन पार्नो का दरीबा	1. फिरोजा परवीन 2. शाहिना 3. नजमा खातून	
27.	प्रावि, व्यापारिया	1. विकार अहमद मंसूरी 2. एजाज अली	
28.	प्रावि, द्वारिकापुरी	1. अब्दुल रउफ नकवी	
29.	प्रावि, कायमखानी	1. अकलीम जहां	1. मुमताज मेहन्दी 2. अमित वर्मा
30.	प्रावि, तोपखानादेश	1. अकिला यास्मीन 2. बहार अख्तर	1. राजकुमारी पारीक
31.	प्रावि, हसनपुराबंजारा	1. अब्दुल सलीम	1. कमलेश मेहता 2. हेमलता मंजूल
32.	प्रावि, बालकला मंदिर	1. शाहिदा बानो	
33.	प्रावि, सांगानेर टाउन	1. अब्दुल मनान	
34.	प्रावि, दरगाह शरीफ	1. तस्मीन अंजूम	

1	2	3	4
35.	प्रावि, आदर्श नरैमा	1. खानउजाबेग	
36.	प्रावि वार्ड नं. 41	1. नईमा बेगम	
37.	प्रावि, मनोहपुर नं. 1	1. मोहियुद्धीन	
38.	उप्रावि, महाराजाआदर्श	1. अलिमुद्धीन	
39.	उप्रावि, तोपेचीखाना	1. रफीक मोहम्मद 2. शोकिन अली	
40.	उप्रावि, गांधी चौक आमेर	1. अकबर अली नकवी	
41.	प्रावि, तेलीपाड़ा	—	1. इन्द्रा परनामी
42.	उप्रावि, नाहरी का नाका	—	1. मंजू शर्मा
43.	उप्रावि, लेबर कॉलोनी	—	1. रेखा सोलंकी
44.	प्रावि, शिवबाड़ी, सांगानेर	—	1. मुन्नी देवी
45.	उप्रावि, आरएसी बटालियन	—	1. मंजू अग्रवाल
46.	उप्रावि, बान्दरी का नासिक	—	1. सरिता भटनागर
47.	प्रावि, बस्सी सीता रामपुरा	—	1. फतेहचन्द शर्मा
	(अनार्थिक होने पर प्रावि वाटर वर्क्स में विलय)		
48.	प्रावि, जालूपुरा	1. शालिदा खान 2. इस्रत बानो 3. रईस अहमद	1. पुष्पलता शर्मा 2. उर्मिला जोशी
49.	प्रावि, सीलावटान	1. शाकिर अली 2. शम मसूद	

परिशिष्ट-8

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-125 का विवरण)

फर्जी परीक्षार्थियों सम्बन्धी अनुचित साधन सैल अन्तर्गत गत वर्षों के परीक्षार्थियों की सूची

सन्	परीक्षार्थियों का नामांक	परीक्षा केन्द्र का नाम	बोर्ड द्वारा की गई कार्यवाही
1999	846130	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़)	वर्तमान परीक्षा निरस्त कर सन् 2001 तक की बोर्ड परीक्षा में बैठने से वंचित केन्द्र द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज।
2000	605001	राज. उच्च माध्यमिक विद्यालय, महुआ (दौसा)	वर्तमान परीक्षा निरस्त कर सन् 2002 तक की बोर्ड परीक्षा में बैठने से वंचित केन्द्र द्वारा परीक्षार्थियों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज।
	745514	राज. उ. मा. विद्यालय, कुम्हेर (भरतपुर)	"
	767154	राज. उ. मा. विद्यालय, राजसीन (जालौर)	"
	767300	राज. बालिका उ.मा. विद्यालय, सांचौर (जालौर)	"
	837970	राज. मोहता बालिका विद्यालय, राजगढ़ (चूरू)	"
	913251	राज. मा. विद्यालय, चला (सीकर)	न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन

परिशिष्ट-9

परिशिष्ट-1

(अतारांकित प्रश्न संख्या-132 की सूची)

राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड निदेशालय, समाज कल्याण विभाग परिसर, जयपुर

राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर द्वारा जिला अलवर के अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को किये गये ऋण वितरण की सूची (दिनांक 20.02.2003) तक

क्र.सं.	नाम लाभार्थी	परियोजना	ऋण राशि	स्वयं का अंशदान	योग
1.	श्रीमती ललिता देवी/राजकुमार	भैंस डेयरी	33150	5850	39000
2.	श्रीमती अमिना/कल्लू खां	भैंस डेयरी	33150	5850	39000
3.	श्रीमती रजनीदेवी/प्रदीप	भैंस डेयरी	33150	5850	39000
4.	श्रीमती चमेली/हेतराम	भैंस डेयरी	33150	5850	39000
5.	श्रीमती बुगलीदेवी/सुवालाल	भैंस डेयरी	33150	5850	39000
6.	श्रीमती संतरादेवी/रणजीत	भैंस डेयरी	33150	5850	39000
7.	श्रीमती प्रेमदेवी/कैलाश	भैंस डेयरी	33150	5850	39000
8.	श्री रामसिंह/जगदीश	कारपेंटरी	40375	7125	47500
9.	श्री जगदीश प्रसाद/पूर्णमल	लाख चूड़ा की दुकान	42500	7500	50000
10.	श्रीमती प्रेमलता/अनन्तराम	भैंस डेयरी	32300	5700	38000
11.	श्रीमती कोकाबाई/लीलाराम	भैंस डेयरी	32300	5700	38000
12.	श्रीमती उगन्ती/लक्ष्मणराम	भैंस डेयरी	32300	5700	38000
13.	श्रीमती हीरादेवी/बीरबल	भैंस डेयरी	32300	5700	38000
14.	श्रीमती केशन्तीदेवी/रामरतन	भैंस डेयरी	32300	5700	38000
15.	श्रीमती कैलाशीदेवी/कृष्ण	भैंस डेयरी	32300	5700	38000
16.	श्री जयसिंह/हरसहाय	भैंस डेयरी	32300	5700	38000
17.	श्री रामेश्वर/हरसहाय	भैंस डेयरी	32300	5700	38000
18.	श्री रामदयाल/सुखलाल	भैंस डेयरी	32300	5700	38000
19.	श्री लल्लूराम/भौरेलाल	भैंस डेयरी	32300	5700	38000
20.	श्रीमती संतोषदेवी/विनोदकुमार	भैंस डेयरी	32300	5700	38000
21.	श्री प्रदीपकुमार/गिर्राजप्रसाद	गाय डेयरी	41650	7350	49000
		योग	7,11,875	1,25,626	8,37,500

ह०/-
प्रबन्धक,
राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं
विकास सहकारी निगम लि., जयपुर

परिशिष्ट-10

परिशिष्ट "क"

(अतारांकित संख्या-134 की सूची)

विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में संचालित विभागीय आयुर्वेदिक औषधालयों/चिकित्सालयों की सूची (स्थिति दिनांक 15-02-2003)

क्र.सं.	स्थान औषधालय/चिकित्सालय
1.	बाड़मेर
2.	बायतू
3.	उण्डखा
4.	जसाई
5.	लंगेरा
6.	विशाला
7.	भाडखा
8.	कवास
9.	भूरटिया

परिशिष्ट-12

(नियम 295 के तहत शेष प्रस्ताव जो पढ़े हुए माने गये)

नियमन पट्टों में लिखी शर्त से ऋण लेने में हो रही असुविधा विषयक

(श्री ज्ञानचन्द पारख—पाली)

राज्य सरकार ने करीब चार वर्ष पूर्व कच्ची बस्ती के कब्जेधारियों को उनकी कब्जा सुदा रहवासी मकान का मालिकाना हक देने के उद्देश्य से नियमन की कार्यवाही की एवं उन्हें नियमन के पट्टे भी उपलब्ध कराये। इन पट्टे धारकों में से अधिकांश तथा अपने कब्जा सुदा मकानों का नियमन इस उम्मीद से कराया कि पट्टा मिलने के बाद वे किसी वित्तीय संस्था से ऋण लेकर अपने मकानों को पक्का एवं रहने योग्य बनायेंगे। परन्तु पट्टा मिलने के बाद जब उन्होंने स्थानीय निकाय से भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त कर ऋण प्राप्त करने हेतु वित्तीय संस्थाओं में आवेदन किया तो पट्टे में लिखी यह शर्त कि यह पट्टा एवं भूखण्ड अहस्तान्तरणीय है। वित्तीय संस्थाओं ने ऋण उपलब्ध कराने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। पूर्व में भी सितम्बर, 1971 के पूर्व के कब्जों एवं सन् 1981 की सर्वे सूची के आधार पर भी नियमन की कार्यवाही कर कब्जेधारियों को पट्टे उपलब्ध कराये गये थे परन्तु उन पट्टों में इस प्रकार की कोई शर्त नहीं थी। जिसके कारण ऐसे पट्टे धारकों को इन पट्टों पर भवन निर्माण ऋण अथवा अन्य कोई ऋण प्राप्त करने में कोई अड़चन आये।

मान्यवर, जहां एक तरफ भारत सरकार हर व्यक्ति का अपना उसकी सुविधानुसार मकान हो इसलिये विभिन्न योजनाएं लाकर प्रयास कर रही है। वही इस शर्त के कारण प्रदेश में ऐसे हजारों पट्टाधारक जो अपना पक्का मकान ऋण प्राप्त करके ही बना सकते हैं, मकान बनाने से वंचित रह गये हैं। इन व्यक्तियों ने हजारों रुपये खर्च कर अपने कब्जों का नियमन कराया एवं भवन निर्माण स्वीकृति भी राशि खर्च कर प्राप्त की।

मेरा स्वायत्त शासन मंत्रीजी से यह निवेदन है कि नियमन के इन पट्टों में शर्त में इस आशय की छूट दें कि इन व्यक्तियों को ऋण प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं आये।

पंचायत समिति कामां, जिला भरतपुर में राजकीय विद्यालयों में कार्यरत 70 उर्दू शिक्षा कर्मियों को स्थाई करने के सम्बन्ध में

(मोहम्मद माहिर आजाद—नगर)

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि कामां पंचायत समिति के ग्रामीण क्षेत्र के मेव बाहुल्य गांवों में प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 1995 से मदरसा शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत नियुक्त उर्दू शिक्षाकर्मी राजकीय विद्यालयों में कार्यरत हैं। यह 70 शिक्षाकर्मी विगत 8 वर्षों से लगातार राजकीय विद्यालयों में पूरे आठ कालांश तक उर्दू अध्यापन के द्वारा अन्य विषयों को पढ़ा कर राज्य सरकार के प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण शिक्षा आपके द्वार जैसे कार्यों में पूरे मनोयोग से कार्यरत हैं।

उक्त शिक्षाकर्मियों को केवल मात्र 02 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय स्वरूप प्रदान किये जाते हैं। अन्य लाभ जैसे पी. एल., वार्षिक मानदेय बढ़ोतरी तक नहीं दी जाती है, बल्कि बीमार पड़ने पर भी मानदेय काट लिया जाता है।

गौरतलब है कि राज्य सरकार के निर्णयानुसार उर्दू शिक्षाकर्मी जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) में समायोजित हो चुका है। हाल ही राज्य सरकार ने 1999 में लगे पहले बैच के शिक्षा सहयोगियों (पैराटीचर्स) को स्थाई करने का फैसला किया है।

अतः मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी एवं सदन का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करता हूं कि कामां (भरतपुर) सहित पूरे राजस्थान में कार्यरत उर्दू शिक्षा कर्मियों को भी शिक्षा सहयोगी एवं पैराटीचर्स की भांति नियमित कर तृतीय श्रेणी अध्यापक की वेतन श्रृंखला देने का कष्ट करें ताकि अकाल एवं महंगाई के इस दौर में गरीब परिवार के उर्दू शिक्षाकर्मियों को भी न्याय मिल सके।

धन्यवाद।

गुर्जर समाज में जाति बाहर किए जाने की धमकी देकर 63,000/- रुपये वसूल करने के क्रम में

(डा. रघुवीर सिंह गौड़—कोटपूतली)

इक्कीसवीं सदी में भी कतिपय समाज कंटकों द्वारा जाति बाहर करने की धमकी देकर 63 हजार रुपए वसूल कर लिए गए तथा अनेक समाज सेवियों के अनुरोध के बावजूद न तो राशि वापस की गई, न किसी प्रकार की गलती महसूस की गई।

इस प्रकरण को गत वर्ष भी इस पवित्र सदन में मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। पुलिस ने माना है कि 63,000/- रुपये की राशि फुरीकेन से वसूल की गई है तथा जांच जारी है। दिनांक 27-8-2001 को मानव समाज द्वारा धर्म स्थल छात्रावास में हीरामन का भण्डारा आयोजित किया गया। जिसमें केवल मात्र कुछ भक्तों को निमंत्रण देने पर ही गुर्जर समाज के कुछ व्यक्तियों ने तीन गुर्जर सदस्यों को जाति बाहर करने की धमकी देकर 63,000/- रुपये वसूल कर लिए बाद में सम्पूर्ण समाज की एक मीटिंग की गई तथा श्री हजारी लाल एवं अन्य व्यक्तियों को निर्दोष करार दिया तथा गुर्जर समाज द्वारा वसूल किए गए 63,000/- रुपये वापस किए जाने का अनुरोध किया। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। फलस्वरूप पीड़ित व्यक्तियों ने दिनांक 9-1-2002 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।

इस प्रकरण की तीन बार अलग-अलग स्तर पर जांच की गई। मानवाधिकार आयोग को भी गुहार की गई। पुलिस द्वारा आयोग को चालान कोर्ट में पेश कर दिए जाने बाबत सूचना दी गई।

लेकिन खेद है कि अब तक पीड़ितों को न तो राशि वापस मिल सकी है न मुलजिमानों को कोई प्रताड़ना। पीड़ित व्यक्तियों को मुलजिमानों द्वारा गाहे बगाहे धमकी दी जा रही है। श्री हजारी लाल एवं साथी आर्थिक दृष्टि से तो पहले ही पीड़ित थे, अब इतना समय गुजरने के बाद भी कोई कार्यवाही न होने से त्रस्त हैं। इस सदन में दो बार यह प्रकरण प्रस्तुत किए जाने के बाद भी यदि पीड़ितों को राहत न मिले तो यह खेद का विषय है। पुलिस द्वारा प्रारम्भ में ही माना है कि जाति बाहर किए जाने की धमकी देकर मुलजिमानों द्वारा 63,000/- वसूल किए गए। फिर क्या कारण है। बार-बार जांच किए जाने हेतु फाइल चक्कर काट रही है। मैं इस विशेष उल्लेख के माध्यम से इस सीधे सरल केस को शीघ्र निपटाए जाने हेतु सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आशा है सरकार पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाकर उन्हें राहत दिलावेंगे।

विधान सभा क्षेत्र देसूरी में रिक्त पड़े विभिन्न पदों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में

(श्री आत्माराम मेघवाल—देसूरी)

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र देसूरी में पंचायत समिति देसूरी में काफी लम्बे समय से विकास अधिकारी, पंचायत प्रसार अधिकारी, सहकार प्रसार अधिकारी, एक कनिष्ठ लेखाकार, एक कनिष्ठ अभियन्ता, एक वरिष्ठ लिपिक तथा पंचायत समिति रानी में भी एक वरिष्ठ लिपिक तथा कनिष्ठ लिपिक के पद रिक्त पड़े हैं। उक्त पदों के रिक्त पड़े रहने से क्षेत्र की जनता को अपने कार्यों में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा इससे जनता में काफी रोष व्याप्त है।

अतः मैं इस विशेष उल्लेख के माध्यम से पंचायती राज मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि इन पदों को शीघ्र भरने के आदेश प्रदान करें।

विधान सभा क्षेत्र कठूमर के गांव पीरू का नगला में राजीव गांधी पाठशाला भवन निर्माण विषयक

(श्री रमेश खींची—कठूमर)

विधान सभा क्षेत्र कठूमर के ग्राम पीरू का नगला ग्राम पंचायत तसई में संचालित स्वर्ण जयन्ती राजीव गांधी पाठशाला के भवन निर्माण हेतु पंचायत समिति की साधारण सभा में एस.एफ.सी./ई.एफ.सी. के अन्तर्गत सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त किए जाने के उपरान्त भी प्रधान द्वारा हठधर्मिता किए जाने के कारण राजीव गांधी पाठशाला को भवन निर्माण नहीं हुआ है। उक्त पाठशाला में बच्चे खुले आकाश के नीचे बैठकर पढ़ाई करते हैं। खुले मैदान के कारण शिक्षा सहयोगी बच्चों को अध्यापन/अध्ययन सही ढंग से नहीं करा पाते हैं।

कई बार राजीव गांधी पाठशाला खुले मैदान में संचालित होने के कारण बरसात एवं सर्दी में बच्चे बीमार हो चुके हैं इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए ग्रामिणों में भारी आक्रोश व्याप्त है।

पूर्व में ग्रामवासियों द्वारा उक्त क्रम में चक्का जाम कर उपखण्ड अधिकारी, कठूमर को भवन निर्माण हेतु ज्ञापन भी दिया गया। उपखण्ड अधिकारी महोदय के आश्वासन के बाद भी आज तक भवन निर्माण नहीं किया गया है। यदि स्वर्ण जयन्ती राजीव गांधी पाठशाला भवन का शीघ्र निर्माण नहीं किया गया तो अन्देशा है कि जनता आन्दोलन पर उतारू हो सकती है।

अतः माननीय ग्रामीण विकास मंत्री महोदय से निवेदन है कि उक्त स्वर्ण जयन्ती राजीव गांधी पाठशाला का भवन निर्माण अतिशीघ्र कराये जाने की कृपा करें। साथ ही भवन निर्माण में हुए विलम्ब के लिए सम्बन्धित प्रधान के खिलाफ कार्यवाही कराये जाने की कृपा करेंगे।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12, बनास नदी पर स्थित टोल टैक्स ठेकेदारों द्वारा वाहन चालकों से अधिक वसूली

(श्री जसवन्त सिंह गुर्जर—बाड़ी)

मैं विधान सभा के नियम एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान जयपुर-कोटा मुख्य सड़क राष्ट्रीय राज मार्ग नं. 12 पर टोंक में बनास नदी पर स्थित टोल टैक्स के ठेकेदारों द्वारा भय व आतंक फैलाकर टोल टैक्स की अधिकृत दर 15 रुपये प्रति बड़ी गाड़ी व छोटी गाड़ी (कार, जीप) का 5 रुपये के अनुसार वसूला नहीं जाकर बढ़ी हुई दरों से 15 रुपये बड़े वाहन की जगह 60 रुपये व छोटे वाहन के 5 रुपये की जगह 25 रुपये वसूल की जा रही की ओर आकृर्षित करना चाहूंगा।

महोदय इस बढ़ी हुई दर के कारण तथा टोल टैक्स के ठेकेदार भय व आतंक व गुण्डा गर्दी के खिलाफ दिनांक 26/2/2003 को टोंक जिला प्राइवेट बस यूनियन के तत्वाधान में करीब 4 घंटे तक मुख्य सड़क पर चक्का जाम आन्दोलन किया जिसके कारण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 पर टोंक से लेकर 4 किलोमीटर तक वाहन के चक्का जाम से आम राहगिरों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा है।

इस सन्दर्भ में मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि उक्त टोल टैक्स का ठेका राज्य सरकार द्वारा हाल ही में बनास के नए पुल निर्माण पर से गुजरने वाले वाहनों से वसूलने का निर्णय के कारण किया। उक्त ठेके को संचालन करने वाला ठेकेदार श्री कैलाश मीणा ने कई व्यक्तियों को हथियार सहित बैठा रखे हैं तथा आम व्यक्ति से दादागिरी से अधिकृत राशि से तीन गुना राशि वसूल कर रहे हैं तथा जब कोई गाड़ी टोल टैक्स से गुजरती है तो उससे एक रसीद की जगह तीन-तीन रसीद जबरन देकर कई गुना राशि वसूलने का कार्य दुरस्तर काफी समय से चल रहा है।

महोदय यह एक तरह से सरकार के राजस्व के सीधी हानि है। अतः मेरा सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से आग्रह है कि कृपया पूरे प्रकरण की जांच करावें व जो कोई राजस्व की हानि सरकार को हो रही है उसे रोकने हेतु एवं भय आतंक के वातावरण से मुक्त करने हेतु उक्त टोल टैक्स ठेके को तुरन्त निरस्त कर व आवश्यक कार्यवाही करें।